29 फरवरी, 1996

फाल्गुन, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 47, सौलहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 29 फरवरी, 1996/10 फाल्गुन, 1917 (शक)

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | 1-27 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या: 42, 43, 45 और 46 | 1-24 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | 28-243 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 41, 44 और 47 से 60 | 28-49 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 317 से 440 | 49-226 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 244-245 |
| **प्राक्कलन समिति** | 246 |
| पचपनवां और छप्पनवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत** | |
| **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति** | 247 |
| इक्यावनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत** | |
| **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति** | 247 |
| अट्ठावनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत** | |
| **श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति** | 247 |
| इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत** | |
| **[illegible] संबंधी स्थायी समिति** | 248 |
| बीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत** | |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था ।

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति | | 248 |
| | इक्कीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत | |
| मध्य प्रदेश के बुन्देली अंचल में रेल सेवाओं में सुधार के बारे में याचिका — **प्रस्तुत** | | 248 |
| उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक — **पुर:स्थापित** | | 248 |
| उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण — **सभा पटल पर रखा गया** | | 249 |
| संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक — **पुर:स्थापित** | | 249 |
| संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण — **सभा पटल पर रखा गया** | | 250 |
| लोक लेखा समिति | | 250 |
| | 114वां, 115वां और 116वां प्रतिवेदन — प्रस्तुत | |
| नियम 377 के अधीन मामले | | |
| (एक) | देश में मानवाधिकारों का हनन रोके जाने की आवश्यकता | 251 |
| | श्री जगमीत सिंह बरार | |
| (दो) | हरियाणा की केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली दिए जाने की आवश्यकता | 251 |
| | श्री जंगबीर सिंह | |
| (तीन) | आन्ध्र प्रदेश के राजमुन्दरी हवाई अड्डे पर पर्याप्त परिचालन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता | 252 |
| | डा. के.वी.आर. चौधरी | |
| (चार) | महाराष्ट्र में इन्दौर-अमरावती-यवतमाल-चन्द्रपुर-दुर्ग राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता | 252 |
| | श्री शांताराम पोतदुखे | |
| (पांच) | हापुड़, गाजियाबाद (उ.प्र.) से हड्डी मिलों को तुरन्त स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता | 252 |
| | डा. रमेश चन्द तोमर | |

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| (छह) | बरेली, उत्तर प्रदेश में एक बाई-पास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता | 253 |
| | श्री संतोष कुमार गंगवार | |
| (सात) | भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता | 253 |
| | श्रीमति गिरिजा देवी | |
| (आठ) | चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को देय राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | 254 |
| | श्री मोहन सिंह (देवरिया) | |
| नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण | | 254-257 |
| | श्री शैलेन्द्र महतो | |
| ''हवाला मामले'' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असन्तोष व्यक्त करने के संबंध में प्रस्ताव- | | 258-314 |
| | श्री सोमनाथ चटर्जी | 258 |
| | श्री पवन कुमार बंसल | 259-275 |
| | श्री श्रीकान्त जेना | 276-291 |
| | श्री सैयद शहाबुद्दीन | 292-300 |
| | कुमारी ममता बनर्जी | 301-314 |

# लोक सभा

गुरुवार, 29 फरवरी, 1996/10 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, श्री शैलेन्द्र महतो आ गये हैं।

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** हमें प्रश्न काल आरम्भ करना चाहिए। तत्पश्चात् 12 बजे आप उस पर चर्चा करें।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम): क्या आपने अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया है?

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न संख्या 41, श्रीमती वसुन्धरा राजे–अनुपस्थित, प्रश्न संख्या 42, श्री मनोरंजन भक्त।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### दिल्ली में बम विस्फोट

\+

*42. **श्री मनोरंजन भक्त:**
**डा. एस. पी. यादव:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 जनवरी, 1996 को सदर बाजार, दिल्ली में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गए, घायल हुए तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ग) इस घटना के बारे में हुई जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) संबंधित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन):** (क) से (ङ). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

**विवरण**

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उक्त बम विस्फोट में सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और छत्तीस घायल हो गए। उक्त विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति का मूल्य लगभग दो लाख रुपये है।

(ग) और (घ). विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और 5 भारतीय दंड संहिता की धारा 307/302 के अंतर्गत 3.1.96 को सदर बाजार थाना, दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है। इस बम विस्फोट के संबंध में सीलू गांव, सोपोर, बारामूला (जम्मू और कश्मीर) के सादिक शेख उर्फ गाजोली उर्फ गुलाम हुसैन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तीन अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की जा चुकी है। तीन अन्य उग्रवादी, जो इस मामले से संबंधित नहीं है, को भी गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के रहस्योद्घाटन के आधार पर कश्मीर घाटी से 2 ए. के 47,2 ए. के. 56 एसाल्ट राइफलें 7. 62 एम. एम. व्यास के 402 राउण्ड के साथ 14 मैगजीन और चीन में निर्मित एक स्टिक हथगोला बरामद किया है।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंकवादी–विरोधी कक्ष की स्थापना सुभेद्य अनुकूल स्थानों पर सशस्त्र पिकटों की तैनाती, गहन सचल–गश्त, लोगों को और अधिक सर्तक करने

के लिए उनके बीच जानकारी संबंधी साहित्य का वितरण, भेदियों की तैनाती, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात उग्रवादियों की फोटो लगाना, संवेदनशील जगहों पर पी. सी. आर. वाहनों की तैनाती और पड़ोसी राज्य के साथ समन्वय बैठकों की स्थापना शामिल है।

श्री मनोरंजन भक्तः अध्यक्ष महोदय, 3 जनवरी को दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में हुए भीषण बम विस्फोट से विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा खामियों का पता चलता है। हम सब जानते हैं कि विभिन्न एजेंसियां और आतंकवादी संगठन पूरी तरह से अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका इरादा दिल्ली में रह रहे व्यक्तियों के जान–माल पर गम्भीर हमला करने का है। मुझे मालूम नहीं कि क्या सरकार सुरक्षा तंत्र को इसकी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा चुस्त बनाने के लिए समुचित कदम उठा रही है या नहीं ताकि इन बातों का पता लगाया जा सके। जब अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाती है तो फिर आम जनता जो दिल्ली क्षेत्र में रह रही है उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान न किए जाने का कोई कारण नहीं है। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और साधारण व्यक्तियों का जीवन समान है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप प्रश्न पर आयें।

श्री मनोरंजन भक्तः जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्सलिया में जहाज से हथियार गिराये गये थे। दिल्ली में भी पुलिस द्वारा कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गये हैं इससे केवल यही प्रकट होता है कि निश्चित रूप से (व्यवधान)–

अध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न क्या है?

श्री मनोरंजन भक्तः मैं अभी प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जांच एजेंसियों ने जिन कुछ व्यक्तियों को नजरबंद किया हुआ है, उनमें से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, क्या यह पता लगाया गया है कि इन व्यक्तियों का पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई. एस. आई. या किसी अन्य एजेंसी के साथ कोई सांठगांठ या सम्बन्ध है? इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन गिरफ्तार व्यक्तियों का पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई. एस. आई. या किसी अन्य आतंकवादी संगठन से कोई सम्बन्ध है।

प्रो. एम. कामसनः महोदय, दिल्ली पुलिस माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इन सभी प्रश्नों की जांच का काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। हमने पहले उत्तर में भी यह बताया है कि इस संबंध में गिरफ्तारियां की गई हैं और अतिरिक्त कदम भी उठाये जा रहे हैं और इन सभी घटनाओं को रोकने और न केवल अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों अपितु आम व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किये जा रहे हैं। मैंने उत्तर में यह भी बतया है कि गिरफ्तार किये गये ये आतंकवादी जम्मू–कश्मीरी आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): महोदय, मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि गिरफ्तार किए गये ये व्यक्ति हिजबुल मुजाहिद्दीन और आई. एस. आई. से जुड़े हैं जो निश्चित रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें धन दे रहे हैं। गिरफ्तार किए गये ये लोग पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई. एस. आई. के एजेंटों से जुड़े हैं।

मनोरंजन भक्त,: महोदय, हमारे देश के भीतर अत्यधिक मात्रा में हथियारों का जखीरा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देशभर में इन गैरकानूनी ढंग से पड़े हथियारों का पता लगाने के लिए विशेषकर आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्रवाई करेगी, और उन्हें जब्त करेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मृत व्यक्तियों के परिवारों को उचित वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे आराम से रह सकें।

प्रो. एम. कामसनः महोदय, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। इसके बारे में बताया गया था। हाल ही में लगभग 59 पिस्तौलें बरामद की गई थीं और अभी भी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कई उपाय किये जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों के परिवारों को सहायता के बारे में, हमारे पास एक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत दिल्ली पुलिस मृत व्यक्तियों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 20,000 रुपये और जिन व्यक्तियों को कम चोटें आई हैं, उन्हें 10,000 रुपये की राशि दे रही है।

श्री मनोरंजन भक्तः यह 20,000 या 10,000 रुपये क्या हैं?

श्री एस. बी. चव्हाणः महोदय, मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि आई. एस. आई. के एजेंट देश के विभिन्न भागों में विस्फोटक सामग्री फैलाने में सफल हुए हैं, लेकिन, अंततः कानून और व्यवस्था का विषय जो कि सम्बन्धित राज्य सरकारों का है, यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे। हम केवल तलमेल बैठाते हैं और यदि इन आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करने के लिए उन्हें किसी विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हम निश्चित रूप से अर्द्ध–सैनिक बल प्रदान करते हैं और अन्य सहायता भी देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। लेकिन मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और जो भी धनराशि वे उचित समझते हैं, उन्हें दी जाती है लेकिन हम यहां से अपना आदेश नहीं दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. एस. पी. यादवः मैं यह जानना चाहता हूं कि सदर बाजार में जो विस्फोट हुआ, उसमें आपने सम्पत्ति का जिक्र किया है, लेकिन जो मरे हैं या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई है क्या उनको कोई मुआवजा देने का काम किया है?

[अनुवाद]

प्रो. एम. कामसनः जी हां। प्रत्येक मामले में हमने 50,000 रुपये दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दासः अध्यक्ष जी, आंतरिक सुरक्षा की हालत सारे देश में काफी खराब है। इस सदन में भी आई. एस. आई. का नाम लेकर आंतरिक सुरक्षा खराब होने की बात कही जाती है कि उसकी वजह से भी हमारी सुरक्षा खराब हुई है। लेकिन उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका नतीजा यह निकला कि आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली में भी आ गये और उसी आधार पर सदर बाजार में बम विस्फोट हुआ। गृह मंत्री ने बताया कि उसमें भी आई. एस. आई. के एजेंट पकड़े गये हैं। अभी यहां पर घायलों को और मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की बात कही गई, तो वह भी इतना कम

है कि उससे उनको संतोष नहीं हो सकता। इस घटना का कारण भी पुलिस व्यवस्था का खराब होना ही है। अभी गृह मंत्री ने बताया कि राज्य इसको तय करते हैं और ला एंड आर्डर राज्य का विषय है। जहां तक दिल्ली का मामला है, दिल्ली में ला एंड आर्डर केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसीलिए दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है। मुआवजा देने का काम भी केन्द्र सरकार ही करती है। क्या केन्द्र सरकार इस बारे में सोच रही है कि जैसे अन्य राज्यों को पुलिस का अधिकार दिया हुआ है, वैसे ही दिल्ली सरकार को भी दे ताकि वह ठीक से कंट्रोल कर सके, क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? इसके साथ ही मेरा एक प्रश्न यह भी है कि जो नगण्य मुआवजा दिया गया है, उसको बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार कुछ कर रही है?

[अनुवाद]

प्रो. एम. कामसनः जी हां, महोदय। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने के मामले के बारे में गहराई से विचार किया गया है। अभी तक, सबसे अच्छी बात या सबसे अच्छी नीति जो अपनायी जा रही है वह यह है कि दिल्ली पुलिस की तुलना किसी अन्य राज्य सरकार की पुलिस के साथ नहीं की जा सकती है। यह इसलिए कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति और गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ, विदेशों से आने वाले अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री और राज्यपाल आदि निरंतर दिल्ली का दौरा करते रहते हैं। इन सभी बातों का दिल्ली पुलिस को ध्यान रखना पड़ता है। अतः इसे दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं लाया जा सकता है। यह हमारा सोचा-समझा विचार है।

[हिन्दी]

श्री कालका दासः मुआवजा बहुत नगण्य है। मुआवजा बढ़ाने की कोई बात है?

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्रः कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आतंकवादी यहां प्रवेश कर रहे हैं।

श्री एस. बी. चव्हाणः महोदय, राज्य सरकार ही अपेक्षित सहायता राशि प्रदान करती है। वस्तुतः इसे मुआवजा की संज्ञा देना उचित नहीं है। हम सम्भवतः किसी व्यक्ति को मुआवजा देने के शब्दों में सोच नहीं सकते, हम राहत प्रदान करने के बारे में सोच सकते हैं और सहायता सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है न कि केन्द्र सरकार द्वारा। यदि मानक बढ़ा दिया जाता है तो राज्य सरकारें यह पूछ सकती हैं कि चूंकि आपने मानक बढ़ाये हैं, हमारे पास अधिक धनराशि देने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार, केन्द्र सरकार को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

श्री राम नाईकः आप क्या भुगतान कर रहे हैं?

श्री एस. बी. चव्हाणः वस्तुतः, उन्हें कुछ और चीज की मांग करनी होती है। निश्चित रूप से हम कई तरीकों से उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं लेकिन सहायता के मामले में नहीं...(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्रः महोदय, सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। आतंकवादी रेल और सड़कों के रास्ते घुसपैठ करते हैं। वे दोनों ही तरीकों से प्रवेश कर रहे हैं। अतः, सरकार दिल्ली रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर, जो दिल्ली के क्षेत्राधिकार और सड़कों के अन्दर आते हैं, क्या कदम उठाये हैं? कई तरीके मौजूद हैं- वे बस से, ट्रक से आ रहे हैं। उनकी घुसपैठ की इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि वे अपने साथ कोई विस्फोटक सामग्री या हथियार ला रहे हैं, क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रो. एम. कामसनः बहुत से उपाय किये गये हैं। हमने हाल ही में पुलिस में प्रत्येक जिले में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अथवा और जो भी अन्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां सैन्य चौकी के साथ-साथ एक आतंकरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, विशेष गश्त के लिए हमने विभिन्न तरीके अपनाये हैं और विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं तथा अनेक उपाय किये गये हैं।

श्री राम कापसेः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब देते समय, माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि प्रत्येक पुलिस जिले में एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रकोष्ठ पूरे भारत में बनाये गये हैं या फिर यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही की गई है।

श्री एस. बी. चव्हाणः यह व्यवस्था दिल्ली में ही की गई है।

श्री राम कापसेः दूसरे, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, क्या मुम्बई में हुए बम विस्फोट के बाद से विशेष तौर पर तीन वर्ष पहले दिवाली के दिन कल्याण जंक्शन पर हुए विस्फोट के पश्चात् आप और अधिक सजक हो गये हैं और जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि उसके पश्चात् कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न सदर बाजार के सम्बन्ध में है।

श्री राम कापसेः मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। ऐसा पता चला है कि दाऊद ने पकिस्तान की नागरिकता ले ली है। क्या यह सच है? यदि हां, तो जहां तक मुम्बई का सम्बन्ध है, और अधिक निगरानी के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री एस. बी. चव्हाणः इसके लिए अलग से नोटिस देना होगा।

श्री राम कापसेः जहां तक प्रत्येक पुलिस जिले में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने का सम्बन्ध है, क्या यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू की जानी है?

श्री एस. बी. चव्हाणः यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू की जानी है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादवः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। यदि दिल्ली में कोई घटना घटती है, तो उसका पूरे देश पर असर पड़ता है। भारत सरकार यहां बैठी

हुई है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या कोई आधुनिक यन्त्र के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था आपने की है? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके उत्तर में इसका कोई जिक्र नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाणः** हम जानकारी एकत्र करने का प्रयास करते हैं, विशेष तौर पर उन क्षेत्रों के बारे में, जिनके सम्बन्ध में हमारे पास पहले से सूचना उपलब्ध है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उग्रवादियों के छिपने के स्थान माने जाते हैं। इन विशेष क्षेत्रों में उग्रवादियों से सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं और हमने चार–पाँच ऐसे क्षेत्रों के बारे में जनकारी प्राप्त की है कि आतंकवादी उन क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। लेकिन शेष मामलों में आधुनिक हथियार दिये जाते हैं और उनके बारे में हमारे पास कोई अन्य सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री रवि रायः** अध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं और यह अच्छा हुआ कि होम मिनिस्टर साहब ने प्रामाणिकता के साथ पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि सदर बाजार में जो घटना हुई थी, उसके पीछे आई. एस. आई. का हाथ है। मैं चव्हाण साहब से जानना चाहता हूं कि पहले भी एक बहुत टफ बयान आई. एस. आई. के सिलसिले में दिया था और हम लोगों को यह भी जानकारी है कि ये नोर्थ ईस्ट की तरफ भी गये हैं। उन्होंने राजधानी में आकर ऐसा किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का टेरेरिस्ट स्टेट के नाते अमरीका के बारे में जो घोषणा करने का था, ऐलान करने का था, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान द्वारा आई. एस. आई. के जरिये इस तरह के जो कारनामे किये जाते हैं, क्या सचिवालय के स्तर पर, सेक्रेटरी के स्तर पर उसके साथ इस बारे में भविष्य में कोई वार्तालाप करने की गुंजाइश है?

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाणः** महोदय, यह एक व्यापक विषय है। यह सच है कि अमरीकी सरकार पकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने ही वाली थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका स्पष्टीकरण मैं किसी कारणवश नहीं दे सकता। अब कुछ अलग ढंग से विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों को राजनयिक स्तर पर उठाया जा रहा है। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

[हिन्दी]

**प्रो. रासा सिंह रावतः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं और अभी स्वयं मंत्री जी ने उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि दिल्ली पुलिस को राजधानी के अन्दर अनेक दायित्व निभाने पड़ते हैं, चाहे वे आई. एस. आई. की गतिविधियां हों या आतंकवादियों की बम विस्फोट की घटनायें हों, निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की संख्या और उसकी शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान देगी? इसके बारे में सरकार की क्या योजना है? स्पष्ट करवाने का प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाणः** महोदय, इस सुझाव पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि दिल्ली पुलिस की विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हमने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है और उनकी स्वीकृति मिलने के पश्चात इनकी संख्या बढ़ा दी जायेगी।

**श्री इन्द्रजीतः** अध्यक्ष महोदय, ऐसा ज्ञात हुआ है कि आई. एस. आई. दिल्ली में मौजूदा बड़ी संख्या में गैर–कानूनी ढंग से रह रहे विदेशियों का फायदा उठा रही है। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है कि इस समय दिल्ली में अवैध रूप से कुल कितने विदेशी रह रहे हैं? दूसरे, सुरक्षा की दृष्टि से उनका पता लगाकर उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

**श्री एस. बी. चव्हाणः** महोदय, वास्तव में हमने सभी संबंधित राज्य सरकारों से यह पता लगाने का अनुरोध किया है कि ये लोग कहां पर रह रहे हैं। सरकार की नीति यह है कि जो लोग 1971 से पहले आये हैं, उन्हें नियमित किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद यहां रहने के लिए आये विदेशियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार उनके पास वैध दस्तावेज होते हैं और वे लंबे समय तक यहां रहते हैं, कई बार उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होते फिर भी वे यहां रह रहे होते हैं। अंततः अगर संबंधित राज्य सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो वे दिल्ली तक आ जाते और मैंने देखा है कि वे राजस्थान तक भी पहुंचे गये हैं। लेकिन वे सभी लोग जो गैर–कानूनी ढंग से भारत आये हैं, उन्हें वापिस भेजने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

**श्री इन्द्रजीतः** उनकी संख्या कितनी है?

**श्री एस. बी. चव्हाणः** मैं उनकी संख्या नहीं बता पाऊँगा।

**श्री मोहम्मद युनुस सलीमः** अध्यक्ष जी, अभी होम मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि दिल्ली में जो टेरेरिजम की घटनायें हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं, इसमें कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं और हम सब लोग जानते हैं कि सर्दियों के जमाने में बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग कश्मीरी शालों और कश्मीरी कम्बलों का बिजनेस करने के लिए दिल्ली आते हैं।

मेरे पास शिकायतें आई थीं कि जो यहां कश्मीर से शाल और दूसरा कारोबार करने के लिए आते थे उनको सदर बजार के वाक्यात के बाद से बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है। उनका सामान जब्त कर लिया गया और उनको कोशिश के बावजूद भी रिहाई नहीं दी गई, उनका सामान नहीं छोड़ा गया। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके खिलाफ किसी किस्म का कोई ऐसा मेटीरियल बरामद नहीं हुआ है जिससे यह मालूम हो कि टेरेरिजम से या टेरेरिस्ट एक्टीविटीज से उनकी कोई सांठ–गांठ है। मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर से मालूम करना चाहता हूं कि क्या उनके इल्म में ऐसे कोई वाक्यात आए हैं और अगर नहीं आए हैं तो क्या वह मेहरबानी करके इसके मुतल्लिक मालूमात करेंगे कि जो बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार किए गए थे, जिनका माल जब्त किया गया था, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किए बगैर उनको रिहा किया गया और उनका माल वापस लिया गया या नहीं किया गया?

شری محمد یونس سلیم "کٹیہار" : ادھیکش جی ابھی ہوم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دھلی میں جو ٹیرورزم کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔ واقعات ہو رہے ہیں۔ ان میں کشمیر کے حزب المجاھدین کا ہاتھ ہے۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے جاننا چاھتا ہوں ۔ اور ہم سب لوگ جاننا چاھتے ہیں کہ سردیوں کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری لوگ کشمیری شال اور کشمیری کمبلوں کا بزنس کرنے کے لئے دلی آتے ہیں ۔ میرے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ جو یہاں کشمیر سے شالوں کا یا اور دوسر کاروبار کرنے کے لئے آتے ہیں ان کو صدر بازار کے واقعات کے بعد سے بہت بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ ان کا سامان ضبط کر لیا لیا گیا اور ن کو کوشش کے باوجود بھی رہائی نہیں دی گئی ۔ ن کا سامان نہیں چھوڑا گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو گرفتار کئے گئے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ جن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا میٹیریل برامد نہیں ہوا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ ٹیرورزم سے یا ٹیررسٹ ایکٹی وٹیز سے ن کی کوئی سانٹھ گانھٹ ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے ہوم منسٹر سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے علم میں ایسے کوئے واقعات آتے میں ۔ اور اگر نہیں آتے ہیں تو کیا وہ مہربانی کرکے اس کے متعلق معلومات کرینگے کہ وہ جو بیگناہ کشمیری گرفتار کئے گئے تھے ۔ جن کا مال ضبط کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف کوئی کاروائی کئے بغیر ان کو رہا کیا گیا اور مال واپس کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाण:** महोदय, यह सच है कि ऐसे बहुत से कश्मीरी लोग हैं, जो सर्दियों में दिल्ली में आते हैं और वे अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। मुझे ऐसी सूचना भी मिली है कि कुछ उग्रवादी जो इन निर्दोष लोगों को जानते हैं, आकर कहते हैं कि वे इन लोगों के संबंधी हैं। उसके पश्चात, अगर जांच–पड़ताल के दौरान इसके संबंध में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध पाया जाता है, तो निःसन्देह उस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे इस संबंध में सभी ब्यौरा दिया जाये कि वास्तव में उनके उग्रवादियों के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं थे और उन्होंने उन्हें किसी प्रकार की सहायता अथवा आश्रय नहीं दिया है और उसके बावजूद भी उनका सामान जब्त कर लिया गया है और पुलिस इन निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो निश्चित रूप से मैं उस पर विचार करूंगा।

**श्री मोहम्मद यूनुस सलीम:** क्या आपको ऐसी शिकायें मिली है?

**श्री एस. बी. चव्हाण:** मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन मैं इस बात से इंकान नहीं कर सकता कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं, जहां इस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जाता हो। लेकिन अगर इसे मेरे नोटिस में लाया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

**तेल क्षेत्र के लिए विदेशी/निजी सहायता**

*43. **श्री रामपाल सिंह:**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र में विदेशों से तथा निजी कम्पनियों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तेल क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत छः महीनों के दौरान इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

[अनुवाद]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन तथा विपणन के क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए तेल क्षेत्र को खोल दिया गया है। अन्वेषण के लिए बोली के नौ चक्र तथा उत्पादन हिस्सेदारी समझौतों के तहत लघु तथा मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए बोली के दो चक्र हुए हैं। अब तक 16 अन्वेषण ब्लाकों तथा 18 लघु/मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए संविदाएं अनुमोदित की गयी हैं। इनके संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

अन्वेषण ब्लाक

चौथा दौर

| कम्पनी का नाम | ब्लाक का नाम |
|---|---|
| भारत की हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लेरेशन कंपनी (एच ओ ई सी) तथा मफतलाल इंडस्ट्रीज का परिसंघ | प्राणहित – गोदावरी (गोंडवाना) तटवर्ती बेसिन में जी एन–ओ एन– 90/3 |
| अमेरिका की मैसर्स एल्चियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंक, आस्ट्रेलिया की कांप्लेक्स रिसोर्सेज लिमिटेड, कनाडा की मैसर्स निको रिसोर्सेज तथा भारत की एच ओ ई सी का परिसंघ | कृष्णा–गोदावरी अपतटीय बेसिन के जी–ओ एस 90/1 |
| अमेरिका की मैसर्स पैन एनर्जी रिसोर्सेज, आस्ट्रेलिया की स्टर्लिंग रिसोर्सेज, अमेरिका की आकलैंड आयल कंपनी, आस्ट्रेलिया की पैन पेसिफिक पेट्रोलियम एन एल तथा भारत की ट्रांस एशिया कंसल्टैंट्स का परिसंघ शेल इंटरनेशनल, नीदरलैंड्स | गुजरात–कच्छ तटवर्ती बेसिन में जी के–ओएन–90/2 |
| | राजस्थान तटवर्ती बेसिन में आरजे एच ओ एन–90/1 |
| भारत की एच ओ ई सी, अमेरिका की वाल्को एनर्जी इंक तथा भारत की टाटा पेट्रोडाइन। | कावेरी तटवर्ती बेसिन में सी वाई–ओएस–90/1 |

पाँचवाँ दौर

| कंपनी/परिसंघ का नाम | ब्लाक | बेसिन |
|---|---|---|
| एस्सार आयल लिमिटेड, भारत | आरजे – ओएन – 90/4 | राजस्थान |
| | आरजे– ओएन – 90/5 | –वही– |
| | बी बी – ओ एस/5 | बंबई अपतट |
| एच ओ ई सी, भारत–टाटा पेट्रोडायन | सी वाई–ओएस/2 | कावेरी अपतट |
| भारत–वाल्को एनर्जी, अमेरिका कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया–वीडियोकॉन, भारत | केजी/ओ एस/6 | कृष्णा–गोदावरी अपतट |
| रेक्सवुड–आकलैंड कारपोरेशन, अमेरिका | जीके – ओएस/5 | गुजरात–कच्छ अपतट |

छठा दौर

| कंपनी/परिसंघ का नाम | ब्लाक | बेसिन |
|---|---|---|
| एच ओ ई सी, भारत वाल्को एनर्जी इंक, अमेरिका टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लिमिटेड, भारत | सी बी– ओ एस/1 | कैम्बे अपतट |
| सैम्सन इंटरनेशनल लिमिटेड, अमेरिका | सी बी–ओएन/7 | कैम्बे तटवर्ती |
| एच ओ ई सी, भारत–सैम्सन इंटरनेशनल लि. अमेरिका–गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का., भारत | सी बी/ओ एन/2 | –वही– |
| फिनिक्स ओवरसीज लि., नई दिल्ली | आरजे–ओएन/6 | राजस्थान तटवर्ती |
| कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग एन एल, आस्ट्रेलिया टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि, नई दिल्ली | सी बी/ओ एस/2 | कैम्बे अपतट |

खोजे गए क्षेत्र

छोटे आकार के क्षेत्र

| | कंपनी / परिसंघ का नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का. लि. (जी एस पी सी) भारत–नीको रिसोर्सेज, कनाडा | ह्मजीरा, कैम्बे, भांदुत, मतार एवं साबरमती |
| 2. | सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजी लि., भारत | इन्दौरा, वकरोल एवं लोहार |
| 3. | लार्सन एंड टूब्रो, भारत–जोशी टेक्नोलाजीज, अमेरिका | ढोलका, वैवेल |
| 4. | इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत | बाओला |
| 5. | एच ओ ई सी, भारत–मासबैशर एनर्जी कंपनी, अमेरिका – पेट्रोडाइन इंक, अमेरिका | पी वाई–1 |
| 6. | एच ओ ई सी, भारत–जी एस पी सी, भारत पेट्रोडाइन इंक, अमेरिका | असजोल |

मध्यम आकार के क्षेत्र

| कंपनी/परिसंघ का नाम | क्षेत्र |
|---|---|
| एनरान, अमेरिका–रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत | मध्य एवं दक्षिण तासो, मुक्ता तथा पन्ना |

मध्यम आकार के क्षेत्र

| कंपनी/परिसंघ का नाम | क्षेत्र |
|---|---|
| कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया–वीडियोकॉन भारत–मेस्बेनी, जापान | राव्वा |
| कंपनी जिओफाइनेसियर, फ्रांस–एन्प्रो सर्विसेज, इंडिया | खरसांग |

इसमें से कावेरी अपतट में छोटे आकार के क्षेत्र पी वाई – 1 के विकास के लिए संविदा पर गत छः माह अर्थात 6.10.95 को हस्ताक्षर किये गये थे।

ऐसी उम्मीद है कि खोजे गए क्षेत्रों से वर्ष 1995–96 तथा वर्ष 1996–97 के दौरान क्रमशः 0.81 मि. मी. टन तथा 2.2 मि. मी. टन तक कच्चे तेल का उत्पादन होगा।

[हिन्दी]

**श्री रामपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने 16 टैंडरों के बारे में अपने उत्तर में बताया है कि अब तक 16 टैंडर स्वीकार कर लिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 16 टैंडरों के स्वीकार कर लिए जाने के बाद वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? क्या इनसे तेल का एक्सप्लोरेशन आरम्भ हो गया या नहीं?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** महोदय, इन 18 तेल क्षेत्रों में से जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, कुछ तेल क्षेत्रों में, कार्य पहले से ही आरम्भ हो गया है और तेल निकल रहा है। वर्तमान में रावा तेल क्षेत्र में प्रतिदिन 4 से 5 हजार बैरल उत्पादन हो रहा है। इस वर्ष के अन्त तक यह उत्पादन बढ़कर 30,000 से 35,000 बैरल प्रतिदिन पहुंच जाने की उम्मीद है। ताप्ती तेल क्षेत्र में अभी कार्य आरम्भ होना है। मकबा–पन्ना तेल क्षेत्र में जहां 146 मिलियन बैरल तेल के भंडार भी हैं और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस है, वहां भी 12,000 बैरल प्रतिदिन की दर से उत्पादन आरम्भ हो चुका है। मानसून पश्चात 1997 तक इस उत्पादन के 38,000 से 40,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

**श्री रामपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जिन कंपनियों ने अभी तक एक्सप्लोरेशन आरम्भ नहीं किया है इनके कब तक शुरू होने की संभावना है, जिससे हम तेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** महोदय, जहां तक अन्वेषण ब्लाकों का संबंध है, 16 ठेके दिए गए हैं और अन्वेषण का कार्य विभिन्न चरणों में है। पहले चरण में भूकम्प संबंधी कार्य किए जाते हैं और उसके बाद खुदाई का कार्य आरम्भ होता है। मैं उन्हें प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं और यह बता सकता हूँ कि वह किस चरण में है।

**श्री ए. चार्ल्स:** यदि मेरी सूचना सही है, तो केरल के उत्तरी भाग, विशेषकर कासरगॉड के अपतट क्षेत्र में प्रारंभिक अन्वेषण का परिणाम यह था कि व्यावसायिक रूप से यह आगे और अन्वेषण के लिए लाभप्रद क्षेत्र हैं, लेकिन इन 16 कम्पनियों में से किसी ने भी उस क्षेत्र का पता नहीं लगवाया है। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से यह जान सकता हूं कि क्या उस क्षेत्र में अन्वेषण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है और यदि नहीं तो क्या सरकार उस क्षेत्र में कम से कम, निजी क्षेत्र के द्वारा अन्वेषण की संभावना पर विचार करेगी?

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** महोदय, प्रत्येक कम्पनी जो अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली लगाती है वह अपने भौगोलिक मूल्यांकन के आधार पर बोली लगाते हैं तथा अपने जलाशय के अनुसार बोली लगाते हैं कि क्या उस क्षेत्र विशेष में तेल मिलने की संभावना है अथवा नहीं। हालांकि 16 ब्लाकों के लिए इन कम्पनियों को क्षेत्र का पता नहीं चला है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि संभावना है फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उस क्षेत्र में कार्य स्थगित कर दिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लि. जैसी हमारी अपनी पुरानी तेल कम्पनियां और हमारी स्वदेशी कम्पनियां जो कि तेजी से दौड़ में शामिल हो रही है, वे भी इन ब्लाकों पर ध्यान दे रही हैं। यदि वे सोचते हैं कि इस ब्लाक से तेल निकलने की संभावना है, तो निश्चय ही इस ब्लाक में अन्वेषण का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

[हिन्दी]

**श्रीमती भावना चिखलिया:** माननीय अध्यक्षजी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसी उम्मीद है कि खोजे गये क्षेत्रों से वर्ष 1995–96 तथा वर्ष 1996–97 के दौरान क्रमशः 0.81 मि. मी. टन तथा 2.2 मि. मी. टन तक कच्चे तेल का उत्पादन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यह उत्पादन हमारी मांग से कितना ज्यादा या कितना कम है?

इसी के भाग (बी) के संबंध में यह पूछना चाहती हूं कि यह उत्पादन किस क्षेत्र से

ज्यादा मिलने की उम्मीद है?

[अनुवाद]

**कैप्टन सतीश कुमार शर्माः** महोदय, केवल तीन वर्ष पहले, भारत कच्चे तेल के उत्पादन में 26.9 मिलियन टन के निम्नतम स्तर पर पहुँच गया था। हमने अनेक कदम उठाए जैसे कि निजी कंपनियों और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच निवेश तथा तकनीक प्राप्त करने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाना और चुनौती थी कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष कच्चे तेल का उत्पादन 37 मिलियन टन होने जा रहा है जो कि अब तक का सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन है। कच्चे तेल का उत्पादन 26.9 मिलियन टन से बढ़कर 37 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कच्चे तेल का उत्पादन तीन वर्षों में 10 मिलियन टन तक बढ़ गया है। यह सब हमारे द्वारा उठाए गए कदमों के कारण संभव हुआ है।

[हिन्दी]

**श्रीमती भावना चिखलियाः** अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने यह जानना चाहा था कि जो उत्पादन है वह मांग की तुलना में कितना है? उसका जवाब नहीं मिला है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदयः** प्रश्न संख्या 45

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** यह एक भिन्न प्रश्न है। अब कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

**केन्द्रीय परियोजनाएं**

*45. **श्री सनत कुमार मंडलः**
**डा. महादीपक सिंह शाक्यः**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने विद्युत, कोयला, उर्वरक, भारी उद्योग, रेलवे, नागर विमानन और परमाणु ऊर्जा जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक समय लगने तथा लागत बढ़ने को देखते हुए इन क्षेत्रों की केन्द्रीय परियोजनायें निजी क्षेत्र को सौंप देने के लिए मंत्री स्तर की एक समिति के गठन करने का कोई प्रस्ताव प्रधान मंत्री को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी अलाभप्रद परियोजनाओं की पहचान कर ली है जिन्हें निजी क्षेत्र को सौंप दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) जी नहीं, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने अत्यधिक समय एवं लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

**श्री सनत कुमार मंडलः** महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसी समय लागत के अधिक होने तथा समय अधिक लगने के बारे में कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया है, कम से कम उन मुख्य परियोजनाओं के मामले में जिसने अन्ततः अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित किया है। यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और इन दो समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय किये गए हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

**श्री संतोष मोहन देवः** महोदय, वर्ष 1993 में माननीय प्रधानमंत्रीजी ने विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं की समीक्षा की थी। लागत के अधिक होने तथा अधिक समय लगने के बारे में पता चलने पर उन्होंने मंत्रियों के एक दल को उसके विस्तार में जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्रियों के दल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सी. सी. ई. ए. के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने के लिए रखी गई है। उन्होंने आधारभूत क्षेत्र में 36 योजनाओं का पता लगाया है जिनमें लगभग 5 प्रतिशत व्यय हुआ है और स्थापना के कार्य में समय 60 प्रतिशत खर्च हो गया है। इसलिए, उन्होंने इस पर फिर से विचार, करने की सिफारिश की है और अभी निर्णय लिया जाना है। लेकिन किसी भी समय संयुक्त क्षेत्र अथवा किसी भी वैकल्पिक तरीके से निजीकरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

**श्री सनत कुमार मंडलः** मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि स्थापना कार्य में 60 प्रतिशत का समय खर्च हो जाने के पश्चात और उसमें आरम्भिक निवेश कर देने के बाद अब कौन सी मुख्य परियोजनाओं का निजीकरण करने का प्रस्ताव है और उसमें किए गए भारी निवेश के बावजूद सरकार के सामने इस परियोजना को पूरा करने में क्या–क्या समस्याएँ सामने आ रही हैं और इन अव्यवहार्य परियोजनाओं में किये गए निवेश का क्या हुआ और क्या उसमें नियुक्त कर्मचारियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है।

**श्री सन्तोष मोहन देवः** यह एक लम्बा प्रश्न है। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि इनकी संख्या 32 है। मैं इसे पढ़ नहीं सकता हूं। यह एक लम्बी सूची है। इकत्तीस परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है जिन पर 5 प्रतिशत धन का भुगतान कर दिया गया है और 60 प्रतिशत लागत लग गई है। जैसा कि मैंने कहा है, किसी भी परियोजना का निजीकरण करने का निर्णय नही लिया गया है। मंत्रियों की समिति ने कुछ कदम उठाने की सिफारिश की है। संसाधन के प्रश्न के कारण ही विलम्ब हो रहा है।

दूसरा कारण है भूमि प्राप्त करना जिन पर वन तथा पर्यावरण स्वीकृति न मिलने

के कारण विवाद है। कुछ मामलों में वह परियोजना को आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि स्थानीय लोगो द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है जैसा कि रेलवे लाइन के मामले में है। इन पर मुकदमा चल रहा है। इन सब कारकों का विश्लेषण किया जा रहा है और उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा लेकिन परियोजना का स्वरूप क्या होगा यह समिति के निर्णय पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

**डा. महादीपक सिंह शाक्य:** माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने स्वीकार किया कि कुछ योजनाओं लाभप्रद नहीं हैं जिस के कारण वे सोमाबद्ध तरीके से पूरी नहीं हो पाती है। उन पर मंहगाई का प्रभाव पड़ने से धन का अभाव हो जाता है। धन अधिक लगने के कारण के योजनायें समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। क्या आपने ऐसी योजनाओं की जानकारी करायी है? ऐसी योजनायें समय पर पूरी हो, उनके लिये क्या आप अतिरिक्त धन देना चाहेंगे? यदि हां तो जितने परसैंट मंहगाई बढ़ती है, उतने परसैंट धन देने का आप विचार रखते हैं?

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव:** मंत्रियों के दल की एक सिफारिश यह है कि सरकार को उन परियोजनों का धन प्रदान करने के मामले में प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें 50 प्रतिशत धन और समय खर्च कर दिया गया है। मेरे पास विस्तृत सूचो नहीं है। जो परियोजनाएं अन्तिम चरण में है उनको आवश्यक धन प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए लेकिन इसमें प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से अधिक समय लग सकता है क्योंकि हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में हैं। इसलिए, यह विचाराधीन है। इस समय हम किसी विशेष परियोजना को धन प्रदान नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

**डा. महादीपक सिंह शाक्य:** अध्यक्ष महोदय, प्रतिशत की बात नहीं बताई है, वह बतलाईए।

[अनुवाद]

**कुमारी ममता बनर्जी:** महोदय, यद्यपि श्री संतोष मोहन देव जो कि उत्तर दे रहे हैं, वह योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री नहीं है फिर भी मुझे संदेह है कि उनके पास पूरे तथ्य हैं या नहीं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग कार्यक्रम उपेक्षा विभाग बन गया है क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। मैं मंत्रालय की निन्दा नहीं कर रही हूं। यह मेरी भावना है क्योंकि पूरे देश में कार्यान्वित की जाने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ योजना आयोग में स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हुई हैं। यदि परियोजनाएं उचित समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती हैं, तो उनकी अनुमानित कीमतें स्वतः ही बढ़ जाएंगी। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकती हूं कि लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कितने सर्वेक्षण किये गये है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि वह निकट भविष्य में कितनी परियोजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। इस संबंध में क्या कोई समय–सीमा निर्धारित की गई गई है? (व्यवधान)– क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम बताया गया है? अतः कृपया हमें यह बताइये कि क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ऐसा कर रहा है या नहीं?

**श्री संतोष मोहन देव:** सबसे पहले मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री कुमारी ममता बनर्जी की उपेक्षा नहीं कर सकता है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। हम, विशेषरूप से मैं उन्हें उचित महत्व देता हूं। मुद्दे की बात यह है कि 374 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है इन परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले पूरी होने वाली हैं, 154 परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं 194 परियोजनायें समय सीमा से पीछे चल रही हैं और 23 परियोजनाओं के संबंध में कोई निर्धारित समय–सीमा नहीं बनाई गई है। इस समय सम्पूर्ण स्थिति यह है। मेरे पास राज्यवार ब्यौरे नहीं है। मैं इसे बाद में सभा पटल पर रख सकता हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी:** कृपया हमें जानकारी भेजिए।

[हिन्दी]

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** अध्यक्ष जी, जैसा कि ममता जी ने कहा यह मिनिस्ट्री इसलिये बनी थी कि वह प्राजैक्टस का ध्यान रखे और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि समय और लागत अधिक न होने दें लेकिन जैसा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उससे यह लगता है कि यह मिनिस्ट्री अपना कुछ काम नहीं करती है। या तो श्री प्रणव मुखर्जी पर या ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रोज पर थोप दिया जाता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी मिनिस्ट्री ने माईक्रो लैवल पर बड़े निर्णय लिये है या कोई गाईडलाईन्स दी है या ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है कि जिससे समय रहते इन प्रोजेक्टस पर मानिटरिंग हो जाये और इनको सही दिशा दी जा सके और ऐसी स्थिति न आ जाये कि इसे ग्रुप आफ मिनिस्ट्रीज या प्लानिंग कमिशन के पास भेज दिया जाये? कृपया बतायें कि आपकी मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा निर्णय लिया है या कोई गाईडलाइन्स दी है ताकि स्थिति का समय पर पता लग सके और सही कम करने में एक्शन लिया जाये।

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव:** महोदय, यह बात सत्य नहीं है, कि यह मंत्रालय अपना काम नहीं कर रहा है। इस्पात मंत्री की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि हमें हर तीसरे महीने रिपोर्ट मिल रही है। मंत्रियों को अनेक कार्यक्रमों में कमियों का पता चल जाता है। मान लीजिए कि हमारा दुर्गापुर, बोकोरो, राउकेला और भिलाई में आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है इस समय चार परियोजनाएँ चल रही है। हमें अति प्रसन्नता है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारी उन जगहों का दौरा करते है और जहां उनकी कमियां है, जहां सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं क्या कार्यवाही की जानी है उनके संबंध में आलोचनात्मक विश्लेषण देते हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस संबंध में अच्छा काम कर रहा है।

जहां तक इसे प्रणव बाबू को दिए जाने पर आपकी अप्रसन्नता का संबंध है, एक केबिनेट मंत्री को हमेशा दिया जाता है।

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** यह अप्रसन्नता नहीं है। स्थिति नियंत्रण

से बाहर हो जाने पर मैंने ऐसा कहा है। हम किसी मंत्रालय को दोष नहीं दे रहे हैं।

**श्री संतोष मोहन देवः** जी, नहीं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से सुधारात्मक कदम उठा रह है। श्री राजीव गांधी की सोच के फलस्वरूप इस मंत्रालय का सृजन किया गया था। मैं समझता हूं कि यह बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। संसद सदस्य हमेशा यह आलोचन करते थे कि मंत्रालय पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह हमारे लिए परीक्षण मंत्रालय है। हम ऐसा करते हैं।

**श्री लोकनाथ चौधरीः** मंत्री महोदय ने तीन श्रेणियों की परियोजनाएं बताई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे किन चरणों में हैं। इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। विदेशी सहायता से कितनी परियोजनाएं पूरी किए जाने का प्रस्ताव है। प्राप्त विदेशी सहायता की राशि कितनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी सहायता प्राप्त करने के बाद उसके उपयोग में भी कोई कठिनाई है क्योंकि विदेशी सहायता का उपयोग नहीं हो रहा है।

**श्री संतोष मोहन देवः** इस प्रश्न का उत्तर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को ही देना होगा। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः** मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रुग्ण परियोजनाओं को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद उनके पुनरुद्धार कार्यक्रम के कार्यान्वयन से कुछ लेना देना है। सभी जानते हैं कि ऐसी परियोजनाओं में कार्यान्वयन काफी कठिन कार्य हैं और यह संतोषप्रद नहीं होता है। ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं? निगरानी प्रणाली क्या है और उसके अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई?

**श्री संतोष मोहन देवः** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं आँकड़े उन्हें भेज दूंगा।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः** मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। अन्य पहलुओं की क्या स्थिति है?

**श्री संतोष मोहन देवः** मुझे मालूम नही है। आप मुझे गलत मत समझिए।

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र सिंहः** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने योजना बनाकर जितनी लाभप्रद परियोजनाएं हैं, उनको निजी क्षेत्र में देने का निर्णय किया है। इसके पहले कई परियोजनाएं, जैसे कोयला क्षेत्र की परियोजना थी, वह निजी क्षेत्र में कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ दोष थे इसलिए इसी पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया था उनका राष्ट्रीयकरण करने का और फिर उस क्षेत्र की परियोजनाएं राष्ट्रीयकृत की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा विश्वास जग गया कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को फिर से राष्ट्रीयकृत किया गया और जब राष्ट्रीयकृत परियोजनाएं फिर अलाभप्रद हो गई तो फिर निजी क्षेत्र में काम करने लग गई? ऐसा कौन सा विश्वास जग गया कि ये परियोजनाएं फिर से राष्ट्रीय हित में काम करने लग जाएंगी।

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देवः** महोदय, संसाधनों की कमी के कारण उदारीकरण की नीति के बाद संयुक्त क्षेत्र में निजीकरण के सिद्धान्त को अपनाया गया है। जो क्षेत्र संवेदनशील नहीं है और जिनमें निजी निवेश प्राप्त किया जा सकता है उनमें इसकी अनुमति दी गई है। इस तथ्य के बाद कि कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस क्षेत्र में धन की कमी के कारण यह केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिया जा रहा है जिनमें निजी निवेश प्राप्त हो रहा है। इसी सिद्धान्त के कारण हमें आज इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। इसीलिए हाल ही में मंत्रिमंडल में क निर्णय लिया गया है कि निजीकरण के लिए संयुक्त क्षेत्र की सहभागिता का स्वागत किया जाए। निजीकरण अधिकांशतः उन कोयला, खानों में किया गया है जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। मान लीजिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण को कोयला मंत्रालय से चार खानें मिली हैं तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र से हमारे पास आ रही है और हम ऐसा करेंगे। हमने कुछ पुरानी धोवनशालाओं को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव भी किया है जिन्हें अद्यतन बनना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयला खानों के लिए आवेदन किया है जो उन्हें दे दी गई हैं। उनके द्वारा लेने के बाद ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र सिंहः** यह जो आप कह रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपकी ही पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया था..(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सन्तोष मोहन देवः** मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र सिंहः** वह राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, वह सरकारीकरण हुआ था।

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देवः** तो क्या हुआ? अब हम निजी सहायता से आधुनिकीकरण की कोशिश कर रहे हैं, और यह उदारीकरण की आर्थिक नीति के अन्तर्गत है।

**श्री मृत्युन्जय नायकः** निजी निवेश के कारण देश को बहुत लाभ हुआ है। यह प्रश्न निजी एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं में निवेश के क्षेत्र के बारे में है। फिर मैं उन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहता हूं जहां कोई उद्योग नहीं है या जो क्षेत्र पिछड़े या बहुत पिछड़े हो गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने तथा उन क्षेत्रों में परियोजनाओं का पता लगाने, जहां पहले से न कोई उद्योग स्थापित है और न ही इस प्रकार की कोई परियोजना है, हेतु कोई कार्य योजना है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार की कार्य योजना पर भी विचार कर रही है?

श्री संतोष मोहन देवः महोदय, पिछड़े क्षेत्र के विकास की बाध्यता राज्य सरकार पर होती है और कई राज्य सरकारें इस प्रकार से अपनी बाध्यताएं पूरी कर रही हैं जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में उत्तर बंगाल में कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं। गुजरात में राज्य सरकार ने कच्छ क्षेत्र में कुछ योजनाएं आरम्भ की है। अतः सरकारों को चाहिए कि वे विशेष कार्यक्रम (पैकेज) तैयार करें। यह सच है कि राज्य सरकारों द्वरा उदारीकरण अपनाने के पश्चात असंतोष फैल गया है क्योंकि वहां पर लाइसेंस प्रणाली नहीं है और इसलिए पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है। निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू नहीं करते हैं परंतु सरकार ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। मान लें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्त मंत्री महोदय ने पांच वर्षों के लिए कर में छूट दी है और यदि वहां कोई भी उद्योग लगाया जाता है उसी प्रकार कुछ राज्य सरकारें भूमि आबंटन ., कुछ रियायतें दे रही हैं और बिक्री कर जैसे स्थानीय कर नहीं लगा रही हैं। यह सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः महोदय, मैं अगले प्रश्न के संबंध में भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण है। परन्तु इस मामले में यह हमेशा ठीक होता है कि परियोजनाओं की रूपरेखा पहले से बनी हुई है। यह आयोजना गतिविधि का एक भाग है कि परियोजनाएं तैयार होनी चहिए और जब कभी आवश्यकता पड़े, उन परियोजनाओं को हाथ में लें और उसका काम आरम्भ कर दें। परन्तु परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना एक बात है और परियोजना आरम्भ करना अलग बात है।

उन्होंने अभी अभी अपने उत्तर में कहा है कि संसाधनों की कमी है। मेरा प्रश्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से है। कितने मामलों में परियोजना अधिकारी समय और लागत में अत्यधिक वृद्धि के जिम्मेदार नहीं हैं परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय में कटौती के कारण ऐसा हो रहा है? ऐसा कितने मामलों में हो रहा है? उन्होंने एक परियोजना आरम्भ की भले ही वह किसी भी राजनैतिक कारण से हो, और बजट में उन्होंने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में कटौती के कारण आपके परियोजना कार्यान्वयन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से समय और लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है?

श्री संतोष मोहन देवः महोदय, इन 347....के लिए जो कुल धनराशि की आवश्यकता है.....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः आपने परियोजनाएं क्यों आरम्भ की?

श्री सन्तोष मोहन देवः सदन के समक्ष मैंने जिन 347 परियोजनाओं का जिक्र किया है, उनके लिए कुल 1,29,317 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है अब क्या वित्त मंत्रालय के व्यक्ति होने के नाते सोच सकते हैं कि सरकार किस प्रकार..... उपलब्ध करा सकती है...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः आपने परियोजनाएं आरम्भ क्यों की?

श्री संतोष मोहन देवः जब भी परियोजना आरम्भ की जाती है, वो हमेशा बजट समर्थन के लिए नहीं की जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कुछ परियोजनाओं हेतु धन जुटाने के लिए मुद्रा बाजार का लाभ उठाना पड़ता है। ...(व्यवधान)... पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

विभाग को कतिपय क्षेत्रों में अपने संसाधनों को बनाये रखना पड़ता है। उनको ऐसा करना ही पड़ता है। विभाग इस्पात संयंत्र के मामले में हमें धन जुटाना था। पर हम जुटा नहीं सके। उसके बाद हम वित्त मंत्री जी के पास गये। वे हमारे पक्ष में हो गये क्योंकि उनको यकीन हो गया कि यह परियोजना अर्थक्षम सिद्ध हो सकती है। आपने सही कहा है कि निर्धारित अवधि से अधिक समय लेना और लागत में अत्याधिक वृद्धि होना उचित नहीं है और कभी-कभी अति महत्वाकांक्षा भी ठीक नहीं होती है। इसलिए मंत्रियों का यह दल इस पर ध्यान दे रहा है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डलः कोयला, लोहा और अन्य जितने मिनरल्स हैं उनमें से जो अभी पब्लिक अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट की इण्डस्ट्रीज हैं उनमें से कोल इंडिया के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दो साल पहले तक सौ करोड़ का मुनाफा दिखलाती रही है। तो एकाएक इस वर्ष भारत कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड बी. आई. एफ. आर. में कैसे चली गयी। उसके क्या रीजन्स हैं? इसके बारे में सरकार ने मॅनीटरिंग किया है अथवा नहीं? सरकार को इसकी कोई चिंता है या नहीं कि दो साल पहले तक इस कंपनी को सौ करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था और दूसरे साल वह लॉस, में चली जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बारे में इस कमेटी ने कुछ किया है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देवः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इसलिए रुग्ण है क्योंकि खरीददार ऊंची कीमत देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यह रुग्ण अवस्था में आ गई।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरियाः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने एक महान आत्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मंत्रालय स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा बनाया गया था। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 1987 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कर-कमलों द्वारा चम्बल नदी के घाट पर पुल का शिलान्यास किया गया था। मैं तीन बार लोक सभा में नियम 377 के अधीन व अन्य चर्चा के द्वारा इस मामले को उठा चुका हूं और माननीय प्रधान मंत्री को भी इस बात से अवगत करा चुका हूं कि वह परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे इसे कब तक पूरा कर देंगे?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देवः मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊँगा।

## पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कटौती

*46. श्री दत्तात्रेय बंडारूः
श्री चेतन पी. एस. चौहानः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्तीय वर्ष के हाल के महीनों में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कटौती करने का है ताकि इन उत्पादों के आयात खर्च को वहन करने योग्य स्तर तक बनाए रखा जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार अतिरिक्त धनराशि जुटाने का है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) अमेरिकी डालर के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में हाल के परिवर्तनों के कारण अब तक अनुबंधित मात्राओं के लिए भारतीय रुपये के रूप में आयात बिल में बढ़ोतरी हुई है फिर भी 1995–96 के लिए आयात बिल में वास्तविक वृद्धि वर्ष 1995–96 की शेष अवधि के लिए आयात की जाने वाली मात्राओं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर निर्भर करेगी।

(ख) से (घ). वर्ष 1995–96 के लिए इस परिवर्तन के वास्तविक प्रभाव का पता लगने पर ही कोई दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।

**श्री दत्तात्रेय बंडारू:** तेल आयात का बिल प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। 1993–94 में कच्चे तेल के आयात में कमी के बावजूद कुल बिल 17,730 करोड़ रुपये का था। 1995–96 के वर्ष में यह बढ़कर 19,136 करोड़ रुपये हो गया है। इस कारण हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। देश में कई तेल शोधन कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 53.4 मिलियन मीट्रिक टन है। अब मांग 100 मिलियन मीट्रिक टन है। इसको ध्यान में रखते हुए, आयात बिल को कम करने के लिए और अन्वेषण, ड्रिलिंग आदि के लिए घरेलू क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि खासतौर पर गोदावरी बेसिन और बम्बई बेसिन में क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** जैसा मैंने पहले कहा, एक तरफ जैसा कि सदस्य जानते हैं, हमारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा है। तीन वर्ष पूर्व यह बढ़कर 26.9 मिलियन टन हो गया था और इस वर्ष इसके 36 मिलियन टन अनुमानित स्तर तक पहुंचने की आशा है। माननीय सदस्य ने तेलशोधक कारखाने के विषय में उल्लेख किया है। यह 53 मिलियन टन था। लेकिन माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह इस वर्ष 56 मिलियन टन से अधिक होगा। यहां भी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हमारे तेलशोधक कारखानों की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, देश के पास पर्याप्त तेलशोधन की क्षमता नहीं है। इस प्रकार तेल उत्पादों का आयात अधिक होता है। यही नहीं ओमान और भारत तथा भारतीय तेल निगम और कुवैत के बीच पहले से ही हस्ताक्षरित विभिन्न संयुक्त समझौतों के फलस्वरूप दो तेल–शोधक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। हाल ही में सऊदी आर. ए. ए. कम्पनी ने भारतीय तेल निगम के साथ एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसलिए हमें आशा है कि आयात के लाइसेंस पहले ही जारी होने के फलस्वरूप तेलशोधन क्षमता 160 मिलियन के लगभग हो जायेगी, प्रमुख समझोते सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में हस्ताक्षरित किए गए हैं और वहां काम भी शुरु किया गया है। तेलशोधन क्षमता के पक्ष में भी स्थिति काफी अच्छी है और हम तेलशोधन क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश को शामिल किए बिना भी हम लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। मैं केवल संयुक्त उद्यम के बारे में बता रहा हूं जहां समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके अलावा भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण है कि भारत प्रमुख आयातक देश होने के कारण कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार नरम रहा है और मेरा आकलन है कि अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का बाजार मध्यकालिक अवधि में नरम ही रहेगा। यही नहीं यदि संयुक्त राष्ट्र ईराक पर से आंशिक प्रतिबंध उठा लेता है, तो जैसा कि सदस्यगण जानते हैं कि ईराक कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादक देश है, ईराक से भी तेल आना शुरूहो जायेगा और इससे निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में और भी मन्दी आयेगी और इन परिस्थितियों के फलस्वरूप हम सौभाग्यशाली है हमारी अर्थव्यवस्था की अच्छी हालत के कारण पेट्रोल की खपत रिकार्ड स्तर तक पहुंचने के बावजूद हम अब भी ऐसी स्थिति में हैं कि जहां मैं कच्चे तेल की मात्रा में कमी का कोई कारण नहीं देखता।

**श्री दत्तात्रेय बंडारू:** मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, पेट्रोलियम उत्पादों खासतौर पर डीजल तेल, मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उंची मांग को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की नीति उदारीकरण कार्यक्रम के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट है, राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हो रहे अन्वेषण ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम में कितनी धनराशि निवेश की गई है और क्या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी इस कार्यक्रम में निवेश करने के लिए आगे आई है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के बारे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कोई बातचीत हुई है।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रमुख मुद्दा जिसका देश को सामना करना पड़ रहा है वह आरक्षित तेल की मात्रा में अभिवृद्धि का है। इस वर्ष हमारा उत्पादन सबसे अधिक लगभग 37 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है और आने वाले वर्षों में इसमें और भी वृद्धि होगी–इसके इस वर्ष के 37 मिलियन टन से बढ़कर 44 मिलियन टन के अनुमानित स्तर तक पहुंचने की आशा है–देश के समक्ष चुनौती आरक्षित तेल की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के पास देश में और विदेश दोनों में ही तेल की अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत की विश्व के तेल में भागीदारी होनी चाहिए।

मैं आपको इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ– फ्रांस में अपने देश के अन्दर तेल का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता है। इसको कुल तेल विश्वव्यापी रूप से दो तेल कम्पनियों के जरिए मिलता है। उनकी कम्पनियां एल्फ और टोटल यही काम करती हैं। इसके अतिरिक्त वे 70 प्रतिशत नाभिकीय उर्जा का उत्पादन करते हैं, वे तेल उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन भी करते हैं। उनके तेल की खपत हमारे यहां से अधिक है लेकिन यह है कि उनकी कम्पनियां विश्वव्यापी रूप से इसकी पूर्ति कर लेती है। मेरी नीति भारत के लिए भी यही है, हम इस बारे में जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यदि हमें बम्बई हाई की तरह एक या दो तेल के कुएं मिल जाते हैं जिसकी मुझे आशा है कि हमें मिल जाएंगे तो अच्छा है ले किन हम जोखिम नहीं उठा सकते। मेरी नीति है, 'विश्व के तेल में भारत की हिस्सेदारी' भारत को न केवल देश के भीतर तेल की खोज करनी चाहिए अपितु देश के बाहर भी जिसके लिए हमने पहले ही उपाय शुरू कर दिये हैं। हमने ब्रिटिश गैस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं म्यांमार में भी तेल की खोज करने वाले हैं। हमने यमन के लिए भी ब्रिटिस गैस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। हमने ट्यूनिशिया के

लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। हमने वियतनाम में कार्य शुरु कर दिया है, सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमें वहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया है। भारत जिसने वियतनाम में कार्य शुरू किया था, वहां एक वृहत गैस क्षेत्र में खोज चल रही है एपेक्स अर्थात् त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम के जरिये हमारे खोज का कार्य पहले ही शुरू हो गया है जो कि हमारी राष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने कहा था आरक्षित तेल की मात्रा में वृद्धि के लिए हम विश्वव्यापी प्रयास कर रहे हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी:** महोदय, उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह असम्भव उत्तर है जिसकी तरफ मैं अभी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रश्न का भाग (क) बहुत विशिष्ट है।

"वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाल के कुछ महीनों में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय की जाने वाली अतिरिक्त राशि।" उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया है। उनका उत्तर है, यदि कोई बात हो जाती है तो हमारे पास वित्तीय वर्ष के आंकड़े नहीं हैं। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है: वर्तमान वित्तीय वर्ष के हाल के महीनों में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? अद्यतन आंकड़े क्या हैं? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

**कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** महोदय, सदस्य महोदय यह जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले डालर का मूल्य 30 रुपये था। अब यह 36 रुपये पर स्थिर हो गया है। मेरे पास आंकड़े हैं। आज दिन तक विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव आयात पर लगभग 1800 करोड़ रु आंका गया है और आयातों के लिए अल्पकालिक कारणों पर परिवर्तन का प्रभाव 600 करोड़ रुपये आंका गया है। माननीय सदस्य मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो वित्तीय पहलू से सम्बन्धित है। मैं अपने माननीय सहयोगी श्री देवी प्रसाद पाल से अनुरोध करूंगा कि वे आपके विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दें।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं।

**श्री सैयद शहाबुद्दीन:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सभा को चतुराई से सूचित किया है आयात बिल घरेलू उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है, मेरा सीधा प्रश्न है, तेल की खोज करने के लिए जितना वह कर कर सकते हैं, कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे उत्पादन के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए इस समय हमारे कच्चे तेल के भंडार की मात्रा और कच्चे तेल के भंडारों की अवधि का मूल्यांकन क्या है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### कोयला क्षेत्र में निवेश

*41. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजना अवधि के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए अब तक कितनी राशि नियत की गई है और इस क्षेत्र में अभी तक कितना निवेश किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयला क्षेत्र में हुए निवेश में से कितनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई है और कितनी राशि विदेशी सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) घरेलू खपत तथा विद्युत संयंत्रों एवम् औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोयले के वितरण और बिक्री के संबंध में क्या नीति अपनाई जा रही है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र (विद्युत को छोड़कर) के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11,357 करोड़ रु की राशि के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में योजना के प्रथम तीन वर्षों की (1992-93 से 1994-95) तक की अवधि का वास्तविक व्यय 6808.40 करोड़ रु की राशि का हुआ है।

(ख) आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निवल बजटीय सहायता 704.24 करोड़ रु की राशि की तथा बजट के माध्यम से बाह्य निधियां 889.5 करोड़ रु की राशि की कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र के लिए वित्त पोषित की गई थी। 1995-96 के लिए प्रावधान क्रमशः 358.93 करोड़ रु तथा 101.57 करोड़ रु की राशि के हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कोयला के वर्ष-वार लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

| वर्ष | लक्ष्य | वास्तविक |
|---|---|---|
| 1992-93 | 238.20 | 238.11 |
| 1993-94 | 245.00 | 246.04 |
| 1994-95 | 253.60 | 253.70 |
| 1995-96 | 274.50 | अभी तक उपलब्ध नहीं है |

(घ) कोयला कंपनियों द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था संबंधित प्रायोजकता प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। विद्युत तथा सीमेंट क्षेत्रों को आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिए स्थाई संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पकालीन संयोजन के आधार पर की जाती है। घरेलू उपभोग के लिए साफ्ट कोक की आपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा किए गए नियतन के अनुसार की जाती है।

**भारतीय बच्चों को गोद लेना**

*44. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय बच्चों को विदेशियों द्वारा गोद लिये जाने को नियमित करने हेतु अन्य देशों के साथ कोई द्विपक्षीय करार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) भारतीय बच्चों के अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के विनियमन के लिए इस समय अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

**नेप्था एवं एन. जी. एल. की मांग**

*47. **श्री तारा सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नेप्था एवं एन. जी. एल. की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में नेप्था एवं एन. जी. एल. की मांग को पूरा करने हेतु सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (ग). देश में नेफ्था/एन. जी. एल. की कोई कमी नहीं है। वास्तव में वर्तमान उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करे के बाद अधिशेष नेफ्था/एन. जी. एल. का निर्यात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

**पीपावाव विद्युत परियोजना को गैस**

*48. **श्री रतिलाल वर्मा:**
**श्री दिलीप भाई संघाणी:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप्ती अपतटीय गैस क्षेत्र से पीपावाव विद्युत परियोजना हेतु गैस आबंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है?:

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). पीपावव विद्युत परियोजना के लिए गैस का कोई आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि हजीरा तथा एच बी जे पाइपलाइन की समीपवर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैस को मध्य तथा दक्षिण ताप्ती से हजीरा ले जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) यदि परियोजना प्राधिकारियों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो परियोजना के लिए वैकल्पिक ईंधन के संयोजन के संबंध में विचार किया जा सकता है।

**प्राकृतिक गैस का व्यर्थ जलना**

*49. **डा. रमेश चंद तोमर:**
**श्री मोहन रावले:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान किस सीमा तक भारत में गैस के व्यर्थ जल जाने को कम किया गया है;

(ख) इस समय प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस व्यर्थ जल जाती है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने गैस बिल्कुल भी दि न होने देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). गैस दहन 1985–86 के 38.33 प्रतिशत के स्तर से घटकर 1995–96 में 7.45 प्रतिशत पर आ गया है। वर्तमान में गैस की 4.55 एम एम एस सी एम डी मात्रा का वहन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ). आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में निम्नांकित घटकों से बनी गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना क्रियान्वित कर रहा है:

(1) एन क्यू पी संसाधन प्लेटफार्म

(2) एस एच जी संसाधन प्लेटफार्म

(3) द्वितीय बसीन से हजीरा तक पाइपलाइन

(4) आई सी पी हीरा ट्रंकलाइन

परियोजना के 1997–98 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

फिल्मों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अश्लीलता

*50. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री चरण राम भारद्वाज:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदी फिल्में और दूरदर्शन के कतिपय कार्यक्रम जिनमें अश्लीलता, अभद्रता, हिंसा और अपराध का चित्रण होता है, देश में बलात्कार और हत्या आदि जैसे अपराधों में अत्यधिक वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकास बोर्डों की स्थापना

*51. श्री हरिलाल नन्जी पटेल: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने- अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु अलग–अलग विकास बोर्ड स्थापित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग). विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से योजना आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजन हेतु निधियों का आबंटन प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग राज्य को निधियां समग्र रूप से आबंटित करता है और इसके बाद स्थानिक और क्षेत्रकीय आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। बहरहाल, केन्द्र सरकार केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किये जाने वाले मानदंड में महत्व तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से इस संबंध में रज्यों की सहायता करती है।

[हिन्दी]

उग्रवादियों की गिरफ्तारी

*52. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी:
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत छह महीनों के दौरान कितने उग्रवादी गिरफ्तार किए गए;

(ख) दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा एवं देश के अन्य उन स्थानों में जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं; गिरफ्तार किये गये उग्रवादियों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): (क) और (ख). सूचना निम्न प्रकार है:

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | पिछले छह महीनों के दौरान गिरफ्तार किए गए उग्रवादी |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 31 |
| 2. | जम्मू व कश्मीर | 1902 |

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | पिछले छह महीनों के दौरान गिरफ्तार किए गए उग्रवादी |
|---|---|---|
| 3. | मणिपुर | 487 |
| 4. | त्रिपुरा | 55 |
| 5. | हरियाणा | 13 |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | 14 |
| 7. | पंजाब | 69 |
| 8. | असम | 151 |
| 9. | नागालैंड | 66 |

(ग) संबंधित राज्य सरकारों ने कानून के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

(घ) चूंकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए इस संबंध में विभिन्न तरीके खोजना और ठोस उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्रीय स्तर पर, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना जांच एजेंसियों के साथ सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए समन्वय बैठकें करने, आसूचना का आदान–प्रदान करने, आसूचना रणनीति बनाने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कतिपय विशेष परिस्थितियों में पुलिस का आधुनिकीकरण करने और हथियारों की आपूर्ति हेतु चालू आबंटित राशि के अलावा, कुछ प्रभावी राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी गई है। कुछ विशिष्ट उपायों में शामिल हैं:

1. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

2. सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को नाईट विजन डिवाईजिस, हैण्ड हैल्ड सैट्रस, दूरबीनें, फ्लैगन लाईट्स इत्यादि उपलब्ध करवाकर उसे सुदृढ़ बनाना ताकि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।

3. सीमा चौकियों (बी ओ पी) के बीच की दूरी कम करने के लिए अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाना।

4. गृह मंत्रालय में समन्वय बैठकें करना तथा आपरेशनल स्तर पर अधिकारियों का एक नोडल ग्रुप स्थापित करना।

5. राज्य सरकार के अधिकारियों और प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार की एजेंसियों के बीच राज्य, डिवीजनल और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित करना।

6. राज्य सरकारों को आग्नेयास्त्रों की अतिरिक्त सप्लाई।

[अनुवाद]

## डाक विभाग में घाटा

*53. श्री संतोष कुमार गंगवार:
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग को प्रति वर्ष भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1993–94 से 1995–96 के दौरान वर्ष–वार कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हां।

(ख) अधिकांश डाक सेवाओं की प्रचालन लागत उनके लिए वसूल किए जाने वाले राजस्व की तुलना में काफी अधिक है। घाटे का कारण कर्मचारियों तथा अन्य निवेशों की बढ़ती हुई लागत के परिणामस्वरूप प्रचालन संबंधी लागत में हो रही निरंतर वृद्धि भी है, जबकि पिछले कई वर्षों से डाक दरों में संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) विभाग को वर्ष 1993–94 से 1995–96 के दौरान हुए घाटे की राशि नीचे दी गई है:-

| वर्ष | घाटा (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1993–94 | 207.09 (वास्तविक) |
| 1994–95 | 331.12 (संशोधित प्राक्कलन) |
| 1995–96 | 304.13 (बजट प्राक्कलन) |

(घ) सरकार द्वारा मितव्ययिता के विभिन्न उपायों के माध्यम से विभाग के खर्चों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। इन उपायों में संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी शामिल है।

[हिन्दी]

**दिल्ली में टेलीफोनों की उपलब्धता**

*54. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में एक्सचेंज–वार एवं जोन–वार विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति अभी टेलीफोन कनेक्शनों को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं, और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रतीक्षा सूची के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). दिल्ली में 31.1.96 की स्थिति के अनुसार 18670 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। एक्सचेंजवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। दिल्ली के लिए 1995–96 में 272700 सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिसंख्य आवेदकों को मार्च 1996 तक टेलीफोन दे दिये जाएंगे। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, दिल्ली सहित समस्त देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन देने की परिकल्पना की गई है। बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग करने के संबंध में निजी कंपनियों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

**विवरण**

**दिल्ली**

| क्रम सं. | एक्सचेंज का नाम | 1.2.1996 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ओ वाई टी | विशेष | सामान्य |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **मध्य क्षेत्र** | | | |
| 1. | जनपथ | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | जोरबाग | शून्य | शून्य | 587 |
| 3. | किदवई भवन | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | राजपथ | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | सेना भवन | शून्य | शून्य | 750 |
| 6. | सी जी ओ कॉम्प्लेक्स | शून्य | शून्य | 10 |
| | **पूर्व क्षेत्र** | | | |
| 1. | दिल्ली गेट | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | ईदगाह | शून्य | शून्य | शून्य |

| क्रम सं. | एक्सचेंज का नाम | 1.2.1996 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ओ वाई टी | विशेष | सामान्य |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | तीस हजारी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | मिन्टो रोड | शून्य | शून्य | 34 |
| 5. | लोधियन रोड | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **यमुना पार** | | | |
| 1. | लक्ष्मी नगर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | यमुना विहार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | शाहदरा | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | मयूर विहार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | मयूर विहार (फेज–2) | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | कड़कड़डूमा | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **दक्षिण क्षेत्र** | | | |
| | **दक्षिण–I** | | | |
| 1. | चाणक्यपुरी | शून्य | शून्य | 241 |
| 2. | हौज खास | शून्य | शून्य | 657 |
| 3. | वसंत कुंज | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | छतरपुर | शून्य | शून्य | 846 |
| 5. | भीकाजी कामा प्लेस | शून्य | शून्य | 227 |
| | **दक्षिण–II** | | | |
| 1. | नेहरू प्लेस | शून्य | शून्य | 12922 |
| 2. | ओखला | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | तेखण्ड | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | तुगलकाबाद | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | सरिता विहार | शून्य | शून्य | शून्य |

| क्रम सं. | एक्सचेंज का नाम | 1.2.1996 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ओ वाई टी | विशेष | सामान्य |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **उत्तर क्षेत्र** | | | |
| 1. | अलीपुर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | बादली | शून्य | शून्य | 252 |
| 3. | शक्ति नगर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | नरेला | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | केशवपुरम | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | रोहिणी दक्षिण | शून्य | शून्य | 227 |
| 7. | रोहिणी उत्तर | शून्य | शून्य | 280 |
| 8. | दिल्ली विश्वविद्यालय | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | मुखर्जी नगर | शून्य | शून्य | 20 |
| | **पश्चिम क्षेत्र** | | | |
| | **पश्चिम–I** | | | |
| 1. | जनकपुरी | शून्य | शून्य | 1446 |
| 2. | दिल्ली कैन्ट | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | करोल बाग | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | नजफगढ़ | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | शादीपुर | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | पालम | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | शून्य | शून्य | शून्य |
| 8. | समालखा | शून्य | शून्य | शून्य |
| | **पश्चिम–II** | | | |
| 1. | नांगलोई | शून्य | शून्य | 171 |
| 2. | राजौरी गार्डन | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | पश्चिम विहार | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | हरिनगर | शून्य | शून्य | शून्य |

[अनुवाद]

## परियोजनाओं को पूरा किया जाना

*55. **श्री चित्त बसु:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की कई परियोजनाओं के अपर्याप्त धनराशि के कारण अधूरी रह जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास दिनांक 30.9.95 को उपलब्ध सूचना के अनुसार आठवीं योजना के दौरान पूरी होने वाली 25 परियोजनाओं ने निधियों की कमी की रिपोर्ट की है। इन 25 परियोजनाओं में से निधियों की कमी के कारण 10 परियोजनाओं के अपूर्ण रहने की संभावना है।

(ख) इन 10 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निधियों की कमी को ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण के प्रयास किए जाएंगे ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

## विवरण

### अपर्याप्त निधि प्रवाहों के कारण अपूर्ण रहने की सम्भावना वाली परियोजनाओं की सूची

इकाई: (लागत/व्यय: करोड़ रु. में)

| क्र. सं. | परियोजना (जिला) (राज्य) | क्षमता | सरकारी अनुमोदन की तारीख मूल/ (संशो.) | चालू होने की तारीख मूल (संशो.) | चालू होने की तारीख प्रत्याशित | समग्र वृद्धि (महीने) कुल मूल पर % | समग्र वृद्धि (महीने) पिछली तिमाही में अति. वृद्धि | समग्र वृद्धि (महीने) कुल (संशो. पर% | लागत अनुमोदित मूल (संशो.) | लागत प्रत्याशित | मूल (संशोधित) पर लागत वृद्धि का % | 3/95 तक व्यय | 1995/96 बजट अनु. (संशो अनुमान | तिमाही तक वार्षिक व्यय | संचयी व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **क्षेत्र: रेलवे** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **डबल** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | विकाराबाद तंदूर द.म.रे. आंध्र प्रदेश | आरके एम 44 | 03/87 (05/88) | 03/90 | 03/96 | 72 200 | 0 | 72 (200) | 41.37 (46.84) | 71.83 | 73 (53) | 41.34 | 1.40 | 4.15 | 45.49 |
| **जी. सी.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | छपरा–उनरीहीर उ.पू. बि. /यू.पी. | केएमएस 171 | 84/89 (05/94) | 03/95 | 12.95 | 9 (12) | 0 | 9 (12) | 81.72 (82.84) | 140.00 | 71 (69) | 48.15 | 27.00 | 10.20 | 58.35 |
| 3. | परभानी–पूरनाद मदखेद–अदीलीवाद द.म. आ. प्र./महा. | केएमएस 244 | 04/85 | 03/96 | 06/95 | 15 (12) | 1 | 15 (12) | 180.35 | 205.79 | 14 | 46.00 | 2.00 | 13.41 | 59.41 |
| 4. | नीमच–रतलाम प. रे. | केएमएस 135 | 04/93 | 03/96 | 03/97 | 12 (34) | 0 | 12 (34) | 65.00 | 126.39 | 94 | 2.10 | 8.65 | 0.17 | 2.27 |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | गंटूर–गुंटाकल गंटी द. म. रे. | केएमएस 534 | 04/92 | 03/96 | 06/96 | 3 | −9 (6) | 3 | 226.40 (6) | 354.16 | 56 | 125.00 | 36.11 | 10.95 | 135.95 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | गोदिया–चान्दा पोर्ट द.पू.रे., महाराष्ट्र | केएमएस 242 | 12/92 | 12/96 | 03/97 | 3 | 0 (6) | 3 | 158.83 (6) | 190.00 | 19 | 86.38 | 34.00 | 4.78 | 91.16 |
| एन. एल. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | जम्मूतवी–उधमपुर उ.रे. जम्मू और कश्मीर | केएमएस 53.00 | 03/81 (03/94) | 03/94 | 03/97 | 36 (23) | 0 | 36 (23) | 50.00 (171.71) | 250.00 | 400 (45) | 145.91 | 50.00 | 22.11 | 168.02 |
| 8. | बगाहा– चितौनी उ.पु.रे. यू.पी./बि. | केएमएस 28 | 04/74 (09/89) (01/93) | 03/94 | 12/96 | 33 (13) | 0 | 33 (13) | 6/74 (40.90) (164.091) | 184.68 | 2640 (12) | 139.75 | 1.00 | 1.33 | 141.25 |
| ओ.आई. एस. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | भाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली सी आर आई एस सम्पूर्ण भारत | | 03/84 (11/89) | 03/95 | 12/95 | 9 (6) | 0 | 9 (6) | 520.00 (1098.00) | 1098.00 | 111 0 | 132.75 | 60.00 | 2.39 | 135.14 |
| क्षेत्रः भूतल परिवहन | | | | | | | | | | | | | | | |
| आर डी बी आर | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | अ. बाद–बड़ोदरा ए. प्रैस मार्ग जी पी डब्ल्यू डी गुजरात | केएमएस 92.85 | 01/86 (12/86) | 12/91 (12/91) | 03/96 | 52 (71) | –7 | 51 (71) | 128.40 137.20) | 374.00 | 191 (172) | 149.05 | 10.00 | 3.73 | 152.79 |

* तिमाही के दौरान पूरी की गई पररियोजना, तथा 00/00 तारीख की पुष्टि नहीं हुई।

[हिन्दी]

**महिलाओं पर अत्याचार**

*56. **श्री अर्जुन सिंह यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में दहेज संबंधी मामलों और मलिाओं पर होने वाले अत्याचार के संबंध में जांच करने हेतु एक प्रकोष्ठ गठित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण):** (क) से (ग). केन्द्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, महिलाओं के प्रति हिंसा और उन्हें तंग किए जाने के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत पर बल देती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला प्रकोष्ठों का गठन करना, महिला पुलिस अधिकारियों की व्यापक स्तर पर भर्ती करना और पुलिस कर्मियों का "जेंडर सेन्सिटाइजेशन" प्रशिक्षण आदि शामिल है। राज्य सरकारों ने इन सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठों के गठन सहित विभिन्न कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता**

*57. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रमुख यूनियनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 (एन. सी. डब्ल्यू. ए.-5) को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे दिनांक 19.1.1996 को हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौते में कोयला उद्योग के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के मजदूरी ढांचे और सेवा संबंधी अन्य शर्तें शामिल हैं।

(ग) और (घ). एन. सी. डब्ल्यू. ए.-5 को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे. बी. सी. सी. आई.) जिसमें 5 केन्द्रीय मजदूर संघ शामिल है, उसमें से केवल एक मजदूर संघ अर्थात भारतीय मजदूर संघों के केन्द्र (सीटू) ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, चूंकि इसे समझौते के कुछ प्रावधानों के संबंध में आपत्ति थी।

[हिन्दी]

**सीमा पर बाड़ लगाया जाना**

*58. **श्री नवल किशोर राय:**
**श्री नीतीश कुमार:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने इतनी भारी गोलीबारी की है जिससे कि जम्मू-कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम नहीं हो सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी गोलीबारी के कारण कांटेदार बाड़ लगाने का काम अधूरा छोड़ना पड़ गया; और

(घ) यदि हां, तो अब तक सीमा रेखा के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कांटेदार बाड़ लगा दी गई है और शेष सीमा पर बाड़ लगाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

**गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण):** (क) से (घ). जम्मू सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य घुसपैठ और तस्करी रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रुक-रुक कर गोलीबारी किए जाने के कारण इस कार्य को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। स्थिति का सतत प्रबोधन किया जा रहा है और इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

**उत्तराखंड पर वार्ता**

*59. **श्री जीवन शर्मा:**
**श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में पृथक राज्य उत्तराखंड बनाने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों एवं उत्तराखंड के समर्थकों के साथ वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता के क्या परिणाम निकले?

**गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण):** (क) से (ग). उत्तराखंड आन्दोलन के समर्थकों द्वारा उठायी गयी विभिन्न मांगों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पृथक राज्य की मांग, इस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रशासन द्वारा आन्दोलनकारियों विशेष रूप से महिलाओं पर किए गए अत्याचारों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई में प्रगति सहित उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अधिक प्रशासनिक स्वायतता देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर उनके साथ बातचीत की गयी। इस बातचीत के आधार पर, सरकार स्वीकार्य हल निकालने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

## मिट्टी के तेल का उत्पादन और मांग

*60. श्री अन्ना जोशी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसके उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मांग और पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल का आयात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के द्वारा आयात किये गये मिट्ट के तेल की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या अल्पावधिक और दीर्घावधिक कदम उठाए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). पिछले दो वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के उत्पादन, उपभोग और आयातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े टी. एम. टी. में)

| वर्ष | उत्पादन | उपभोग | आयात |
|---|---|---|---|
| 1993–94 | 5266 | 8704 | 3946 |
| 1994–95 | 5261 | 8964 | 4220 |

(घ) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा आयात किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा क्रमशः 102.6 टी. एम. टी. और 602.7 टी. एम. टी. थी ।

(ङ) सरकार ने समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत बिक्री किए जाने वाले मिट्टी के तेल के आयातों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है । पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश की शोधन क्षमता में वृद्धि की जा रही है ।

## विज्ञापनों पर व्यय

317. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों पर वर्ष वार 1991–92 से अब तक कुल कितना व्यय किया गया है, 1995–96 के लिए विज्ञापन बजट कितना है और अप्रैल–दिसम्बर, 1995 के दौरान वास्तविक व्यय कितना हुआ है;

(ख) चार वर्षों की अवधि अर्थात् 1991–95 के दौरान और अप्रैल–दिसम्बर, 1995 के दौरान भाषा–वार कितना व्यय हुआ;

(ग) बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर अप्रैल–दिसम्बर, 1995 के दौरान अलग–अलग कितना व्यय हुआ;

(घ) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास भाषा वार विज्ञापनों के कुल कितने बिल बिना भुगतान के लम्बित पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उर्दू भाषा में विज्ञापनों का कोई कोटा आरक्षित रखने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1991 से विज्ञापन जारी करने पर किया गया वर्ष–वार व्यय निम्न प्रकार से है :–

| वर्ष | धनराशि (रुपये) |
|---|---|
| 1991–92 | 23,15,07,824.00 |
| 1992–93 | 29,86,27,428.00 |
| 1993–94 | 31,49,60,257.00 |
| 1994–95 | 27,43,36,135.00 |
| 1995–96 (दिसम्बर, 1995 तक) | 32,94,15,207.00 |

वर्ष 1995–96 के लिए बजट आबंटन 2,326.01 लाख रुपये हैं। अप्रैल–दिसम्बर, 1995 के दौरान 2,251.07 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हुआ।

(ख) 1991–95 तथा अप्रैल–सितम्बर, 1995 की अवधि के दौरान हुए व्यय का भाषा–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अप्रैल–दिसम्बर, 1995 की अवधि के लिए बड़े, मझौले तथा लघु समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

| श्रेणी | धनराशि (रुपये) |
|---|---|
| लघु | 6,18,37,870.00 |
| मझौले | 7,20,00,210.00 |
| बड़े | 19,55,77,127.00 |
| योग | 32,94,15,207.00 |

(घ) 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पास बिना भुगतान किए 51,670 विज्ञापन बिल लम्बित थे। भाषा–वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ङ) और (च). जी, नहीं। प्रचार अपेक्षाओं तथा बजटीय प्रावधानों के अनुसार सरकारी विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95 तथा 1995–96 (31 दिसम्बर, 1995 तक) के दौरान विज्ञापनों पर किए गए व्यय के भाषावार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण।

| क्र. सं. | भाषा | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 (31.12.95 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अंग्रेजी | 8,82,84,356 | 11,40,61,800 | 12,24,72,546 | 11,60,68,405 | 12,39,17,820 |
| 2. | हिन्दी | 6,65,08,844 | 9,29,78,847 | 9,91,68,877 | 8,48,65,374 | 10,93,10,664 |
| 3. | उर्दू | 97,78,363 | 1,22,32,393 | 1,27,71,612 | 99,75,109 | 1,42,26,679 |
| 4. | पंजाबी | 60,73,918 | 86,08,269 | 74,88,798 | 54,24,032 | 65,19,507 |
| 5. | मराठी | 1,33,88,180 | 1,24,88,068 | 1,25,51,802 | 1,14,61,871 | 1,25,93,679 |
| 6. | गुजराती | 80,76,155 | 1,03,07,039 | 1,08,91,209 | 84,88,612 | 1,04,51,374 |
| 7. | सिन्धी | 5,18,244 | 6,09,632 | 5,85,227 | 4,15,628 | 4,15,156 |
| 8. | असमिया | 17,68,736 | 22,39,016 | 20,04,869 | 16,09,209 | 20,11,632 |

| क्र. सं. | भाषा | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 (31.12.95 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | बंगला | 1,16,72,781 | 1,46,06,832 | 1,44,34,607 | 1,14,56,446 | 1,60,31,411 |
| 10. | उड़िया | 34,59,288 | 40,73,765 | 46,40,820 | 39,39,637 | 55,40,328 |
| 11. | तमिल | 66,73,358 | 77,18,527 | 72,12,186 | 60,97,173 | 81,04,183 |
| 12. | तेलुगु | 28,40,188 | 42,77,695 | 42,14,374 | 34,86,593 | 36,86,135 |
| 13. | मलयालम | 87,49,789 | 1,04,53,195 | 93,64,813 | 68,20,205 | 95,13,451 |
| 14. | कन्नड़ | 32,46,885 | 37,34,811 | 68,87,340 | 39,55,225 | 66,31,226 |
| 15. | संस्कृत | 27,373 | 16,982 | 23,853 | 22,866 | 26,056 |
| 16. | नेपाली | 2,88,020 | 90,347 | 1,09,141 | 77,082 | 1,26,740 |
| 17. | मिजो | 82,570 | 97,248 | 88,594 | 75,131 | 1,61,336 |
| 18. | खासी | 36,248 | 27,865 | 20,029 | 23,979 | 68,862 |
| 19. | कोंकणी | 34,528 | 5,097 | 16,601 | 13,064 | 11,084 |
| 20. | मणिपुरी | – | – | 12,959 | 60,594 | 67,884 |
| | कुल योग | 23,15,07,824 | 29,86,27,428 | 31,49,60,257 | 27,43,36,135 | 32,94,15,207 |

**भारतीय तेल निगम द्वारा मोम का उत्पादन**

318. **श्री पीयूष तीरकी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा उत्पादित मोम के वितरण के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या सभी उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार मोम उपलब्ध कराया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार भारतीय तेल निगम द्वारा उत्पादित मोम के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (ग). पैराफिन मोम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्व आबंटन के आधार पर तिमाही रूप से आबंटित किया जाता है जो बाद में संबंधित उद्योग निदेशालय के पास 30 जून, 1986 या इससे पहले पंजीकृत व्यक्तिगत इकाइयों को इसकी आपूर्ति करते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयन कारपोरेशन तथा मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा पैराफिन मोम का उत्पादन निम्नवत् था :

(मी. टन में)

| | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
|---|---|---|---|
| आई ओ. सी. (ए. ओ. डी.), डिग्बोई | 29895 | 28827 | 23833 |
| एम. आर. एल., मद्रास | 15693 | 15137 | 17657 |
| कुल : | 45588 | 43964 | 41490 |

**चालू प्रमुख परियोजनाएं**

319. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रियान्वयन के अधीन प्रमुख चालू परियोजनाओं की स्थिति की संवीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयवार/विभागवार, मूल और अद्यतन लागत अनुमान, कार्य पूरा करने के लिये मूल लक्ष्य तारीख और अद्यतन अनुमानित लक्ष्य तारीख सहित ऐसी परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) लागत में वृद्धि होने और कार्य पूरा किये जाने की तारीख के आगे बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) वृद्धि को कम करने के लिये पिछली संवीक्षा से अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) जी हां, अधिसंरचनात्मक एवं मुख्य क्षेत्रों में चल रही बड़ी परियोजनाओं की स्थिति की सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। 30–9–1995 के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने 374 परियोजनाओं की समीक्षा की।

(ख) इन 374 परियोजनाओं के मूल एवं नवीनतम लागत अनुमानों तथा मूल लक्ष्यों एवं नवीनतम अनुमानित पूर्णता की तिथि सितम्बर, 1995 में समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट में दी गई है। उक्त रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ). परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके फलस्वरूप समय एवं लागत–वृद्धि होती है। विभिन्न कारकों, जिनके कारण समय एवं लागत–वृद्धि होती है, की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। परियोजना दर परियोजना एवं समय–समय पर सरकार द्वारा किए गए उपायों में अंतर है। हालांकि, सामान्यतया कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

**विवरण–I**

विभिन्न परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण तथा प्रोबधन के फलस्वरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा पहचाने गए परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के विभिन्न कारण संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से हैं:–

1. भूमि अधिग्रहण में विलंब।
2. वन/पर्यावरण कोणों से स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब तथा अधिसंरचना के विकास में अग्रिम कार्रवाई की कमी।
3. अपर्याप्त परियोजना तैयारी।
4. पर्याप्त निधियों तथा निधियों के स्रोतों (बजटीय आंतरिक संसाधनों, अतिरिक्त बजटीय एवं विदेशी सहायता) के अनुबंध में विलंब।
5. विस्तृत अभियांत्रिकी को अंतिम रूप दिए जाने, आरेखणों को जारी करने तथा स्थलों की उपलब्धता में विलंब।
6. कार्य क्षेत्र में बारंबार परिवर्तन।
7. ठेकों तथा आर्डरों को देने में विलंब।
8. परामर्शदाता एवं परियोजना संगठन के साथ जिम्मेदारी के प्रतिनिधित्व की कमी।
9. औद्योगिक संबंध तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं।
10. निवेशों की अपर्याप्त आपूर्ति।

11. संरचित उपस्करों की अपरिभाषिक तथा विलंबित आपूर्ति ।

12. उपस्करों की गलत क्रियाशीलता के कारण प्रारंभिक कठिनाइयां।

13. अप्रमापित तकनीकी का चुनाव ।

14. परियोजना स्थल पर कठिन भू–खनन ।

15. परियोजना प्रबंध की कमजोर प्रक्रियाएं ।

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में किए गए विश्लेषण लागत वृद्धि के प्रमुख निम्नलिखित कारणों को इंगित करते हैं ।

1. सांविधिक, शुल्कों यथा–उत्पाद शुल्कों, सीमा शुल्कों, बिक्री कर इत्यादि में परिवर्तन ।

2. विदेशी विनिमय दरों में भिन्नता ।

3. पर्यावरणीय संरक्षणों एवं पुनर्वास उपायों की उच्च लागत ।

4. भूस्वामियों द्वारा मांगी गई उच्च क्षतिपूर्ति के कारण भू–अधिग्रहण की उच्च लागत ।

5. परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन ।

6. कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में निविदाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित उच्च कीमतें।

7. मूल लागत अनुमानों का कम अनुमान, तथा

8. सामान्य कीमत वृद्धि ।

**विवरण–II**

मूल अनुमानों की तैयारी को धारारेखित करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम–

(1) स्तर–2 पर परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पहले स्तर–I पर उपयुक्त तैयारी, पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियों तथा अधिसंरचनात्मक योजना को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना अनुमोदन की एक द्वि–स्तरीय प्रणाली ।

(2) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन प्रबोधन । इससे प्रबोधन अभिकरण समस्याओं की पहचान कर सकेंगे तथा उपचारी उपाय करने में प्रबंधन की सहायता कर सकेंगे ।

(3) परियोजना प्राधिकरणों एवं प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन समीक्षा ।

(4) ठेका पैकेजों पर त्वरित निर्णय, भूमि–अधिग्रहण एवं अन्य समस्याओं क सुलझाने के लिए कार्यदल । शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन ।

(5) विलम्ब को न्यूनीकृत करने के लिए राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा निकटतम अनुवर्ती कार्रवाई ।

(6) अंतर–मंत्रालयीय समन्वय एवं विचार–विमर्श ।

(7) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल ।

(8) समस्याओं का सामना करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का सचिवों की समिति के द्वारा समीक्षा ।

**पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप**

320. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस के कितने निरीक्षकों/थाना प्रभारियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अन्यत्र स्थानांतरित किया गया था; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे निरीक्षकों के विरुद्ध सतर्कता अधिकारी/दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) वर्ष 1995 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने पर दिल्ली पुलिस के दो निरीक्षकों (थाना प्रभारियों) का स्थानांतरण किया गया है ।

(ख) इन दोनों निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं । दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है ।

**प्रशिक्षण संस्थाएं**

321. **डा. लाल बहादुर राव्कल**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उनके मंत्रालय के अधीन उन संस्थाओं के नाम क्या–क्या हैं जहां कार्यचिकित्सा और ओक्यूपेशन थिरेपी आदि जैसे पाठ्यक्रमों के अध्ययन/प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं?

(ख) इस समय पाठ्यक्रमवार प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही

है; और

(ग) हाल की मूल्यवृद्धि को देखते हुए छात्रवृत्ति की अत्यधिक कम राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कार्य चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा आदि जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दे रहे/अध्ययन कर रहे संस्थानों के नाम इस प्रकार है :–

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली ।

2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता ।

3. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक ।

ये संस्थान प्रौस्थेटिक और आर्थोटिक पाठ्यक्रम में भी पाठ्यक्रम चला रहे हैं ।

(ख) किसी भी संस्थान द्वारा कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है । तथापि छात्रों को 100/– रुपए प्रति मास स्टाइपेंड का भुगतान किया जा रहा है ।

(ग) छात्रवृत्ति आरम्भ करने या स्टाइपेंड में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

## विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

322. श्री सुरेन्द्रपाल पाठकः क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण हाल ही में दिल्ली में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग). अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 के दौरान दिल्ली में तापीय विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण 4.565 मिलियन टन के संयोजन की तुलना में 4.094 मिलियन टन (अनंतिम) किया गया । चालू वर्ष के दौरान कोयले का कम प्रेषण अपेक्षित रूप में कोयले की आपूर्ति के एवज में विद्युत गृहों द्वारा देय राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में ध्यान रखते हुए कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति को विनियमित किए जाने के कारण है ।

तापीय विद्युत संयंत्रों को संयोजन स्थायी संयोजन समिति (अल्पकालीन) जिसमें कोयला, विद्युत, रेलवे तथा कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं, द्वारा तिमाही आधार पर दिया जाता है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सांकेतिक की गई मांग के अनुसार, कोयला कंपनियों के पास कोयले की उपलब्धता तथा रेलवे की परिवहन संबंधी अवरोधों को ध्यान में रखते हुए संयोजन दिया जाता है। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निकटतम समन्वय रखा जाता है । विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की साप्ताहिक आधार पर अन्तर–मंत्रालयीय समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक होता है, कोयला आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

[अनुवाद]

## लघु बचत खाते

323. श्री राम नाईकः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश भर के मुख्य डाकघरों में लघु बचत खातों का लेखा कार्य काफी मात्रा में बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लेखा प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करके इस कार्य को अद्यतन बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन–सा समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हां। प्रधान डाकघरों में अल्प बचत खातों का शेष या बकाया निकालने से संबंधित कार्य बकाया पड़ा है ।

(ख) और (ग). जी हां । इस कार्य को अद्यतन बनाने के लिए अन्य उपाय अपनाने के अलावा सरकार लेखा प्रणाली संबंधी कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने की जांच भी कर रही है ।

## केरल में दूरसंचार सेवाएं

324. श्री थाइल जॉन अंजलोजः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में विशेषकर अलेप्पी जिले में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सुविधाएं कहां–कहां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नए भवनों का निर्माण करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इन भवनों का निर्माण कहां–कहां किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1996–97 के दौरान केरल सर्किल में 3.26 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है । इसमें से 17,000 टेलीफोन कनेक्शन अलेप्पी जिला के लिए प्रस्तावित किए गए हैं । वर्ष 1996–97 के दौरान संसाधन उपलब्ध होने पर, विस्तार किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों के नाम संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) संलग्न विवरण–II के अनुसार वर्ष 1996–97 के दौरान 94 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है ।

**विवरण–I**

**वर्ष 1996–97 के दौरान केरल, सर्किल, अलेप्पी जिला में विस्तार हेतु प्रस्तावित दूरभाष केन्द्रों का नाम**

| क्र. सं. | केन्द्र का नाम |
|---|---|
| 1. | मावेलिकरा |
| 2. | एडातुआ |
| 3. | पाथिरापल्ली |
| 4. | एस. एल. पुरम |
| 5. | कोल्लकडव |
| 6. | अलेप्पी |
| 7. | चेंगण्णुर |
| 8. | हारीपड़ |
| 9. | कायमकुलम |
| 10. | आडूर |
| 11. | मान्नार |
| 12. | चेरतलाई |
| 13. | कुथइथेडु |
| 14. | मुत्तुकुलम |
| 15. | पट्टनाकड़ |
| 16. | नूरनाड़ |
| 17. | कोट्टानम |
| 18. | अरत्तुपुड़ा |
| 19. | काराकड़ |
| 20. | चम्पाकुलम |
| 21. | कुरुवट्टा |
| 22. | कावालम |
| 23. | पल्लीपुरम |
| 24. | पुन्नापरा |
| 25. | तन्नीरमुक्कम |

**विवरण–II**

**वर्ष 1996–97 के दौरान प्रस्तावित दूरभाष केन्द्र भवन की सूची**

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 1. | पाछपालोड | त्रिवेन्द्रम |
| 2. | कालाथुपुड़ा | क्विलोन |
| 3. | अयूर | " |
| 4. | पूयापल्ली | " |
| 5. | कोट्टारक्करा | " |

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 6. | छताण्णुर | ,, |
| 7. | पारीपल्ली | ,, |
| 8. | कुण्णीकोड | ,, |
| 9. | परावुर | ,, |
| 10. | पुत्तुर | ,, |
| 11. | वेटिटकाला | ,, |
| 12. | पतनापुरम | ,, |
| 13. | वाडूर | कोट्टायम |
| 14. | कुरविलनगाड | ,, |
| 15. | भरानंगनम | ,, |
| 16. | पुवारानी | ,, |
| 17. | कोल्लापल्ली | ,, |
| 18. | चेंगलम | ,, |
| 19. | किडनगुर | ,, |
| 20. | मणिमला | ,, |
| 21. | एनजीलूर | ,, |
| 22. | वाकातानम | ,, |
| 23. | कारक्काड़ | अलेप्पी |
| 24. | कूवापाडी | एर्णाकुलम |
| 25. | कल्लार | ,, |
| 26. | कडावूर | ,, |

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 27. | अरिकुडा | ,, |
| 28. | वेंगूर | ,, |
| 29. | वन्नापुरम | ,, |
| 30. | कोडिकुलम | ,, |
| 31. | कोलेनचेरी | ,, |
| 32. | पीरावीम | ,, |
| 33. | मुलनथुरुथी | ,, |
| 34. | कोडेचेरी | कालीकट |
| 35. | पोनमेरी | ,, |
| 36. | केनीचीरा | ,, |
| 37. | चोमबाला | ,, |
| 38. | वेल्लूवमबरम | ,, |
| 39. | वेंगारा | ,, |
| 40. | पन्नीयंकारा | ,, |
| 41. | नाडुवन्नूर | ,, |
| 42. | चंगारनकुलम | ,, |
| 43. | इलाथूर | ,, |
| 44. | पंडिक्काड़ | ,, |
| 45. | मोक्कम | ,, |
| 46. | काडलउंडी | ,, |
| 47. | कडमबानाड़ | पठानमथिट्टा |

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 48. | इलानयूर | ,, |
| 49. | रन्नी | ,, |
| 50. | पारली | पालघाट |
| 51. | श्रीकृष्णापुरम | ,, |
| 52. | कोलेनगोड़ | ,, |
| 53. | कुनीसेरी | ,, |
| 54. | मुन्डूर | ,, |
| 55. | कवमबाजीपुरम | ,, |
| 56. | पथरीवाला | ,, |
| 57. | चांलीसेरी | ,, |
| 58. | कल्लाडीकोडे | ,, |
| 59. | कोयलामन्ना | ,, |
| 60. | थूवाकुडू | केन्नानोर |
| 61. | चेमपेरी | ,, |
| 62. | इरिक्कूर | ,, |
| 63. | चेम्मूजा | ,, |
| 64. | पेइवालिका | ,, |
| 65. | पेरडाला | ,, |
| 66. | माथिल | ,, |
| 67. | अरालम | ,, |
| 68. | मुल्लेरिया | ,, |

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 69. | कुडियनमाला | ,, |
| 70. | पयावूर | ,, |
| 71. | मुलीयार | केन्नानोर |
| 72. | कुट्टीकोले | ,, |
| 73. | मथामंगलम | ,, |
| 74. | अलाकोडे | ,, |
| 75. | मंजेसवरम | ,, |
| 76. | पेरावूर | ,, |
| 77. | केलाकाम | ,, |
| 78. | काडपपुरम | त्रिचूर |
| 79. | परीयारम | ,, |
| 80. | एनगंडीयूर | ,, |
| 81. | अयानथोले | ,, |
| 82. | मुलनकुन्नाथूकवू | ,, |
| 83. | वाडक्कनचेरी | |
| 84. | कन्नारा | , |
| 85. | वेल्लीकुलंगरा | ,, |
| 86. | वारनदारापल्ली | ,, |
| 87. | कोरट्टी | ,, |
| 88. | पेरिन्नानम | ,, |
| 89. | मुंडूर कोचित | ,, |

| क्र सं. | केन्द्र का नाम | एस. एस. ए. |
|---|---|---|
| 90. | मन्नूथी | ,, |
| 91. | अलागप्पनगर | ,, |
| 92. | मट्टोम | ,, |
| 93. | कोट्टाकम्पल | ,, |
| 94. | पाराप्पूर | ,, |

## क्रेडिट कार्ड सुविधा

325. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रेडिट कार्ड प्रणाली आरम्भ करने के बारे में पेट्रोल डीलरों की ओर से कोई विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) सरकार को क्रेडिट कार्ड पद्धति आरम्भ किए जाने के प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों की ओर से प्रतिरोध की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). क्रेडिट कार्ड पद्धति के कार्यचालन में सुधार करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा बैंक पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

## जनजातीय उपयोजना के लिये आबंटित धनराशि

326. **श्री विजय एन. पाटील :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिये योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को प्रदान की गई धनराशि का क्या प्रतिशत है; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) 1994-95 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आदिवासी उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई निधियों के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं ।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रदत्त निधियों की प्रतिशतता अनुबंध-2 में दी गई है ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपयोग की गयी निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(रुपए लाख में)

| | | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान | 68.88 | प्राप्त नहीं |
| 2. | विशेष केन्द्रीय सहायता | 2971.31 | प्राप्त नहीं |
| 3. | आश्रम विद्यालय | 1.76 | प्राप्त नहीं |

4. विवरण-II में उल्लिखित अन्य योजनाओं के संबंध में 1994-95 तथा 1995-96 के लिए उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण–I

1994–95 के दौरान अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार दी गई निधियां

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विशेष केन्द्रीय सहायता | अनुच्छेद 275 | राज्य टी. डी. | आश्रम स्कूल | लड़कों के लिए होस्टल | लड़कियों के लिए होस्टल | व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1947.10 | 460.50 | – | 66.80 | 58.47 | 50.00 | – |
| 2. | असम | 1112.67 | 315.00 | – | – | 16.00 | – | – |
| 3. | बिहार | 1748.70 | 725.25 | – | – | – | – | 44.43 |
| 4. | गुजरात | 2491.56 | 675.00 | 30.00 | – | 6.44 | 4.73 | 21.60 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 450.57 | 24.00 | – | – | – | – | – |
| 6. | जम्मू एंड कश्मीर | 550.63 | 95.25 | – | – | 86.02 | – | – |
| 7. | कर्नाटक | 409.03 | 210.00 | – | 67.500 | – | – | – |
| 8. | केरल | 126.30 | 35.25 | 36.00 | – | 20.00 | 20.00 | – |
| 9. | मध्य प्रदेश | 7535.72 | 1687.50 | 124.00 | – | 16.90 | 115.83 | – |
| 10. | महाराष्ट्र | 2196.34 | 801.75 | 30.00 | 1.76 | – | – | 54.12 |
| 11. | मणिपुर | 432.81 | 69.00 | 10.00 | – | – | – | – |
| 12. | उड़ीसा | 3956.55 | 771.00 | 75.00 | 60.00 | 36.00 | 44.00 | 88.68 |
| 13. | राजस्थान | 2202.79 | 600.00 | 30.00 | 24.50 | – | – | – |
| 14. | सिक्किम | 75.10 | 9.75 | – | – | – | – | – |
| 15. | तमिलनाडु | 256.88 | 63.00 | – | – | – | – | 10.05 |
| 16. | त्रिपुरा | 480.01 | 93.75 | – | 19.44 | 29.17 | 19.44 | – |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 70.41 | 31.50 | – | – | – | – | – |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 1335.83 | 417.75 | – | – | – | – | – |

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विशेष केन्द्रीय सहायता | अनुच्छेद 275 | राज्य टी. डी. | आश्रम स्कूल | लड़कों के लिए होस्टल | लड़कियों के लिए होस्टल | व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | अंडमान निकोबार | 85.50 | – | – | – | – | – | 6.22 |
| 20. | दमन एंड दीव | 35.50 | – | – | 10.00 | 26.82 | 3.00 | 13.18 |
| | कुल : | 27500.00 | 7085.25 | 335.00 | 250.00 | 295.82 | 257.00 | 238.19 |

**1994–95 के दौरान अनुसूचित जन जातियों को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यवार दी गई निधियां**

| क्र सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | कोचिंग तथा सम्बद्ध | पुस्तक बैंक | कौशल का उन्नयन | निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर | अनुसूचित जनजाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 15.98 | 225.88 | 40.00 | 43.39 | – | 2.01 | 9.18 |
| 2. | असम | 12.55 | – | – | 3.00 | – | – | 43.75 |
| 3. | बिहार | 10.63 | 178.00 | 1.70 | 16.99 | – | 4.84 | 62.41 |
| 4. | गुजरात | 6.16 | 538.26 | 2.57 | 10.61 | – | 24.25 | 4.31 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 0.21 | – | – | 0.38 | 1.03 | – | – |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | – | 26.32 | – | 1.59 | – | – | – |
| 7. | कनार्टक | 0.63 | 195.87 | – | 9.52 | 2.20 | – | 22.16 |
| 8. | केरल | 10.00 | 22.65 | 2.16 | 7.00 | – | – | 28.11 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 13.09 | 487.71 | – | 42.14 | 20.95 | 52.30 | 3.91 |
| 10. | महाराष्ट्र | 24.30 | 735.92 | 0.80 | 35.54 | – | – | 58.28 |
| 11. | मणिपुर | 2.00 | 99.88 | – | 0.35 | 21.98 | 6.01 | 55.39 |
| 12. | उड़ीसा | 8.59 | 83.30 | – | 10.16 | 21.08 | 4.99 | 55.62 |

| क्र सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | कोचिंग तथा सम्बद्ध | पुस्तक बैंक | कौशल का उन्नयन | निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर | अनुसूचित जनजाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | राजस्थान | 6.14 | 155.38 | 4.60 | 15.00 | 8.32 | 48.19 | 11.37 |
| 14. | सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | तमिलनाडु | 7.12 | – | – | 31.74 | 31.82 | – | 1289 |
| 16. | त्रिपुरा | 10.41 | 21.23 | – | 0.87 | 0.84 | – | 4.22 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | – | – | – | 54.00 | 4.92 | – | 9.85 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 1.19 | – | – | 1.50 | 2.18 | – | 25.82 |
| 19. | अण्डमान निकोबार | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | दमन एंड दीव | – | | – | 0.22 | – | – | – |
| | कुल | 129.00 | 2690.40 | 51.83 | 284.00 | 93.34 | 196.59 | 357.23 |

*अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मिला जुला ।

**विवरण–I**

**1994–95 तथा 1995–96 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को प्रदत्त निधियों की प्रतिशतता**

| | | 1994–95 | 1995–96 |
|---|---|---|---|
| 1. | विशेष केन्द्रीय सहायता | 7.99 | 7.99 |
| 2. | संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान | 11.31 | 11.31 |
| 3. | राज्य टी. डी. सी. सी. | 8.95 | – |
| 4. | आश्रम स्कूल | 0.70 | – |
| 5. | बाल होस्टल | – | – |
| 6. | बालिका होस्टल | – | – |

| | | 1994–95 | 1995–96 |
|---|---|---|---|
| 7. | व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र | 22.72 | – |
| 8. | अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 18.84 | – |
| 9. | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 27.35 | – |
| 10. | कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना | 1.54 | – |
| 11. | कौशल उन्नयन | – | – |
| 12. | अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर | – | – |
| 13. | अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान | 16.31 | 8.00 |

**उत्तर प्रदेश में एस. टी. डी.**

327. **श्री जीवन शर्मा**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के तहसील मुख्यालयों को एस. टी. डी. से जोड़ने में विलम्ब के क्या कारण हैं और तहसील–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक एस. टी. डी. से जोड़ दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) एस. टी. डी. प्रदान करने के लिए कम से कम 3 वी/डब्ल्यू जंक्शनों की आवश्यकता होती है । विश्वसनीय संचारण माध्यम, केवल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रानीखेत में उपलब्ध है । शेष तहसील मुख्यालयों को अधिकांशतः सिरोपरि लाइनों से जोड़ा गया है।

–दुर्गम पहाड़ी व तराई क्षेत्र होने के कारण, यू एच एफ लिंक प्रदान करने के लिए सीधा दृष्टि पथ भी नहीं बन पाता है। इसी कारण एस टी डी प्रदान करने में विलम्ब हुआ है।

–तथापि, एम सी पी सी उपग्रह टर्मिनलों के माध्यम से शेष तहसील मुख्यालयों को जोड़ने की व्यापक योजना है जिससे विश्वसनीय संचारण माध्यम पर 4+3 जंक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

(ख) इन प्रणालियों को चालू करने की संभावित तारीख इस प्रकार है:–

–प्रथम चरण (31.3.96 तक) में चम्पावत, डिडी–हाट तथा धारचुला तहसील मुख्यालयों को

–वित्तीय चरण (1996–97) में बागेश्वर, डिरखिया सैबर, गंगोलीहाट तथा मुन्शीयारी तहसील मुख्यालयों को शामिल किया जाना है।

**पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज**

328. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995–96 के नए टेलीफोन एक्सचेजों के ब्यौरे अवस्थितियों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**पैरा (ख) वर्ष 1995–96 के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे।**

| क्रम सं. | जिला | क्षमता सहित एक्सचेंज का नाम | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बांकुरा | कमालपुर | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 2. | बांकुरा | बंकुरा–II | सी–डाट–1400 लाइन | |
| 3. | बर्दवान | काजोरा | सी–डॉट–256 पोर्ट | |
| 4. | बर्दवान | चुरपुनी | सी–डॉट 128 पोर्ट | |
| 5. | बर्दवान | बोनपास | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 6. | बर्दवान | अंगुनी | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 7. | हुगली | जिरत | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 8. | हुगली | पुईनन | सी–डॅट–156 पोर्ट | (चालू) |
| 9. | हुगली | भागबतीपुर | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 10. | हावड़ा | श्यामपुर | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 11. | मिदनापुर | बिनपुर | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 12. | मिदनापुर | श्यामसुन्दर पटना | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 13. | मिदनापुर | पुरुषोत्तम | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 14. | मिदनापुर | नराजोल | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 15. | मालदा | मंगूरा | सी–डॉट–256 पोर्ट | (चालू) |
| 16. | मालदा | मोहराझाट | सी–डॉट–128 पोर्ट | |
| 17. | मालदा | बाहिन | सी–डॉट–128 पोर्ट | |

| क्रम सं. | जिला | क्षमता सहित एक्सचेंज का नाम | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | मालदा | भटोला | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 19. | 24 परगना (उत्तर) | स्वरूपनगर | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 20. | 24 परगना (उत्तर) | राजरहट | सी–डॉट–256 पोर्ट | |
| 21. | 24 परगना (दक्षिण) | तालदी | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 22. | 24 परगना (दक्षिण) | भांगर | सी–डॉट–256 पोर्ट | |
| 23. | दार्जिलिंग | सौरेनी बाजार | सी–डॉट–128 पोर्ट | (चालू) |
| 24. | कलकत्ता | चौरंगी | आर एल यू– 150 लाइन | |
| 25. | कलकत्ता | बिराती | आर एल यू – 2500 लाईन | (चालू) |
| 26. | कलकत्ता | मध्यम ग्राम | आर एल यू –2500 लाइन | |

**अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन सुविधाएं**

329. **श्री लाइता उम्ब्रे** : क्या संचार मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के खौसा और चांगलांग जिलों में गत कुछ-माह से टेलीफोन सेवाएं अस्त–व्यस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इनकी बहाली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) और (ख). अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं। तथापि, पारेषण (ट्रांसमिशन) उपस्कर में उत्पन्न गड़बड़ी के कारण खौसा में एस. टी. डी. सेवा कुछ समय तक अस्त–व्यस्त रही थी।

चांगलांग जिले में अक्तूबर 1995 में जबर्दस्त बिजली गिरने से एक्सचेंज उपस्कर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे ठीक कर दिया गया था और तुरंत ही सामान्य स्थिति बहाल हो गयी थी। यह एक्सचेंज अब संतोषजनक रूप से काम कर रहा है।

**करुणामूलक आधार पर रोजगार**

330. **श्री केशरी लाल**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृत कर्मचारियों के बच्चों को दिल्ली डाकघर में करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए क्या मानदंड है;

(ख) 1994 और 1995 के दौरान इस संबंध में श्रेणीवार कितने–कितने अनुरोध प्राप्त किए हुए;

(ग) अब तक कितने मामलों में श्रेणीवार रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) सभी मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ङ) इन सभी मामलों को कब तक निपटा दिए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य मानदंडों की ब्यौरेवार संलग्न विवरण में दी गई है। ये मानदंड समूचे देश में लागू होते हैं।

(ख) दिल्ली सर्किल में प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है:

| 1994 | | 1995 | |
|---|---|---|---|
| (i) | ग्रुप "ग" में नियुक्ति के लिए | 23 | 33 |
| (ii) | ग्रुप "घ" में नियुक्ति के लिए | 26 | 20 |

(ग) इस संबंध में जानकारी नीचे दी गई है :–

| | | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|
| (i) | ग्रुप "ग" में नियुक्ति के लिए | 20 | 32 |
| (ii) | ग्रुप "घ" में नियुक्ति के लिए | 22 | 16 |

(घ) इन मामलों में कोई अनुचित विलंब नहीं हुआ है।

(ङ) ऐसी संभावना है कि इन मामलों को 6 माह के भीतर निपटा दिया जाएगा।

**विवरण**

**किसी मृत सरकारी कर्मचारी के एक पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को कारुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए सामान्य अनुदेश**

1. जिन पर लागू होते हैं :

(क) यह अनुदेश ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट संबंधी के बारे में लागू होते हैं जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, जिसमें आत्महत्या भी शामिल है, परिवार में किसी भी कमाऊ सदस्य के न होने पर जब उसके परिवार को सहायता की तत्काल जरूरत हो।

(ख) अपवादात्मक मामलों में जब कोई विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि परिवार की स्थिति दयनीय है, और वह अत्यन्त संकट में है, तब केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 अथवा 55 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमन में तदनुरूपी उपबंधों के अधीन चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को कारुणामूलक आधार पर नौकरी का लाभ दिया जा सकता है। ग्रुप "घ" कर्मचारियों के मामले में, जिनकी सेवानिवृत्ति की समान्य आयु 60 वर्ष है, कारुणामूलक आधार पर नौकरी देने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब वे 57 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हों।

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट संबंधी को कारुणामूलक आधार पर नौकरी देने के बारे में विचार किया जा सकता है जिसकी बढ़ाई गई सेवा अवधि के दौरान न कि रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान मृत्यु हुई हो।

2. कारुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(क) संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव अथवा सचिव।

(ख) सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों में, ऐसी शक्ति का प्रयोग अनुपूरक नियम 2 (10) के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

3. जिन पदों पर ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं:–

ग्रुप "ग" पद अथवा ग्रुप "घ" पद।

पात्रता:

(क) कारुणामूलक आधार पर नियुक्ति केवल सीधी भर्ती के कोटे में से की जा सकती है।

(ख) कारुणामूलक आधार पर नियुक्ति के आवेदकों को केवल तभी नियुक्त किया जाएगा यदि वह संबंधित भर्ती नियमों के उपबंधों के अधीन हर दृष्टि से पात्र और उपयुक्त हों।

(ग) तथापि, विभाग अपवादात्मक परिस्थितियों में, जहां परिवार की स्थिति अत्यन्त संकटमय हो, निम्नतम स्तर, अर्थात ग्रुप "घ" अथवा एलडीसी के पद पर नियुक्ति के मामले में शैक्षिक योग्यता में अस्थायी तौर पर छूट दे सकते हैं। ऐसी छूट 2 वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके बाद शैक्षिक योग्यता के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी और संबंधित व्यक्ति की सेवा, यदि वह तब तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं करता,

समाप्त की जा सकेगी।

(घ) जहां किसी विधवा को करुणामूलक आधार पर ग्रुप "घ" पद पर नियुक्त किया गया हो, वहां उसे शैक्षिक योग्यता की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी बशर्ते कि भर्ती नियमों में निर्धारित मिडिल कक्षा की शैक्षिक योग्यता न होने पर भी उस पद के कर्त्तव्य संतोषजनक ढंग से पूरे किये जाएं।

(ङ) योग्य मामलों में जहां परिवार में कोई कमाऊ सदस्य हो भी, वहां संबंधित विभाग के सचिव की पूर्व अनुमति से मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को नौकरी देने पर विचार किया जा सकता है, जिसका परिवार संकटमय स्थिति में हो। इसके लिए संबंधित विभाग के सचिव की पूर्व अनुमति लेनी होगी जिन्हें नियुक्ति की स्वीकृति देने से पूर्व इस बात से संतुष्ट होना होगा कि आश्रितों की संख्या, मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति और दायित्व, कमाऊ सदस्य की आय और साथ ही उसके दायित्व तथा यह तथ्य की क्या कमाऊ सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ रह रहा है और यह कि वह परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सहायता का स्रोत नहीं है, आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छूट देना औचित्यपूर्ण है।

5. **करुणामूलक आधार पर नियुक्ति किस सीमा तक की जा सकती है।**

नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल आरक्षण, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, अग्रेनीत आरक्षण के साथ (जो इस समय केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ही लागू है। किसी विशेष अवसर पर उपलब्ध रिक्त पदों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए:

* (i) अनुसूचित जाति – 15 प्रतिशत

*(ii) अनुसूचित जनजाति – 7½ प्रतिशत

(iii) भूतपूर्व सैनिक – 10 प्रतिशत

इस विभाग की अधिसूचना सं. 39016/10/7–स्था (ग) दिनांक 15–12–1979 के नियम 4 के परन्तुक 1 के अध्यधीन ग्रुप "ग" पदों में और 20 प्रतिशत ग्रुप "घ" पदों में।

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति – 3 प्रतिशत

*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित ब्रोशर के परिशिष्ट 3 में दिए गए 100–प्वाइंट रोस्टर का प्रयोग करने वाले कार्यालयों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत अलग है।

6. **छूट**

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने के लिए निम्नलिखित छूट दी जा सकती है:–

(क) भर्ती प्रक्रिया में छूट अर्थात कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय के माध्यम के बिना।

(ख) आयु सीमा जहां आवश्यक हो। कम आयु की सीमा में छूट उस सीमा तक दी जाये कि आयु 14 वर्ष से कम न हो।

(ग) शैक्षणिक योग्यता में छूट उपर्युक्त पैरा–4 उल्लिखित सीमा तक।

(घ) इस विभाग/रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सरप्लस सैल से क्लीयरेंस ।

7. **करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए विलंबित अनुरोध**

मंत्रालय/विभाग करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसे अनुरोधों पर भी विचार कर सकते हैं जिनमें मृत्यु काफी पहले अर्थात 5 वर्ष पहले या उसके आस–पास हुई हो। ऐसे विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि करुणामूलक नियुक्ति की अवधारणा कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को तत्काल सहायता पहुंचाने की जरूरत से संबंधित है। वास्तव में इन वर्षों में परिवार ने किसी तरह अपना गुजारा चलाया है जो इस बात को दर्शाने के लिए एक पर्याप्त आधार है कि उस परिवार के पास जीवन–निर्वाह के कतिपय विश्वसनीय साधन हैं। अतः ऐसे मामलों की जांच अत्यन्त सावधानी से की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में निर्णय केवल सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए।

8. **करुणामूलक आधार पर नियुक्त विधवा द्वारा पुनः विवाह करना**

करुणामूलक आधार पर नियुक्त विधवा को पुनः विवाह करने के बाद भी नौकरी पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

9. **चयनात्मक दृष्टिकोण :**

(क) करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां इस ढंग से की जानी चाहिए कि पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास प्रशासन की कार्यकुशलता बनाये रखने के अनुरूप पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक और तकनीकी योग्यता तथा अनुभव हो।

(ख) इसका अभिप्राय: मृतक ग्रुप "घ" कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी की केवल ग्रुप "घ" पद पर नियुक्त करने तक सीमित नहीं है।

इस प्रकार, मृतक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को ग्रुप "ग"

में ऐसे पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए वह शैक्षिक दृष्टि से योग्य हो, बशर्ते कि ग्रुप "घ" में पद रिक्त हो।

(ग) चूंकि नियुक्तियां विभागाध्यक्ष की अनुमति मिलने पर की जानी होती है और कि कल्याणमूलक नियुक्ति के लिए सभी रिक्त पदों की संख्या को मिला दिया जाना होता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कल्याणमूलक नियुक्तियां अधीनस्थ और फील्ड कार्यालयों में बराबर बांट दी जाएं।

(घ) कल्याणमूलक नियुक्ति की योजना काफी पहले सन् 1958 में शुरू की गई थी। तब से सरकार द्वारा निम्नलिखित अनेक कल्याणकारी उपाय शुरू किये गये हैं। फलस्वरूप सेवाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने से उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय अंतर आया है। इन योजनाओं के अंतर्गत परिवार को मिलने वाले लाभों को कल्याणमूलक नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| ग्रुप "घ" कर्मचारी | = | 10,000/– रू॰ |
| ग्रुप "ग" कर्मचारी | = | 20,000/– रू॰ |
| ग्रुप "ख' कर्मचारी | = | 40,000/– रू॰ |
| ग्रुप "क" कर्मचारी | = | 80,000/– रू॰ |

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी द्वारा निधि में दी गई अंशदान राशि के लगभग दो–तिहाई रुपये भी उपर्युक्त राशि के साथ दिये जाते हैं।

2. मृतक सरकारी कर्मचारी के खाते में, उसकी मृत्यु के समय जमा छुट्टियों के बदले नकद भुगतान किया जाता है। यह नकद भुगतान अधिक से अधिक 240 दिन की छुट्टियों के लिए किया जाता है।

3. डिपॉजिट–लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम से अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से तत्काल पहले तीन वर्षों के दौरान मृतक सरकारी कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि में औसत बाकी के बराबर अतिरिक्त राशि की पात्रता।

4. बेहतर परिवार पेंशन ।

5. अनुकम्पा निधि से सहायता, जहां आवश्यक हो।

10. पद में परिवर्तन के लिए अनुरोध

जब कोई व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए कल्याणमूलक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि जिन परिस्थितियों के अंतर्गत उसे प्रारंभ में नौकरी मिली है। वह परिस्थितियां अब नहीं है और इसके बाद उस व्यक्ति को जिसने किसी पद विशेष पर कल्याणमूलक नियुक्ति स्वीकार की है, भविष्य में तरक्की पाने के लिए अपने सहयोगियों की तरह अपने कैरियर में प्रयास करने चाहिए तथा कल्याणमूलक आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा अनिवार्यतः निरस्त किया जाना चाहिए।

**मध्य प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली की निजीकरण**

331. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली को निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली के किन क्षेत्रों का निजीकरण किया जाना है;

(ग) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूरसंचार प्रणाली के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जिन एजेंसियों को अनुमति प्रदान की गई है/अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या है;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण रहेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सार्वजनिक हित और निजी क्षेत्र के उद्यमियों के हितों में परस्पर टकराव न हो, क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार सरकार ने मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान

करने में निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है जिसके लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। निजी क्षेत्र के कार्यकलापों पर सरकार का नियंत्रण निविदा की शर्तों के अनुसार होगा।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूची**

332. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग ने पिछड़े वर्गों के केन्द्रीय सूची को संशोधित करने हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो केरल के उन समुदायों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछड़े वर्गों के केन्द्रीय सूची में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार पेशागत समुदायों को क्रिमी लेयर की परिधि से अलग करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) और (ख). राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना नागरिकों की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने संबंधी अनुरोधों, अधिक शामिल या कम शामिल करने संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और सिफारिश करने के लिए की गई है। ऐसे निकाय द्वारा दिया गया परामर्श आमतौर पर सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कोई आशोधन/संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा समय-समय पर प्राप्त सिफारिशों के आधार पर ही किया जाता है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों के संबंध में शामिल करने/जोड़ने/जातियों/समुदायों के संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है।

केरल की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में निम्नलिखित जातियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश प्राप्त हुई है वाल्लन, बोवी मुकायार, नुलयान, वलिगंयार, पचियाक्कल, और (1) बोहरा (2) कुची मेमन (3) नवायत (4) तुरुक्कन (5) दखनी मुस्लिम को छोड़कर अन्य मुसलमान।

(ङ) इस सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है और मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

(च) और (छ). कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के अनुसार निष्कासन का नियम शिल्पकारों के रूप में या वंशागत व्यवसायों/पेशों में कार्यरत लोगों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यवसायों/पेशों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**राजस्थान के और अधिक क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण**

333. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान राजस्थान के और अधिक क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 के अन्त तक राजस्थान में भिन्न-भिन्न शक्तियों के पचीस टी. वी. ट्रान्समीटरों को चरणों में चालू किए जाने की आशा है बशर्ते संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हों।

**कोयले की कीमतें**

334. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो ने देश में कोयले की कीमतों के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन किया था और कोयले की कीमतों में और वृद्धि करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ब्यूरो की इस सिफारिश के क्या आधार है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के अनुरूप कोयले की कीमतों को और संशोधित करने की अनुमति हेतु उनके मंत्रालय से हाल ही में संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) से (घ). औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) ने कोयला उद्योग का वर्ष 1991 से विभिन्न पहलुओं पर,जिसमें कोयले का मूल्य निर्धारण शामिल है, तीसरा वृहत अध्ययन किया है। बी. आई. सी. पी. के तृतीय अध्ययन की कोई भी अंतिम रिपोर्ट, जिसमें कोयले के मूल्य में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की गई है, प्राप्त नहीं हुई है और इसके परिणामस्वरूप कोयले के मूल्य में संशोधन, जैसाकि बी.आई. सी. पी. के तृतीय अध्ययन में सिफारिश की गई है का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

## अडंमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मानव जातियां

335. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नैसर्गिक अवस्था शैली में रहने वाले विभिन्न मानव जातियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या मानव सभ्यता के संपर्क में आने के बाद कुछ मानव जातियां लुप्त हो गयी हैं अथवा लुप्त हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन जनजातियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही)**: (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाली पांच आदिम जातियों में से तीन नामतः जरावा, सेन्टानली और शोमपेंसी नैसर्गिक अवस्था में रहती हैं। शेष दो ग्रेट आडमानी और ओंगी ने व्यवस्थित जीवन अपना लिया है।

(ख) और (ग). ग्रेड अंडमानी और ओंगी की जनसंख्या विगत में कम हो रही थी। उनकी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को विभिन्न कल्याण उपायों जैसे उनके भोजन की जरूरतों की पूर्ति हेतु मुफ्त राशन की आपूर्ति, कपड़े, आवास और चिकित्सा सुविधाएं आदि के माध्यम से अब नियंत्रित कर लिया गया है।

[अनुवाद]

## आतंकवाद के लिए भारत–कनाडा करार

336. **श्री श्रवण कुमार पटेल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1996 में कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत–कनाडा करार पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी)**: (क) से (ग). अक्तूबर, 94 में केन्द्रीय गृह मंत्री की कनाड़ा यात्रा के दौरान "आपराधिक मामलों में परस्पर विधायी सहायता संधि" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में आतंकवाद, नशीली दवाओं के आतंकवाद और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों सहित अन्य प्रकार के अपराधों का मुकाबला करने में सहयोग करने की बात कही गई है। जनवरी, 1996 में कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान अपराध का मुकाबला करने में सहयोग सहित आपसी हित के विभिन्न मामलों की भी समीक्षा की गई थी। तथापि, दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## बालिकाओं से बलात्कार विरोधी कानून

337. **डा. के. वी. आर. चौधरी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय सरकार से बालिकाओं से बलात्कार विरोधी कानून को और भी कठोर बनाने हेतु एक अध्यादेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)**: (क) से (ग). बलात्कार संबंधी मौजूदा कानूनों को कड़ा बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने, भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन सुझाते हुए एक अध्यादेश का मसौदा भेजा था। दिए गए सुझावों में, अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं– बाल बलात्कार के मामले में कठोर आजीवन कारावास और इस संबंध में चिकित्सकीय जांच, अन्वेषण, बयान दर्ज करने, मुकद्मा चलाने और दण्डित करने आदि का काम महिला अधिकारियों को सौंपा जाना। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गए सुझाव, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति किए जाने वाले अपराधों के संबंध मे सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को मजबूत बनाने में उपयोगी होंगे।

[हिन्दी]

## राजभाषा नियम

338. **श्री हरिकेवल प्रसाद**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजभाषा नियम, 1976 से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

पुरूलिया में विमान द्वारा हथियारों का गिराया जाना

339. श्री राम विलास पासवानः
श्री मनोरंजन भक्तः
श्री रामपाल सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदारः
श्री सनत कुमार मंडलः
श्री दत्तात्रेय बंडारूः
श्री सन्तोष कुमार गंगवारः
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरीः
श्रीमती शीला गौतमः
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः
श्री बसुदेव आचार्यः
श्री नवल किशोर रायः
श्री मोहन रावलेः
श्री देवी बक्स सिंहः
श्री नीतीश कुमारः
श्री श्रीकान्त जेनाः
श्री इन्द्रजीत गुप्तः
श्री अन्ना जोशीः
श्री सुरेन्द्रपाल पाठकः
श्री जार्ज फर्नान्डीजः
श्री मंजय लालः
श्री तारा सिंहः
श्री चित्त बसुः
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवारः
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः
श्री रवि रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में पुरूलिया (पं. बंगाल) में एक विदेशी विमान द्वारा भारी मात्रा में हथियार गिराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकलाः

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। 16.2.1996 की स्थिति के अनुसार, बरामद हथियारों, गोलीबारूद और अन्य सामान की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). इस मामले में आगे की जांच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। सरकार को इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) संलिप्त विमान के चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी विमान से यात्रा कर रहे दो अन्य व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सभी निकासी स्थलों को सावधान करने, विमान के शेष दो सदस्यों की तेजी से गिरफ्तारी में इंटरपोल और राज्य पुलिस की सहायता मांगने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं।

(च) सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और इस संबंध में सभी उपाय कर रही है, जिनमे शामिल है– आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, मौजूदा विनियमों को अधिक कड़ाई से लागू करना और केन्द्र एवं राज्य की संबंधित एजेंसियों के बीच निकट समन्वय।

विवरण

**16.2.1996 तक, आर सी–11 (एस)/95– कलकत्ता के संबंध में बरामद किए गए हथियारों, गोलीबारूद तथा अन्य वस्तुओं की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राकेट, लांचर्स | 10 |
| 2. | 9 एम एम पिस्तौल | 11 |
| 3. | राकेट लांचरों के लिए टेलिस्कोप | 6 |
| 4. | कैनवास के थैले | 9 |
| 5. | एसाल्ट राइफल्स (ए के–47/56) | 241 |
| 6. | हथगोले | 62 |
| 7. | डी वी एम लिम्बिड बाक्स | 9 |
| 8. | टैंकनाशक गोले 77 | |
| 9. | क्लीनिंग ब्रश | 59 |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | ऑयल पॉट | 61 |
| 11. | क्लीनिंग राड | 4 |
| 12. | पैराशूट | 3 |
| 13. | कैनवास कैरियर | 9 |
| 14. | खाली मैगजीन | 909 |
| 15. | रॉकेट लांचर बूस्टर | 67 |
| 16. | 7.62 गोलियां चक्र | 20,543 |
| 17. | 9 मि. मी. गोलियां | 3835 |
| 18. | एंटी टैंक लांचरों के लिए गार्ड | 8 |
| 19. | रिलंग | 102 |
| 20. | छोटे थेले | 153 |
| 21. | रिवाल्वर होल्स्टर | 19 |
| 22. | नाइलोन की रस्सी | 1 |

[हिन्दी]

**अशांत क्षेत्र भत्ता**

340. **श्री रामेश्वर पाटीदार:**
**श्री राजेश कुमार:**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अशांत क्षेत्रों में कार्यरत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों को "अशांत क्षेत्र" भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां कर्मचारियों को इस प्रकार के भत्ते दिये जाते हैं;

(ग) "अशांत क्षेत्र" भत्ते के रूप मे प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**निजी कम्पनियों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन**

341. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न महानगरों में निजी टेलीफोन कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उपभोक्ताओं के टेलीफोन नम्बर संबंधित महानगरों की टेलीफोन डायरेक्ट्रियों में शामिल किये जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) से (ग). महानगरीय शहरों में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कोई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है। तथापि, ई पी ए बी एक्स की फ्रेंचाइज योजना के अधीन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधी इनडायलिंग सुविधाओं से युक्त ई पी ए बी एक्स एक्सटेंशन प्रदान किए गए हैं। एक्सटेंशन के सभी प्रयोगकर्ताओं के पास डायरेक्ट्री नम्बर होंगे और दूरसंचार विभाग/ महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा जारी टेलीफोन डायरेक्ट्री में सूचीबद्ध किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**बिहार में डाक सेवाएं**

342. **श्री प्रेम चन्द राम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमतौर पर बिहार में और विशेष रूप से नालन्दा जिले में डाक सेवाओं की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है और असाधारण पत्रों को अपने गन्तव्य स्थलों तक पहुंचने में कई मास लग जाते हैं तथा अधिकांश मामलों में तो पत्र वितरित ही नहीं हो पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या राज्य में डाकघर की नई शाखाएं खोलने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) और (ख). जी नहीं। समूचे बिहार में और विशेष रूप से नालन्दा जिले में डाक सेवाओं का स्तर दयनीय नहीं है। परिवहन सेवा में गड़बड़ी अथवा कर्मचारियों की अचानक कमी या प्रतिकूल मौसम संबंधी जैसी नियंत्रण से बाहर परिस्थिति को छोड़कर सामान्यतः डाक का वितरण प्रचालन संबंधी कठिनाइयों के बावजूद विभागीय मानकों के अनुरूप किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग की जाती है और जब कभी कमियां ध्यान में आती हैं, तो उन्हे दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ). जी हां। वार्षिक योजना स्कीम के अंतर्गत 6 अतिरिक्त शाखा डाकघरों के लिए प्रस्ताव लंबित हैं। वास्तविक रूप से डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता और पदों के सृजन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

## बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

343. **श्री लाल बाबू राय**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, जिला–वार कितनी है; और

(ख) बिहार में प्रत्येक गांव में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे और टेलीफोन प्रणाली के समग्र कार्यकरण को सुधारने संबंधी योजनाओं के नाम क्या हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अपनाई है, जिसमें बिहार राज्य सहित देश के सभी गांवों में वर्ष 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

टेलीफोन प्रणाली में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(i) नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की पुनः स्थापना।

(ii) पुराने और मियाद समाप्त इलेक्ट्रो–मैकेनिकल एक्सचेंजों का प्रयोग बंद करना।

(iii) अंतः एक्सचेंज जंक्शनों के लिए ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों की पुनः स्थापना।

(iv) बाह्य संयंत्रों का उन्नयन।

(v) विभिन्न सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(vi) बेहतर ग्राहक संपर्क (इम्प्रूव्ड कस्टमर इंटरफेस)

**विवरण**

| क्र. सं. | जिले का नाम | ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पटना | 21 |
| 2. | नालंदा | 22 |
| 3. | भोजपुर | 14 |
| 4. | बक्सर | 10 |
| 5. | रोहतास | 16 |
| 6. | भभुआ | 6 |
| 7. | पलामू | 12 |
| 8. | गुढ़वा | 6 |
| 9. | हजारीबाग | 22 |
| 10. | कोडरमा | 9 |
| 11. | चतरा | 2 |
| 12. | गिरिडीह | 16 |
| 13. | भागलपुर | 21 |
| 14. | बांका | 9 |

| क्र. सं. | जिले का नाम | ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|
| 15. | मुंगेर | 6 |
| 16. | शेखपुरा | 3 |
| 17. | लखी सराय | 6 |
| 18. | जमुई | 10 |
| 19. | डुमका | 12 |
| 20. | देवघर | 4 |
| 21. | साहबगंज | 8 |
| 22. | पाकुर | 2 |
| 23. | गोड्डा | 10 |
| 24. | छपरा | 15 |
| 25. | सिवान | 12 |
| 26. | गोपालगंज | 10 |
| 27. | पूर्व चम्पारन | 23 |
| 28. | पश्चिम चम्पारन | 10 |
| 29. | मुजफ्फरपुर | 14 |
| 30. | वैशाली | 15 |
| 31. | सीतामढ़ी | 5 |
| 32. | शेवहार | 6 |
| 33. | दरभंगा | 32 |
| 34. | मधुबनी | 26 |
| 35. | समस्तीपुर | 18 |
| 36. | खगड़िया | 12 |
| 37. | बेगूसराय | 14 |
| 38. | कटिहार | 10 |
| 39. | किशनगंज | 6 |
| 40. | पूर्णिया | 11 |
| 41. | औररिया | 5 |
| 42. | सहरसा | 20 |
| 43. | सुपौल | 14 |
| 44. | माधेपुरा | 9 |
| 45. | धनबाद | 12 |
| 46. | बोकारो | 9 |
| 47. | गया | 14 |
| 48. | जहानाबाद | 6 |
| 49. | औरंगाबाद | 15 |
| 50. | नवादा | 6 |
| 51. | पूर्व सिंहभूम | 12 |
| 52. | पश्चिम सिंहभूम | 18 |
| 53. | रांची | 15 |
| 54. | गुमला | 3 |
| 55. | लोहारदगा | 4 |

[अनुवाद]

**कर्नाटक पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को अतिरिक्त धनराशि**

344. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्सः** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को 1995–96 के दौरान अतिरिक्त धनराशि के लिए कर्नाटक पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी राशि जारी की गई है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) जी हां।

(ख)और(ग). कर्नाटक पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने 476.057 लाख रू की ऋण राशि निर्मुक्त करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं जिसके मुकाबले इस एस सी ए को 281.88 लाख रू॰ की राशि निर्मुक्त की गई है। शेष धनराशि की निर्मुक्ति राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि के लिए आवश्यक गारंटी दिए जाने के बाद की जाएगी। इस एस. सी. ए. को इस बारे में सूचना दे दी गई है।

[हिन्दी]

**डाक सामग्रियों का मूल्य**

345. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्माः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्रों और लिफाफों पर सरकार को वार्षिक कितना घाटा होता है; और

(ख) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) वर्ष 1994–95 के दौरान पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र कार्ड के घाटे की राशि क्रमशः 94.13 करोड़ रुपये और 87.22 करोड़ रुपये है। तथापि, लिफाफों पर कोई घाटा नहीं हुआ।

(ख) मितव्ययिता के उपाय करके कार्यकारी खर्च को सीमित करके, कार्य पद्धतियों को सरल बनाके तथा डाक सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में अधिक राजस्व जुटाके घाटे को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

**विद्युत और पेट्रो–रसायन क्षेत्र का विविधिकरण**

346. **श्री प्रभु दयाल कठेरियाः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार विद्युत और पेट्रो–रसायन क्षेत्र में प्रवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). इंडियन ऑयल कारपोरेशन अपनी रिफाइनरियों से भारी पेट्रोलियम भण्डार पर आधारित विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने तथा इनका पेट्रो–रसायन क्षेत्र को भी विपणन से संबंधित व्यवहार्यता का पता लगा रहा है। तथापि, प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्थाओं में हैं।

**स्टैम्प पेपर**

347. **श्री जगत बीर सिंह द्रोणः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्टैम्प पेपर की काला बाजारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन):** (क) से (ग). संविधान के उपबन्धों के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं इसलिए स्टैम्प पेपर की कालाबाजारी के साथ–साथ अपराधों की रोकथाम और जांच–पड़ताल करना राज्य सरकारों का काम है। सरकार उपर्युक्त अपराध से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है।

[हिन्दी]

**गुजरात में रात्रि डाकघर**

348. **श्री एन. जे. राठवाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कितने रात्रि डाकघर कार्यरत हैं; और

(ख) राज्य में रविवार को भी कितने डाकघर खुले रहते हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में कार्य कर रहे रात्रि डाकघरों की संख्या 11 (ग्यारह) है।

(ख) राज्य में ऐसे डाकघरों की संख्या 11 (ग्यारह) है जो रविवार को कार्य करते हैं।

[अनुवाद]

**आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता**

349. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को निर्धन पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आर्थिक सहायता योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अनुदान हेतु आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग). जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में विशेष केन्द्रीय सहायता, सहकारी वित्त निगम के लिए शेयर पूंजी अंशदान और सिचाई कूपखनन योजना इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। इस समय केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत उक्त राज्य को प्रथम तीन योजनाओं के संबंध में सहायता प्रदान की जा सके। तथापि, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह कूप खनन के लिए ऋण सहायता संबंधी अपने प्रस्ताव के सबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के साथ सम्पर्क स्थापित करे।

[हिन्दी]

**तरल पेट्रोलियम गैस पर राजसहायता**

350. श्री पंकज चौधरी:
श्री महेश कनोडिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तरल पेट्रोलियम गैस पर राजसहायता समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**महानिरीक्षकों (कारगार) का सम्मेलन**

351. श्री अमर पाल सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में महानिरीक्षकों (कारागार) के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ और रहन-सहन की स्थिति, कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों, जेल कर्मिकों की सेवा शर्तों और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की समीक्षा सहित जेल, प्रबंधन से संबधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

**प्रसार भारती अधिनियम**

352. श्री रवि राय: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रासार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के उपबन्धों की समीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित को शामिल करके तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया है:

1. डा. एन. के. सेनगुप्ता, अध्यक्ष, (महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान)

2. ब्रिगे. एम. आर. नारायणन, सदस्य (सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंध निदेशक, सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)

3. श्री केट लीखा, सदस्य (सेवानिवृत्त, मुख्य प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड)

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

## डाक-पत्रों का वितरण

353. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के दूर-दराज इलाकों में डाक-पत्रों के वितरण में अभूतपूर्व विलम्ब होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में डाक-पत्रों का द्रुत वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). जी हां। दूरदराज के इलाकों में डाक में विलंब के उदाहरण मिलते हैं। यह विलम्ब कठिन भू-भाग और मौसम की वजह से होता है। इन इलाकों में हिमपात, बाढ़, भूस्खलन और सड़कों में टूट-फूट इसके कुछ कारण हैं। इसके अलावा, ऐसे सेक्टर भी हैं, जहां डाक अन्य अवसरों की तुलना में, मौके-मौके पर, अधिक समय लेती है क्योंकि परिवहन सेवा दिनों अथवा सप्ताहों के अंतराल पर चलती हैं। ये स्थितियां अभूतपूर्व नहीं हैं।

(ग) देश के प्रत्येक भाग के लिए डाक संचलन का एक नेटवर्क बनाया गया है जिसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली की निरंतर मॉनीटरिंग भी की जाती है और जहां कहीं कोई कमी ध्यान में आती है, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। बाहरी गड़बड़ी अथवा जब असाधारण रूप से डाक की मात्रा डाक के नियमित मूवमेंट को प्रभावित करती है, ऐसी स्थितियों को छोड़कर, कुल मिलाकर विभाग के सेवा मानकों को बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

## राष्ट्रीय मीडिया नीति

354. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मीडिया नीति के बारे में उनके मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उपसमिति द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) उप समिति रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है। उसके बाद ही सिफारिशें प्राप्त होंगी।

[हिन्दी]

## गुजरात तथा मध्य प्रदेश में डाक-तार सुविधाएं

355. **श्री महेश कनोडिया:**
**श्री खेलन राम जांगडे:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात तथा मध्य प्रदेश में जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों में डाकघर सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) कितने ग्राम पंचायतों के डाकघरों में तार सुविधा उपलब्ध है तथा इस सुविधा का विस्तार किये जाने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों के मुख्य शहरों में "स्पीड-पोस्ट" सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) (i) गुजरात और मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 11951 और 18720 है। इनके जिलेवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ii) गुजरात तथा मध्य प्रदेश में डाक कार्यालय सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 7875 तथा 10094 है। इसके जिलेवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण III और IV में दिए गए हैं।

(ख) (i) ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्रामों में वर्ष 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ii) डाकघर योजना स्कीमों के तहत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि विभागीय मानदण्ड पूरे कर लिए गए हो और संसाधन उपलब्ध हों। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत मे डाक कार्यालय सुविधा प्रदान करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) गुजरात तथा मध्य प्रदेश में डाक कार्यालय मे तार सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 1121 और 18720 है।

(घ) गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य शहरों मे "स्पीड पोस्ट" सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के जिलेवार ब्यौरे क्रमशः विवरण V और VI में दिए गए हैं।

विवरण–I

31.01.1996 को गुजरात में टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों के जिलेवार ब्यौरे।

| क्र. सं. | जिले का नाम | टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 609 |
| 2. | गांधीनगर | 70 |
| 3. | अमरेली | 521 |
| 4. | बनासकांठा (पालनपुर) | 715 |
| 5. | भरूच | 667 |
| 6. | भावनगर | 715 |
| 7. | जामनगर | 591 |
| 8. | जूनागढ़ | 775 |
| 9. | खेड़ा | 899 |
| 10. | कच्छ भूज | 519 |
| 11. | मेहसाणा | 994 |
| 12. | पंचमहल (गोधरा) | 768 |
| 13. | राजकोट | 765 |
| 14. | साबरकांठा (हिम्मतनगर) | 675 |
| 15. | सुरेन्द्रनगर | 620 |
| 16. | सूरत6 | 76 |
| 17. | बड़ौदा | 734 |
| 18. | वलसाड | 568 |
| 19. | डंग | 52 |
| 20. | संघ शासित क्षेत्र | 18 |
| | कुल जोड़ | 11951 |

विवरण–II

31.10.1996 को मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों के जिलेवार ब्यौरे।

| क्र. सं. | जिले का नाम | टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 464 |
| 2. | बस्तर | 673 |
| 3. | बेतुल | 475 |
| 4. | भिंड | 307 |

| क्र. सं. | जिले का नाम | टेलीफोन सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 5. | भोपाल | 137 |
| 6. | बिलासपुर | 907 |
| 7. | छत्तरपुर | 339 |
| 8. | छिन्दवाड़ा | 600 |
| 9. | दमोह | 303 |
| 10. | दतिया | 148 |
| 11. | देवास | 412 |
| 12. | धार | 328 |
| 13. | दुर्ग | 446 |
| 14. | गुना | 497 |
| 15. | ग्वालियर | 254 |
| 16. | होशंगाबाद | 410 |
| 17. | इन्दौर | 272 |
| 18. | जबलपुर | 612 |
| 19. | झाबुआ | 33 |
| 20. | खंडवा | 524 |
| 21. | खरगोन | 699 |
| 22. | मांडला | 353 |
| 23. | मंदसौर | 528 |
| 24. | मुरैना | 621 |
| 15. | नरसिंहपुर | 361 |
| 26. | पन्ना | 159 |
| 27. | रायगढ़ | 721 |
| 28. | रायपुर | 1025 |
| 29. | रायसेन | 489 |
| 30. | राजगढ़ | 426 |
| 31. | राजनन्दगांव | 334 |
| 32. | रतलाम | 171 |
| 33. | रीवा | 348 |
| 34. | सागर | 547 |
| 35. | सरगुजा | 299 |
| 36. | सतना | 331 |
| 37. | सेहोर | 302 |
| 38. | सिओनी | 386 |
| 39. | शहडोल | 384 |
| 40. | शाजापुर | 393 |
| 41. | शिवपुरी | 440 |
| 42. | सिधी | 271 |
| 43. | टीकमगढ़ | 254 |
| 44. | उज्जैन | 387 |
| 45. | विदिशा | 350 |
| | कुल जोड़ | 18720 |

विवरण–III

गुजरात में जिलावार डाकघर की सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के ब्यौरे

| क्र. सं. | जिले का नाम | डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 422 |
| 2. | गांधी नगर | 52 |
| 3. | साबरकांठा | 554 |
| 4. | मेहसाणा | 551 |
| 5. | बनासकांठा | 449 |
| 6. | भरूच | 485 |
| 7. | डंग | 51 |
| 8. | खेडा | 550 |
| 9. | पंचमहल | 510 |
| 10. | सूरत5 | 46 |
| 11. | वडोदरा | 567 |
| 12. | वलसाड | 434 |
| 13. | अमरेली | 302 |
| 14. | भावनगर | 427 |
| 15. | जामनगर | 324 |
| 16. | जूनागढ़ | 470 |
| 17. | कच्छभुज | 438 |
| 18. | राजकोट | 438 |
| 19. | सुरेन्द्रनगर | 305 |
| 20. | संघ शासित क्षेत्र | शून्य |
| | कुल जोड़ | 7875 |

विवरण–IV

मध्य प्रदेश में जिलेवार डाकघर की सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के ब्यौरे

| क्र. सं. | जिले का नाम | डाकघर की सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बालाघाट | 209 |
| 2. | बस्तर | 543 |
| 3. | बेतुल | 216 |
| 4. | भिंड | 234 |
| 5. | भोपाल | 61 |
| 6. | बिलासपुर | 596 |
| 7. | छत्तरपुर | 202 |
| 8. | छिंदवाड़ा | 250 |
| 9. | दामोह | 171 |
| 10. | दातिया | 86 |
| 11. | देवास | 153 |
| 12. | धार | 193 |
| 13. | दुर्ग | 277 |
| 14. | गुना | 178 |

| क्र. सं. | जिले का नाम | डाकघर की सुविधा रखने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 15. | ग्वालियर | 140 |
| 16. | होशंगाबाद | 217 |
| 17. | इन्दौर | 107 |
| 18. | जबलपुर | 295 |
| 19. | झबुआ | 141 |
| 20. | खंडवा | 194 |
| 21. | खारगोन | 277 |
| 22. | माण्डला | 204 |
| 23. | मंदसौर | 283 |
| 24. | मुरैना | 237 |
| 25. | नरसिंहपुर | 170 |
| 26. | पन्ना | 144 |
| 27. | रायगढ़ | 407 |
| 28. | रायपुर | 549 |
| 29. | रायसेन | 192 |
| 30. | राजगढ़ (बोआ) | 144 |
| 31. | राजनन्दगांव | 199 |
| 32. | रतलाम | 154 |
| 33. | रीवा | 311 |
| 34. | सागर | 180 |
| 35. | सतना | 265 |
| 36. | सेहोर | 156 |
| 37. | सिंओनी | 183 |
| 38. | शाहडोल | 259 |
| 39. | शाजापुर | 159 |
| 40. | सिधी | 181 |
| 41. | शिवपुरी | 207 |
| 42. | सरगुजा अम्बिकापुर | 264 |
| 43. | टीकमगढ़ | 167 |
| 44. | उज्जैन | 161 |
| 45. | विदिशा | 178 |
| | कुल जोड़ | 10094 |

**विवरण–V**

**गुजरात**

**राष्ट्रीय नेटवर्क**

1. अहमदाबाद 2. सूरत 3. वडोदरा

प्वाइंट टू प्वाइंट सेवा (बिन्दु प्रति बिन्दु सेवा)

| से | तक | |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, कांडला पोर्ट, कांडला, एप्टी जैड अजमेर, पाली, उदयपुर, आनन्द, वी. वी. नगर, भावनगर । | विपरीत क्रम में |

| से | तक | |
|---|---|---|
| राजकोट | अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, पुणे, सूरत, वडोदरा, बंगलौर, हैदराबाद, रांची वाराणसी, आगरा लखनऊ, लुधियाना, नौएडा, फरीदाबाद, कानपुर, गुवाहाटी, तिरुअनन्तपुरम पटना, इंदौर, भोपाल, आनन्द, वी. वी. नगर, यू. वी. नगर, गांधीनगर, कांडला पोर्ट, कांडला, एफ. टी. जैड। | विपरीत क्रम में |
| गांधीधाम | बंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, दिल्ली, वाराणसी, आगरा, कलकत्ता, मेरठ । | विपरीत क्रम में |
| कांडला पोर्ट | विशाखापट्टनम, भोपाल, चंडीगढ़, लुधियाना, पूना, गाजियाबाद, बंगलौर | |
| कांडला एफटीजैड | जयपुर, मद्रास,. राजकोट, नौएडा | |
| आनन्द | दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, जयपुर, कोची, मद्रास, हैदराबाद, इंदौर, कलकत्ता | विपरीत क्रम में |
| वी. वी. नगर | राजकोट, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, बंबई, गांधीनगर | |
| वी. यू. नगर | | |
| भावनगर | अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली | विपरीत क्रम में |
| जामनगर | अहमदाबाद | |
| गांधीनगर | आनन्द, सूरत, वडोदरा, भुज, राजकोट | विपरीत क्रम में |
| बडौदा | आनन्द, भावनगर, गांधीधाम, कांडला पोर्ट, कांडला एफ. टी. जैड, राजकोट | विपरीत क्रम में |
| सूरत | यू. वी. नगर, वी. वी. नगर। | |

विवरण–VI

मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय नेटवर्क

| | |
|---|---|
| 1. | भोपाल |
| 2. | इन्दौर |
| 3. | रायपुर |
| 4. | ग्वालियर |

प्वाइंट–टू–प्वाइंट सेवा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भिलाई से | – | रायपुर, भोपाल व विपरीत क्रम में | |
| | भिलाई से | – | बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, रांची, धनबाद, इन्दौर, हैदराबाद, नागपुर, बंगलौर | |
| 2. | जबलपुर से | – | रायपुर, भोपाल, व विपरीत क्रम में | |
| | जबलपुर से | – | इन्दौर, ग्वालियर, बंबई, नागपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद कोचीन, मद्रास एवं बंगलौर। | |
| 3. | उज्जैन से | – | भोपाल | व विपरीत क्रम में |
| 4. | रीवा से | – | ग्वालियर | व विपरीत क्रम में |
| 5. | सागर से | – | भोपाल | व विपरीत क्रम में |
| 6. | खजुराहो से | – | दिल्ली | व विपरीत क्रम में |

[अनुवाद]

**प्रति व्यक्ति आय**

356. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1980–81 और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों की तुलना में कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में कितनी–कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि हेतु सरकार द्वारा लागू की गई विकास योजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा क्या है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) और (ख). ग्रामीण और शहरी क्षेत्रावर प्रति व्यक्ति आय, अर्थात, निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) के अनुमान भारत की दशवार्षिक जनगणना के माध्यम से उपलब्ध ग्रामीण और शहरी जनसंख्या अनुमान का प्रयोग करते हुए किया जाता है। 1991 जनगणनी की इकोनोमिक सारणियां अभी तक उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति आय के अनुमान केवल वर्ष 1970–71 और 1980–81 के लिए उपलब्ध है तथा ये निम्नलिखित है:–

**वर्तमान मूल्य दर पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद**

| क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी | शहरी प्रतिशत की |
|---|---|---|---|
| वर्ष | (रू॰) | (रू॰) | तुलना में ग्रामीण |
| 1970–71 | 529 | 1294 | 40.9 |
| 1980–81 | 1245 | 2888 | 43.1 |

(ग) योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया आठवीं योजना (1992–97) दस्तावेज कृषि और ग्रामीण विकास की नीति और कार्यक्रम तय करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और आय बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की आबादी**

357. **श्री विश्वेश्वर भगत:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971, 1981 एवं 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कुल आबादी कितनी है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** 1971 और 1981 में की गई जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या निम्नलिखित है:–

| जनगणना | मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या |
|---|---|
| 1971 | 1,76,934 |
| 1981 | 2,48,948 |
| 1991 | उपलब्ध नहीं |

[अनुवाद]

**उसार में गैस टर्मिनल**

358. **श्री राम कापसे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसार में दूसरा गैस टर्मिनल लगाने संबंधी महाराष्ट्र की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** दक्षिणी गैस ग्रिड के लिए संभावित उतराई बिन्दु के रूप में फिलहाल उसार पर विचार नहीं किया जा रहा है। 5 एम एम एस सी एम डी गैस से एल पी जी के निकर्षण के लिए गेल उसार में एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। गैस की उपलब्धता के विद्यमान संकेतों को देखते हुए उसार में 30 एम एम एस सी एम डी गैस टर्मिनल को स्थापित करना साध्य नहीं है।

**बिना बारी के रसोई गैस कनेक्शन दिया जना**

359. **डा. के. वी. आर. चौधरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 में सरकार द्वारा राज्य–वार बिना बारी के कितने रसोई गैस कनेक्शन मंजूर किए गए; और

(ख) 1995 में सरकार द्वारा संसद सदस्यों के लिए निर्धारित कोटे के अतिरिक्त उनकी अनुशंसा पर राज्य–वार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1.1.95 से 31.12.95 की अवधि के दौरान बिना बारी के 123219 घरेलू एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करने के लिए एल पी जी विपणन कंपनियों को आदेश जारी किये हैं। ये कनेक्शन तत्काल तथा योग्य मामलों में सरकार के विवेक पर व्यक्तियों के अनुरोधों तथा संसद सदस्यों एवं भूतपूर्व संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर स्वीकृत किए गए हैं। ऐसी जानकारी के संकलन हेतु कि किसकी सिफारिशों पर ये कनेक्शन दिए गए है, किए जाने वाले प्रयास अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप नहीं होंगे। बिना बारी के एल पी जी कनेक्शन राज्यवार आधार पर नहीं दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश में डाक एवं तारघर**

360. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994–95 के अंत में और इस समय मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने गांवों में डाक एवं तारघर नहीं हैं;

(ख) इस समय उपरोक्त राज्य के प्रत्येक जिले में कितने गांवों में विभिन्न श्रेणियों के डाक एवं तारघर हैं; और

(ग) 1995–96 के दौरान प्रत्येक जिले में विभिन्न श्रेणी के कितने डाकघर एवं तारघरों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) मध्य प्रदेश में, वर्ष 1994–95 की समाप्ति तक और आज तक जिन गांवों में डाकघर व तारघर नहीं है, उनकी जिलावार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या, जिनमें आज तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के डाकघर और तारघर मौजूद हैं, संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) उन डाकघरों और तारघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण–III में दी गई है, जिन्हें वर्ष 1995–96 के दौरान खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण–I

मध्य प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या जिनमें वर्ष 1994–95 की समाप्ति तक और आज तक डाकघर और तारघर मौजूद नहीं हैं

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं (1994–95 और आज तक) | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर नहीं हैं 31.3.95 की स्थिति के अनुसार | आज तक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 1060 | 847 | 847 |
| 2. | बस्तर | 3117 | 2908 | 2908 |
| 3. | बेतूल | 1122 | 752 | 743 |
| 4. | भिंड | 643 | 588 | 583 |
| 5. | भोपाल | 450 | 289 | 280 |
| 6. | बिलासपुर | 2905 | 2341 | 2330 |
| 7. | छतरपुर | 874 | 804 | 804 |
| 8. | छिंदवाड़ा | 1653 | 1191 | 1182 |
| 9. | दामोह | 1034 | 1071 | 1071 |
| 10. | दतिया | 316 | 194 | 173 |
| 11. | देवास | 905 | 679 | 638 |
| 12. | धार | 1294 | 1061 | 946 |
| 13. | दुर्ग | 1526 | 1241 | 1235 |
| 14. | गुना | 1881 | 1541 | 1517 |
| 15. | ग्वालियर | 566 | 227 | 160 |
| 16. | होशंगाबाद | 1203 | 802 | 781 |
| 17. | इंदौर | 517 | 264 | 241 |
| 18. | जबलपुर | 1952 | 1356 | 1339 |

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं (1994–95 और आज तक) | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर नहीं हैं 31.3.95 की स्थिति के अनुसार | आज तक |
|---|---|---|---|---|
| 19. | झाबुआ | 1159 | 961 | 961 |
| 20. | खंडवा | 863 | 323 | 315 |
| 21. | खरगोन | 1607 | 1199 | 1183 |
| 22. | मांडला | 1902 | 1693 | 1690 |
| 23. | मंदसौर | 1296 | 1146 | 1087 |
| 24. | मुरैना | 1056 | 714 | 686 |
| 25. | नरसिंहपुर | 870 | 655 | 645 |
| 26. | पन्ना | 795 | 874 | 874 |
| 27. | रायगढ़ | 1789 | 1439 | 1437 |
| 28. | रायपुर | 3314 | 2658 | 2643 |
| 29. | रायसेन | 1237 | 919 | 908 |
| 30. | राजगढ़ (बायो) | 1522 | 1098 | 1092 |
| 31. | राजनंदगांव | 2074 | 1847 | 1823 |
| 32. | रतलाम | 897 | 561 | 561 |
| 33. | रीवा | 2041 | 2366 | 2354 |
| 34. | सागर | 1688 | 1322 | 1316 |
| 35. | सतना | 1519 | 1628 | 1609 |
| 36. | सिहोर | 865 | 648 | 624 |
| 37. | सिओनी | 1402 | 1151 | 1143 |
| 38. | शहडोल | 1718 | 1686 | 1680 |

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं (1994–95 और आज तक) | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर नहीं है 31.3.95 की स्थिति के अनुसार | आज तक |
|---|---|---|---|---|
| 39. | शाजापुर | 909 | 468 | 402 |
| 40. | शिवपुरी | 1119 | 965 | 963 |
| 41. | सिद्धी | 1641 | 1543 | 1499 |
| 42. | सरगुजा (अंबिकापुर) | 2150 | 2099 | 2098 |
| 43. | टीकमगढ़ | 696 | 662 | 662 |
| 44. | उज्जैन | 931 | 468 | 447 |
| 45. | विदिशा | 1374 | 1003 | 990 |
| | कुल : | 61452 | 50252 | 49470 |

विवरण–II

मध्य प्रदेश में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या जिनमें विभिन्न श्रेणी के डाकघर और तारघर मौजूद हैं

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर मौजूद हैं | | | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर मौजूद हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विभागीय डाकघर | अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | |
| 1. | बालाघाट | 15 | – | 194 | 541 |
| 2. | बस्तर | 30 | – | 523 | 972 |
| 3. | बेतूल | 12 | – | 194 | 663 |
| 4. | भिंड | 5 | 1 | 228 | 350 |
| 5. | भोपाल | 3 | – | 58 | 262 |
| 6. | बिलासपुर | 24 | – | 572 | 1260 |
| 7. | छतरपुर | 7 | 1 | 194 | 388 |

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर मौजूद हैं | | | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर मौजूद हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विभागीय डाकघर | अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | |
| 8. | छिंदवाड़ा | 15 | 1 | 234 | 802 |
| 9. | दामोह | 9 | 1 | 161 | 328 |
| 10. | दतिया | 3 | – | 95 | 272 |
| 11. | देवास | 4 | – | 149 | 496 |
| 12. | धार | 15 | 7 | 171 | 625 |
| 13. | दुर्ग | 6 | – | 271 | 586 |
| 14. | गुना | 8 | 1 | 169 | 748 |
| 15. | ग्वालियर | 2 | 1 | 137 | 616 |
| 16. | होशंगाबाद | 9 | – | 208 | 713 |
| 17. | इंदौर | 7 | 2 | 98 | 403 |
| 18. | जबलपुर | 6 | 1 | 288 | 1071 |
| 19. | झाबुआ | 5 | – | 149 | 414 |
| 20. | खंडवा | 15 | 2 | 180 | 753 |
| 21. | खरगोन | 15 | 10 | 252 | 988 |
| 22. | मांडला | 6 | – | 198 | 470 |
| 23. | मंदसौर | 17 | 4 | 262 | 674 |
| 24. | मुरैना | 6 | 1 | 230 | 720 |
| 25. | नरसिंहपुर | 10 | – | 160 | 436 |
| 26. | पन्ना | 4 | 1 | 139 | 174 |
| 27. | रायगढ़ | 18 | – | 389 | 807 |

| क्र. स. | जिले का नाम | उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर मौजूद हैं | | | उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर मौजूद हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विभागीय डाकघर | अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | |
| 28. | रायपुर | 20 | – | 529 | 1390 |
| 29. | रायसेन | 9 | 3 | 180 | 601 |
| 30. | राजगढ़ (ब्यावो) | 6 | 3 | 145 | 644 |
| 31. | राजनंदगांव | 3 | – | 196 | 555 |
| 32. | रतलाम | 9 | 4 | 141 | 516 |
| 33. | रीवा | 13 | – | 298 | 371 |
| 34. | सागर | 9 | 1 | 170 | 765 |
| 35. | सतना | 8 | – | 257 | 431 |
| 36. | सिहोर | 8 | – | 148 | 448 |
| 37. | सिओनी | 9 | – | 174 | 470 |
| 38. | शहडोल | – | – | 259 | 426 |
| 39. | शाजापुर | 7 | 1 | 151 | 722 |
| 40. | शिवपुरी | 11 | | 191 | 496 |
| 41. | सिद्धी | 1 | – | 180 | 383 |
| 42. | सरगुजा (अंबिकापुर) | 22 | – | 240 | 334 |
| 43. | टीकमगढ़ | 5 | – | 162 | 311 |
| 44. | उज्जैन | 11 | – | 150 | 634 |
| 45. | विदिशा | 6 | 2 | 140 | 634 |
| | कुल : | 433 | 53 | 9590 | 26724 |

विवरण–III

ऐसे डाकघरों और तारघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या जिन्हें वर्ष 1995–96 के दौरान मध्य प्रदेश में खोलने का प्रस्ताव है

| क्र. स. | जिले का नाम | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | विभागीय उप डाकघर | तारघर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | 1 | – | 250 |
| 2. | बस्तर | 1 | – | 315 |
| 3. | बेतूल | – | 1 | 250 |
| 4. | भिंड | 1 | – | 210 |
| 5. | भोपाल | – | – | 70 |
| 6. | बिलासपुर | 2 | – | 420 |
| 7. | छतरपुर | – | – | 150 |
| 8. | छिंदवाड़ा | – | – | 225 |
| 9. | दामोह | – | 2 | 150 |
| 10. | दतिया | – | – | 200 |
| 11. | देवास | – | – | 335 |
| 12. | धार | – | – | 335 |
| 13. | दुर्ग | – | – | 400 |
| 14. | गुना | – | – | 175 |
| 15. | ग्वालियर | – | – | 180 |
| 16. | होशंगाबाद | – | 1 | 250 |
| 17. | इंदौर | – | – | 225 |
| 18. | जबलपुर | – | – | 350 |
| 19. | झाबुआ | – | – | 260 |

| क्र. स. | जिले का नाम | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | विभागीय उप डाकघर | तारघर |
|---|---|---|---|---|
| 20. | खंडवा | 1 | – | 215 |
| 21. | खरगोन | – | – | 345 |
| 22. | मांडला | – | – | 225 |
| 23. | मंदसौर | – | – | 535 |
| 24. | मुरैना | 1 | – | 300 |
| 25. | नरसिंहपुर | – | – | 230 |
| 26. | पन्ना | – | – | 225 |
| 27. | रायगढ़ | – | – | 400 |
| 28. | रायपुर | – | 1 | 535 |
| 29. | रायसे | | | 230 |
| 30. | राजग़ (बायो) | – | – | 200 |
| 31. | राजनगांव | – | – | 200 |
| 32. | रतलाम | – | 3 | 300 |
| 33. | रीवा | 1 | – | 300 |
| 34. | सागर | – | 1 | 450 |
| 35. | सतना | 1 | – | 300. |
| 36. | सिहोर | – | – | 100 |
| 37. | सिओनी | – | – | 220 |
| 38. | शहडोल | – | – | 300 |
| 39. | शाजापुर | – | – | 200 |
| 40. | सिद्धी | – | – | 200 |

| क्र. स. | जिले का नाम | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | विभागीय उप डाकघर | तारघर |
|---|---|---|---|---|
| 41. | शिवपुरी | – | – | 125 |
| 42. | सरगुजा (अंबिकापुर) | – | – | 225 |
| 43. | टीकमगढ़ | – | – | 150 |
| 44. | उज्जैन | – | – | 240 |
| 45. | विदिशा | – | – | 250 |
| | कुल : | 9 | 9 | 11750 |

[अनुवाद]

**पालतू कुत्तों द्वारा बच्चे की मृत्यु**

361. **श्री ए. चार्ल्स:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1996 के दौरान दिल्ली में एक निर्यातक के पालतू कुत्तों ने एक पांच साल के बच्चे को मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकर का विचार ऐसी जघन्य और क्रूर घटनाओं को रोकने और दोषियों को अधिकतम दण्ड देने के लिए कोई उपयुक्त कानून बनाने का है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–क/289 के अधीन दिनांक 3.2.96 को थाना श्रीनिवासपुरी में एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी क्योंकि कुत्तों का स्वामी अपने परिवार सहित पेरिस में रह रहा है। दोनों कुत्तों को मेट्रोपालिटन मेजिस्ट्रेट, श्रीनिवासपुरी, के आदेशों के तहत् एक माह के लिए, निगरानी अधीन रखने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पशु अस्पताल में भेज दिया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

**महाराष्ट्र में आप्टिकल फाइबर केबल**

362. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से टेलीफोन सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए आप्टिकल फाइबर केबल लगाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). जी, हां। सरकार को, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल से ऑप्टिकल फाइबर केबल संस्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान, इन स्कीमों को चालू करने की योजना बनाई गई है।

(ग) सरकार विवरण में यथा–वर्णित सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई कर रही है, जिनके वास्ते ऑप्टिकल फाइबर केबल और संबंद्ध उपस्कर हेतु आर्डर दिए जा चुके हैं। मार्च, 1996 तक निम्नलिखित तीन स्कीमों को चालू कि जाने की संभावना है।

(1) पुणे–अहमदनगर–औरंगाबाद–धुलिया–अकोला

(2) उमरगा–लातूर

(3) पनवेल–पातालगंगा

वर्ष 1996–97 के दौरान, शेष स्कीमों को चालू करने की योजना है।

विवरण

उन ऑप्टिकल फाइबर केबल स्कीमों की सूची, जिनकी योजना वर्ष 1995–96–97 के लिए महाराष्ट्र के लिए बनाई गई है:–

(1) पुणे–अहमदनगर–औरंगाबाद–धुलिया–अकोला

(2) पुणे–सतारा–कराड–कोल्हापुर

(3) उमरगा–लातूर

(4) पनवेल–पातालगंगा

(5) अकोला–संगमनेर

(6) भुसावल–यावल

(7) अहमदपुर–चाकुर–लातूर

(8) वसाई–भिवन्डी

(9) भिवन्डी–गणेशपुर–खाडा

(10) करजाट–खोपाली

(11) पेन–अलीबाग

(12) बीड–पटोडा

(13) शिरडी–कोपारगांव

(14) आशवी–संगमनीर

(15) पेनवेल–पेन–कोलाड

(16) महाद–पोलादपन

[अनुवाद]

राजन पिल्लै की हिरासत में मौत

363. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायिक हिरासत में राजन पिल्लै की मौत से जुड़े तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

364. डा. पी. वल्लल पेरुमान: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम ने अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना जनवरी, 1992 में की गई थी। इसने चार वर्ष की लघु अवधि (992–93 से 1995–96) के दौरान 286.14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और 135.16 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांग को पूरा करता था जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए अपनी माध्यम एजेंसियों को नामित किया था। स्वीकृतियों और संवितरण के बीच 53% का अंतर राज्य की माध्यम एजेंसियों के कारण है। संस्वीकृतियों और संवितरणों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने इस प्रकार अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जैसे निगम को 1991–92 से 1994–95 की अवधि के दौरान जबकि 26.82 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, मांग केवल 12.32 करोड़ रुपए की थी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य सरकार की गारन्टी की अपेक्षा से छूट प्रदान करके संवितरित की गई थी। इसके अलावा, स्वीकृति और संवितरण में 54% की सीमा तक (राज्य की माध्यम एजेंसी द्वारा) अंतर है। अंततः एस. सी. ए. द्वारा अभी तक लाभग्राहियों की कोई सूची नहीं भेजी गई है और इस राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों की भी प्रतीक्षा की जा रही है। इस प्रकार, इसके स्वयं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को राज्य माध्यम एजेंसियों ने पूरा नहीं किया है।

(ग) (1) लाभग्राहियों की पहचान न होना।
(2) योजना तैयार न करना।
(3) यह राज्य माध्यम एजेंसियां।

लाभग्राहियों को सीधे निधियां संवितरित नहीं कर रही है बल्कि सभी निधियां तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक और तमिलनाडु हथकरघा विकास निगम के पास लाभग्राहियों को आगे संवितरण के लिए रखती है। देश में और कोई भी राज्य माध्यम एजेंसी इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है।

(4) राज्य माध्यम एजेंसी ने प्रति लाभग्राही 20/–रुपए आवेदन फार्म का भारी मूल्य रखा है जो बहुत से लाभग्राहियों को प्रतिबंधात्मक और हतोत्साहित करने वाला लगता है।

(घ) (1) निरन्तर प्रयत्नों के परिणास्वरूप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने दिसम्बर, 1995 के दौरान किए गए संवितरण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षित गारन्टी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है।

(2) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा पात्र लाभग्राहियों की पहचान करने के लिए जनवरी, 1996 में तमिलनाडु के मायिलदुराई और कोयम्बतूर जिलों में दो क्षेत्रीय शिविरों का आयोजन किया गया था। इसके परिणामतः 600 से अधिक सम्भाव्य लाभग्राहियों की पहचान की गई थी और जांच/कार्रवाई करने के लिए राज्य की माध्यम एंजेसी को उनकी सूचियां दे दी गई थी।

**विवरण**

**राज्यवार स्वीकृत की गई और संवितरित राशि और लाभग्राहियों की संख्या के ब्यौरे**

लाख रुपए

| क्र. स. | राज्य | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | स्वीकृत | 547.24 | 1219.798 | 1492.753 | 32.696 | 3292.487 |
| | | सवितरित | – | 1746.68 | 224.34 | – | 1971.02 |
| | | लाभग्राही | 8.956 | 7.327 | 14868 | 147 | 31298 |
| 2. | असम | स्वीकृत | 90.654 | 241.55 | 42.148 | – | 374.352 |
| | | सवितरित | 20.06 | 70.59 | – | – | 90.65 |
| | | लाभग्राही | 68 | 550 | 50 | – | 1068 |
| 3. | बिहार | स्वीकृत | 68028 | 144.73 | 1012.805 | – | 3137.815 |
| | | सवितरित | 223.95 | 456.33 | – | – | 680.28 |
| | | लाभग्राही | 3034 | 5125 | 2320 | – | 10529 |
| 4. | गोवा | स्वीकृत | 0.50 | – | 9.213 | 4.25 | 13.963 |
| | | सवितरित | – | – | 9.03 | – | 9.03 |
| | | लाभग्राही | 1 | – | 20 | 10 | 31 |
| 5. | गुजरात | स्वीकृत | 170.00 | 318.00 | – | – | 488.00 |
| | | सवितरित | – | 170.00 | – | – | 170.00 |
| | | लाभग्राही | 1800 | 8380 | – | – | 10180 |

लाख रुपए

| क्र. स. | राज्य | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | हरियाणा | स्वीकृत | 154.18 | 191.25 | 368.748 | – | 714.178 |
| | | सवितरित | 30.56 | 217.41 | 120.09 | 38.78 | 486.84 |
| | | लाभग्राही | 2,395 | 3,353 | 4954 | – | 19782 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | स्वीकृत | 43.02 | 214.50 | 147.849 | 484.569 | 484.569 |
| | | सवितरित | – | 40.00 | 110.39 | – | 150.39 |
| | | लाभग्राही | 180 | 590 | 150 | – | 920 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | स्वीकृत | – | 21,882 | – | – | 21,882 |
| | | सवितरित | – | – | – | 14.16 | 14.16 |
| | | लाभग्राही | – | 55 | – | – | 55 |
| 9. | कर्नाटक | स्वीकृत | 458.25 | 810.144 | 1896.409 | 50.928 | 2415.723 |
| | | सवितरित | 114.76 | 838.21 | 214.78 | – | 967.75 |
| | | लाभग्राही | 6996 | 9050 | 8000 | 665 | 24711 |
| 10. | केरल | स्वीकृत | – | 257.994 | 1357.510 | 304.732 | 1920.232 |
| | | सवितरित | – | 41.32 | 1325.59 | 40.69 | 1407.60 |
| | | लाभग्राही | – | 1248 | 4303 | 1005 | 6556 |
| 11. | मध्य प्रदेश | स्वीकृत | 146.38 | 956.88 | 544.830 | 142.375 | 1790.465 |
| | | सवितरित | 74.11 | 714.81 | 686.48 | – | 1475.20 |
| | | लाभग्राही | 646 | 3875 | 1875 | 1850 | 6646 |
| 12. | महाराष्ट्र | स्वीकृत | 415.15 | 762.99 | 2817.685 | 1749.00 | 4944.225 |
| | | सवितरित | 103.80 | 311.10 | 1626.89 | 583.74 | 2625.83 |
| | | लाभग्राही | 900 | 1600 | 3955 | 2350 | 8805 |

लाख रुपए

| क्र. स. | राज्य | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | उड़ीसा | स्वीकृत | – | 444.85 | 547.522 | 1.77 | 994.142 |
| | | सवितरित | – | – | 270.09 | – | 270.09 |
| | | लाभग्राही | – | 2660 | 1240 | 4 | 3904 |
| 14. | पंजाब | स्वीकृत | 173.33 | 199.00 | 117.675 | 42712 | 832.717 |
| | | सवितरित | 43.66 | 128.89 | 252.18 | 225.27 | 650.00 |
| | | लाभग्राही | 925 | 900 | 650 | 135 | 2610 |
| 15. | राजस्थान | स्वीकृत | – | 485.88 | 32.857 | – | 517.167 |
| | | सवितरित | – | – | – | – | – |
| | | लाभग्राही | – | 875 | 190 | – | 1065 |
| 16. | तमिलनाडु | स्वीकृत | 154.08 | 469.979 | 2039.863 | 18.702 | 682.620 |
| | | सवितरित | – | 210.16 | 1019.75 | – | 1232.91 |
| | | लाभग्राही | 2208 | 9939 | 5272 | 21 | 17442 |
| 17. | त्रिपुरा | स्वीकृत | – | 40329 | – | – | 40329 |
| | | सवितरित | – | – | – | – | – |
| | | लाभग्राही | – | 253 | – | – | 253 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | स्वीकृत | 346.60 | 1510.84 | 1402.001 | – | 3259.441 |
| | | सवितरित | 88.18 | 258.80 | 949.45 | – | 1296.05 |
| | | लाभग्राही | 3380 | 13675 | 6348 | – | 23403 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | स्वीकृत | – | 670.677 | – | – | 670.677 |
| | | सवितरित | – | – | – | – | – |
| | | लाभग्राही | – | 6685 | – | – | 6685 |

[हिन्दी]

## गुजरात में टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण

365. श्रीमती भावना चिखलियाः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर, गुजरात में किन–किन स्थानों पर टेलीफोन सेवाओं के निजीकरण किये जाने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) विशेषकर गुजरात के किन–किन स्थानों पर निजी कंपनियों को ये सुविधाएं देने के लिए पहले से ही कार्य शुरू कर दिये गये हैं; और

(ग) अन्य राज्यों मे इस बारे में अब तक हुई कार्य प्रगति संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, सरकार ने मूलभूत टेलीफोन सेवाएं और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए, निजी प्रचालकों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। गुजरात सर्किल सहित, देश के 21 दूरसंचार सर्किलों में मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के प्रचालन हेतु लाइसेंस देने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए 4 महानगरों और 18 दूरसंचार प्रांतीय सर्किलों को लाइसेस दे दिए गए हैं। दो कम्पनियों, नामशः मैसर्स बिरला कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और मैसर्स फैसेल लिमिटेड को गुजरत में सैल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालित करने के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं।

(ख) और (ग). सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा 4 महानगरों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पहले ही आरंभ की जा चुकी है। गुजरात और अन्य दूरसंचार सर्किलों में सैल्यूलर मोबाइल सेवा इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाने की आशा है।

### विवरण

**महानगरों में सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए, लाइसेंसधारकों के विदेशी भागीदारों सहित उनकी सूची**

| कम्पनी का नाम | विदेशी भागीदार का नाम | | जिस शहर के लिए चुना गया है |
|---|---|---|---|
| 1. भारती सैल्युलर लिमिटेड | (i) | मैसर्स जनरल मोबाइल, यू. के. | दिल्ली |
| | (ii) | मैसर्स इएमटीईएल लिमिटेड, मॉरिशस | |
| | (iii) | मैसर्स मोबाइल सिस्टम्स इंटरनेशनल, यू. के. | |
| 2. स्टरलिंग सैल्युलर लिमिटेड | (i) | मैसर्स सेल्युलर कॉम इंटरनेशनल, यूएसए | दिल्ली |
| | (ii) | मैसर्स स्विस पीटीटी, स्विटजरलैंड | |
| 3. बीपीएल सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | (i) | मैसर्स फ्रांस टेलीकॉम, फ्रांस | बम्बई |
| | (ii) | मैसर्स एलसीसी इंका, यूएसए | |
| 4. ह्यूचिसन मैक्स टेलीकॉम | | ह्युचिसन टेलीकॉम लिमिटेड, हांगकांग | बम्बई |
| 5. मोदी टेलस्ट्रा प्रा. लिमिटेड | | मैसर्स टेलस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया | कलकत्ता |
| 6. ऊषा मर्टिन टेलीकॉम लिमिटेड | | टेलीकॉम मलेशिया बी एच डी, मलेशिया | कलकत्ता |
| 7. आर पी जी सैल्युलर सर्विसेज़ लिमिटेड | | वोडाफोन ग्रुप पी एल सी, यू. के. | मद्रास |

| कम्पनी का नाम | विदेशी भागीदार का नाम | जिस शहर के लिए चुना गया है |
|---|---|---|
| 8. स्काईसैल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लिमिटेड | (i) बैल साउथ इंट. (एशिया/ पैसिफिक) इंका., यू. एस. ए. | मद्रास |
| | (ii) मिलीकॉन इंटरनेशनल सैल्युलर, यू. एस. ए. | |

**सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंसधारकों और सर्किलों की सूची**

| क्र. सं. | लाइसेंसधारक/विदेशी सहयोगकर्ता का नाम | सर्किल |
|---|---|---|
| 1. | जेटीमोबाइल/टेलिया स्वीडन | आंध्र प्रदेश, पंजाब |
| 2. | बिरला कॉम/एटीएंडटी, यूएसए | गुजरात, महाराष्ट्र |
| 3. | यू. एस. वैस्ट/बीपीएल टेलीकॉम/ यू. एस वैस्ट, यू. एस. ए. | तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र |
| 4. | एयरसैल डिजिलिंक/स्विस पीटीपी, स्विटजरलैंड | हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) |
| 5. | एस्कोटेल/फस्ट पैसिफिक, हांगकांग | उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), हरियाणा, केरल |
| 6. | कोशिका/फिलीपिनों टेलीकॉम, फिलीपीन्स | उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), उड़ीसा |
| 7. | सैल्युलर कोम/एयरटच, यू. एस. ए. | मध्य प्रदेश |
| 8. | रिलायन्स टेलीकॉम/नाथनेक्स, यू. एस. ए. | मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, असम, हिमाचल प्रदेश |
| 9. | हेक्साकॉम/कुवैत मोबाइल, कुवैत | पूर्वोत्तर राज्य |
| 10. | भारतीय टेलीनेट/एसटीईटी, इटली | हिमाचल प्रदेश |
| 11. | टाटा कॉम/बीईएलएल, कनाडा | आंध्र प्रदेश |
| 12. | फेसेल बेज़ेक, इज़राइल | गुजरात |

[अनुवाद]

**बुनियादी दूरसंचार सेवाएं**

366. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आठ दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की अनुक्रिया असंतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में किस तरीके से आगे कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) 13 सर्किलों के लिए मांगी गई वित्तीय बोलियों के दूसरे दौर में, पांच सर्किलों से छः बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) और (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं दूसरे दौर की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन, निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

वित्तीय बोलियों के दूसरे दौर के ब्यौरे

| सर्किल का नाम | बोलीदाता का नाम | उद्धृत की गई लेवी (करोड़ रु. में) | उद्धृत की गई लेवी की एनपीवी (करोड़ रु. में) | आरक्षित एन पी वी (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | टाटा टेलीसर्विस | 4200 | 1312.24 | 1250 |
| गुजरात | रिलायंस दूरसंचार | 3396.33 | 1053.72 | 1050 |
| तमिलनाडु | बेसिक टेलीसर्विस लि. | 11620 | 3605.24 | 2550 |
| बिहार | टेक्नो टेलीकॉम | 266.57 | 140.06 | 140 |
| पंजाब | (क) भारती टेलीनेट | 3675 | 1368.02 | 1270 |
| | (ख) एस्सार कॉमविजन | 4593.4 | 1425.11 | 1270 |

**स्पीड पोस्ट सेवा दर**

367. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पीड पोस्ट सेवा की दर में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख). दूरी और भार के स्लैब को युक्तिसंगत बनाते हुए 1 दिसम्बर, 1995 से स्पीड पोस्ट की दरों में संशोधन किया गया है, जिसमें दरों में कमी और संशोधन दोनों शामिल हैं। संशोधित दरें निम्नलिखित हैं:–

| वस्तु का भार | | दूरी | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थानीय (रु.) | 500 कि. मी. के भीतर (रु.) | 500 कि. मी. से अधिक (रु.) |
| (i) | 200 ग्रा. तक | 15.00 | 30.00 | 45.00 |
| (ii) | 201 से 500 ग्राम तक | 20.00 | 40.00 | 55.00 |
| (ii) | अतिरिक्त एक किलोग्राम अथवा उसके भाग के लिए | 10.00 | 15.00 | 30.00 |

10/–रु प्रति वस्तु की दर से वितरण का प्रमाण शुल्क। यह एक ऐच्छिक सुविधा है।

(ग) इस संशोधन के साथ–साथ बल्क मेलर्स के लिए छूट की एक योजना भी आरंभ की गई थी।

यह संशोधन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक था:–

(क) पंजीकरण दर के साथ समुचित अनुपात सुनिश्चित करना।

(ख) दूरी के संतुलित स्लेब बनाना।

(ग) दरों को लागत के अनुरूप बनाना।

**आंध्र प्रदेश में मूलभूत दूरसंचार सेवाएं**

368. **श्री एस.एम. लालजानावाशा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आज की तिथि के अनुसार उपलब्ध की गई मूलभूत टेलीफोन सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में विशेषरूप से गुंटूर और कृष्णा जिलों में, टेलीफोन सेवाओं में 1995–96 के दौरान तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश में मूलभूत टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) जी नहीं। आन्ध्र प्रदेश में मूलभूत टेलीफोन सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) जी नहीं। आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं मे कोई गिरावट नहीं आई है। आंध्र प्रदेश में, विशेषरूप से गुंटूर और कृष्णा जिलों में टेलीफोन सेवाओं संबंधी कार्य–निष्पादन के मुख्य पैरामीटर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में मूलभूत टेलीफोन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलना।

(ii) पुराने और मियाद समाप्त इलेक्टोमैकेनिकल एक्सचेंजों को बन्द करना।

(iii) अंतः एक्सचेंज जंक्शनों के लिए ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियां आरंभ करना।

(iv) बाह्य संयंत्र का उन्नयन।

(v) विभिन्न सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(vi) बेहतर ग्राहक इंटरफेस।

**विवरण**

**मूल कार्य–निष्पादन पैरामीटर**

| क्र.सं. | मद | आन्ध्र प्रदेश | जिला गुंटूर | जिला कृष्णा | अखिल भारतीय मानक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | खराबियां प्रति 100 स्टेशन प्रतिमाह | 12.9 | 10.1 | 10.2 | 17 |
| 2. | ट्रंक कार्य–कुशलता | 83.0% | 75.9% | 91.6% | 78.1% |
| 3. | कॉल पूर्णता दर (फ्री टु फ्री टेलीफोन) | | | | |
| (i) | स्थानीय | 95.0% | 98.5% | 99.0% | 94.9% |
| (ii) | एस टी डी | 90.0% | 95.0% | 90.2% | 88.5% |

[हिन्दी]

## उर्दू कार्यक्रम

369. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जा रहे उर्दू कार्यक्रम को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उर्दू कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले में आकाशवाणी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में से प्रमुख कदम राष्ट्रीय चैनल और विदेश सेवा सहित 41 केन्द्रों से उर्दू कार्यक्रमों का प्रसारण, घरेलू और विदेश सेवा में उर्दू के समाचार बुलेटिनों का प्रसारण तथा रेडियो नाटककारों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता में उर्दू के नाटकों की प्रविष्टियों को स्वीकार करना है।

[हिन्दी]

## पत्रों का वितरण

370. श्री दत्ता मेघे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में डाक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण भारी मात्रा में जमा हुई डाक वितरित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा पत्रों को समय पर वितरित करने के लिए प्रस्तावित प्रबंधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डाक सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख). दिल्ली में 17 अक्तूबर, 1995 से 3 नवम्बर, 1995 तक बिना खुले डाक थैले और बिना छंटी हुई डाक रुकी पड़ी रही क्योंकि दिल्ली डाक सर्किल के रेल डाक सेवा के कर्मचारियों ने ओवर टाइम बिलों के भुगतान के लिए दबाव डालते हुए ओवर टाइम पर कार्य करने से इंकार कर दिया। इन बिलों का भुगतान धनराशि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका था। इकट्ठा हुई डाक को निपटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई और दिसम्बर, 1995 तक स्थिति सामान्य हो गई।

(ग) सरकार ने डाक के प्राथमिकीकरण और सेगमेन्टेशन की प्रणाली के माध्यम से डाक के शीघ्र वितरण के लिए निम्नलिखित ढंग से पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं:-

(i) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बेंगलूर से, इनमें से किसी भी शहर के लिए भेजी गई पिन कोड अंकित डाक का, उसे पोस्ट किए जाने वाले दिन से तीसरे कार्य-दिवस के भीतर वितरण के लिए मैट्रो-चैनल।

(ii) सभी शहरों और बड़े कस्बों में स्थानीय पत्रों के लिए एक अलग प्रणाली है, जिसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय डाक को, पोस्ट किए जाने वाले दिन से, अगले कार्य-दिवस को वितरित किया जाए।

(iii) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए डाक मूवमेंट की निरंतर मानीटरिंग की जाती है कि डाक पारेषण और वितरण प्रणाली में निर्धारित किए अनुसार ही हो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मौजूदा परिस्थितियों में इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

## टेलीफोन उपभोक्ताओं के आवेदनों का निपटान

371. श्री छेदी पासवान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टेलीफोन उपभोक्ताओं के आवेदनों को तेजी से निपटाया नहीं जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक महाप्रबंधक, दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यालय द्वारा कुल कितने आवेदन टेलीफोनों के अंतरण/एस. टी. डी. कनेक्शन/टेलीफोनों के कनेक्शन समाप्त किये जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं;

(घ) कितने आवेदनों का उनकी पावती के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटारा किया गया है; और

(ङ) कब तक शेष अवेदनों का निपटान कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## मुम्बई के दंगे

372. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिसम्बर, 1992 के दौरान मुम्बई में हुए दंगों की जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जांच कार्य को कब से प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी):** (क) और (ख). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिसम्बर, 1992 में मुम्बई में हुए दंगों से संबंधित उन मामलों को पुनर्जीवित किया है जो इसके पास लंबित पड़े हैं। आयोग ने पहले इन मामलों पर कार्रवाई न करने का फैसला किया था क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36 (1) में उपलब्ध बार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए श्री कृष्ण जांच आयोग गठित किया था। चूंकि श्री कृष्ण आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन मामलों को पुनर्जीवित किया है और इन्हें निपटाने का फैसला किया है।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि इस स्तर पर जांच-पड़ताल करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

373. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1995 तक उड़ीसा में विभिन्न राष्ट्रीयकृत कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोकिंग कोयले का निष्कर्षण किया गया है;

(ख) इसमें से वर्ष-वार कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति उड़ीसा में और उड़ीसा से बाहर की गई है; और

(ग) उड़ीसा सरकार को रायल्टी की कितनी धनराशि दी गई?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) और (ख). उड़ीसा राज्य में कोककर कोयले का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है। अतः कोककर कोयले की आपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) कोल इंडिया लि. के अनुसार, तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान उड़ीसा राज्य को अकोककर कोयले के उत्पादन के लिए अदा की गई रायल्टी की राशि नीचे दी गई है:-

| वर्ष | (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1992-93 | 63.14 |
| 1993-94 | 72.82 |
| 1994-95 | 104.08 |

[हिन्दी]

## रसोई गैस कनेक्शनों के अंतरण के मानदंड

374. **श्री नारायण सिंह चौधरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस कनेक्शन के एक स्थान से अन्यत्र अंतरण के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में गैस सिलेन्डर की प्रतिभूति धनराशि में भारी वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या अंतरण के मामले में भी नए दरों पर प्रतिभूति धनराशि जमा करना आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा:** (क) जब भी किसी एल पी जी कनेक्शन के धारक का स्थानांतरण हो जाता है अथवा यदि वह एक शहर से दूसरे शहर में अपना आवास बदल लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे तेल कंपनी द्वारा जारी सहायक अंशदान वाउटर के साथ एल पी जी उपस्कर अर्थात् सिलेंडर और रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस लौटना होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर समाप्ति वाउचर जारी करता है और कनेक्शन जारी करते समय जमा की गई प्रतिभूति की राशि वापस कर देता है। उपभोक्ता नए स्थान पर नए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर को समाप्ति वाउचर सौंपकर एल पी जी कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

(ख) और (ग). सरकार ने 11.8.1995 से प्रतिभूति जमा की राशि सभी नए घरेलू एल पी जी कनेक्शनों के लिए 900/- रुपए प्रति सिलेंडर और प्रेशर रेगुलेटर के लिए 100/- रुपए तक बढ़ा दी है। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रतिभूति जमा की दर केवल 500/- रुपए प्रति सिलेंडर और 50 रुपए प्रति प्रेशर रेगुलेटर तक बढ़ाया गया। एल पी जी सिलेंडर/रेगुलेटर की अधिप्राप्ति लागत में वृद्धि को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिभूति जमा की दर में संशोधन किया गया।

(घ) जी, नहीं। उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने के लिए मूल प्रतिभूति जमा के अनुसार समाप्ति वाउचर में उल्लिखित प्रतिभूति जमा का भुगतान करना होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपहरण**

375. **श्री सत्यदेव सिंह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में 1994,1995 तथा जनवरी, 1996 तक की अवधि के दौरान अपहरण की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) अपहृत व्यक्तियों, लड़कों और लड़कियों में से अभी तक छुड़ाये गये व्यक्तियों का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाकी बचे बंधकों की खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामस्सन)**: (क) और (ख). वर्ष 1994,1995 और 1996 (31.1.96 तक) के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपहरण के दर्ज हुए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:–

| वर्ष | दर्ज हुए मामलों की संख्या | |
|---|---|---|
| | दिल्ली मे | उत्तर प्रदेश में |
| 1994 | 777 | 4798 |
| 1995 | 932 | 3593 |
| 1996 (31.1.1996 तक) | 83 | उपलब्ध नही |

दिल्ली पुलिस द्वारा छुड़ाए गए व्यक्तियों की संख्या (श्रेणी–वार) तथा स्वयं वापस आ गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चूंकि "कानून और व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा छुड़ाए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) शेष बन्धकों को खोज निकालने के लिए अपहरणकर्ताओं तथा आपराधिक इतिवृत्त वाले पर नजर रखी जा रही है। आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को भी सुचारूबनाया गया है। मोटर–साईकल गश्त तथा पी. सी. आर. द्वारा चौकसी भी बढ़ा दी गई है। जनता की सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं। अपराध शाखा के अधीन जिला स्तर पर तथा नौ पुलिस जिलों, प्रत्येक में विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जिनमें अपहरण और व्यपहरण के मामलों की जांच–पड़ताल करने के लिए समर्पित पुलिस दल तैनात किए गए हैं।

**विवरण**

| वर्षवार | अपहरण के सूचित हुए मामलों की कुल संख्या | स्वीकार किए गए मामलों की संख्या | अपहृत व्यक्तियों की संख्या | | | | पुलिस द्वारा मुक्त कराए गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या | | | | अपहृत व्यक्तियों की संख्या जो स्वयं लौट आए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वयस्क | | अवयस्क (18 वर्ष से कम) | | वयस्क | | अवयस्क | | वयस्क | | अवयस्क | |
| | | | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| 1994 | 777 | 460 | 9 | 79 | 181 | 489 | 3 | 26 | 67 | 248 | 4 | 34 | 71 | 157 |
| 1995 | 932 | 676 | 21 | 96 | 192 | 625 | 5 | 43 | 62 | 281 | 7 | 40 | 73 | 178 |
| 1996 (31.1.96 तक) | 83 | 82 | 1 | 3 | 12 | 62 | – | – | 4 | 15 | – | 1 | 3 | 9 |

[अनुवाद]

**सशस्त्र बल अधिनियम**

376. **श्री सैयद शहाबुद्दीन**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन राज्यों में वर्तमान में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम लागू है;

(ख) राज्य–वार किस तारीख को यह अधिनियम पहली बार प्रभावी हुआ था;

(ग) इसे बरकरार रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या समय-समय पर इसके जारी रहने की समीक्षा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार किस तारीख को अंतिम बार इसकी समीक्षा की गई थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ङ). सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958, संसद द्वारा भारत के गणतंत्र घोषित होने के नौवें वर्ष में अधिनियमित किया गया था। इसे, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम को पूरे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश एवं मिज़ोरम संघ शासित क्षेत्रों पर लागू किया गया था। मिज़ोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में वृहत शीर्षक में तथा धारा-1 की उप धारा (2), में "मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम" शब्दों के स्थान पर "मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। इसके साथ ही, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में, वृहत शीर्षक में और धारा-1 की उपधारा- (2) में "असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश" के स्थान पर "अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।

सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983, पंजाब राज्य और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ में दिनांक 15 अक्तूबर, 1983 से लागू है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में, शस्त्र बल (जम्मू व कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990, दिनांक 5 जुलाई, 1990 से लागू है।

उपर्युक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ सहित किसी पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग को जिसमें ये अधिनियम लागू होते हैं, "अशांत क्षेत्र" घोषित किया जा सकता है। इस समय, निम्नलिखित राज्यों अथवा उसके भाग को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है: असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है तथा यह पता लगाने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाती है कि किन क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" बना रखा जाये।

## गैस बर्नर/हाट प्लेटों की खरीद

377. श्री परसराम भारद्वाज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस बर्नर/हाट प्लेटों की खरीद के संबंध में एल पी जी डीलरों के विरुद्ध राज्य-वार प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) शिकायतों पर विशेषकर मध्य प्रदेश में प्राप्त शिकायतों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गैस बर्नर/हाट प्लेटों की खरीद के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चूल्हों (हाट प्लेट्स) की जबरन बिक्री के संबंध साबित हुई शिकायतों की संख्या निम्नवत् है:-

| राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 3 | 2 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | – | – | 2 |
| राजस्थान2 | 1 | – | |
| उत्तर प्रदेश | | 1 | – |
| बिहार | 2 | – | 1 |
| पश्चिम बंगाल | – | – | 1 |
| मध्य प्रदेश | – | – | – |
| आंध्र प्रदेश | – | – | 2 |
| केरल | 1 | – | 5 |
| महाराष्ट्र | 3 | 3 | 16 |
| तमिलनाडु | 1 | – | – |
| हरियाणा | 1 | – | 2 |
| गुजरात | – | – | 1 |
| उड़ीसा | 2 | – | – |
| पंजाब | 3 | 2 | 1 |

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में चूल्हों की जबरन बिक्री संबंधी दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | वितरक का नाम | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1. | नागदा गैस सर्विस, नागदा | चेतावनी पत्र जारी किया गया और |
| 2. | कंचन गैस, नागदा | प्रत्येक से 5000/– रुपये का जुर्माना वसूल किया गया तथा नए कनेक्शन निरस्त किए गए |

(ग) कनेक्शन जारी करते समय चूल्हों की खरीद के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

(1) ग्राहक को वितरक से अथवा किसी अन्य स्रोत से आई एस आई/बी आई एस मार्क /अनुमोदित चूल्हा खरीदने की छूट है।

(2) नया कनेक्शन लेने के लिए वितरकों द्वारा भावी ग्राहकों को भेजे गए सूचना पत्र में भी उपर्युक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है।

(3) नया कनेक्शन लेते समय यदि ग्राहक चूल्हा एल पी जी का वितरक के अलावा अन्य स्रोत से खरीदता है तो ग्राहक को अपने पास बी आई एस/आई एस आई मार्क/ अनुमोदित चूल्हा होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है जैस कैश मीमो इत्यादि उसके बाद वितरक अपने मैकेनिक के माध्यम से ग्राहक के निवास पर चूल्हे के सत्यापन के लिए निरीक्षण का प्रबंध करता है। इस निरीक्षण के लिए ग्राहक से 10 रुपये का नियत भुगतान वसूल किया जाता है।

**घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम**

378. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक एकक द्वारा कितना घाटा वहन किया गया;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कतिपय सरकारी उपक्रम लाभ भी कमा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (घ). पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किसी भी उपक्रम को गत तीन वर्षों के दौरान घाटा नहीं हुआ है। गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1992–93 से 1994–95 तक इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उपार्जित लाभ संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | उपार्जित लाभ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
| 1. | आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन | 788.20 | 1595.20 | 2345.25 |
| 2. | आयल इंडिया लिमिटेड | 37.38 | 97.77 | 258.22 |
| | गैस अथारिटी | 210.53 | 320.54 | 367.62 |
| 4. | इंडियन आयल कार्पोरेशन | 676.99 | 772.00 | 1018.86 |
| 5. | भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | 170.07 | 215.38 | 288.85 |
| 6. | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | 227.14 | 306.97 | 391.29 |
| 7. | मद्रास रिफाइनरी लि. | 70.94 | 79.39 | 92.19 |
| 8. | कोचीन रिफाइनरी लि. | 87.12 | 68.25 | 104.77 |

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | उपार्जित लाभ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
| 9. | बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स का. लि. | 29.01 | 37.92 | 61.06 |
| 10. | इंजीनियर्स इंडिया लि. | 29.35 | 60.31 | 59.88 |
| 11. | लुब्रीज़ॉल इंडिया लि. | 15.12 | 19.14 | 14.84 |
| 12. | आई बी पी | 12.83 | 18.89 | 23.53 |
| 13. | बामर लारी | 13.21 | 14.13 | 16.16 |
| 14. | बीको लारी | 0.21 | 0.43 | 0.45 |

**उत्तर प्रदेश में टेलीफोन लाइनें**

379. **श्री जीवन शर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा तथा पीथौरागढ़ जिलों में 1991 से, एक्सचेंजवार, कितनी नई लाइनें जोड़ी गयीं;

(ख) इन एक्सचेंजों में वर्तमान तथा भविष्य में विस्तार के क्या कार्यक्रम हैं;

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत सभी लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन जिलों में 1980 से 1990 के दौरान कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1991 से जोड़ी गयी नयी टेलीफोन लाइनों और उनके विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए सम्पूर्ण देश में 1997 तक मांग के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के प्रावधान की परिकल्पना की गयी है। तदनुसार विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही है।

(घ) वर्ष 1980 से 1990 तक अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में स्वीकृत किए गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:–

| | |
|---|---|
| जिला अल्मोड़ा | 971 |
| जिला पिथौरागढ़ | 505 |

**विवरण**

**उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में 1991 से 31.1.96 तक एक्सचेंजवार जोड़ी गई लाईनें और उनके विस्तार कार्यक्रम**

**जिला अलमोड़ा**

| क्र. स. | एक्सचेज का नाम | 1991 से 31. 1. 96 तक जोड़ी गई लाइनों की संख्या | विस्तार कार्यक्रम भाग (ख) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1995–96 (भाग क) | 1996–97 के दौरानके दौरान |
| 1. | अलमोड़ा | 1291 | 3000 लाइनें | – |
| 2. | अरतोला | 13 | – | – |

| क्र. सं. | एक्सचेंज का नाम | 1991 से 31. 1. 96 तक जोड़ी गई लाइनों की संख्या | विस्तार कार्यक्रम भाग (ख) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1995–96 (भाग क) | 1996–97 के दौरानके दौरान |
| 3. | बैजनाथ | 33 | – | 128 पी सी–डॉट |
| 4. | बारछीना | 13 | – | – |
| 5. | भाराजी | 10 | – | – |
| 6. | भ़तरजखान | 31 | – | – |
| 7. | भिक्यासैण | 65 | – | 512 सी–डॉट |
| 8. | भनोली | 07 | – | – |
| 9. | बेघाट | 83 | 512 सी–डॉट | – |
| 10. | दनिया | 12. | – | – |
| 11. | दीघाट | – | 64 एमआईएलटी | – |
| 12. | द्वारहाट | 59 | 256 सी–डॉट | – |
| 13. | गनाई | 12 | – | – |
| 14. | जैंती | 01 | – | – |
| 15. | जलाली | 7 | – | – |
| 16. | काफरा | 7 | – | – |
| 17. | कासरदेवी | 16 | – | – |
| 18. | कौसानी | 42 | 256 सी–डॉट | – |
| 19. | काफलीगैर | 15 | – | – |
| 20. | कोसी | 21 | – | – |
| 21. | लमनगरास | 9 | – | – |
| 22. | मजखाली | 24 | – | – |
| 23. | मनीला | 18 | – | – |

| क्र. स. | एक्सचेज का नाम | 1991 से 31. 1. 96 तक जोड़ी गई लाइनों की संख्या | विस्तार कार्यक्रम भाग (ख) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1995–96 (भाग क) | 1996–97 के दौरानके दौरान |
| 24. | मासी | 11 | – | – |
| 25. | रानीखेत | 344 | 1000 लाइन सी–डॉट | 1.4 के लाइन सी–डॉट |
| 26. | सयालदह | 3 | – | – |
| 27. | सहिसफटिक | 3 | – | – |
| 28. | सीमेश्वर | 28 | – | – |
| 29. | तारीखेत | 21 | – | – |
| 30. | बसोली | 20 | 128 पी सी–डॉट | – |

**जिला पिथौरागढ़**

| क्र. सं. | एक्सचेंज का नाम | 1991 से 31. 1. 96 तक जोड़ी गई लाइनों की संख्या (भाग क) | विस्तार कार्यक्रम भाग (ख) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1995–96 के दौरान | 1996–97 के दौरान |
| 1. | अस्कोट | 9 | – | – |
| 2. | डेरीनाग | 32 | | |
| 3. | बलुआ कटा | 33 | – | – |
| 4. | बुंगाछिना | 55 | | – |
| 5. | चंपावत | 47 | 256 सी–डॉट | 512 सी–डॉट |
| 6. | देवीधूरा | 2 | – | – |
| 7. | दीदीहाट | 41 | 256 सी–डॉट | – |
| 8. | धारचूला | 82 | 256 सी–डॉट | 512 सी– डॉट |
| 9. | गंगोलीहाट | 44 | वही | वही |
| 10. | गुरना | 16 | – | – |
| 11. | झूलाघाट | 50 | 256 सी–डॉट | 512 सी–डॉट |

| क्र. सं. | एक्सचेंज का नाम | 1991 से 31. 1. 96 तक जोड़ी गई लाइनों की संख्या (भाग क) | विस्तार कार्यक्रम भाग (ख) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1995–96 के दौरान | 1996–97 के दौरान |
| 12. | जालजीवी | 4 | – | – |
| 13. | कनालीचीना | 6 | – | – |
| 14. | खेतीखान | 48 | – | – |
| 15. | लेहाघाट | 75 | 512 सी–डॉट | 1000 लाइन सी–डॉट |
| 16. | मदकोटी | 11 | – | – |
| 17. | मुन्स्यारी | 10 | – | – |
| 18. | नचानी | 12 | – | – |
| 19. | पिथौरागढ़ | 491 | – | – |
| 20. | पुल्ला | 28 | – | – |
| 21. | सौरलेख | 10 | – | – |
| 22. | थाल | 34 | – | – |
| 23. | वड्डा | 53 | – | – |

**पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाना**

380. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर डिवीजन के टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). जी हां। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 1995–96 के दौरान पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज को स्विचन क्षमता में लगभग 1.32 लाख लाइनें जोड़ने और लगभग 1.27 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

31.3.95 की स्थिति के अनुसार, खड़गपुर दूरसंचार जिले में 18536 लाइनों की सज्जित क्षमता और 11816 चालू कनेक्शनों वाले 85 एक्सचेंज कार्यरत थे। इन 85 एक्सचेंजों में से 84 इलेक्ट्रॉनिक टाइप के हैं। वर्ष 1995–96 के दौरान, खड़गपुर दूरसंचार जिले के एक्सचेंजों की स्विचन क्षमता में लगभग 6300 लाइनों की निवल वृद्धि करने और लगभग 6000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। चालू वर्ष के दौरान, जिले में तीन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है– श्याम सुन्दर पटना (चालू), (ii) पुरुषोतमपुर, और (iii) नाराजोल। खड़गपुर में कार्यरत 1100 लाइनों की क्षमता वाले एकमात्र इलेक्ट्रो–मैकेनिकल टाइप एक्सचेंज को 31.6.96 तक 2500 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से बदलने की योजना भी बनाई गई है।

**भोपाल में टेलीफोन हेतु लम्बित आवेदन पत्र**

381. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल के विभिन्न संचार कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन का स्थान बदलने हेतु इस समय कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं;

(ग) 1995–96 के दौरान निपटाए गए आवेदन पत्रों का औसत मासिक आंकड़ा

कितना है; और

(घ) बकाया आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) भोपाल दूरसंचार कार्यालयों में, टेलीफोन कनेक्शन का स्थान बदलने हेतु इस समय कुल 194 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) क्षेत्रवार सबसे पुराने विचाराधीनपत्र इस प्रकार से हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | गुविन्दपुरा | 4.8.95 |
| 2. | सिटी | 31.12.95 |
| 3. | बिट्टन मार्केट | 8.10.95 |
| 4. | शिवाजी नगर | 6.12.95 |
| 5. | नेहरूनगर | 9.11.95 |

(ग) वर्ष 1996 के दौरान माहवार औसतन 1407 आवेदन निपटाए गए।

(घ) मार्च, 1996 तक क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाकर, विचाराधीन आवेदनों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## फिर से डीलरशिप दिया जाना

382. **श्री तारा सिंह**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेन्सी, पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और मिट्टी तेल के लिए फिर से डीलरशिप दिए जाने संबंधी कितने अनुरोध सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इस प्रकार के डीलरशिप फिर से दिए जाने संबंधी नीति/दिशानिर्देश क्या है;

(ग) क्या उक्त डीलरशिप को फिर से दिए जाने के लिए वितरक द्वारा निवेश करना मुख्य बात है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मानदंड के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी डीलरशिप फिर से दी गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)**: (क) से (घ). विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण समाप्त अथवा निरस्त एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, खुदरा बिक्री डीलरशिपों और एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिपों को पुनः चालू करने के लिए सरकार को समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। प्रत्येक मामले पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की वित्तीय कठिनाइयों सहित अनुकंपा आधार पर कुछ डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को पुनः चालू किया गया है।

## बोधगया मन्दिर बौद्धों को सौंपना

383. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोधगया मन्दिर अपने मौजूदा प्रबंधन के अधीन खराब हालत में है;

(ख) यदि हां, तो मन्दिर के मौजूदा प्रबंधन का ब्यौरा क्या है और इसका वर्तमान खराब हालत के क्या कारण है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बोधगया मन्दिर का मौजूदा खराब हालत के प्रति गम्भीर रुख अपनाते हुए केन्द्र सरकार को एक कानून बनाकर बोधगया मन्दिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्धों को सौंपने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)**: (क) और (ख). इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बोध गया मंदिर का प्रबन्ध अनन्य रूप से बौद्ध समुदाय को सौंपने हेतु उपर्युक्त और समुचित अधिनियम बनाए जाने की सिफारिश की है। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को भी मंदिर साफ–सुथरा रखने, पवित्र स्थान पर तीर्थ यात्रियों के बेरोक–टोक प्रवेश को बनाए रखने, अर्पित दान राशि का उचित हिसाब–किताब रखने और उस क्षेत्र के दीर्घावधि विकास के लिए एक योजना तैयार करने तथा अतिथि गृहो के निर्माण के लिए अनेक उपाय सुझाए है।

(ङ) यह रिपोर्ट 28 फरवरी को प्राप्त की गई और इसकी जांच की जा रही है।

## सकल घरेलू उत्पाद

384. **डा. के वी. आर चौधरी**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में 1994–95 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में उसी अवधि के दौरान बचत दर तथा प्रति व्यक्ति

आय में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख). 1994–95 में कारक लागत पर स्थिर (1980–81) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 251010 करोड़ रुपए अनुमानित है जबकि 1993–94 में 236064 करोड़ रुपए था, जो वर्ष के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ). सकल घरेलू बचत की दर, जो प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत के अनुसार आंकी गई है, वर्ष 1994–95 में 24.4 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 1993–94 में 21.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1994–95 में स्थिर (1980–81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष में 2292 रुपए के मुकाबले 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 2401 रुपए थी।

[हिन्दी]

## बिहार में डाक–तार सुविधाएं

385. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के चतरा जिले के जिला–मुख्यालय तथा प्रखंड–मुख्यालयों में तार तथा टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वहां उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ;

(घ) बिहार के किन–किन स्थानों पर डाकघरों तथा शाखा डाकघरों को उनके पास अपनी जमीन होने के बावजूद भी भवनों के अभाव में किराये के मकानों में चलाया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी जमीन पर भवनों का निर्माण करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक तथा इसे पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क), जी नहीं। बिहार में जिला चतरा में, जिला और ब्लाक मुख्यालयों में तार और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार में 143 स्थानों पर, विभाग के पास भूमि है लेकिन डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं क्योंकि विभाग द्वारा अभी भवनों का निर्माण किया जाना है। डाक विभाग विभागेतर शाखा डाकघरों को आवास उपलब्ध नहीं कराता। जिन 143 स्थानों पर ये भूखण्ड अवस्थित हैं, उनके नामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च). धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

## दिल्ली पुलिस

386. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत महीनों के दौरान दिल्ली में कुछ पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो 1996 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली पुलिस कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। पिछले 6 महीनों के दौरान, 1.8.95 से 31.1.96 तक, 18 पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके खिलाफ 15, आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अवधि के दौरान 200 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया।

रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं:–

(i) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए

| निरीक्षक | उप–निरीक्षक | सहायक उप–निरीक्षक | हैड कांस्टेब | कांस्टेबल |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

(ii) ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए

| निरीक्षक | उप–निरीक्षक | सहायक उप–निरीक्षक | हैड कांस्टेबल | कांस्टेबल |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 31 | 41 | 78 |

(ग) अपराधों में पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता को रोकने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस उन सभी मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित सख्त कार्रवाई कर रही है जहां, पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस, पुलिस कार्मिकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए, प्रारम्भिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, दोनों के ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन कर रही है। बल के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्पर्क सभाओं के माध्यम से ब्रीफ भी किया जाता है। वरिष्ठ

अधिकारियों तक जनता की पहुंच पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सतर्कता शाखा और भ्रष्टाचार–निरोध शाखा द्वारा संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले पुलिसकार्मिकों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जनता के साथ पुलिस कार्मिकों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अकस्मात जांच करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्च शक्ति प्राप्त टीम बनायी गयी हैं। गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, अपनी गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करने के लिए पुलिस स्टेशन के टेलीफोन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। एक केन्द्रीय निरीक्षण टीम दिन–रात कार्य करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों/चौकियों की अकस्मात जांच करती है कि कहीं किसी व्यक्ति को गैर–कानूनी रूप से निरुद्ध तो नहीं किया गया है। गलती करने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के आमतौर पर संतोषजनक परिणाम निकले।

[अनुवाद]

**भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह**

387. **श्री सनत कुमार मंडल :**
**श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1996 में नई दिल्ली में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ तथा इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ;

(ग) इस समारोह के दौरान क्या त्रूटियां पाई गईं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को आयोजित करने का भार फिल्म उद्योग को देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सोच के पीछे क्या उद्देश्य हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)** : (क) जी, हां।

(ख) 215 लाख रुपए का बजट मंजूर गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने भी समारोह के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया। समारोह एक प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप है और लाभ कमाने के उद्देश्य से इस पर व्यय नहीं किया जाता।

(ग) समारोह के दौरान कोई गंभीर त्रुटि नहीं पाई गई थी।

(घ) और (ङ). भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का कार्य फिल्म उद्योग को देने का प्रस्ताव है। तथापि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

**क्षेत्रीय सेवाओ हेतु प्रसारण अवधि**

388. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या दूरदर्शन पर क्षेत्रीय सेवाओं की प्रसारण अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम सईद):** (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन**

389. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन योजनाओं को और प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) और (ख). वर्ष 1990 से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा आयोजित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अध्ययनों, जिसमें गुजरात के कुछ चुनिन्दा जिले शामिल हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**वर्ष 1990 से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा आयोजित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अध्ययनों, जिनमें गुजरात के कुछ चुनिन्दा जिले भी शामिल हैं, की सूची**

1. पारम्परिक मछुआरों की जीवन–यापन परिस्थितियों पर फिशिंग हार्बर परियोजनाओं के प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट 1994

2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन–1993

3. जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का अध्ययन–(1980–90), 1994

4. शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम सम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन–अक्तूबर, 1990

5. नेहरू युवा केन्द्र स्कीम–एक तुरंत अध्ययन (1990–91)–मार्च, 1991

6. ग्रामीण प्रचालनात्म साक्षरता कार्यक्रम का अध्ययन (1985–86), 1991

7. इन्दिरा आवास योजना–एक तुरंत अध्ययन (1992–93)–1992

8. नृत्य नाटक तथा थिएटर समष्टि को वित्तीय सहायता का अध्ययन–एक तुरत अध्ययन (1993–94), 1994

9. सूखा–प्रवण क्षेत्र विकास (डीपीएपी) सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट, जनवरी 1995

10. सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण स्कीम सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट, फरवरी 1995

11. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एसटीईपी) सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट, 1995

[अनुवाद]

**नई कोयला खानें**

390. **श्री हरिन पाठक:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कहां–कहां कोयले की नई खानों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और वे कौन–कौन सी हैं;

(ख) क्या इन खानों के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) 20 करोड़ रू तथा इससे अधिक लागत की प्रत्येक 22 परियोजनाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1993–94 से 1995–96 (जनवरी, 1996 तक) तक को. इं. लि. तथा सिं. को. कं. लि. में आरंभ की गई है। इस खानों के नाम तथा उनके स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सिं. को. कं. लि. की पदमावती खानी भू–गत परियोजना के मामले में दो लांगवाल सैट आपूर्तिकर्ता की साख के अंतर्गत मैसर्स चीन नेशनल कोल माइनिंग इंजीनियरिंग इक्युपमेंट (ग्रुप) कारपोरेशन (सी. एच. ई.) चीन से खरीदे गए हैं। इसके अतिरिक्त, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए लांगवाल फेज के 4 सैट आपूर्तिकर्ता के साख के अंतर्गत सी. एम. ई. चीन से खरीदे जा रहे हैं।

1. चुर्चा वेस्ट (पी. एस. एल. डब्लू.) भू–गत

2. बलरामपुर (पी. एस. एल. डब्लू.) भू–गत

3. न्यू कुम्दा (पी. एस. एल. डब्लू.) भू–गत

4. राजेन्द्र (पी. एस. एल. डब्लू.) आर. पी. आर. भूमगत

**विवरण**

| क्र.स. | परियोजना | कंपनी | राज्य | स्वीकृति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सस्ती आर. ओ. भूमिगत | वेकोलि | महाराष्ट्र | अप्रैल, 1993 |
| 2. | दुग्गा ओपनकास्ट | साईकोलि | मध्य प्रदेश | अप्रैल, 1993 |
| 3. | सोमना भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | अप्रैल, 1993 |
| 4. | मेडापल्ली ओपेनकास्ट | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | अप्रैल, 1993 |
| 5. | पदमाक्ती खानी भूमिगत | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | अप्रैल, 1994 |
| 6. | बेहराबंद भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | मई, 1994 |
| 7. | उरीमारी ओपनकास्ट | सेकोलि | बिहार | अगस्त, 1994 |

| क्र.सं. | परियोजना | कंपनी | राज्य | स्वीकृति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 8. | राजेन्द्र पीएसएलडब्लू आरपीआर भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | दिसम्बर, 1994 |
| 9. | बलरामपुर पीएसएलडब्लू विस्ता. भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | दिसम्बर, 1994 |
| 10. | चुर्चा वेस्ट पीएसएलडब्लू भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | दिसम्बर, 1994 |
| 11. | न्यू कुम्दा (पीएसएलडब्लू) भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | दिसम्बर, 1994 |
| 12. | अशोक (फेस–1) ओपनकास्ट | सेकोलि | बिहार | दिसम्बर, 1994 |
| 13. | मुगोली ओपेनकास्ट | वेकोलि | महाराष्ट्र | जनवरी, 1995 |
| 14. | समगम ओपनकास्ट विस्ता. | सेकोलि | बिहार | फरवरी, 1995 |
| 15. | तलवासा ओपेनकास्ट | वेकोलि | महाराष्ट्र | फरवरी, 1995 |
| 16. | शीतलधारा भूमिगत | साईकोलि | मध्य प्रदेश | मई, 1995 |
| 17. | बोकारो बेरमो सीम ओका | सेकोलि | बिहार | जुलाई, 1995 |
| 18. | गौतमखानी ओपेनकास्ट | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | जून, 1995 |
| 19. | केकेटी–8 इन्क्साइन | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | फरवरी, 1995 |
| 20. | वीके–7 बीजी | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | जुलाई, 1995 |
| 21. | रवीन्द्र खानी न्यू टैक. भू. ग. | सिंकोकंलि | आंध्र प्रदेश | दिसम्बर, 1995 |
| 22. | के. डी. हेसलांग ओ. का. विस्ता. | सेकोलि | बिहार | दिसम्बर, 1995 |

टिप्पणीः सेकोलि = सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., वेकोलि = वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., साईकोलि = साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सिंकोकंलि =सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड

**बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ सीमा शुल्क चौकी का निर्माण**

391. **श्री माणिकराव होडल्या गावीतः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेघालय के डावकी क्षेत्र में सीमा–शुल्क चौकी के निर्माण को स्थापित किए जाने के साथ बांग्लादेश सीमा के साथ तनाव समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन):** (क) और (ख). मेघालय में डावकी क्षेत्र में सीमा–शुल्क चौकी के निर्माण कार्य को लेकर तनाव व्याप्त होने की रिपोर्टें मिली हैं। बताया गया है कि बंगलादेश राईफल ने इस आधार पर इस कार्य का विरोध किया कि निर्माण कार्य प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किया जा रहा है। 16 जनवरी, 1996 को बंगलादेश राईफल ने गोलियां चलायी। सीमा सुरक्षा बल ने नागरिकों के हताहत होने के डर से गोलियों का जबाब नहीं दिया। इस मामले को राजनयिक माध्यम से उठाया गया है। सीमा पर स्थिति नियंत्राधीन बतायी गयी है।

**कोयले की सप्लाई**

392. **श्री हरिलाल नगजी पटेलः** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात सरकार ने विद्युत संयंत्रों में खपत हेतु कोयले की सप्लाई के लिए कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मांग की तुलना में इसे प्रतिवर्ष कितने कोयले की सप्लाई की गई; और

(ग) विद्युत संयंत्रों को कोयले की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)**: (क) कोयले की मांग संबंधित विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) से की जाती है। स्थाई संयोजन समिति (अल्प–कालीन) कोयले की उपलब्धता तथा परिवहन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए के. वि. प्रा. द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक विद्युत गृहों के मामले में तिमाही संयोजन का नियतन करती है।

(ख) गुजरात में विद्युत गृहों को संयोजन की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति नीचे दर्शायी गई है:–

(आंकड़े अनन्तिम) (आंकड़े 000 टन में)

| वर्ष | संयोजन | आपूर्ति |
|---|---|---|
| 1995–96 (जनवरी, 96 तक) | 12610 | 11489 |
| 1994–95 | 15675 | 12854 |
| 1993–94 | 14325 | 12646 |

(ग) विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निकटतम समन्वय रखा जाता है। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति का अन्तर–मंत्रालयीय समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो, कोयला आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित उपर्युक्त कदम उठाए जाते हैं। गुजरात के विद्युत संयंत्रों का आयात का भी विकल्प उपलब्ध है।

[हिन्दी]

## हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस एजेन्सियां

393. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पर्वतीय राज्यों में रसोई गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) उन स्थानों का क्या ब्यौरा है जिनके लिए गत एक वर्ष के दौरान अधिसूचना जारी की गई थी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)**: (क) तेल उद्योग द्वारा अपने बलबूते पर किए गए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर और साथ ही सरकार के सुझाव पर व्यवहार्यता मानकों को पूरा करने वाले स्थानों को पहाड़ी क्षत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में खुदरा बिक्री केन्द्र और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए समय–समय पर विपणन योजना में शामिल किया जाता है। तदनुसार 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 1191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को वर्तमान विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश के लिए 18 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 2 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1995 के दौरान एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में निम्नानुसार विज्ञापन दिया गया:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | खुदरा बिक्री केन्द्र | सकोह |
| (ii) | एल पी जी | परवान (पिछली योजना)<br>शिमला<br>मण्डी |

[अनुवाद]

## क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन

394. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बंगलौर दूरदर्शन पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय कन्नड़ समाचार बुलेटिन हेतु कितना समय आबंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि समय की कमी के कारण संपूर्ण राज्य के समाचार प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)**: (क) जी, पन्द्रह मिनट।

(ख) और (ग). केन्द्र द्वारा उपलब्ध समय में समाचार बुलेटिन में सम्पूर्ण राज्य की महत्वपूर्ण समाचारिक महत्व वाली खबरों को कवर करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में इसकी अवधि को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

**क्षेत्रीय उपग्रह टेलीविजन सेवा**

395. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय उपग्रह टेलीविजन सेवा निम्न शक्ति के कितने ट्रांसमीटरों से शुरू की गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) 496

(ख) और (ग). जी, हां। क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को रिले करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित 48 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उपग्रह के जरिए दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ से लिंक कर दिया है।

**तकनीकी संस्थानों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का प्रवेश**

396. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई. टी. आई. जैसे तकनीकी संस्थानों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण मानकों के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) से (घ). तकनीकी संस्थाओं सहित शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अब तक कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

इस अवस्था में कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

**गुजरात में डाकघर**

397. **श्री दिलीप भाई संघाणी:**
**श्री हरिभाई पटेल:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उन गांवों का पता लगाने हेतु जहां डाक सुविधा नहीं है, कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र के सभी गांवों में डाक सुविधा प्रदान करने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सभी गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, सौराष्ट्र क्षेत्र के 3030 गांवों में इस समय डाकघर सुविधा नहीं है।

(ग) देश के पांच राज्यों में पंचायत संचार सेवा केन्द्र नामक एक योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, गुजरात सर्किल को 50 पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का लक्ष्य आबंटित किया गया है, जिन्हें ग्राम पंचायत वाले ऐसे गांवों में खोला जाएगा जिनमें अभी डाकघर नहीं है।

(घ) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सभी गांवों में डाकघर सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, डाकघर योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से हैं खोले जाते हैं, बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

[हिन्दी]

**दिल्ली में टेलीफोन बिल**

398. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ऐसे कई व्यक्तियों को टेलीफोन बिल प्राप्त हुए हैं जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन अब तक नहीं दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान ऐसे कितने लोगों को इस तरह के बिल प्राप्त हुए हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस की आपूर्ति में अनियमितताएं

399. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में रसोई गैस की आपूर्ति में अनियमितताओं जैसे होटलों/मिठाई की दुकानों को अवैध रूप से अतिरिक्त गैस सिलिंडरों की सप्लाई, रसोई गैस की कालाबाजारी, वितरकों एवं भारतीय तेल निगम के अधिकारियों की मिलीभगत वैध उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडरों की आपूर्ति में विलम्ब और नकद भुगतान कर स्वयं सिलिंडर ले जाने की योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दो रुपये की छूट न देने की जानकारी है; और

(ख) ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). अनैतिक तत्वों के माध्यम से अनधिकृत ग्राहकों द्वारा प्रयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों का विपणन किए जाने के कुछ मामले आई ओ सी के ध्यान में आए हैं। अब तक वैध ग्राहकों को रीफिल, सिलेंडरों की आपूर्ति में विलंब करने के बारे में अथवा अन्य अनियमितताओं के बारे में वितरकों के साथ आई ओ सी के पदाधिकारियों के टकराव का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से आई ओ सी को डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नकद दो और ले जाओ संबंधी छूट का भुगतान न करने की किसी शिकायत की रिपोर्ट नहीं मिली है।

डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नियमित निरीक्षण और रीफिल अंकेक्षण किये जाते हैं तथा जहां कहीं अनियमितताएं ध्यान में आती हैं वितरकों के विरुद्ध संशोधित विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में योजना लक्ष्य

400. डा. महादीपक सिंह शाक्य:
श्री नीतीश कुमार:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1996 के "बिजनैस स्टैंडर्ड" में "उत्तर प्रदेश में मिस प्लान टारगेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि आंवटित की गयी है; और

(च) अब तक कितनी धनराशि निर्मुक्त की गयी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) जहां तक संसाधन जुटाने पर आधारित लक्ष्यों का सम्बन्ध है, 1992-96 में (सतत् कीमतों पर) राज्य सरकार द्वारा केवल 56 प्रतिशत के लगभग लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।

(ग) संसाधन जुटाने में कमी वाले प्रमुख क्षेत्र, लघु बचतों को कम जुटा पाना, चालू राजस्व (बीएसआर) से बढ़ते हुए नकारात्मक शेष और एआरएम उपायों के माध्यम से कम अतिरिक्त संसाधन जुटा पा रहे हैं।

(घ) राज्य सरकार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है।

(ङ) उत्तर प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1991-92 की कीमतों पर 21000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(च) वार्षिक योजनाओं 1992-93 से 1995-96 के सम्बन्ध में (चालू कीमतों पर) अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

| वर्ष | अनुमोदित परिव्यय |
|---|---|
| 1992-93 | 3853.000 |
| 1993-94 | 4050.000 |
| 1994-95 | 4563.000 |
| 1995-96 | 5496.000 |

[अनुवाद]

**कोयला खानों का निजीकरण**

401. **श्री चित्त बसु:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

**मद्य निषेद लागू करने हेतु केन्द्रीय सहायता**

402. **श्री एन. जे. राठवा :**
**श्री रामकृष्ण कोंताला :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों की ओर से मद्य निषेध लागू किये जाने के कारण होने वाले राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता पाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) से (ग). दसवें वित्त आयोग ने भारत सरकार को नवम्बर, 1994 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट (1995–2000 के लिए) में यह बताया है कि इसने कुछ उत्तर–पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त कतिपय राज्यों जैसे गुजरात और तमिलनाडु तथा हाल ही में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की मद्य निषेध नीति पर विचार किया है। संबंधित राज्यों ने दसवें वित्त आयोग से इस संबंध में होने वाली हानि की क्षति पूर्ति किए जाने की जरूरत पर बल दिया है क्योंकि उन्होंने ये उपाय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के क्रम में किए है। दसवें वित्त आयोज ने राज्यों के राजस्व के आधार वर्ष प्राक्कलनों को राज्य की मद्यनिषेध नीति के इनके उत्पाद राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर समायोजित किया है और उसी आधार पर प्रस्तुत किया है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पूर्ण मद्यनिषेध के कारण उत्पाद राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से राज्य के लिए 100% क्षति पूर्ति का अनुरोध किया है, जो प्रतिवर्ष 1250 करोड़ रुपए और 1300 करोड़ रुपए के बीच बताया गया था।

1995–96 के लिए राज्य को वार्षिक योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जो 3159 करोड़ रू है और जिसमे राज्य के अपने संसाधनों से 91.09 करोड़ और केन्द्रीय सहायता के रूप में 3057.91 करोड़ रुपए है।

इस समय आन्ध्र प्रदेश में कुल मद्यनिषेध कार्यान्वित करने के लिए आगे केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की कोई वचनबद्धता नहीं है।

[अनुवाद]

**चकमा जनजाति के मामलों संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति**

403. **डा. एस. पी. यादव :**
**श्री श्रीकांत जेना :**
**श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में चकमा एवं हजांग जनजातियों के राजनीतिक मामलों की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें/दिए गए सुझावों की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी):** (क) से (ङ). जी हां, श्रीमान्। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग मुद्दों की पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल करने और की जाने वाली कार्रवाई का पता लगाने हेतु 26 दिसम्बर, 1995 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ग्रुप की स्थापना की गई थी। इस ग्रुप ने अपनी पहली बैठक 5 जनवरी, 1996 को की और एक अधिकारिक स्तरीय उप–समिति बनाई। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में चकमा शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय

मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर एक याचिका पर 9 जनवरी, 1996 को निर्णय दिया।

[हिन्दी]

**अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग**

404. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
**श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग का निर्णय करने और आरक्षण नीति को लागू के कार्य में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के बाद से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):** (क) केन्द्र सरकार के मामले में 'सम्पन्न वर्ग" निर्धारित करने संबंधी मानदंड कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्थापना (एस सी टी) को अनुसूची में उल्लिखित है।

राज्य सरकारों को "सम्पन्न वर्ग" के संबंध में मानदंड का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार स्वयं करना है।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

भारत सरकार ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची अधिसूचित कर दी है।

सरकार ने सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को छोड़ते हुए भारत सरकार के अधीन सिवल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में 27% आरक्षण का प्रावधान किया है। आरक्षण की योजना भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों की सीधी भर्ती में लागू की गई है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटे को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड में उसी प्रकार छूट प्रदान की है जैसा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में है।

सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों, जो अन्यथा पात्र हैं, के मामले में प्रयासों की संख्या सिविल सेवा परीक्षाओं में बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल करने संबंधी अनुरोधों और अधिक शामिल किए जाने तथा कम शामिल किए जाने संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने, उनका परीक्षण करने और उन पर सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है।

**दिल्ली में वाहनों हेतु गैस रीफिलिंग केन्द्र**

405. **श्री पंकज चौधरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वाहनों हेतु गैस रीफलिंग केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसे केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या है।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली में 6 संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) वितरण इकाइयां प्रचालनरत है। इनमें से चार इकाइयों को आपूर्ति ट्रक पर रखे हुए कासकेड़ों के माध्यम से की जाती है, जिनमें गैस गाजियाबाद में मदर-कंप्रेशर से भरी जाती है। बाकी दो इकाइयां आन-लाइन स्टेशन हैं, जिनमें पाइपलाइन से सीधे ही कंप्रेशर के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाती है। एक अन्य आन-लाइन वितरण इकाई की स्थापना की जा रही है।

(ग) और (घ). सी एन जी वितरण इकाइयां पहले से ही बम्बई और बड़ौदा में प्रचालनरत है। आगरा में भी 1996-97 तक आन-लाइन सी एन जी वितरण इकाइयों की स्थापना करने की योजना है।

[अनुवाद]

**समाचार एकत्र करने की दरें**

406. **श्री रवि राय:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्राधिकृत समाचार एजेंसियां और समाचार प्रेषक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई वर्षों से समाचार एजेंसियों और समाचार प्रेषकों द्वारा समचार एकत्र

करने की दरों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दरों के पुनरीक्षण के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)**: (क) और (ख). भारतीय प्रेस ट्रस्ट, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और एशिया न्यूज इंटरनेशनल को ग्राहक बनाने के अतिरिक्त, आकाशवाणी और दूरदर्शन अंशकालिक संवाददाताओं की सेवाएं भी लेते हैं और समाचार एकत्र करने के लिए समाचार एजेंसियों और फुटकर संवाददाताओं को सूचीबद्ध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## खुले मुहाने की खान से कोयला

407. **श्री नवल किशोर राय:**
**श्री नीतीश कुमार:**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल कोयला उत्पादन का 75 प्रतिशत खुले मुहाने की खानों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्षों के दौरान खुले मुहानों की खानों से कोयले के अधिकतम खनन के कारण इस क्षेत्र के कोयला भंडार में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में खुले मुहाने की कोयला खानों में कोयले की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ङ) इन भूमिगत कोयला खानों से कोयला नहीं निकाले जाने क्या कारण हैं; और

(च) भूमिगत कोयला खानों से कोयला खनन के तरीकों में क्या प्रगति हुई है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)**: (क) और (ख). जी, हां। कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) ने 1994-95 के दौरान किए गए 223.07 मि. ट. कुल उत्पादन की तुलना में ओपनकास्ट खानों से 167.46 मि. टन उत्पादन किया है।

(ग) और (घ). नए भंडारों को निरन्तर रूप में प्रमाणित किया जा रहा है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार को. इं. लि. के कमांड क्षेत्र में पता लगाए गए कुल 53.7 बिलियन टन भंडार में से लगभग 27 बिलियन टन वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा ओपनकास्ट खनन योग्य हैं।

(ङ) भू-गत खानों से कोयला उत्पादन की धीमी वृद्धि के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कठिन भू-खनन परिस्थितियां, जोकि उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रोक लगाती हैं।

(ii) भू-गत खानों से उत्पादन की उच्च लागत।

(च) भारतीय कोयला खानों में खनन की परम्परागत बोर्ड तथा पिल्लर प्रणाली अपनाई जाती है। किन्तु, नई प्रौद्योगिकियां जैसे लांगवाल खनन, विस्फोटन गैलरी, सील्ड माइनिंग आदि का देश में विभिन्न भू-गत कोयला खनन परियोजनाओं में उपयोग में लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

## पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

408. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल के तटीय क्षेत्रों में आर्थिक, शैक्षिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

## भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

409. **श्री श्रवण कुमार पटेल**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 27वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जनवरी 1996 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समारोह में प्रदर्शन हेतु "बैंडीट क्वीन" सहित चयन की

गई फीचर और गैर–फीचर हिन्दी फिल्मों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये गये है;

(घ) क्या समारोह में दिखाई जाने वाली फिल्मों को कोई पुरस्कार भी प्रदान किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समारोह के विभिन्न खण्डों में दिखाई गई फीचर और गैर–फीचर हिन्दी फिल्मों के ब्यौरे तथा उनके चयन के मानदंड संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण–I

(I) भारतीय पैनोरमा खंड

इस खंड के अंतर्गत फीचर और गैर–फीचर फिल्मों का चयन सरकार द्वारा विधिवत गठित चयन पैनलों द्वारा किया जाता है। समारोह के इस खंड में निम्नलिखित हिंदी फिल्में दिखायी गई थीं:

फीचर फिल्में

1. बैंडिट क्वीन
2. मम्मो
3. नसीम
4. टार्गेट

गैर–फीचर फिल्में

1. तत्व
2. फादर सन एंड होली वार (हिंदी/अंग्रेजी)
3. मेमोरिज ऑफ फ्योर हिंदी/अंग्रेजी)
4. रसयात्रा (हिंदी/अंग्रेजी)
5. स्टिल लाइफ (हिंदी/अंग्रेजी)
6. सोना माटी (हिंदी/अंग्रेजी)

(II) मुख्यधारा खण्ड

इस खंड के लिए 12 फीचर फिल्मों का चयन करने के लिए भारतीय फिल्म संघ एक चयन पैनल का गठन करता है। इस खंड के अंतर्गत प्रदर्शित हिंदी फिल्में ये थी:–

1. करण अर्जुन
2. राजा

(III) विरासत खण्ड

सिनेमा की शताब्दी मनाने के लिए समर्पित विरासत खंड हेतु एक समिति द्वारा चयनित सात भारतीय उच्च कोटि की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था जिसमें निम्न हिन्दी फिल्में शामिल थीं:–

1. विद्यापति
2. आदमी
3. चन्द्रलेखा
4. दो बीघा जमीन

(IV) प्रतियोगी खण्ड

इस खण्ड में 1.1.94 के पश्चात् एशियाई महिला निर्देशकों द्वारा निर्मित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। कुल 19 प्रविष्टयां प्राप्त हुई थीं जिनमें से निम्नलिखित दो हिंदी फिल्में थीं:

1. तत्व
2. पपीहा

विवरण–II

एशियाई महिला निर्देशकों के प्रतियोगी खण्ड में, निम्न पुरस्कार प्रदान किए गए थे:–

I. ली शाहोहांग द्वारा निर्मित चीनी फिल्म "ब्लश" को एशियाई महिला निर्देशक की श्रेष्ठ फिल्म हेतु स्वर्ण मयूर और 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

II. निंग यिग द्वारा निर्मित चीनी फिल्म "आन द बोट" को अत्यधिक प्रतिभाशाली एशियाई महिला निर्देशक हेतु रजत मयूर और 2.50 लाख रुपए के

नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

III. रजत मयूर और 2.50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार वाला विशेष ज्यूरी पुरस्कार ईरानी निर्देशक रक्शन बनी एतमाद की "द ब्ल्यू विल्ड" तथा लेबनान के लयला असफ टेंगराथ द्वारा निदेशित "द फ्रीडम गैंग" नामक दो फिल्मों को प्रदान किया गया।

**ओमान/ईरान से गैस का आयात**

410. **श्री राम कापसे:**
**श्री सनत कुमार मंडल:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान/ईरान के साथ प्राकृतिक गैस के आयात संबंधी विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं है कि किस समय तक यह चर्चाएं समाप्त होंगी।

**देश में जेल**

411. **श्री हरिन पाठक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के कुछ जेलों का दौरा किया और उन्हें गन्दा और मनुष्यों के रहने के लिए अनुपयुक्त पाया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यविधि की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी):** (क) और (ख). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश की कई जेलों का दौरा किया। आयोग ने पाया कि जिन जेलों का दौरा उन्होंने किया उनकी स्थिति भिन्न-भिन्न और जटिल है। जहां कुछ जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ है वहीं कुछ जेलें ऐसी थीं जिसका कम उपयोग हो रहा था। इसी प्रकार, आयोग ने जहां कुछ ऐसी जेलें भी देखीं जो असाधारण रूप से साफ-सुथरी थीं तथा जहां पर्याप्त भोजन दिया जाता था वहीं उसने अन्य बहुत ऐसी भी जेलें देखीं जो कि गन्दी थीं। प्रत्येक मामले में, आयोग ने जिन संस्थानों को देखा उनके संबंध में अपने विचार और सिफारिशें राज्य सरकारों को सीधे भेज दीं।

चूंकि "जेल" राज्य का विषय है, अतः जेल प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की अपने नियमों, विनियमों, प्रक्रिया और जेल मैनुअल के उपबंधों के अनुसार निपटाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों को जिम्मेदारी है। तथापि, देश में जेलों की स्थिति संतोषजनक से भी कम होने पर केन्द्र सरकार ने सदैव चिंता महसूस की है। जेलों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने, स्वास्थ्य और सफाई तथा सुरक्षा प्रबंधों इत्यादि के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण करने के लिए 1987 में एक योजना शुरू की थी तथा 1987-92 की अवधि के दौरान 45करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी। इस योजना को आठवीं योजना अवधि तक बढ़ा दिया गया है जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की आबंटन किया गया है।

**रसोई गैस कनेक्शन**

412. **श्री ए. चार्ल्स:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने व कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम में 1989 के बाद रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) उपरोक्त सभी आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार त्रिवेन्द्रम में 1989 से एल पी जी कनेक्शनों से संबंधित प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या 27626 है।

(ख) त्रिवेन्द्रम सहित पूरे देश में नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, नई ग्राहक नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, संबंधित क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध बकाया तथा इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, चरणबद्ध रूप से जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

**हिरासत में मौतें**

413. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में दिल्ली में हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन):** (क) से (ग). दिल्ली में 1996 में,

15.2.1996 तक, हिरासत में हुई मृत्यु का एक मामला सूचित किया गया।

2.1.1996 को, पुलिस स्टेशन महरौली के क्षेत्र में एक कार स्टीरियों और कैसेट्स चुराते हुए श्री इन्दाल नामक व्यक्ति को कार मालिक और उसके दोस्तों द्वारा पकड़ा गया। इन्दाल का साथी, चुरायी गयी वस्तुओं के साथ भागने में सफल हो गया जबकि इन्दाल पकड़ा गया और लोगों ने उसकी पिटाई की। थाना महरौली में भा. द. सं. की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। चिकित्सा जांच के बाद, जब मेडिकल आफिसर ने यह प्रमाणित किया कि इन्दाल ने शराब पी रखी है तो अभियुक्त को पुलिस स्टेशन महरौली में हवालात में भेजा दिया गया। जब उसने उल्टी की तो उसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाया गया, जहां उसे 3.1.1996 को मृत लाया गया घोषित किया गया।

सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (दक्षिणी) ने मरणोपरान्त जांच की और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में उन्होंने मेडीकल आफिसर सहित पारिस्थितिक साक्ष्य और साक्षियों के अभिसाक्ष्य पाए, जिससे पुलिस हिरासत में मौत होने का संदेह होता है और उन्होंने चार पुलिस अधिकारियों और दो व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की।

पुलिस स्टेशन, महरौली में भा. दं. सं. की धारा 304 के अन्तर्गत एक मामला प्र. सू. रिपोर्ट सं. 9/96 दर्ज किया गया। विभागीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

## कानपुर देहात में डाकघर

414. **श्री केशरी लालः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कानपुर देहात के सभी गांवों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाकघर योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

[अनुवाद]

## कोयले की चोरी

415. **श्री मोहन रावलेः** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दुलाई के दौरान कोयले की चोरी को रोकने के लिए कोई कारगर प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)**: (क) और (ख). कोयला कंपनियों का स्वामित्व कोयले का रेलवे वेगनों में लदान किए जाने के साथ समाप्त हो जाता है। कोयले की रास्ते (मार्ग) में चोरी को रोकना कैरियर/कानून संबंधी व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकारियों का सांविधिक दायित्व है। इसलिए कोयले की रास्ते में उठाईगिरी/चोरी रोकने का दायित्व वास्तविक रूप से, उनको निभाना चाहिए जिनका कि इससे सही रूप में संबंध है। किन्तु कोयला कंपनियां रेलवे तथा कानून संबंधी व्यवस्था लागू करने वाले अभिकरणों के साथ कोयले की रास्ते में चोरी/उठाईगिरी को रोकने में आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

## टेलीफोन कनेक्शन

416. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1995 के दौरान देश में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन दिए और इनमें से कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये, और

(ख) 31 दिसम्बर, 1995 तक प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे और उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जायेंगे?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) 1.1.1995 से 31.1.1995 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल 19,21,306 आवेदकों को पंजीकृत किया गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल 1994718 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में 25,09790 व्यक्ति दर्ज हैं। प्रतीक्षा सूची में दर्ज इन व्यक्तियों को 31.3.1997 तक टेलीफोन प्रदान किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, वर्ष 1997 तक समस्त देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग के प्रयासों के संपूरण हेतु निजी क्षेत्र को भी मूलभूत टेलीफोन सेवा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

## घटिया कोयले की आपूर्ति

417. **श्रीमती भावना चिखलियाः**
**डा. लाल बहादुर रावलः**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत दो वर्षों के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत केन्द्रों से घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण विद्युत उत्पादन में तेजी से कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) से (घ). अधिकांशतः तापीय विद्युत गृहों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में एवं सहमति प्राप्त गुणवत्ता में आपूर्ति की जा रही है, जिसके लिए उनके बायॅलरों को अभिकल्पित किया गया है। साधारणतः कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत, जिसकी विद्युत गृहों की आपूर्ति की जा रही है, कोयले में अवशिष्ट सामग्री होने तथा बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति किए जाने से संबंधित होती हैं। इन शिकायतों की प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर समीक्षा की जाती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को कम किए जाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम किए जाने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्न कदम उठाए जाते हैं— जैसाकि फीड–ब्रेकरों की स्थापना किया जाना, कोयले के लदान के समय पत्थरों को अलग किया जाना, बेहतर पर्यवेक्षण और उपभोक्ताओं को लदान स्थल पर उनके प्रतिनिधियों को तैनात किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना ताकि अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले का लदान किया जा सके।

[अनुवाद]

### डाक सामग्रियों का वितरण

418. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोशल ऑडिट पैनल ने डाक सामग्रियों के अंसतोषजनक वितरण के संबंध में कोई उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक सामग्रियों के वितरण को सुचारू बनाने हेतु कौन–कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) संचार मंत्रालय के सोशल ऑडिट पैनल ने डाक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की है:–

(ख) और (ग). सोशल ऑडिट पैनल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें और वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:–

1. **स्थानीय डाक वितरण में सुधार:**

सभी शहरों और बड़े कस्बों में स्थानीय पत्रों के लिए एक अलग प्रणाली है, जिसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय डाक को, पोस्ट किए जाने वाले दिन से, अगले कार्य–दिवस को वितरित किया जाए।

2. **डाक वितरण के लिए तथ्यपरक मानक निर्धारित करना:**

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय में परिवर्तन के उपरांत डाक–वितरण के मानकों की पुनरीक्षा की जाती है और जहां नियत होता है, संशोधन किया जाता है।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बैंगलूर से, इनमें से किसी भी शहर के लिए भेजी गई पिन कोड अंकित डाक का, उसे पोस्ट किए जाने वाले दिन से तीसरे कार्य दिवस के भीतर वितरण के लिए मैट्रो चैनल आरम्भ किया गया है। इसी प्रकार, दिल्ली व राज्य की राजधानियों तथा राज्य की राजधानियों व दिल्ली के बीच तथा हवाई मार्गों से जुड़े हुए शहरों के बीच पिन कोड अंकित डाक वितरण 3 से 4 दिन के भीतर किया जाता है। अंतर्राज्यीय, अन्तःराज्यीय और जिले के भीतर भेजी जाने वाली डाक को वितरण के लिए भी परीक्षण करके बनाए गए मानक हैं, बशर्ते कि कुछ विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों।

3. **डाक वितरण कर्मचारियों की संख्या में, विशेषरूप से कस्बों और शहरों के बाहरी क्षेत्रों के लिए वृद्धि करना:**

नई विकसित हुई कॉलोनियों को सेवा प्रदान कर रहे डाकघरों में वितरण प्रदान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नए पदों के सजृन पर लगे मौजूदा प्रतिबंध के कारण नए पदों के अभाव में, अन्य डाकघरों के फालतू कर्मचारियों की पुनः तैनाती की एक नियमित प्रक्रिया शुरू की गई है।

### सेलूलर फोन की कॉल दरें

419. **श्री एम. एम. लालजान बाशा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलूलर फोन की कॉल दरें काफी अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सेलूलर फोन की कॉल दरों में कटौती करने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) जी नहीं। सरकार द्वारा निर्धारित सेलूलर सचल टेलीफोन सेवा की अधिकतम दरें संलग्न विवरण में दी गई है। प्रतिस्पर्धा के माहौल को देखते हुए, सेवा प्रदाताओं को यह अनुमति है कि वे ग्राहकों से कम दर वसूल कर सकते हैं।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ख) उक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सेलुलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए अधिकतम शुल्क

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सेवा हेतु मासिक किराया | 156.00 रू. प्रति माह |
| 2. | प्रतिभूति जमा | 3000.00 रू |
| 3. | संस्थापना प्रभार | 1200.00 रू |
| 4. | काल प्रभार | |

4.1 सचल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कालें

10 सेकेंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार, तथा काल प्रभार जैसा कि स्थिर नेटवर्क की स्थानीय एस टी डी और आई एस डी कालों हेतु लागू है। एक ही सेलुलर सेवा क्षेत्र के भीतर सचल से सचल की जाने वाली कालों के लिए केवल एअर टाइम प्रभार ही लिए जाएंगे।

4.2 सचल उपभोक्ता को आने वाली कालें

10 सेकेंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एअर टाइम प्रभार लिए जाऐंगे। सचल उपभोक्ता से उस स्थिति में कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे यदि वह आवक काल में अपनी बातचीत 5 सेकेंड के भीतर पूरी कर लेता है।

5.0 दर संबंधी टिप्पणियां

5.1 सचल उपभोक्ताओं की कॉल की अवधि एयर टाइम आधार पर होगी।

5.2 एअर टाइम यूनिट कॉल के प्रभार दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क की उच्चतम स्लैब में लागू यूनिट दर (वर्तमान दर 1.40 रू.) से लिए जाएंगे। सभी कॉलों के लिए यूनिट दर उपरोक्त अनुसार लागू होगी, और इसके लिए कॉलों के लिए कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं होगी।

5.3 व्यस्ततम समय के दौरान एअर टाइम के लिए कॉल प्रभार, उक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों के दुगने से अधिक नहीं होंगे। व्यस्ततम समय प्रति दिन चार घंटों से अधिक नहीं होगा। व्यस्ततम समय के दौरान, व्यस्ततम समय और एअर टाइम के कॉल प्रभारों का निर्धारण लाइसेंस धारक द्वारा दूरसंचार प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा।

5.4 रविवार के दिन और 3 राष्ट्रीय अवकाश के दिवसों (15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर) में एअर टाइम के लिए काल प्रभार उक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से आधे होंगे।

5.5. सचल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क में की जाने वाली कॉलों के लिए, लाइसेंस धारक सचल उपभोक्ता से काल करने के समय और दिन के अनुसार, दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कालों का यूनिट दर दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क की उच्चतम स्लैब दर (वर्तमान दर 1.40 रू.) होगी। सभी कॉलों की यूनिट दर उपर्युक्त के अनुसार लागू होंगी और इसके लिए कोई टेलीस्कोसिक दरें नहीं होगी।

5.6 एअर टाइम के लिए कोई निःशुल्क काल नहीं दी जाएगी।

5.7 स्थिर नेटवर्क से सचल नेटवर्क में की जाने वाली कालों के लिए सचल उपभोक्ता से एअर टाइम प्रभार लिया जाएगा तथा दूरसंचार विभाग को सेल्यूलर आपरेटर को कोई काल शुल्क नहीं देना होगा। एयर टाइम प्रभार, से सेल्यूलर आपरेटर द्वारा वसूल किए जाएंगे।

5.8 सचल से सचल नेटवर्क के मामले में, कॉल करने वाले उपभोक्ता और कॉल की गई पार्टी, दोनों ही से प्रभार लिए जाएंगे।

6. शुल्क दर में कोई भी वृद्धि दूरसंचार प्राधिकरण और/या इसके उत्तराधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

7. किराए में, उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर (सचल हैण्डसैट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता अपना टर्मिनल उपस्कर कहीं से भी खरीद सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

420. श्री लाल बाबू रायः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में स्थापित कुछ कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)**: (क) से (ग). बिहार मे हजारीबाग, चाईबासा, घाटसिला, बक्सर तथा औरंगाबाद स्थित उन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को छोड़कर जो निर्धारित क्षमता की अपेक्षा कम क्षमता पर चलाए जा रहे हैं। अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटरों के समग्र कार्य निष्पादन को संतोषजनक बताया गया है। दूरदर्शन ने इन ट्रांसमीटरों के दोषों को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

## उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

421. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अभी तक कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदला गया है;

(ख) कित ने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जाना बाकी है; और

(ग) इनको कब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) उड़ीसा में अब तक 495 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है।

(ख) तीन क्रॉस–बार टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलने हेतु पैंडिंग है।

(ग) वर्ष 1996–97 के दौरान, तीन क्रॉस–बार एक्सचेंजों में से एक को इलेक्ट्रानिक में बदलने की योजना है और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, शेष दो को इलेक्ट्रॉनिक में बदल दिया जाएगा।

## प्राकृतिक गैस का अतिरिक्त आबंटन

422. **श्री रामकृष्ण कोंतालाः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जेगस्पाडु और काकिनाड़ा में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त मात्रा में प्राकृतिक गैस का आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है';

(ग) क्या उपरोक्त अनुरोध पर विचार किया गया है और इसे स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)**: (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने यह अनुरोध किया है कि दो विद्युत परियोजनाओं के लिए आबंटन को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 1.5 एम एम एस सी एम डी कर दिया जाए।

(ग) और घ). उपर्युक्त अनुरोध पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में उपलब्धता के लिए अनुमानित गैस का पूर्णतया आबंटन कर दिया गया है।

## दिल्ली से मेरठ के लिए स्थानीय कॉल सुविधा का विस्तार

423. **डा. लाल बहादुर रावलः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से नौएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए स्थानीय काल की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक सरकार दिल्ली से मेरठ के लिए उक्त सेवा का विस्तार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्थानीय कॉल का अर्थ है, एक ही एक्सचेंज प्रणाली के भीतर किसी उपभोक्ता की लाईन से किसी एक्सचेंज की दूसरी लाइन तक की गई कॉल। चूंकि मेरठ और दिल्ली दो अलग–अलग एक्सचेंज प्रणालियां हैं, अतः सरकार की नीति के अनुसार इन दोनों स्थानों के बीच स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है।

## एन. एम. एफ. डी. सी.

424. **श्री सैयद शहाबुद्दीनः** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (एन. एम. एफ. डी. सी.) के निदेशक मंडल के सदस्य कौन–कौन थे;

(ख) उपरोक्त तिथि को इस निगम की कुल साम्या (इक्विटी) पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी कितनी थी;

(ग) साम्या एवं कार्यकारी पूंजी में केन्द्र एवं राज्यों का राज्यवार तथा अन्य सरकारी एवं गैर–सरकारी निकायों के हिस्से का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) 1994–95 के दौरान कुल प्रशासनिक व्यय एवं 1995–96 के लिए प्रशासनिक बजट कितना था एवं अप्रैल–दिसम्बर, 1996 में कितना व्यय किया गया;

(ङ) लाभार्थियों को सीधे कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये और 31 दिसम्बर, 1995 तक कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए; और

(च) 31 दिसम्बर, 1995 तक विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितनी राशि अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निगम के कुल इक्विटी पूंजी तथा प्रचालन पूंजी उपरोक्त तिथि के अनुसार इस प्रकार थी:–

| | राशि (रुपए लाख में) |
|---|---|
| इक्वीटी पूंजी | 5,795.14 रुपए |
| प्रचालन पूंजी | 6,117.55 रुपए |

(ग) इक्वीटी पूंजी के आंकड़े

| | (रुपए लाख में) |
|---|---|
| केन्द्र सरकार | 5000.00 रुपए |
| उत्तर प्रदेश | 695.00 रुपए |
| केरल | 100.00 रुपए |
| प्रोत्साहकों के लिए प्रारम्भिक अंशदान | 14 रुपए |
| कुल | 5,795.14 रुपए |

प्रचालन पूंजी के आंकड़े

| | |
|---|---|
| चालू सम्पत्तियां | |
| नकद तथा बैंक शेष | 305.49 रुपए |
| ऋण तथा बैंक अग्रिम (तैयार देय सहित) | 2882.23 रुपए |
| बैंक में निवेश (तैयार देय सहित) | 2929.83 रुपए |
| | 6,117.55 रुपए |
| चालू देयता में से घटाई गई | 0.96 रुपए |
| | 6,116.59 रुपए |

(घ) कुल प्रशासनिक व्यय

| | |
|---|---|
| 1994–95 के दौरान | 3.29 लाख रुपए |
| 1995–96 के दौरान (बजट) के दौरान | 105.29 लाख रुपए |
| अप्रैल–दिसम्बर, 95 | 36.44 लाख रुपए |

(ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लाभार्थियों को सीधे ऋण नहीं देता है बल्कि यह राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से ऋण देता है। 31.12.95 तक 11,377 लाभार्थियों के लिए 31.32 करोड़ रुपए राज्य माध्यम एजेंसियों को वितरित करता है।

(च) विभिन्न राज्य माध्य एजेंसियों को 31.12.95 तक दी गई अग्रिम राशि इस प्रकार है:–

राज्यो के नाम

| | (रुपये लाख मे) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 98.00 रुपए |
| तमिलनाडु | 464.00 रुपए |
| केरल | 327.14 रुपए |
| कर्नाटक | 253.43 रुपए |
| उत्तर प्रदेश | 1376.41 रुपए |
| महाराष्ट्र | 582.95 रुपए |
| मध्य प्रदेश | 30.32 रुपए |
| कुल | 3132.25 रुपए |

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के निदेशकों की सूची

1. श्री मोहम्मद हिदायतउल्ला खान,
   अध्यक्ष, एन. एम. डी. एफ. सी. द्वारा
   मो. हसन आजाद, मकान न. 662, शेरशाह कालोनी, समनपुरा,
   राजा बाजार, पटना–800014.

2. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम लि., 746, सातवीं मंजिल, जवाहर भवन, लखनऊ।

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, इमाम हाऊस, वैस्ट बोरिंग कैनाल रोड़ पटना।

4. प्रबंध निदेशक, कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम, विश्ववैशर्या केन्द्र, 12वीं मंजिल मतिन टावर, डा. बी. आर. अम्बेडकर वीडी, बंगलौर–1

5. प्रबंध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, 4–1825/बी, लक्ष्मी स्टेट, जे. एन. रोड़ आबिदा, हैदराबाद–1

6. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पूनम चैम्बर, डा. एनीबेसन्ट रोड़, शिव सागर इस्टेट, वर्ली, बम्बई–18

7. प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 10/10 मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।

8. संयुक्त सचिव (एम. सी.), भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–1

9. श्री गुरूचरण सिंह, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली–55

## नई एल. पी. जी. एजेंसियां

425. **श्री जीवन शर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में एल. पी. जी. एजेंसियों के आबंटन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने एल. पी. जी. कनेक्शन प्रदान किये गये हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों सहित देश के विभिन्न भागों से और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। इनकी जांच तेल उद्योग के साथ विचार–विमर्श से की जाती है और व्यवहार्यता मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थान चरणबद्ध रूप से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए एल पी जी वितरण योजना में शामिल किए जाते हैं। तथापि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में एल पी जी का वितरण मैसर्स कुमाऊं मण्डल विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। मानदण्डों में ढील देते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में 2 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 29 विस्तार केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है:–

| | अल्मोड़ा | पिथौरागढ़ |
|---|---|---|
| 1993–94 | 2490 | 2270 |
| 1994–95 | 6752 | 7626 |
| 1995–96 (जनवरी, 1996 तक) | 6251 | 7554 |

[हिन्दी]

## कोयले का आबंटन

426. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल मांग की तुलना में वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96 के दौरान बिहार को आबंटित कोकिंग कोयले की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या राज्य की कोकिंग कोयले की मांग बढ़ रही है, जबकि राज्य को कोयले के आबंटन में लगातार कमी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) से (घ). इस संबंध में माननीय सदस्य का आशय बिहार राज्य में साफ्ट कोक के लिए घरेलू उपभोग की आपूर्ति किए जाने से संदर्भगत है। चूंकि साफ्ट कोक का उत्पादन वर्षों से गिरता जा रहा है, इसलिए प्रारंभिक रूप से नियतन उन राज्यों को किया जाता है, जहां कि साफ्ट कोक उत्पादित होता है नामतः बिहार तथा पश्चिम बंगाल। लघु मात्रा में निकटवर्ती राज्यों को भी नियतन किया जाता है। सिलकोक का नियतन किया जा रहा है ताकि साफ्ट कोक की कुल उपलब्धता तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घरेलू प्रयोजनार्थ "सिलकोक" का अप्रभावित रहे। 1992–93 से साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" का कुल नियतन विभिन्न राज्यों को स्थिर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" के बिहार को के प्रति माह नियतन की मात्रा निम्न प्रकार रही है:–

(000 टन में)

| 1993–94 दिसम्बर, 93 तक | जनवरी, 94 से दिसम्बर, 94 | | जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 | | अप्रैल, 95 से मार्च, 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साफ्ट कोक | साफ्ट कोक | सिलकोक | साफ्ट कोक | सिलकोक | साफ्ट कोक | सिलकोक |
| 60 | 40 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 |

घरेलू ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:–

(i) राज्य सरकारों से अपने राज्यों में "सिलकोक" के उपभोग को प्रचालित करने के लिए गंभीर प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। यह कोक धुंआरहित तथा घरेलू उपयोग के लिए अच्छा है तथा इसकी उच्च कैलोरिफिक क्षमता है, हालांकि इसकी साफ्ट कोक की तुलना में कीमत अधिक है।

(ii) कोल इंडिया लि. ने ब्रिकेट तथा विशेष धुंआरहित ईंधन (एल. एस. एफ.) के निर्माताओं के विभिन्न यूनिटों को संयोजन दिया है। इन यूनिटों द्वारा उत्पादित ब्रिकेट्स साफ्ट कोक के अच्छे विकल्प हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले में केवल 4 ऐसे एककों को संयोजन देने पर पहले लगी रोक को भी शिथिल किया है। राज्य सरकारों से इन एककों द्वारा ब्रिकेट्स के उत्पादन का प्रबोधन करने तथा ऐसे नए यूनिटों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुरोध किया गया है। ताकि कोयला आधारित घरेलू ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

**पेट्रोलियम के क्षेत्र में निवेश**

427. **श्रीमती वसुंधरा राजे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के संबंध में अनेक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो देशी तथा विदेशी दोनों ही कम्पनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति दिये जाने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**टेलीफोन कनेक्शन**

428. **श्री तारा सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने आपके मंत्रालय द्वारा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किये जाने के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) जी हां।

(ख) संसदीय स्थायी समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए उपर्युक्त मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए।

(ग) दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय लागू करने का निर्णय लिया है:–

(i) दीर्घकालिक अवधि के लिए तैयार किए गए प्रक्षेपाणों में विभिन्नता होने की संभावना को कम करने के लिए, मांग प्रक्षेपण वार्षिक आधार पर तैयार करना।

(ii) ऐसे शहरों में जहां टेलीफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है, एक ही साथ और परस्पर व्यापी विस्तार योजनाएं बनाना और योजना चक्र की अवधि को 6 माह तक रखने के लिए वरीयता देना।

(iii) सभी एस डी सी सी में विश्वसनीय संचारण सम्पर्क प्रदान करना और ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में संचार की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक एस एस ए मुख्यालय में पर्याप्त क्षमता के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करना। आशा है कि इस उपाय से ग्रामीण क्षेत्रों मे टेलीफोन की मांग बढ़ेगी।

**विद्युत/औद्योगिक परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति**

429. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपतटीय गैस क्षेत्रों से इस समय कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है; और

(ख) 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1995 की अवधि में गुजरात की विद्युत/औद्योगिक परियोजनाओं को पृथक-पृथक कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस आबंटित की गई तथा 1996 और 1997 के दौरान इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जायेगी।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)**: (क) अपतटीय क्षेत्रों से गैस की वर्तमान आपूर्ति लगभग 37 एम एम एस सी एम डी है।

(ख) गुजरात में 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1995 तक पहले आबंटित लगभग 21 एम एम एस सी एम डी गैस के अलावा 0.78 एम एम एस सी एम डी विद्युत परियोजना को आबंटित की गई थी तथा लगभग 1 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन औद्योगिक परियोजना को किया गया था। अनुमानित उपलब्ध गैस का पूर्णतया आबंटन किया जा चुका है। अतिरिक्त आबंटन गैस की उपलब्धता में सुधार होने पर ही किए जा सकते हैं।

**उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर**

430. **श्री हरिन पाठक**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष आल इंडिया रेडियो के उच्च शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर किन-किन स्थानों पर लगाये गए;

(ख) इन ट्रांसमीटरों ने राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया है तथा उनकी प्रसारण सीमा क्या है; और

(ग) चालू योजना की शेष अवधि के दौरान आल इंडिया रेडियों के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को किन- किन स्थानों पर लगाये जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)**: (क) और (ख). विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है

**विवरण-I**

पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.1.1993 से चालू किए गए उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर की शक्ति | अनुमानित क्षेत्र (कि. मी. में) उ. | द. | पू. | प. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **मी. वे. ट्रांसमीटर** | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 100 कि. वा. मी. वे. | 103 | 229 (द.प.) | | 97 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 100 कि. वा. मी. वे. | 135 | 35 | 65 | 125 |
| 3. | केरल | कालीकट | 100 कि. वा. मी.. वे. | 80 | 55 (द.प.) | 90 | |
| | | त्रिचूर | 100 कि. वा. मी. वे. | 65 | 125 | 90 | |
| 4. | उड़ीसा | जैपोर | 100 कि. वा. मी. वे. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | भवानीपटना | 200 कि. वा. मी. वे. | 135 | 135 | 135 | 135 |

| क्र. सं. | राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर की शक्ति | अनुमानित क्षेत्र (कि. मी. में) उ. | द. | पू. | प. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | तमिलनाडु | तुतीकोरिन* | 200 कि. वा. मी. वे.बाह्य सेवा | | | | |
| 2. | श्रा. वे. ट्रांसमीटर | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | (लगभग 500 कि. मी. रेडियस | | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 4. | कर्नाटक | बंगलौर | 500 कि. वा. (चार नग) | | बाह्य सेवा | | |
| 5. | केरल | त्रिवेन्द्रम | 50 कि. वा. | | लगभग 500 कि. मी. के रेडियस में | | |
| 6. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 7. | महाराष्ट्र | बम्बई | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 8. | मणिपुर | इम्फाल | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 9. | नागालैण्ड | कोहिमा | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 10. | राजस्थान | जयपुर | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 11. | तमिलनाडु | मद्रास | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 12. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | 50 कि. वा. श्रा. वे. | | –तदैव– | | |
| 13. | दिल्ली | दिल्ली | 50 कि. वा. श्रा. वे. (3 नग) | | घरेलू सेवा हेतु | | |
| 3. | एफ. एम. ट्रांसमीटर | | | | | | |
| 1. | बिहार | डाल्टनगंज | 10 कि. वा. एफ. एम. | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला | 10 कि. वा. एफ. एम. | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 3. | महाराष्ट्र | बम्बई | 10 कि. वा. एफ. एम. | 45 | 45 | 45 | ३ |
| 4. | राजस्थान | जैसलमेर | 10 कि. वा. एफ. एम. | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5. | तमिलनाडु | मद्रास | 10 कि. वा. एफ. एम. | 55 | 55 | ३ | 55 |

| क्र. सं. | राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर की शक्ति | अनुमानित क्षेत्र (कि. मी. में) उ. | द. | पू. | प. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | उत्तर प्रदेश | मसूरी | 10 कि. वा. एफ. एम. | 70 | 155 | 75 | 100 |
| 7. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | 10 कि. वा. एफ. एम. | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 8. | दिल्ली | दिल्ली | 10 कि. वा. एफ. एम. | 62 | 62 | 62 | 62 |

*समुद्र के अन्दर हमारी सीमाओं से परे कवरेज का विस्तार।

## विवरण–II

शेष अवधि के दौरान स्थापित उन्नयन किए जाने हेतु प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर की शक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | **मी. वे. ट्रांसमीटर** | | |
| 1. | असम | गुवाहाटी | 100 कि. वा. मी. वे. |
| 2. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 200 कि. वा. मी. वे. |
| 3. | केरल | अल्लेपी | 200 कि. वा. मी. वे. |
| 4. | मध्य प्रदेश | जगदलपुर | 100 कि. वा. मी. वे. |
| 5. | उड़ीसा | सम्बलपुर | 100 कि. वा. मी. वे. |
| 6. | पंजाब | जांलधर | 200 कि. वा. मी. वे. |
| 7. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | 100 कि. वा. मी. वे. |
| 8. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | 200 क. वा. मी. वे. |
| 2. | **शार्टवेव ट्रांसमीटर** | | |
| 1. | बिहार | रांची | 50 कि. वा. शा वे. |
| 2. | उड़ीसा | जैपोर | 50 कि. वा. शा. वे. |
| 3. | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | 250 कि. वा. शा. वे. (2 नग) |
| | | अलीगढ़ | 250 कि. वा. शा. वे. |

| क्र. सं. | राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर की शक्ति |
|---|---|---|---|
| 4. | पश्चिम बंगाल | कुर्सियांग | 50 कि. वा. शा. वे. |
| 5. | दिल्ली | दिल्ली | 250 कि. वा. शा. वे. ( 5 नग) |
| 6. | गोवा | पणजी | 250 कि. वा. शा. वे. (2 नग) |
| 3. | एफ. एम. ट्रंसमीटर | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| | | तिरुपति | 10. कि. वा. एफ. एम. |
| 2. | असम | गुवाहाटी | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 3. | गुजरात | अहमदाबाद | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 5. | कर्नाटक | बंगलौर | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 6. | केरल | त्रिवेन्द्रम | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| | | कोचीन | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 7. | मेघालय | शिलांग | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 8. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 9. | तमिलनाडु | नागरकोइल | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| | | कोडइकनाल | 10. कि. वा. एफ. एम. |
| | | कोयम्बतूर | 10. कि. वा. एफ. एम. |
| 10. | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| | | लखनऊ | 10 कि. वा. एफ. एम. |
| 11. | पश्चिम बंगाल | सिलीगुड़ी | 10 कि. वा. एफ. एम. |

**पूर्वोत्तर राज्यों में आई. एस. आई. की गतिविधियां**

431. **डा. के. वी. आर चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आई. एस. आई. की बढ़ी हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए "इंटरपोल" से सहायता लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी):** (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर में आतंकवादी एवं आपराधिक गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विधायी उपायों और राजनयिक पहलों सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। सोचे गए उपायों में से एक है – पूर्वोत्तर में आंतकवादी, हिंसक एवं आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार चोटी के कुछ आतंकवादी एवं अपराधी तत्वों जो कि भारत से बाहर अन्य देशों में बने रहने और आते–जाते रहने में सफल रहे हैं, के खिलाफ अन्य साथ–साथ इन्टरपोल के सहयोग से उचित कानूनी कार्रवाई करना।

**बलात्कार पीड़ितों पर कार्यशाला**

432. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 जनवरी, 1996 को दिल्ली में "विक्टिम्स आफ रेप इन्टरवेंशन एण्ड स्ट्रेटजीज" विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में क्या सुझाव दिये गये व क्या–क्या टिप्पणियां की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामस्न):** (क) से (ग). राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कानूनी मामलों पर गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक 19 और 23 जनवरी, 1996 को हुई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कार संबंधी कानूनों में विशेषज्ञ समिकित द्वारा सुझाए गए कतिपय संशोधन महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को सुदृढ़ बनाने में लाभदायक होंगे।

[हिन्दी]

**रसोई गैस कनेक्शन संबंधी प्रतिभूति**

433. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं से रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करते समय कितनी धनराशि प्रतिभूति जमा के रूप में एकत्र की जाती है;

(ख) इन संगठनों द्वारा इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या उपर्युक्त संगठनों द्वारा इस प्रतिभूति जमा पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने की बाध्यता होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (घ). तेल कंपनियां सभी नए कनेक्शनों और अतिरिक्त सिलेंडर के लिए 900 रूपए प्रति सिलेंडर और 100 रूपए प्रति रेगुलेटर की धनराशि प्रतिभूति जमा के रूप में लेती है। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रतिभूति जमा की दर 500 रूपए प्रति सिलेंडर और 50 रूपए प्रति रेगुलेटर है।

तेल कंपनियों द्वारा यह जमाराशि उपभोक्ता को उधार दिए गए एल पी जी उपस्कर के बदले में प्रतिभूति के रूप में ली जाती है और यह उस समय प्रतिदेय हो जाती है, जब यह उपस्कर लौटा दिया जाता है।

इस जमाराशि का उपयोग हर समय एल पी जी उपस्करों को पर्याप्त मात्रा में उपयोग योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा औसतन 1.5 सिलेंडर प्रति उपभोक्ता रखना आवश्यक है। इसलिए प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता।

[अनुवाद]

**टेलीकॉम डाइरेक्टरियों के प्रकाशन और वितरण का गैर–सरकारीकरण**

434. **श्री एस. एम. लालजान वाशा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टेलीकॉम डाइरेक्टरियों के प्रकाशन और वितरण का गैर–सरकारीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*विदेशी वस्तुओं की चोरी*

435. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार डाकघरों और संवितरण कार्यालयों (चैनलों) में विदेशी डाक प्रेषित वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए विगत में कोई "क्रेश अभियान" चलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकले?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) विदेश डाक वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) समूचे सर्किल में आकस्मिक विजिट्स करने के लिए डाक सर्किल मुख्यालयों में जांच दस्ते बनाए गए हैं।

Z पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा डाक वस्तुओं के पारेषण की सभी स्तरों पर नियमित मॉनीटरिंग करना निर्धारित किया गया है।

(iii) उन वितरण कर्मचारियों के कार्य पर बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा नजर रखी जाती है, जिन्हें विदेश -डाक वस्तुएं सौंपी जाती हैं।

(iv) चोरी के मामलों में शामिल पाये गए कर्मचारियों के खिलाफ, यदि कोई हों, अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है

(v) संदेहास्पद कर्मचारियों अथवा चोरी में शामिल पाए गए कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर पुनर्तैनात किया जाता है

(ख) डाक में पारेषण के दौरान और वितरण के दौरान डाक वस्तुओं की चोरी को रोकना एक अनवरत प्रक्रिया है। इसके लिए समूचे देश में, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, जांच दस्तों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है।

(ग) शुरू किए गए उपायों और उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विदेशी डाक वस्तुओं की चोरी/खोने के मामलों की संख्या निपटाई गई कुल विदेशी डाक वस्तुओं की संख्या की तुलना में अत्यंत अल्प पाई गई है।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में मेरठ में कम शक्ति वाले ट्रांसमिटर की स्थापना**

436. डा. लाल बहादुर रावत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस क्षेत्र में बेहतर ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मेरठ जिले को दिल्ली और मसूरी स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से पहले ही पर्याप्त टी. वी. सेवा प्राप्त है। इस क्षेत्र में टी. वी. सेवा का और अधिक विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

**कच्चे तेल का आयात**

437. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानत: कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा;

(ख) उक्त वर्ष के लिए आयातित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित लागत डालर और रुपये में कितनी-कितनी है;

(ग) इन वस्तुओं की कितनी मात्रा का लम्बी अवधि के ठेके के अंतर्गत आयात किया गया और कितनी मात्रा खुले बाजार से खरीदी गई; और

(घ) उक्त वर्ष के दौरान अप्रैल-दिसम्बर, 1995 के बीच हुए आयात के आधार पर सभी स्त्रोतों से आयातित कच्चे तेल की औसतन उठाई लागत डालर और रुपए में कितनी-कितनी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख). 1995-96 के दौरान आयात किए जाने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

मात्रा एम एम टी में
मूल्य करोड़ रुपए और मिलियन
अमरीकी डालर में

| | मात्रा | मूल्य | |
|---|---|---|---|
| | | रुपए | अमरीकी डालर |
| क्रूड | 26.85 | 11086 | 3288.3 |
| पेट्रोलियम उत्पाद | 20.041 | 12248 | 3634.3 |
| कुल | 46.891 | 23334 | 6922.6 |

(ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात तेल उत्पादक देशों के साथ सावधिक ठेकों और तत्स्थान खरीदों के माध्यम से किया जाता है। सावधिक ठेकों के माध्यम से आयातों को अधिकतम करने का सदैव प्रयास किया जाता है, ताकि यथासंभव सीमा तक आपूर्तियों की सुरक्षा रहे। तत्स्थान खरीद का निर्णय समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1995 की बीच की अवधि के दौरान सभी स्त्रोतों से आयातित क्रूड की भारित औसत लागत निम्नानुसार है:-

(अनंतिम)

| | दर/ एम टी (अमरीकी डालर में) | दर/एम टी (रुपए में) |
|---|---|---|
| कच्चा तेल | 120.68 | 4016.13 |

## टाडा के मामले

438. **श्री हरिन पाठक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समीक्षा समिति ने लम्बित टाडा मामलों के समीक्षा संबंधी कार्य को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समीक्षा के निष्कर्ष क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने समीक्षा समितियां गठित की हैं। इन समीक्षा समितियों की आवधिक रूप से बैठकें की जा रही हैं तथा मामलों की पुनरीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षित टाडा मामलों और टाडा के उपबधों से मुक्त किए गए व्यक्तियों का एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | पुनरीक्षित तथा या रद्द/वापस फाइल किए अथवा जिन मामलों में टाडा के उपबंध हटाए गए उनकी कुल संख्या | टाडा उपबंधों इत्यादि से मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 502 | 208 |

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | पुनरीक्षित तथा या रद्द/वापस फाइल किए अथवा जिन मामलों में टाडा के उपबंध हटाए गए उनकी कुल संख्या | टाडा उपबंधों इत्यादि से मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 15 |
| 3. | असम | 1844 | 2229 |
| 4. | बिहार | 59 | 754 |
| 5. | गुजरात | 310 | 708 |
| 6. | गोवा | – | – |
| 7. | हरियाणा | 67 | 47 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1 | – |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 4865 | 23 |
| 10. | कर्नाटक | 22 | 51 |
| 11. | केरल | – | – |
| 12. | मणिपुर | 537 | 92 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 134 | 90 |
| 14. | महाराष्ट्र | 339 (272) | 507 |
| 15. | मेघालय | 7 | – |
| 16. | पंजाब | 422 | 2819 |
| 17. | राजस्थान | 60 | 87 |
| 18. | तमिलनाडु | 16 | 51 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 201 | 376 |

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | पुनरीक्षित तथा या रद्द/वापस फाइल किए अथवा जिन मामलों में टाडा के उपबंध हटाए गए उनकी कुल संख्या | टाडा उपबंधों इत्यादि से मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 20. | पश्चिम बंगाल | – | – |
| 21. | चंडीगढ़ प्रशासन | 5 | 8 |
| 22. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 836 | 451 |
| | योग | 10176 | 8516 |

**दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

439. डा. के. वी. आर. चौधरी:
श्री पंकज चौधरी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्राधिकरण द्वारा कब से कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) राष्ट्रपति ने एक सावधिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के गठन हेतु 27.1.96 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

(ख) इस प्राधिकरण के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे और इसमें कम से कम दो तथा अधिक से अधिक चार सदस्य होंगे जिनका दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए तथा सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो, होगी और उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होगी। प्राधिकरण के कार्य कलापों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतः संबंध सुनिश्चित करना।

(ख) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था।

(ग) ग्राहकों के हितों की रक्षा।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा।

(ङ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच, दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के सर्किट प्रदान करने के लिए समयावधि निर्धारित और सुनिश्चित करना।

(च) दूरसंचार संवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्द्धा को सुसाध्य बनाना और कार्य को बढ़ावा देना ताकि ऐसी सेवाओं का विकास करना सुविधाजनक हो।

(छ) लाइसेंस शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ज) दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ निर्धारित करना और मूल्यविनियमन सुनिश्चित करना।

(झ) सार्वभौमिक सेवाओं की अनिवार्यताओं का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ञ) सेवा प्रदाताओं के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करना।

(ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी मामलों तथा सामान्य रूप में दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी भी अन्य मामले में सरकार को सलाह देना।

(ठ) विनियमों द्वारा यथानिर्धारित दरों पर ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क लगाना।

(ग) प्राधिकरण का कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

**भारतीय केबल आपरेटर संघ**

440. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह

ताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय केबल प्राधिकरण की स्थापना की मांग को लेकर नई दिल्ली में 27 अगस्त, 1993 को केबल टेलीविजन और उपग्रह प्रसारण के संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में क्या-क्या सुझाव दिये गये तथा टिप्पणियां की गईं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत के केबल टेलीविजन आपरेटरों ने भी केबल टी. वी. संचालन के नियंत्रण को और अधिक कारगर बनाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) और (ख). इस आशय की एक खबर सरकार के ध्यान में आयी थी। केन्द्रीय केबल प्राधिकरण की मांग करने के अतिरिक्त, उक्त सेमिनार में भाग लेने वालों ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1993 में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के गुणवत्ता पैरामीटर को विनिर्दिष्ट करने की भी मांग की थी।

(ग) संसद द्वारा यथापारित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में केन्द्रीय केबल प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, इसमें एक प्रावधान है जिसमें केबल आपरेटरों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने मौजूदा उपस्करों को उनकी स्थापना और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए बी. एस. आई. विनिर्देशनों के अनुरूप उनके प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के अन्दर बदल लें।

(घ) केबल टेलीविजन आपरेटरों ने अन्य बातों के साथ-साथ केबल डालने, केबल आपरेटरों को क्षेत्रवार लाइसेंस देने/विशेषाधिकार देने, केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करने, मनोरंजन कर के केन्द्रीयकरण तथा छोटे आपरेटरों एवं बड़े व्यावसायिक घरानों के बीच सहयोग से संबंधित कुछ सुझाव दिए हैं।

(ङ) सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है।

---

[हिन्दी]

12.01 म. प.

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, हमने एक नोटिस दिया है कि महाराष्ट्र सरकार ने मीईनोरिटीज कमिशन को तो खत्म किया ही है, श्री कृष्णा आयोग को भी खत्म कर दिया है। 1992 के बाद जो कम्युनल रॉयट्स हुए थे, उसमें खासकर शिवसेना और बी. जे. पी. के लोग थे, उनको बचाने के लिये यह किया गया है। इसके साथ-साथ वहां ह्यूमन राइटस का टोटली वॉयलेशन हो रहा है। औरंगाबाद से लेकर उस्मानाबाद तक का नाम बदला जा रहा है। बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई किया गया तो बात समझ में आती है लेकिन दलितों के लिए, माईनौरिटीज के लिए जो कौन्सटीटयूशनल गारन्टी है, नामांकन के बाद जिनका नाम नामांकन विरोधी में था, उस मुकदमें को भी वापिस करने का काम किया गया है। अभी महाराष्ट्र सदन के बाहर लोग श्री कृष्णा आयोग को रद्द करने के खिलाफ में बैठे हुए हैं।

होम मिनिस्टर यहां हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस तरीके से ह्यूमन राइटस का जो वॉयलेशन हो रहा है और दलितों के लिए जो कौन्सटीटयूशनल गारंटी है, जिसे वहां शिवसेना की सरकार खत्म कर रही है, यह बात इनकी नौलेज में है या नहीं। होम मिनिस्टर उसी प्रदेश से आते हैं और ये अपने प्रदेश में माईनौरिटीज़ और दलित लोगों की रक्षा नहीं करवा सकते तो पूरे देश में क्या करवाएंगे।

मेरा भारत सरकार पर सीधा चार्ज है, भारत सरकार सदन को बताए कि माईनौरिटीज़ की रक्षा के लिए और दलितों की रक्षा के लिए, जो महाराष्ट्र में खत्म किया जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): यह अत्यंत गम्भीर मामला है। इसमें मानवाधिकारों का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं। ऐसी व्यापक गैरकानूनी एवं आपराधिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इस आयोग को भी रद्द कर दिया गया है, जो मुकदमें की विषय वस्तु बन गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है। क्या आप इस मामले की जांच करवाने जा रहे हैं? आपके पास जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत भी ऐसी शक्तियां हैं। क्या आप इस मामले को बिना उचित जांच कराये ऐसे ही जाने देंगे। अतः, मैं इस विषय विशेष पर गृह मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया श्री मेघे जी।

[हिन्दी]

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी): अध्यक्ष जी, अभी पासवान जी ने जो कहा है,....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने श्री मेघे का नाम बोलने के लिए पुकारा है।

[हिन्दी]

**श्री दत्ता मेघे** (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जिस दिन से कांग्रेस की सरकार हारी है, उसी दिन से औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद के बारे में कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में आज सब जातिवाद का काम हो रहा है। उन्होंने श्री कृष्णा आयोग को बरखास्त कर दिया। इसके बारे में सब माईनौरिटीज में रोष है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के उकसाने पर उसे बरखास्त किया गया। यह बहुत सीरियस मैटर है। पूरे महाराष्ट्र में अभी तक यह बात नहीं हो रही थी।

मैं भारत सरकार का ध्यान माईनौरिटीज के हितों के बारे में दिलाना चाहता हूं।

दलित लोगों के जितने केसेज़ थे, वह केसेज भी विथड्रा करने का एकतरफा उन्होंने निर्णय ले लिया, वह गलत काम है। कांस्टीट्यूशन में जो वहां कानून था, उस कानून के खिलाफ जिन लोगों के मामले दर्ज किये थे, वह भी निकाल दिये। इसलिए मैं गृह मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस के ऊपर ख्याल करें।

श्री भोगेन्द्र झाः जो सवाल उठा है, राज्य सरकार समझ सकती है कि राज्य का आयोग था, हमने खत्म कर दिया, लेकिन यह मामला सारे देश का है और कुछ मामलों में मानवता का सवाल है, इसलिए तीन चीजों को मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी स्पष्ट करें। पहली बात–अभी तक इस आयोग ने जांच कुछ आंशिक रूप से की तो उसका क्या परिणाम था, जिसके चलते उसको भंग कर दिया गया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई? दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र सरकार करती है और राज्य के अधिकार का दावा है तो भारत सरकार उसी आयोग को जीवित करके भारत सरकार की ओर से जांच का काम पूरा करे और जो मुकदमें अत्याचार करने वालों के खिलाफ वापस लिये गये हैं, मैं चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार हमारे एट्रासिटीज के कानून के तहत दायर करें। मैं चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार अपने अधिकार में यह काम करती है तो केन्द्र इसमें दखल दे, चूंकि यह देशव्यापी मामला है, सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री इन्दरजीत गुप्त जी, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): हां, इस विषय का अधिकतर भाग श्री झा ने पूरा कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कार्यकारी आदेश अथवा कार्यकारी कार्यवाही द्वारा, कोई सरकार जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी जांच आयोग को समाप्त कर सकती है, जिसने कि अपने कार्य का प्रमुख भाग पहले ही पूरा कर लिया है तथा वह अपनी रिपोर्ट कुछेक महीने में देने वाला हो। मुझे बताया गया है कि विपक्ष के नेता ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है तथा वहइस आयोग को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे हमें उनके इस विषय पर विचार जानने में भी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदयः श्री कापसे जी, आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार जोकि भाजपा–शिवसेना की संयुक्त सरकार है–द्वारा की गई कार्रवाई अत्यंत क्रूर है। वे मानव अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के खिलाफ हैं। अब, उन्होंने श्रीकृष्ण जांच आयोग समाप्त कर दिया है। यह बहुत गलत बात है। उन्होंने हज समिति एवं अल्पसंख्यक आयोग भी रद्द कर दिया है। अब, वे अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम स्वीय विधि – जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई गारन्टी है कि अनइच्छुक मुसलमानों पर एक समान सिविल सहित लागू नहीं की जायेगी – एक बिल्कुल सुस्पष्ट समझौता है। जब ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है? यह शरीयत अर्थात मुस्लिम स्वीय विधि के विरुद्ध है तथा ऐसी सभी कार्यवाहियां हुई हैं।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): आप किस स्वीय विधि का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेटः यह मुस्लिम स्वीय विधि है। उन्होंने इस आशय के कानून पारित किये हैं कि हम एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकेत तथा यह कि हम दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। यह विधेयक राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए गया हुआ है। ये सभी बातें मुस्लिम स्वीय विधि में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हैं। यह धर्म का एक अंग है, यह धर्म से जुड़ा है। अल्पसंख्यक आयोग, हज समिति तथा श्रीकृष्ण जांच आयोग को रद्द करना हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों को प्रदान की गई मानवाधिकारों की गारन्टी की घोर उलंघना करना है। केन्द्रीय सरकार ऐसे चुप बैठी हुई है, जैसे कि उसने इस संबंध में कुछ किया ही न हो। हम इस मामले में अत्यधिक चिन्तित हैं। सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिये, ताकि हमें यह विदित हो सके कि केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है जो ऐसे कदाचार में संलिप्त है।

अध्यक्ष महोदयः श्री अहमद जी, कृपया अपनी बात जल्दी से ब्यान करें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रीकृष्ण आयोग को समाप्त करने के निर्णय से इस देश के प्रत्येक सही विचाराधारा रखने वाले नागरिक विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को गहरा धक्का लगा है। मुझे याद है कि मुम्बई घटना पर प्रश्न काल के दौरान भी गृह मंत्री महोदय ने इस सभा में यह कहते हुए आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग की कार्यवाही चल रही है तथा उन्होंने यह भी कहा था कि हमें जब तक यह आयोग महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके पश्चात ही भारत सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। लेकिन, अब श्रीकृष्ण जांच आयोग नाम की कोई चीज नहीं है। भारत सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है? संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए कुछ प्रावधान किये गये हैं। नियमानुसार इस वर्ग को प्रदत्त सामान्य से संरक्षण को राज्य सरकार ने इन्हें प्रदान नहीं किया है। राज्य सरकार ने एक संकल्पित निर्णय लिया है तथा यह घोषित भी किया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी प्रावधान हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, न केवल बम्बई का नाम परिवर्तित करके मुम्बई किया गया है, बल्कि मुस्लिम संस्थाओं एवं मुस्लिम दरगाहों के नाम बदले जाने पर भी विचार किया गया है। वे देश के इस वर्ग अर्थात अल्पसंख्यकों के इन धर्म सम्मत, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों छीन रहे हैं? अतः, भारत सरकार का यह दायित्व है कि

ह भारत के अल्पसंख्यक लोगों के संविधान में यथा–प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं कारगर कदम उठाये। हम केवल संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को यह संदेश देने के लिए आगे आयेगी कि भारत सरकार इस देश के अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गये मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के छीने जाने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे (वर्धा): महाराष्ट्र सरकार ने श्रीकृष्ण आयोग को खत्म कर दिया है, उसको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। उसके बारे में पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही गम्भीर प्रतिक्रिया हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां अल्पसंख्यक आयोग भी खत्म कर दिया है। उसका भी विरोध महाराष्ट्र में जगह–जगह हो रहा है। यह बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज): जब कृष्णा इन्क्वायरी कमीशन को खत्म किया तो मैंने वजीरे दाखिला को तवज्जोह दिलाई और उनको दो खत लिखे और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र की हुकुमत ने कहा है कि पैसे की कमी है इसलिए हम इसे नहीं चला सकते। मैंने यह अर्ज किया कि यह मरकजी हुकूमत का फर्ज है कि वह महाराष्ट्र की हुकुमत को कहे कि इस कमीशन को चलाये और आगे जो खर्चा होगा वह हम देंगे।

شری سیّد شہاب الدین "کشن گنج" : جب کرشنا انکوائری کمیشن کو ختم کیا گیا تھا تو میں نے وزیر داخلہ کو توجہہ دلائی اور ان کو دو خط لکھے اور انہیں بتایا کہ مہاراشٹر کی حکومت نے کہا ہے کہ پیسے کی کمی ہے اس لئے ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ مرکزی حکومت کا فرض ہے کہ مہاراشٹر کی حکومت کو کہے کہ اس کمیشن کو چلائے اور آگے جو خرچا ہوگا وہ ہم دینگے۔

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है, कुछ मुद्दे उठाये गये हैं तथा इस सभा को कुछ गलत जानकारी भी दी गई है। एक सदस्य ने यहां यह कहा है कि हज समिति को भी समाप्त कर दिया गया है। यह बात सही नहीं है; नई हज समिति नियुक्त की जा चुकी है तथा सभा को इस बात को नोट करना चाहिये कि इस सभा को गुमराह नहीं किया जाना चाहिये....(व्यवधान).. हमने अभी एक वर्ष का समय भी पूरा नहीं किया है। सरकार ने नई समिति गठित की है तथा जनता इस समिति से संतुष्ट है...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़): अल्पसंख्यक आयोग किस प्रयोजन के लिए गठित किया गया है। इस सभा को गुमराह मत कीजिये...(व्यवधान)

श्री राम कापसे: मैं यहां उठाए गए हरेक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब अन्य सदस्य बोल रहे है, तो कृपया आप चुप रहिये।

हमारा संघीय संविधान है। हमारा संघीय संविधान है तथा जहां तक संघीय संविधान का संबंध है, महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी आता था, वह उसने किया है। यहां उठाये गये मुद्दों के बारे में, मुझे वास्तव में ही खेद है कि कुछ सदस्यों ने यहां बम्बई शहर का नाम बदलने के बारे में मुद्दा उठाया है। यहां तक कि दो सदस्यों ने इस महानगर का नाम बम्बई से बदलकर मुम्बई करने का विरोध किया है। अतः, हमें ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। यदि उनकी सरकार को त्रिवेन्द्रम का नाम बदलने का अधिकार है, तो महाराष्ट्र सरकार को सभी बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई करने का अधिकार है। वास्तव में केन्द्र सरकार ने इस बात को स्वीकार करने में विलम्ब किया है, इसने अब इसे स्वीकार किया है। उन्हें यह कार्य बहुत पहले कर देना चाहिये था। महाराष्ट्र विधानमंडल इसके पक्ष में था; महाराष्ट्र की भूतपूर्व कांग्रेस (आई) सरकार इसके पक्ष में नही थी। हमने ऐसा लोगों की भावना के अनुरूप ही किया है तथा हम उन्हीं ही भावनाओं पर अडिग रहना चाहते है।

महोदय, जहां तक सांभाजीनगर अथवा किसी अन्य कोई ऐसा नाम रखने का संबंध है, जिससे कि भारत के लिए शर्मनाक हो, उस नाम को बदल दिया जाना चाहिये। औरंगजेब ने सांभाजीको मारा था। हम चाहते थे कि सांभाजीनगर का नाम सांभाजीनगर ही रखा जाए और लोगों ने यह बात मानली.....(व्यवधान) यह हमारा अधिकार है। ऐसा महाराष्ट्र सरकार के अधिकार के अन्तर्गत किया गया।... (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन: आप इतिहास में कहाँ तक जाओगे? आप कितना इतिहास पुनः लिखोगे? सांभाजी का औरंगाबाद से कोई लेना–देना नहीं है...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: मुस्लिम दरगाहों के नाम बदलने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का क्या हुआ? हाजी मलान का नाम बदलने की बात भी की गई है....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): महोदय, मामले का रुख बदला जा रहा है....(व्यवधान) हम श्रीकृष्ण जांच आयोग के बारे में चिन्तित है....(व्यवधान)

श्री राम कापसे: महोदय, जहां तक श्रीकृष्ण जांच आयोग का संबंध है, मुख्य मंत्री ने इसके बारे में समाचार पत्रों में कहा है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते करते हुए

यह कहा कि आयोग से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए आयोग को समाप्त कर दिया गया.....(व्यवधान)

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर): आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते ? हमने आपके विचार सुने हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप लोगों को हमने सुना। आप हमारी बात सुनिये।

[अनुवाद]

**श्री राम कापसे**: महोदय, अब यदि वापस लिये गये मामलों को लें, तो मैं श्री दत्ता मेघे, जिन्होंने इस मामले का उल्लेख किया, को यह याद दिलाना चाहूँगा कि वास्तव में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई मामलों का अध्ययन किये जाने, समीक्षा किये जाने और वापस लिये जाने की आवश्यकता है। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री के शब्द थे। यदि ऐसा किया गया तो यह ठीक बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं...(व्यवधान) जहां तक समान सिविल संहिता का संबंध है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

**डा. रमेश चन्द तोमर** (हापुड़): क्या इतना नहीं सुन सकते?

[अनुवाद]

**श्री राम विलास पासवान**: महोदय, हम सरकार की संवैधानिक बाध्यता जानना चाहते हैं.....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: श्री कापसे जी, कृपया संक्षेप में कहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक**: थोड़ा संयम रखिये। दूसरों की बात सुनने के लिए भी धैर्य होना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री राम कापसे**: महोदय मुझे और दो मामलों का उल्लेख करना है....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप मामला वार उल्लेख मत कीजिए। आपको बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखनी होगी।

**श्री राम कापसे**: महोदय, समान सिविल संहिता के बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है और हम उसे लागू करेंगे। अल्पसंख्यकों के मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचायी जाएगी। मानवीय ढंग से व्यवहार किया जाएगा। हम मानव अधिकार आयोग के साथ हैं अल्प संख्यक आयोग के साथ नहीं...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: श्री नाईक जी, कृपया संक्षेप में कहिए।

**श्री राम विलास पासवान**: महोदय, हम गृह मंत्री से उत्तर चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय**: मैं उनको एक अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक**: यह इश्यू बन गया है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय**: कृपया अपनी बात को मामला–वार मत रखिए।

**श्री राम नाईक**: देखिये, हमने माइनोरिटी कमीशन कैंसिल कर दिया गाथा और उसके बदले ह्यूमन राइट्स कमीशन नियुक्त किया है। एक और बात है। वहां हमारी सरकार को एक साल अब पूरा होगा। एक साल में एक भी हिन्दू–मुसलमान दंगा, झगड़ा कहीं पर भी नहीं हुआ है।....(व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील**: दंगा करने वाले तुम सब लोग सत्ता में बैठे हो।.... (व्यवधान)

**श्री राम नाईक**: प्रधान मंत्री जो को कह दीजिए चुनाव घोषित करने के लिए.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय**: श्री नाईक जी, कृपया आप बैठ जाईए।

**श्री राम नाईक**: महोदय, उनकी इतनी हिम्मत कि...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाईये।

**श्री एस. बी. चव्हाण**: महोदय, शून्य काल के दौरान दो अथवा तीन मुद्दे उठाये गये हैं। मैं बिना कोई सूचना दिये और संबद्ध विभागों का नाम लिये बिना ही यहां पर उत्तर दे रहा हूं इसलिए यदि इसमें कानूनी अथवा संवैधानिक मामले शामिल हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मुझे इस पर उत्तर देना होगा तो मैं विधि मंत्रालय से परामर्श करूंगा क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक मामले शामिल हैं। अतः मुझे सम्पूर्ण मामला प्रथम दृष्टया लगता है।

महोदय, जहां तक श्रीकृष्ण आयोग की बात है मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आयोग को समाप्त करना महाराष्ट्र सरकार की एक भूल है। इससे उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी अथवा नहीं, इस विषय पर आयोग गठित करते समय विचार किया जाना चाहिए था। जांच का कार्य पूरा होने के समय यह कहना कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, यह बात

असंगत लगती है। संभवतः मैं यह नहीं कह सकता कि आयोग को समाप्त करने का एक कारण संसाधनों की कमी भी होगी।

**एक माननीय सदस्यः** महोदय, ऐसा किसी ने नहीं कहा।

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** ऐसी बात नहीं है।

**श्री एस. बी. चव्हाणः** महोदय, मुझे यह जांच करवानी होगी कि क्या भारत सरकार द्वारा उसी आयोग को पुनः स्थापित किया जा सकता है अथवा भारत सरकार को अपना एक अलग आयोग स्थापित करना पड़ेगा। जब तक मैं विधि मंत्रालय से बातचीत नहीं कर लेता तब तक उस मुद्दे पर उत्तर देना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। अल्प संख्यक आयोग को समाप्त करने के बारे में जो बात उठाई गई थी, उसके बारे में माननीय सदस्य श्री नाईक जी को कहते हुए प्रसन्नता हुई कि उन्होंने एक व्यापक आयोग गठित किया है। मुझे विश्वास है कि वह इस तथ्य को जानते होंगे कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग भी हैं। अतः यह कहना कि नया आयोग व्यापक है, यह मात्र एक बहाना लगता है।

**श्री राम कापसेः** यह हमारी नीति है...(व्यवधान)

**श्री एस. बी. चव्हाणः** मैंने सब कुछ सुना है। यदि मैंने कोई बात नहीं सुनी है तो मेरी सूचना में ला दीजिए। मैं निश्चित ही जहां तक सम्भव हो सके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि महाराष्ट्र में अल्प संख्यक आयोग के होने की निश्चित रूप से आवश्यकता है और यदि महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से अनुरोध करूंगा कि यहां पर एक शाखा खोलें। हमें यह देखना होगा कि वे उस क्षेत्र में आयोग की एक शाखा खोलें और मामले पर ध्यान दें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि कोई अत्याचार तो नहीं किये गये और इस संबंध में कोई उचित दावे तो नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसा कुछ है जो संघीय स्वरूप के खिलाफ जाता हो। ये मूल मामले हैं और सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके इस संबंध में कार्य करना चाहिए। इस राज्य सरकार को भी यह हड़बड़ी वाली कार्रवाई करने से पहले हमसे परामर्श करना चाहिए था। परन्तु, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अल्पसंख्यकों को वैध अधिकारों के नहीं दिये जाने के बारे में काफी शिकायतें हैं। यदि इस भावना को मिटाना है तो इसका एक ही उपाय है और वह है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। उन्हें महाराष्ट्र में एक शाखा खोलनी चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार हर तरह की सहायता देगी। (व्यवधान) मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अल्पसंख्यक विकास निगम के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार ने यह कैसा दृष्टिकोण अपनाया? यह एक विकास निगम है जो कि....(व्यवधान)

**श्री पी. सी. थामस** (मुवतुपुजा)**:** वे लोग मानव अधिकार विकास निगम भी शुरु करेंगे। (व्यवधान)

**श्री एस. बी. चव्हाणः** मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं नहीं समझता कि ऐसी नीति हो सकती है...(व्यवधान)

**श्री राम कापसेः** यह मुद्दा नहीं उठाया गया था। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप उनको बोलने से नहीं रोकेंगे। उन्हें बोलने दीजिए। वह एक सुझाव दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री एस. बी. चव्हाणः** मुझे विश्वास है विपक्ष के माननीय नेता यहां पर उपस्थित हैं भाजपा की यह नीति नहीं हो सकती है कि अल्प संख्यकों के लिए जो भी लाभदायक होगा, उसे जारी नहीं रहने दिया जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसी आपकी नीति होगी। परन्तु आपकी नीति के विपरीत ऐसा किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे। अन्यथा, भारत सरकार को भी अल्पसंख्यकों के हित में इस संबंध में भी कुछ करना होगा।

एक माननीय सदस्य, श्री दत्ता मेघे ने बताया – उनके नेता उन्हें यह कहते देखकर प्रसन्न हुए थे – कि जहां तक अत्याचार निवारण) अधिनियम का सम्बन्ध है, कई ऐसे मामले हैं, जिनकी संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी मामलों को वापस लेने पर पुनः विचार किया जाये। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्तः** 16,000 मामले वापिस लिये गये हैं।

**श्री एस. बी. चव्हाणः** यह विचार योग्य प्रश्न है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोगों की शिकायतों पर ध्यान दिये बगैर, अगर आप सभी मामले वापिस ले लेंगे तो इससे एक प्रकार से बिल्कुल गलत संदेश जायेगा कि आप सभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध हैं, जो अवश्य ही अत्याचार के शिकार हुए हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामविलास पासवानः** नामांतर के विरोध में जो केस था वह सब विदड्रा हो गया। ...(व्यवधान) परसों मुंबई बंद था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाणः** ये मामले ऐसे हैं जिनके संबंध में मैं यह नहीं कह सकता कि भारत सरकार को उन पर क्या कार्यवाही करनी है। लेकिन, प्रथम दृष्टया, मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ गलत किया जा रहा है, जिसे ठीक किये जाने की आवश्यकता है। पहले भी मेरा यही विचार था। इसीलिए, मैंने शुरु में ही कहा था कि उसमें कुछ कानूनी तथ्य सांविधानिक मुद्दे हैं। मुझे समुचित रूप से जांच-पड़ताल करनी होगी और उसके पश्चात जो कुछ किये जाने की आवश्यकता है, वह निश्चित रूप से सरकार द्वारा किया जायेगा।

**इन्द्रजीत गुप्तः** इससे पहले कि माननीय विपक्ष के नेता कुछ कहें, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने पहले भी उनसे यह पूछा था कि क्या यह सच है कि वह इस तर्क से सहमत हुए थे कि श्रीकृष्ण जांच आयोग को भंग करना गलत था? उन्होंने पहले कहा था कि यह गलत है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ)**:** अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह बात नहीं

भूलनी चाहिए कि महाराष्ट्र में विधान मंडल है और कम स कम कांग्रेस पार्टी तो है। मैं और पार्टियों का नहीं जानता हूँ कि वहां है या नहीं और अगर है तो कितनी शक्ति में है। मगर वहां कांग्रेस पार्टी है। देश का एक लिखित संविधान है। अगर कोई राज्य सरकार उस संविधान का उल्लंघन करती है तो यह गंभीर मामला है और केन्द्र उस पर दखल दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने जो कमिशन को समाप्त करने का कदम उठाया है उसके फैसले के खिलाफ अदालत में मामला है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता।

मुझे जो कहना चाहिये था मैने कह दिया।....(व्यवधान) लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि क्या प्रदेश की सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के मामले में भी निर्णय करने की छूट नहीं होगी? ...(व्यवधान)

**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** (कटिहार): नहीं।....(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**: अध्यक्ष जी, अगर इस बात को चुनौती दी जाएगी तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। .....(व्यवधान) महाराष्ट्र की सरकार आपको पसंद नहीं है क्योंकि आपकी इच्छा के खिलाफ चुनकर आई है। आप उसको एक दिन भी सहन करने को तैयार नहीं हैं। फिर भी भगवान के लिए संविधान के दायरे में आचरण कीजिए और थोड़े दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अगर महाराष्ट्र की सरकार सचमुच में गलत काम कर रही है तो उसे कटघरे में खड़ा कीजिए। ....(व्यवधान) लेकिन अगर सदन में इस तरह की बातें की जाएंगी जिससे महाराष्ट्र के लोगों को लगे कि हमने चुनाव में वोट तो किसी को दिया था और हमारे ऊपर राज कोई और कर रहा है, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय**: क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री एस. बी. चव्हाण**: महोदय, इसीलिए मैंने शुरु में ही कहा था कि जब तक कानूनी और सांविधानिक मुद्दों का समुचित अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक उन मुद्दों पर, जो उठाये गये हैं, तत्काल प्रतिक्रिया जाहिर करना मुश्किल होगा। लेकिन तथ्य यह है कि इस बात की बारीकी से जांच-पड़ताल संबंधित विधिक विभाग से कराई जानी चाहिये कि उन्होंने संविधान के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। मैं उन सीमाओं से परिचित हूं, जिनके भीतर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को काम करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संविधान का उल्लंघन न करें लेकिन साथ ही, अगर कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध काम करती हैं, तो कम से कम ऐसा करने से पहले उन्हें केन्द्रीय सरकार से इस बारे में परामर्श कर लेना चाहिये कि वह उस मामले में क्या करना चाहती है। अगर माननीय सदस्य की यह बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा "पर्सनल ला" में परिवर्तन करना प्रस्तावित है, तो भी कम से कम मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि इस मुद्दे पर सांविधानिक उपबन्ध स्पष्ट है। और कोई भी सरकार केवल उसी आधार पर उन मामलों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जिन्हें पर्सनल ला माना जाता है। इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि इसमें सच्चाई क्या है। (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य की बात ठीक है तो फिर निःसन्देह यह संविधान के उल्लंघन का मामला है। कम से कम, इस मामले में मुझे कोई शंका नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सैयद शहाबुद्दीन**: अल्पसंख्यक लोग भारत सरकार से संरक्षण चाहते हैं।

[हिन्दी]

**श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील**: हम देख लेंगे।

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर): आप चुनाव लड़कर आएं, फिर देखना।

**श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील**: वह भी देख लेंगे। ....(व्यवधान) हां-हां, देख लेंगे।

[अनुवाद]

**श्री एस. बी. चव्हाण**: मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का केन्द्र सरकार निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। (व्यवधान)

**श्री राम कापसे**: हमें यह कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: जोशी जी, कृपया शांत रहिये। आप एक अति महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वही मुद्दा उठा रहे हैं, जो आप उठाना चाहते थे।

**श्री अन्ना जोशी** (पुणे): मैंने यह बात लिखित में किसे दी है।

महोदय, इस वर्ष हम संत ज्ञानेश्वर द्वारा ली गई संजीवन समाधि की 700वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखकर भगवत गीता के संदेश को संस्कृत से मराठी भाषा तक पहुंचाया। यह पुस्तक भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के सम्बन्ध में हृदय को झंकृत करने वाले लेखों और टीका-टिप्पणियों के लिए अत्यन्त लोकप्रिय है। सन्त ज्ञानेश्वर ने 700 वर्ष पूर्व संजीवन समाधि लेकर छोटी सी आयु में ही अपना जीवन त्याग दिया। माननीय शंकर दयाल शर्मा जी महान राष्ट्रीय संत और दार्शनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उनकी 700वीं पुण्यतिथि वर्ष का उदघाटन करने व्यक्तिगत रूप से गये थे।

**अध्यक्ष महोदय**: आप इसे संक्षेप में क्यों नहीं बताते? इसको संक्षेप में बताइए। आपका वक्तव्य काफी प्रभावी है।

**श्री अन्ना जोशी**: हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि सन्त ज्ञानेश्वर के सम्मान में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी करे। संजीवन समाधि पुण्यतिथि वर्ष 8 दिसम्बर, 1995 से 7 दिसम्बर, 1996 तक मनाया जायेगा और इसीलिए, स्मृति डाक टिकट जारी करने के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्मृति डाक टिकट जारी करने के बारे में महाराष्ट्र के लोगों की मांग पूरी करते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करने का अनुरोध करता हूँ। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक**: ऐसे मामलों पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया जाता...(व्यवधान)

वे जवाब नहीं देंगे।

**अध्यक्ष महोदयः** क्या मैं इस प्रश्न पर बोल सकता हूँ। मैं सरकार से इस मामले में कुछ करने का अनुरोध करूंगा।

**श्री एस. बी. चव्हाणः** महोदय, हम इस पर विचार करेंगे।

**श्री थाइल जॉन अंजलोज़** (अलेप्पी)**:** महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल में 'जापान एनसेफैलाईटिस' नामक खतरनाक बीमारी के फैलने के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस घातक बीमारी से तीन सप्ताह में लगभग 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पच्चीस लोगों की हालत गंभीर है तथा विभिन्न मेडिकल कालेजों में उनका इलाज चल रहा है। इस दुःखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने तथा मृतक लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का अनुरोध करता हूं। सरकार को वहां चिकित्सा दल भी भेजना चाहिये और विशेषज्ञ दल को उपकरण और दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिये।

**श्री पी. सी. थामसः** महोदय, केरल सरकार ने भी यह मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र से वित्तीय सहायता प्रदान की जाये और विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुछ सहायता सहित जिसे भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कुछ तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाये।

**अध्यक्ष महोदयः** मैंने आपका नाम नहीं बोला। आपको संक्षेप में अपनी बात करनी चाहिए थी।

**कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण)**: महोदय, मैं आपका और आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और मैं समझती हूं कि यह सभा इस बारे में मेरे विचारों का एकमत से समर्थन करेगी कि स्कूल जाने वाले बच्चों का पाठ्यक्रम उन पर अत्यधिक भार हो गया है। यह केवल बच्चों के लिए ही नहीं है अपितु माता–पिता, समाज और देश के लिए भी यह सिरदर्द है जिसके फलस्वरूप गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। हाल के दस दिनों की अवधि में जब बच्चों पर पाठ्यक्रम का भार या अधिक दबाव डाला जा रहा था, वे आत्महत्या करने जा रहे थे। यदि आप परिणामों को देखेंगे तो आप पायेंगे कि इस वजह से पिछले वर्ष कई बच्चों ने आत्महत्या की थी। विभिन्न राज्यों में शिक्षा प्रणाली भिन्न–भिन्न है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी विस्तृत जांच करने के एक उच्चाधिकार समिति गठन करें ताकि मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से बच्चों पर पाठ्यक्रम की वजह से अधिक भार न पड़े और इस शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। मैं चाहती हूं कि एक समान शिक्षा प्रणाली हो। मैं भाषाओं की बात नहीं कर रही हूं। मैं पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की बात कर रही हूं ताकि बच्चों को विपत्ति में पड़ने से बचाया जा सके, महोदय, मेरे विचार से यह बहुत गम्भीर मामला है। शिक्षा विभाग से मंत्री श्री मुकुल वासनिक यहां उपस्थित हैं। अभी श्रीमती मारग्रेट आल्वा भी यहां उपस्थित हैं। मेरे विचार से उन्हें इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि बच्चों को आत्महत्या करने से बचाया जा सके और उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि शिक्षा उन पर भारस्वरूप है। और देश की भावी पीढ़ी को विपत्ति का सामना न करना पड़े।

महोदय, मेरे विचार से यह बहुत गम्भीर मामला है। पूरी सभा को मेरे विचारों का समर्थन करना चाहिए। बच्चों को इस भार से मुक्त होना चाहिए और उन्हें उन्मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध कर सकती हूं कि वे इस बारे में कुछ कहें, जिससे लाखों, करोड़ों लोग खुश होंगे। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदयः** इस तरह के महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामले पर, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि मैं कुछ कहूं। सरकार को इसकी उचित तरीके से जांच करने दी जाये।

**कुमारी ममता बनर्जीः** महोदय, सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। आपको यह मालूम नहीं है कि माता–पिता की क्या भावनाएं हैं....**(व्यवधान)**। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदयः** हां, यह गम्भीर मामला है।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र सिंह** (मिर्जापुर)**:** अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर है। वह एशिया का सबसे बड़ा कालीन का क्षेत्र है। वहां 5 लाख बुनकर काम करते हैं। वहां के कालीन निर्माताओं ने शम्भू नाम के बुनकर को जिन्दा दिन के समय जला दिया। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अपने क्षेत्र गया था। इसके बाद इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही हुई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हैं। मामले को दबाने के लिये सी. आई. डी. इनक्वायरी सेट–अप कर दी गई है। और सी. आई. डी. की जांच के बारे में यह जानकारी है कि मामले को लटकाने के लिये ऐसा किया जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि शम्भू हरिजन के परिजनों को मुआवजा दिया जाये और इस सारे मामले को मानवाधिकार आयोग के सुपुर्द किया जाये। जिन लोगों ने शम्भू हरिजन के ऊपर पैट्रोल डालकर जिन्दा जला दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। मेरा भारत सरकार से यह भी आग्रह है कि मामले को रफा–दफा करने के बजाय हरिजन के परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाने की पूरी व्यवस्था की जाये। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदयः** क्या कोई मंत्री उपस्थित है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदयः** मेरे विचार से हम इस पर एक वक्तव्य की आशा करते है

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदयः** हां, श्री कठेरिया

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया** (फिरोजाबाद)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

सरकार का ध्यान एक जरूरी मामले की ओर खींचना चाहता हूं। अभी हाल ही में देश के कई राज्यों में 24–25 फरवरी को भयंकर ओला वृष्टि हुई जिसमें करोड़ों रुपये की फसल के साथ–साथ आलू–अरई की पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। मेरा आग्रह है कि भारत सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे कि उसकी मानिटरिंग करके पूरी रिपोर्ट सरकार को दी जाये। इस संदर्भ में किसानों को पूरा मुआवजा देते हुये आबपाशी माफ की जाये।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदयः** श्री फातमी यह क्या हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मुझे आपकी सूचना भी नहीं मिली है।

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मामला हमारे इलाके का रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदयः** मुझे यह पता होना चाहिए कि वह क्या है जो आप उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः** अध्यक्ष जी, हमारे बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से पैट्रोलियम प्राडक्टस–पैट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल की कमी है। इस कारण ट्रांसपोरटेशन नहीं चल रहा है। दवा, खाने–पीने की चीजों की कमी हो रही है। यदि कभी कुछ मात्रा में ये चीजें पहुंचती भी हैं तो लोगों में मार–पीट हो जाती है। पैट्रोल पम्पों पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। सब पहले लेने के लिये लड़ाई करने लगते हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस क्रासिस को खत्म करने के लिये पैट्रोलियम मिनिस्ट्री कदम उठाये और मैं इसकी मांग करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदयः** वे इस बारे में विचार करेंगे।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैंने कहा कि वे इस बारे में पता करेंगे।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आपको कम से कम जो मैं कह रहा हूं उसे मानना चाहिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** कभी–कभी इससे अत्यंत परेशानी हो जाती है। कृपया वे इसकी जांच कराएं।

**श्री स्वरूप उपाध्याय** (तेजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल नौगांव जिले के लुम्डिंग कस्बे में इंदिरा कांग्रेस की सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में एक बम फेंका गया और ग्यारह व्यक्ति घायल हो गये। यह चुनाव का वर्ष है, राजनीतिक दल हर जगह सभाएं आयोजित करेंगे लेकिन बड़े असंतोष के साथ हमने देखा है कि राज्य सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। महोदया यही नहीं, 15–20 दिन पहले इंदिरा कांग्रेस के नेता, उनका राज्य अध्यक्ष की निर्दोष हत्या की गई थी और राज्य सरकार ने अपराधी को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नही की है। लोगों में यह भावना है कि इस प्रणाली में राज्य सरकार, इसकी असफलता, कर्तव्यों के प्रति इसकी अनदेखा और विपक्षी राजनीतिक दल को सुरक्षा प्रदान करने की अनिच्छा का परिणाम इस तरह के बम फेंकने और व्यक्तियों की हत्या करने में हुआ है। इसीलिए, मैं भारत सरकार के गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को बहुत गम्भीरता से लें और तत्काल कदम उठायें ताकि भविष्य में असम में इस तरह की घटनाएं न हों और राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराये जा सकें।

महोदय, हम राज्य सरकार की पुलिस के कार्य करने के ढंग से पूरी तरह असंतुष्ट है और हम महसूस करते हैं कि राज्य सरकार खुद सुरक्षा देने में असमर्थ है और विपक्षी राजनीतिक दल को सुरक्षा प्रदान करने की इच्छुक भी नहीं है।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलुबेरिया): अध्यक्ष महोदय, शायद प्रत्येक व्यक्ति की तरह आपको भी आज सुबह अखबार नहीं मिला था। कल पूरे देश में, अखबार उद्योग और पूरा पत्रकार समुदाय हड़ताल पर था।

**अध्यक्ष महोदयः** मेरे पास आपकी एक अलग सूचना है। यह मुद्दा कल उठाया गया था और जब सभा ने उसे उठाया था तो आपने इस पर बोला भी था, अब आप अपनी बात पर आयें।

**श्री हन्नान मोल्लाहः** महोदय, मैंने कार्यालय से सूचना भेजी थी।

**अध्यक्ष महोदयः** यदि आप भूल गये हैं तो यह आपके लिए कोई महत्व की बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): अध्यक्ष महध्य, मैं बहुत गम्भीर मामला उठा रहा हूं जो 17 दिसम्बर, 1995 को हुई घटना के बारे में है अर्थात पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में हथियार गिराने की घटना। मैं इस विषय पर भी पूर्ण बहस चाहता हूं।

महोदय, एक ए एन–26 विमान कराची से उड़ा और 17 दिसम्बर, 1995 को बनारस उतरा। कुछ घंटों बाद, यह हवाई जहाज ईंधन लेने के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरा। इसका गंतव्य स्थल म्यांमार में कहीं था। लेकिन वहां जाने के बजाय, यह मध्यरात्रि में पुरूलिया के ऊपर उड़ा और अत्याधुनिक हथियारों जैसे ए के–46, ए के–57, 9 एम एम का राकेट लोंचर, हथगोले, अन्य हथियार और गोलाबारूद से भरे तीन थैले गिराये।

जिस जगह ये हथियार गिराये गये थे, वह आनन्द मार्ग मुख्यालय के निकट है और आनन्द मार्ग के मुख्यालय के परिसर में जिसे आनन्द नगर भी कहते हैं, एक पैराशूट भी गिराया गया था। हमारे देश में एक विदेशी विमान को प्रवेश करने और बाद में वाराणसी, उसके बाद कलकत्ता में उतरने की अनुमति कैसे दी गई थी?

महोदय, हथियार को गिराने के पश्चात यह विमान थाईलैंड में पुखेट की ओर उड़ गया। उसके बाद, 22 दिसम्बर को मद्रास में उतरने और वहां से उड़ान भरने के बाद उस विमान को बीच में रोक दिया गया और मुम्बई हवाई अड्डे पर उसे जबरन उतारा गया। इस विमान के चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु उस विमान का पायलट भाग गया और वह अभी भी लापता है। इस संबंध में हमें सरकार के बयान की अपेक्षा थी। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संबंध में केवल एक ही वाक्य कहा गया। फिर भी हमें आशा थी कि गृह मंत्री पहले ही दिन ऐसी गम्भीर घटना के बारे में बयान देंगे। गृह राज्य मंत्री ने उन स्थानों का दौरा किया। लोक सभा सत्र के समापन के बाद, मैंने स्वयं उन स्थानों का दौरा किया है जहां पर हथियार गिराये गये थे। यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है। ऐसी घटना, न तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और न ही स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले घटी थी

हमारी मांग है कि इस पर पूर्ण चर्चा हो और सकार की ओर से बयान दिया जाए। हम इस संबंध में जांच की स्थिति के बारे में भी जानना चाहते हैं क्योंकि हमसे कहा गया है कि इस संबंध में सी. बी. आई. द्वारा जांच की जा रही है।

महोदय, इसमें आनन्दमार्गी भी शामिल हैं क्योंकि उनके मुख्यालय भवन के परिसर में हथियार गिराये गये थे। इससे पूर्व भी हमने इस सभा में इस बात की ओर संकेत किया था कि आनन्दमार्गी षड़यन्त्र रचते रहे हैं। एक बार वे श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी हत्या करना चाहते थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर भी हमला किया था।

अतः, हम सरकार की ओर से बयान की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि इस सभा में पूर्ण चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है जिसमें देश की सुरक्षा शामिल है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सभी रक्षा प्रतिष्ठान, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण, डी जी सी एयर कंट्रोल सिस्टम नाकाम कैसे हो गये।

**अध्यक्ष महोदय** श्री आचार्यजी, बाद में चर्चा करने के लिए भी आपको कुछ छोड़ना चाहिए।

**श्री वसुदेव आचार्य**: अतः हम चर्चा की मांग करते हैं और उस चर्चा को स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ही आयोजित करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय**: आपको उसकी मांग करने का अधिकार है।

**श्री बसुदेव आचार्य**: महोदय, हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। इसलिए, आपको पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय**: मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। मैं सरकार से बयान देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं और उस पर हम चर्चा करेंगे।

12.51 म.प.

[अनुवाद]

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभावना प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण आदि।**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)**: महोदय, मैं, श्री एस. बी. चव्हाण जी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (क) (एक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभावना प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9084/96]

(दो) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभावना प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेकापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9085/96]

(ख) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 और वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9086/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9087/96]

(3) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 29 दिसम्बर, 1995 को जारी विशेष आदेश, जिसके द्वारा मरम्मत और बिजली, आदि के लिए वर्ष 1995–96 के दौरान अतिरिक्त व्यय करने हेतु उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9088/96]

**योजना आयोग की वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)**: महोदय, मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से योजना आयोग की वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9089/96]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण आदि

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9090/96]

(ख) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9091/96]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1995, जो 26 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 696 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9092/96]

**फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया पुणे के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाएं तथा कार्यकरण की समीक्षा और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिटयूट आफ इंडिया, पूणे के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, पूणे के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9093/96]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तकाउन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9094/96]

**संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार 1995 का (15)– (वाणिज्यिक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड**

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग)** में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): मैं, डा. सी. सिल्वेरा की ओर से, संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार 1995 का (15)– (वाणिज्यिक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी–9095/96]

---

12.52 म.प.

## प्राक्कलन समिति

### पचपनवां और छप्पनवां प्रतिवेदन

**[हिन्दी]**

**श्री सूरज मण्डल (गौड्डा)**: महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बजट प्रभाग)– रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत असैनिक आकलन में रक्षा संपदा के लिए एक पृथक बजट शीर्ष की व्यवस्था करने संबंधी प्राक्कलन समिति का पचपनवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय–दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और नागर विमानन के विकास के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के तिरपनवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति का छप्पनवां प्रतिवेदन।

---

12.52½ म.प.

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

### इक्यावनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

**स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी** (होशियारपुर): महोदय, मैं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 51वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

---

12.53 म.प.

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

### अठावनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

**श्री परसराम भारद्वाज** (सारंगढ़): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (बैंकिंग डिवीजन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

12.53½ म. प.

## श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

### इक्कीसवां तथा बाईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** (मैसूर): महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं:-

(1) 'बीड़ी कर्मकारों के कल्याण' के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) 'कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 1995-96' के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

---



12.54 म.प.

## रेल संबंधी स्थायी समिति

### बीसवां प्रतिवेदन

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): महोदय, मैं 'अनुदानों की मांगों, 1995-96' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) के चौदहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

12.54 ½ म. प.

## परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति

### इक्कीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

**श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** (हिंगोली): महोदय, मैं नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

12.55 म. प.

[हिन्दी]

## मध्य प्रदेश के बुन्देली अंचल में रेल सेवाओं में सुधार संबंधी याचिका

**डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (दमोह): महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बुन्देली अंचल में रेल सेवाओं में सुधार के बारे में रेल सेवा सुधार समिति, दामोह, मध्य प्रदेश के संयोजक श्री संतोष भारती द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

12.55½ म. प.

## उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) संशोधन विधेयक, 1996*

[अनुवाद]

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)**: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री एच. आर. भारद्वाजः** मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

12.56 म. प.

[अनुवाद]

**उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण**

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज):** महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवाशर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी–9097/96]

---

12.57 म.प.

**संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक ***

[अनुवाद]

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्काबालु):** महोदय, मैं, श्री सीताराम केसरी की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच–राजवंशी को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदयः** प्रश्न यह है:

"कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच–राजवंशी को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**श्री के. वी. तंग्काबालुः** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

---

12.58 म. प.

[अनुवाद]

**संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण**

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्काबालु):** महोदय, मैं श्री सीता राम केसरी की ओर से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी–9098/96]

12.58½ म. प.

**लोक लेखा समिति**

[अनुवाद]

**114वां, 115वां और 116वां प्रतिवेदन**

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर):** महोदय, मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) सीमा शुल्क प्राप्तियां–अधिनियम में उपबंध की अनुपलब्धता के कारण राजस्व की हानि के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 83वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 114वां प्रतिवेदन ।

(2) जीवन विलुप्त गोला बारूद के आयात के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 92वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 115वां प्रतिवेदन।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खण्ड 2, दिनांक 29–2–96 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड 2, दिनांक 29–2–96 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(3) संघ उत्पाद शुल्क–मुख्य लेखा कार्यालयों के कार्यकरण में प्रणाली त्रुटियां के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 98वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी 116वां प्रतिवेदन।

---

12.59 म. प.

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

### (एक) देश में मानवाधिकारों के हनन रोके जाने की आवश्यकता

**श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट):** महोदय, देश में मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंजाबी लोक गायक श्री दिलशाद अख्तर की हजारों व्यक्तियों के सामने हत्या कर दी गई। इस हत्या से सम्पूर्ण देश के कलाकारों, गायकों, कवियों, लेखकों और प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदमा पहुंचा है। पूरी होशो–हवास में की गई इस हत्या की सिनेमा, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी निंदा की गई है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस हत्या में शामिल दोषी और उत्तरदायी व्यक्तियों को कानून के अनुसार सजा दी जाये।

1.00 म. प.

[हिन्दी]

### (दो) हरियाणा को केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली दिए जाने की आवश्यकता

**श्री जंगबीर सिंह (भिवानी):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान हरियाणा प्रदेश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी में गम्भीर विद्युत संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हरियाणा सरकार अपने सीमित साधनों के कारण पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने में असमर्थ है। कोयले की कमी व अन्य तकनीकी वजह से प्रदेश में फरीदाबाद, यमुनानगर व पानीपत में स्थापित थर्मल पावर प्लांट पूरा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा कृषि प्रधान देश है। प्रदेश सरकार को बिजली की कुल खपत का साठ प्रतिशत खर्च किसानों के लिए करना पड़ रहा है। राज्य में कुल 2377 मैगावाट बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है। बिजली कटौती करने से प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और औद्योगिक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाढड़ा, दादरी, लोहारू एवं सखनाली के इलाकों में खेती नलकूपों पर आधारित है। यहां भूमिगत जलस्तर 280 फीट तक गहरा है। आज प्रदेश को 1500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली की नितांत आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रदेश की मौजूदा विद्युत आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्रीय पूल से 1500 मैगावाट बिजली तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रदेश के किसानों को बिजली संकट से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

### (तीन) आन्ध्र प्रदेश के राजामुन्दरी हवाई अड्डे पर पर्याप्त परिचालन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

**डा. के. वी. आर. चौधरी (राजामुन्दरी):** महोदय, राजामुन्द्री, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले का एक बड़ा शहर है जहां समीप ही एक विमानपत्तन भी है। यहां से हफ्ते में 6 दिन वायुदूत की सेवाएं उपलब्ध थीं। परन्तु वायुदूत सेवाएं रद्द होने के कारण निजी विमान वी. आई. एफ. की सेवाएं सप्ताह में तीन दिन चलाई जाती थीं। हवाई पट्टी के उचित रख–रखाव तथा अन्य घटकों के अभाव के कारण अब यह सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं।

चूंकि यह हवाई अड्डा हैदराबाद से 500 किलोमीटर दूर है तथा अनेक उद्योगों काकीनाडा पत्तन और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आदि से घिरा हुआ है, अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजामुन्द्री और हैदराबाद क्षेत्र में हवाई यात्रा करने वालों की इतनी भारी संख्या को सुविधा देने के लिए इस विमान पत्तन का विकास किया जाए और इसका ठीक ढंग से रख–रखाव किया जाए।

### (चार) महाराष्ट्र में इन्दौर–अमरावती–यवतमाल–चन्द्रपुर–दुर्ग राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

**श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर):** महोदय, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 30 जुलाई, 1995 को 555 किलोमीर लम्बे इन्दौर–अमरावती–यवतमाल–चन्द्रपुर–दुर्ग राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इसके उत्तर में भारत सरकार ने वर्ष 1991 में सूचित किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना संभव नहीं होगा। तथापि, इस अनुरोध को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया था बाद में, भारत सरकार ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 7,830 करोड़ रुपए आवंटित किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसीलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए वह इंदौर–अमरावती–यवतमाल–चन्द्रपुर–दुर्ग राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करें।

### (पांच) हापुड़, गाजियाबाद (उ.प्र.) से हड्डी मिलों को तुरंत स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़):** मान्यवर, हापुड़ में हड्डी मिलों के कारण स्थानीय

लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। हड्डी मिलों से निकलने वाले गन्दे पानी तथा प्रदूषण से पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो गया है। सारे क्षेत्र में तेज गन्ध फैली रहती है, जिसके कारण क्षेत्र में अनेक संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ है। इस बदबू के कारण यहां पूरे क्षेत्र में सामाजिक आवागमन में भी कमी आई है। हड्डी मिलों को हटाने की मांग को लेकर जनता गत काफी समय से आंदोलित है जिसके कारण कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन हड्डी मिलों को शीघ्र ही यहां से हटा दिया जाए,जिससे स्थानीय लोगों को इससे मुक्ति मिल सके।

**(छह) बरेली, उत्तर प्रदेश में एक बाईपास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**श्री संतोष कुमार गंगवार** (बरेली): महोदय, बरेली उ.प्र. का प्रमुख औद्योगिक महानगर है। यह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (दिल्ली–लखनऊ) के मध्य में स्थित है। इस मार्ग पर अत्यधिक सघन यातायात है तथा बरेली के निकट अधिक भीड़ होने के कारण नित्य ही कई गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा घंटों–घंटों तक यातायात बाधित रहता है।

उक्त बरेली नगर में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास के निर्माण की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। यह जानकारी में आया है कि बाईपास हेतु सर्वे आदि किया जा रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली में बाईपास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाए।

**(सात) भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती गिरिजा देवी** (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी देश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा बिहार, उ.प्र., म. प्र., की सीमाओं से बाहर विभिन्न प्रान्तों में तो बोली ही जाती है, साथ ही नेपाल, बर्मा, मॉरिशस, सूरीनाम, गाइना, सिंगापुर इत्यादि देशों में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में है। नेपाल तथा मॉरिशस सरकार ने इसके महत्व को समझकर भोजपुरी को काफी महत्व दिया है, अपने देश में भोजपुरी बोलने वाले 15 करोड़ लोग है। हर पाचवा व्यक्ति भोजपुरी है।

वाणी के साथ ही भोजपुरी का अपना साहित्य, संगीत एवं संस्कृति है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में इन 15 करोड़ भोजपुरी भाषाओं का योगदान है। परन्तु अभी तक भोजपुरी भाषा को न तो संविधान की अष्टम अनुसूची में रखा गया है और न ही इसे साहित्य अकादमी में ही स्थान दिया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्जा दिया जाए।

**(आठ) चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को देय राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गौरी बाजार में पडरौना, कठकुईयां व बिहार के गड़ौरा में कानपुर शुगर वर्क्स (ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन) के अन्तर्गत चार चीनी मिलें कार्यरत हैं। इस मिलों के पास गत पेराई सीज़न का किसानों का गन्ना मूल्य व कर्मचारियों का वेतन दोनों बकाया हैं। गौरी बाजार चीनी मिल पर लगभग ढाई करोड़, पडरोना चीनी मिल पर साढ़े छः करोड़ व कठकुईयां चीनी मिल पर साढे तीन करोड़ बकाया है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। एक साल पुराना गन्ना मूल्य भुगतान न होने से लाखों किसान आक्रोश में हैं व इन इलाकों की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्रीय सरकार (कपड़ा मंत्रालय) के अधीन चलने वाले इन गन्ना मिलों में किसानों का गन्ना मूल्य होली से पहले भुगतान करवाएं।

---

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय**: अब हम क्या करें? क्या हम मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दें?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): मैं मध्याह्न भोजन के बाद बोलूँगा।

**अध्यक्ष महोदय**: श्री शैलेन्द्र महतो, क्या आप कुछ कहना चाहते है?

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: महोदय, उनके वक्तव्य के बाद हम सभा स्थगित करेंगे।

1.09 म. प.

## नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[हिन्दी]

**श्री शैलेन्द्र महतो** (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 184 के तहत बोलना है। मैं कल किसी काम के चलते नोएडा गया हुआ था तो मेरी अनुपस्थिति में कुछ बातें उठ गई जिसके लिए मुझे खेद है । मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में, जिसमें मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी और राम जेठमलानी जी उपस्थित थे, उन खबरों को आधार बनाकर माननीय सदस्य सोमनाथ चटर्जी और अर्जुन सिंह जी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कल से चल रही नियम 184 की बहस में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर जुलाई 1993 के अविश्वास प्रस्ताव में सरकारी पक्ष में मतदान करने के लिए धन लेने का आरोप लगाया है। जो सत्य से परे है। इस संबंध में मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता

हूं। सच्चाई यह है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बूटा सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री के निवास पर गए थे और उनसे मुलाकात भी हुई तथा कौंसिल के संबंध में चर्चा की गई। सच्चाई यह भी है कि मैं झारखंडी हूं। झारखंड की अस्मिता के सवाल पर पिछले 20 वर्षों से लड़ता आया हूं। और आगे भी झारखंड राज्य के लिए लड़ता रहूंगा। इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी ने जब झारखंड कौंसिल का समाधान करने का आश्वासन दिया था तभी हम लोगों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। जहां तक बैंक में रुपया जमा करने का सवाल है, वह रुपया पार्टी का है और पार्टी की सहमति पर पार्टी कार्य के लिए मुझे दिया गया, यह मेरा स्पष्टीकरण है।

कल इस सदन में कुछ बातें ऐसी भी हुई कि ...(व्यवधान) आप चुप रहिये न। मुझे झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से निकाला नहीं गया। यह बात बेबुनियाद है। नौ अगस्त, 1995 को जब झारखण्ड कौंसिल का गठन हुआ और उसके बाद पार्टी के बीच में हमारा अन्तर्विरोध शुरू हुआ तो उस अन्तर्विरोध के चलते मुझे झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से 26 नवम्बर को एक नोटिस दिया गया कि आप झारखण्ड परिषद में शपथ ग्रहण कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। उसके बाद मैंने अपनी नीतिगत बातों को रखा और रखने के बाद मुझे दो दिसम्बर को महासचिव पद से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने अपने मन से फैसला लिया कि जब मुझे झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पद से निकाल दिया गया तो मैने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में आकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी जोइन का फैसला लिया।

सात जनवरी को अटल जी रांची गये हुए थे तो मॉस मीटिंग में मैंने पार्टी को जोइने किया, लेकिन उसके पहले ही पांच जनवरी को मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कल जो बातें मंडल जी द्वारा कही गई है, यह गलत हैं। छह जनवरी के विभिन्न समाचार पत्रों में यह बात आई कि शैलेन्द्र महतो को निकाल दिया गया है, इसलिए मैंने त्याग–पत्र देने की कोई जरूरत नहीं समझी। यह मेरा अपना बयान है। ...(व्यवधान)

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)**: कल आपको कहां ले गये थे, आपको कहां रखा था? उन्होंने हम मंत्रियो पर डाल दिया क हम लोगों ने आपको यहां आने से रोक दिया।

**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म. प. तक के लिये स्थगित होती है।

---

1.11 म. प.

[अनुवाद]

**तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।**

2.32 म. प.

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर बत्तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।**

[अनुवाद]

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम): आपकी बात से ऐसा लगता है कि सदस्य जो कुछ बोलना चाहते हैं उन्हें वह बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसलिए हमने अनेक वक्ताओं को अवसर दिया है। यदि उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ बोलने का अवसर नहीं दिया जाता तो इसका अर्थ होगा दिए गए आश्वासन से पीछे हटना। इसलिए वे अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

**अध्यक्ष महोदय**: श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, हमने राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना है। हमें बजट पेश करना है। मैंने कहा था कि हम पुरुलिया मामले पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमें तालमेल बैठाना होगा।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी**: इसका अर्थ है कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय**: हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा रोकने के इरादे से आरम्भ नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : कुछ और भी है। बिहार का स्कैम भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

**डा. मुमताज अंसारी** (कोडरमा): बिहार में कोई 'स्कैम' नहीं है हालांकि बिहार का विषय राज्य का मामला है। इसलिए उस पर यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह मामला न्यायाधीन है। इसलिए इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। (व्यवधान) अनेक प्रकार की अनियमितताएं हुई है। जिनपर यहां एक साथ बहस की जा सकती है। (व्यवधान) यह मामला न्यायाधीन है। इसलिए इसे उठाया नहीं जा सकता। यह राज्य का विषय है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

**(व्यवधान)***

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी**: महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कल तक चर्चा समाप्त हो जाने दीजिए। 6 तारख को प्रथम मद के रूप में मतदान होना चाहिए। हमारा यही सुझाव है।

**अध्यक्ष महोदय**: आप क्या कहते है? आप इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करते है?

(व्यवधान)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी:** अनेक बातें शामिल हैं। सूचना आ रही है। आप इस चर्चा को रोकना क्यों चाहते हैं? आप 6 तारीख को सुबह मतदान कर सकते हैं।

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** हम तैयार हैं। हम सभी सदस्य यहां हैं। आज भी हम तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आप किस बात के लिए तैयार हैं?

**श्री विलास मुत्तेमवार:** हम आज के मतदान के लिए तैयार हैं। यह छः बजे तक हो सकता है।

**अध्यक्ष महोदय:** वे कह रहे हैं कि उनको और समय चाहिए।

**श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़):** मुझे विपक्ष के नेता और प्रस्ताव के प्रस्तावक ने प्राधिकृत किया है कि मैं जो कुछ अन्य कहें उससे सहमत होऊं यदि यह आपकी सुविधानुकूल है तथा इसे आपकी स्वीकृति है तो इस चर्चा को छः तारीख तक आगे बढ़ाया जा सकता है और छः को समाप्त किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय:** हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम चर्चा करना चाहते थे और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन कुछ अन्य मदें भी हैं, जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमें अन्य मामलों पर भी सहयोग मिलेगा?

**श्री स्यचन्द पाल (हुगली):** प्रत्येक सदस्य को इस संबंध में कहने दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़):** वे आ पायेंगे, नहीं आ पायेंगे, यह सब देख लिया जाये। यह बाद में लोगों को पता चलेगा। जो घर जायेंगे, वे 6 को कैसे आ पायेंगे, यह बात समझ के परे हैं।

[अनुवाद]

**श्री गुमानमल लोढा (पाली):** आज मतदान नहीं होना चाहिए ताकि हम जा सकें।

**अध्यक्ष महोदय:** यह ठीक है। चर्चा जारी रहने दीजिए। मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अन्दर आएं और इस बारे में मुझसे विचारविमर्श करें।

---

2.38 म. प.

## "हवाला मामले" से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर–कानूनी रूप से पैसा दिए जाने के आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असन्तोष व्यक्त करने के संबंध में प्रस्ताव जारी

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। मुझे विश्वास है महोदय कि आप पहले की तरह सबको यह अवसर प्रदान करेंगें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें अवसर प्रदान किए जायेंगे।

कल, सदन में बजट पेश किए जाने से पूर्व जब सभा उठ खड़ी हुई, मैं जिस मामले पर बात कर रहा था, वह इस सभा के एक दिए गए उक्त वक्तव्य के बारे में था, जो उसने स्वयं अपने और अपने कुछ सहयोगियों द्वारा जुलाई, 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान किए जाने के बारे में दिया था। प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप लगाए गए हैं। हमने श्री सूरज मंडल की बात सुनी। हमने कल श्री बूटा सिंहजी की बात सुनी। अभी हमें प्रधानमंत्री जी के विचार सुनने हैं और अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कहा है। किसी मंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सोमनाथ चटर्जी मैंने वह सूचना उन्हें भेज दी थी। उन्होंने इन्कार किया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैं यह नहीं कह रहा हूं। अब तक किसी भी मंत्री ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। आज सुबह हमने श्री शैलेन्द्र महतो के विचारो को सुना। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस सभा के तीन माननीय सदस्यों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि झारखंड मुद्दे के बारे में जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी के कारण मतदान किया गया था। कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने अपना मतदान सभा में तथा पहले हुई बैठक में प्रधानमंत्री के आश्वासन के आधार पर किया। अभी इस बात को भूलकर कि पैसा हस्तांतरित किया गया था अथवा एक दूसरे को दिया गया था या नहीं, मै सदन के समक्ष सम्मानपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि यह और कुछ नहीं बल्कि सदस्यों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने देना है।

यह और कुछ नहीं बल्कि सभा के विशेषाधिकार का हनन है। जब हम कल उठ खड़े हुए थे, तब मैंने इस बात का संकेत दिया था। कल मेरे पास श्री में की 'संसदीय प्रक्रिया' की प्रति उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज मेरे पास श्री में की 'संसदीय प्रक्रिया' उपलब्ध है जिसकी प्रमाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। बीसवें संस्करण के पृष्ठ 158 पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है और मैं उद्धत करता हूं।

"किसी सदस्य के कर्त्तव्य के निर्वहन को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष प्रयास करने वाले आचरण को ही नहीं, अपितु उसके कर्त्तव्यों के भावी निष्पादन में उसकी स्वतंत्रता का ह्रास करने की प्रवृत्ति को भी विशेषाधिकार हनन के रूप में माना जाएगा।"

यहां पैसे का कोई प्रश्न नहीं है, यहां प्रत्यक्ष प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं है। एक विशिष्ट मामले का उदाहरण दिया गया है जो कि 1963 में हुआ था। इंग्लैंड में 25 जून, 1963

को अध्यक्ष महोदय ने अपने विनिंपाय में कहाः– "संसदीय एजेंट द्वारा एक सदस्य को यह सूचित करते हुए भेजे गए पत्र में कि निजी सौदों को बढ़ावा देने वाले कतिपय संशोधनों पर इन शर्तों पर सहमत होंगे कि वह और उनसे सम्बद्ध अन्य सदस्य उस विधेयक का और विरोध नहीं करेंगे–प्रथम दृष्टया में विशेषाधिकार का हनन है।"

इसलिए, आप अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन वापस लेते हैं, आप इसका विरोध करते हैं, यह लाभ आपको मिलेगा। यह राजनीतिक घूस है जो कि दी गई है। उन्होंने कहा है–(व्यवधान)

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़): मैं व्याख्या के प्रश्न पर हूं। नियम 186 कहता है कि नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। माननीय सदस्य यही कर रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: यह बहुत हैरानी की बात है। मैं विशेषाधकार का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि इस देश का शासन कैसे चलाया जा रहा है। तथापि इस सभा के कार्य.–(व्यवधान)

**श्री पवन कुमार बंसल**: श्री में की पुस्तक को केवल यह बताने के लिए उद्धृत किया गया था कि यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: मैंने सभा में यह सुना है कि प्रधानमंत्री माननीय सदस्यों को अपनी इच्छानुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने देने के दोषी है। यदि आप इतने ही इच्छुक है तो हम आपके नेता के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है–(व्यवधान)

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं किस चीज के बारे में इच्छुक हूं?

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: चूंकि क्षमायाचना मांगी गई थी इसलिए सभा ने कहा कि संबंधित सदस्य को क्षमा कर देना चाहिए। हो सकता है, इस समय यहां एक कड़ा विशेषाधिकार प्रस्ताव न हो। लेकिन जो कुछ मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं वह यह है कि इससे यह प्रतीत होता है कि यह सरकार कितनी नीचे गिर गई है। सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्रीजी को कुछ आदर्श आचरण दर्शाना चाहिए। इसकी बजाए वे उस मामले पर जिससे इस सभा के माननीय सदस्य सम्बद्ध हैं आश्वासन देते हुए अपने पक्ष में वोट प्राप्त कर रहे हैं यह और कुछ नहीं है बल्कि इस सभा के सदस्यों के कर्त्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करना है। मेरे अनुसार यह उतना ही जघन्य है जितना कि धन का प्रलोभन देना। मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हम 'ए' से 'बी' को धन की वास्तविक अदायगी साबित नहीं कर सकते। लेकिन कल जब श्री मणि शंकर अय्यर सरकार की ओर से बोले तो उनके द्वारा कही गई बात को सत्ता पक्ष के यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने सराहा। उन्होंने सदन के इस माननीय सदस्य को व्यावसायिक रिश्वतखोर कहा। इसलिए, जो पैसा उनके बैंक के खाते में पाया गया है, उसे श्री मणि शंकर अय्यर ने रिश्वत के पैसे का नाम दिया है और –(व्यवधान)

**श्री पी. सी. थॉमस** (मुवतपुझा): उन्होंने कहा 'तथाकथित घूस लेने वाला'–(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: श्री थॉमस उन्होंने 'व्यावसायिक रिश्वतखोर' शब्द का इस्तेमाल किया है.(व्यवधान)

**श्री ई. अहमद**: नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन किन परिस्थितियों में....(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: आपके अनुसार 'वह व्यक्ति जिसने यह स्वीकार किया है कि वह व्यावसायिक रिश्वतखोर है।

अतः महोदय, सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने घूस ली है। यह घूस किसने दी क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है? क्या इसकी कोई जांच करवाई गई है? इस सभा के वह सदस्य घूस के आधार पर आचरण कर रहे है। दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन अपने गरेबान में कोई नहीं झांकता है। इस देश की सरकार की यह हालत है। एक बात जो हम नहीं भूल सकते है वह यह है कि हर व्यक्ति कह रहा है कि स्पष्टरूप से सारी धनराशि एक ही खाते में जमा की गई थी और वह भी किसी एक विशेष पार्टी के माननीय सदस्य के नाम में। अब सरकार स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकती है।

महोदय, मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। जहां तक इस समय में, जहां से हम देश का राज काज चलाते हैं, हमारे आचरण का संबंध है ईमानदारी, सच्चाई, निष्कटता–इन सभी अवधारणाओं का क्या कोई अर्थ रह गया है? या किसी ऐसे व्यक्ति के क्षणिक स्वार्थ की रक्षा के लिए, जिसकी किसी न किसी तरह से इस देश की सत्ता पर बहुत ऊंची पहुंच हो, कोई या हर तरह का उपाय किया जा सकता है। इस देश में पारदर्शिता का बहुत अधिक महत्व है। पारदर्शिता कहां है? कांग्रेस के शब्दकोश से पारदर्शिता और सच्चाई शब्द ही हटा दिया है। आपका उसमें अब कोई विश्वास नहीं रह गया है यदि कभी कोई विश्वास रहा हो तो मुझे मालूम नहीं है, पर हो सकता है पहले आपका इन शब्दों पर विश्वास रहा हो। जब से आपने खादी टोपी का त्याग किया है, वस्तुतः तभी से ऐसा हो रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। सभा को बुलाये जाने के बाद से आज तीसरा दिन है। प्रधान मंत्री तकनीकी रूप से कह सकते हैं मुझे तब तक कोई विचार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक सभा में बहस नहीं हो जाती और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री उचित समय सभा में आयेंगे। फिलहाल, मैं उनकी बात मान लेता हूं। हो सकता है कि अनुपस्थित होने पर भी वह किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के जरिए अपने विचार प्रकट कर रहे हों। मैं इसका पता नहीं लगा सकता। लेकिन बात यह है कि उन्होंने सदन के बाहर एक बैठक को सम्बोधित किया। यह प्रस्ताव सभा के समक्ष पड़ा ही हुआ था, इसकी विषय वस्तु के बारे में भी सभा को जानकारी थी और यह स्पष्ट रूप से है कि इस सदन के बाहर बैठक में जो भाषण दिया गया था, उससे पार्टी का अच्छा खासा प्रचार किया गया। क्या उनका अन्य कोई ऐसा आचरण भी है जो इस देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता? सभा के नेता अपने विचार अपने दल के लोगों के समक्ष ही रख रहे है, लेकिन जिस विषय पर देश और संसद उद्वेलित है, उनके समक्ष वे अपने विचार स्पष्ट नहीं कर रहे है।

महोदय, इस देश के लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या यह पार्टी का मामला है? हमें बताया गया है कि, हमने समाचार पत्र में यह पढ़ा कि उन्होंने कहा "आप संसद में आक्रामक बने रहें।" ऐसे ही बने रहिए। यदि आपने सही–गलत पहचानने की शक्ति है, यदि आप में कोई अन्तःकरण की भावना है जो कि सभी में होती है, तो आप ऐसा ही करें, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है, लेकिन क्या इससे उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जो यहां उठाए गये है?

महोदय, मेरा निवेदन है कि, यह कर्तव्य की घोर अवहेलना है, इस देश के प्रधानमंत्री की ओर से घोर अभद्रता का व्यवहार है। वह निरन्तर अनुपस्थित रहकर इस संसद की जानबूझ कर अवहेलना कर रहे हैं,....(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर): यह आपका आरोप है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है क्योंकि आपको तो आरोप लगाने की आदत है...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे जेब भरने की आदत तो नहीं है...

महोदय, हमें बताया गया है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हमारे नेता को देखो, वह सार्वजनिक जीवन को साफ सुथरा बनाने की ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। अब यह कई वक्तव्यों, पत्रिकाओं आदि में उल्टे अल्प विरामों के अन्दर दिया जा रहा है। इस पर किसी ने विवाद नहीं किया मैं यह मानता हूं कि उन्होंने यह कहा है या वह ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा करने का निर्णय कब लिया। क्या उस समय जब चीनी घोटाले जिसकी इस सभा में बार-बार चर्चा हुई है कुछ मंत्री दोषी पाये गये थे जब पहली बार चीनी घोटाला हुआ तब उनके अन्तःकरण को चोट नहीं पहुंची, उन्होंने राजनीतिक प्रणाली या सार्वजनिक जीवन को साफ सुथरा बनाने का प्रयास नहीं किया। तत्पश्चात दूसरे चीनी घोटाले का पता चला। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में उनके साथी दोषी पाये गये। आज मैं संसद सदस्य के रूप में बहुत दुःखी हूं कि हमारे इतने साथियों के विरूद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किये गये हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे कई साथियों पर ऐसे आरोप लगे है। इस देश में शासन की, राजनीतिक प्रथा राजनीतिक नैतिकता की यही प्रणाली है। इसी कारण हम हंसी के पात्र बन गये हैं। आज हमारी विश्वसनीयता शून्य, नकारात्मक हो गई है।

इन सभी व्यक्तियों के बारे में प्रधान मंत्री को जानकारी कब मिली? उन्हें निष्कर्षों पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। नहें प्रासंगिक सूचना कब प्राप्त हुई जिससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरूद्ध आरोप-पत्र फाइल करने के लिए प्रेरित हुआ। क्या इस देश के प्रधान मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? तो कब उन्होंने कार्रवाई आरम्भ की उनके मंत्री एक-एक करके बाहर हो रहे हैं। प्रतिदिन आरोप पत्र दाखिल किये जा रहे हैं। कोई न कोई मंत्री त्याग पत्र दे रहा है। आज हमें यह मालूम नहीं है कि उनके पास कितने विभाग हैं। मुझे केवल यह पता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय का काम उन्होंने श्री गुलाम नबी आजाद को सौंपा है मेरे विचार से उन्होंने कम से कम यह अच्छा काम किया है। वस्त्र मंत्रालय का काम शायद श्री वेंकट स्वामी को दिया गया है। लेकिन सभी अन्य विभाग और मंत्रालय उनके पास हैं। वे विश्वकर्मा की तरह असीमित सामर्थ्य वाले हैं, उनके पास काम करने की असीमित सामर्थ्य है। ....(व्यवधान) इस प्रकार से तो इस देश में किसी केबीनेट की आवश्यकता नहीं है। जिससे आज हमारे पास कोई सरकार नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। ये सब बातें कहना बहुत आसान है अब अपनी पीठें ठोक कर यह कहते जाओ कि, 'वाह, हमारे नेता, हमारे प्रधान मंत्री, कितने महान हैं। अब वह राजनीतिक जीवन को साफ सुथरा बना रहे हैं।

लेकिन उनके भूतपूर्व सहयोगी, जो अभी भी संसद-सदस्य हैं, श्री सिंधिया क्या कहते हैं। "ये मेरे विरूद्ध तिरस्कारपूर्ण आरोप हैं।" वे कहते हैं, मुझे शायद इसे पढ़ने की अनुमति न दी जाये तो मैं बहुत अच्छी तरह इसे संक्षेप में कह सकता हूं यदि मुझे यह भूला नहीं हो कि सार-लेखन कैसे तैयार किया जाता है। वे कहते हैं उन्हें ऐसे व्यक्तियों में से समझा जाता था जिनके पास प्रधान मंत्री बनने लायक सभी योग्यताएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन्हें प्रधान मंत्री के उम्मीदवार के रूप में समझा जा रहा था, एक षडयंत्र रचा गया है और उनका नाम हवाला घोटाले में सम्मिलत किया गया। क्या उन्होंने अपने भूतपूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री से बात की है? वह उनकी तरह महसूस नहीं कर रहे हैं। वे उनकी इस साफ सुथरा बनाने के सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है क्योंकि वे प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार के सम्भावित दावेदार हैं।

हमारे प्रिय मित्र जो कल बजट भाषण के दौरान काफी सजग थे, ने क्या कहा? जो उन्होंने कल कहा मैं उसे संक्षेप में कहने का प्रयास कर रहा हूं। वह यह है कि सभी निहित स्वार्थ किसानों के विरूद्ध हो गये हैं या उन्हें शान्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः भारत के प्रधान मंत्री जो सार्वजनिक जीवन को साफ सुथरा बनाने का श्रेय ले रहे हैं, पार्टी में अपने उन विरोधियों को मारने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रधान मंत्री बन सकते हैं या जिनके प्रधान मंत्री बनने की आशा है या जिन्हें भावी प्रधान मंत्री समझा जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस देश के किसानों के विरूद्ध जिहाद का ऐलान किया है, ये आपके पार्टी के लोगों की अनुभूतियां हैं और यह समझा जाता है कि बलराम जाखड़ ने प्रधान मंत्री को धमकी दी हुई है कि 'यदि आप मुझे नंगा करेंगे तो मैं यह जानता हूं कि आपके लड़के को कैसे नंगा करना है।

श्री पी. सी. थामस (मुवतुपुजा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से इस तरह से नाम लेना अनुचित है और हमें यह मालूम नहीं है कि क्या वास्तव में ऐसे वक्तव्य दिये गये थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री जाखड़ इस सभा के सदस्य हैं। वे यहां आ सकते हैं और इसका खंडन कर सकते हैं।

श्री पी. सी थामस: यह सब कुछ रिपोर्टों पर आधारित है।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): कल तक, वाजपेयीजी और अन्य माननीय सदस्य प्रधान मंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि पिछले तीन वर्ष से वह उन्हें शरण दे रहे हैं। अब, आज वे यह कह रहे हैं कि वे मंत्रियों को धोखा दे रहे हैं। यह दोगली बात क्या है? कल तक, प्रधान मंत्री दंड न देने हेतु मंत्रियों को सुरक्षा और शरण दे रहे थे। अब यकायक वे यह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री मंत्रियों को बदनाम करने की कार्यवाही कर रहे हैं। यह क्या है? वाजपेयी जी, आप रिकार्ड देखें। यह दोगलापन अब नहीं चलेगा। आप सच को सच कहने की हिम्मत रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कुछ वर्तमान संसद सदस्यों द्वारा दिये गए वक्तव्य के बारे में यदि मेरी सूचना सही नहीं है तो वे निश्चित समय से यहां आकर इसका खंडन करें। हम सभा के किसी गैर-सदस्य जो यहां उपस्थित नहीं है, उसके विरूद्ध कुछ नहीं कह सकते है।

महोदय, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणियं के कारण नवम्बर, 1995 में कुछ नौकरशाहों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।

मैं प्रधान मंत्री अथवा सरकारी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि सरकार अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उन नौकरशाहों के नाम अथवा उनके विरुद्ध दस्तावेजों का पता कब चला जिन्होंने कुछ उद्योगपतियों अथवा व्यवसायिक घरानों के पक्ष में काम किया था।

यहां तक कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद भी उन राजनीतिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिनके नाम उस डायरी में उल्लिखित थे। अब, इसका आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, 'आप केवल छोटी मछलियों पर ही जाल क्यों फैला रहे हैं, बड़ी मछलियों पर क्यों नहीं फैला रहे?' और उसके बाद निदेशक तथा सचिव को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। उनका कहना है, 'आप प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जांच पड़ताल जारी रखिये।'

महोदय, आज स्थिति यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। इसका कहना है, 'यदि समुचित जांच-पड़ताल करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह लगता है कि डायरी में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है तब भी आप मामले को समाप्त नहीं कर सकते; आपको सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर उसे संतुष्ट करना होगा कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता'। इसका तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों को इस देश के शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। स्थिति यह है। इस देश की अत्यधिक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी की यह विश्वसनीयता रह गई है।

महोदय, किसी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी राजनेता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। भारत सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए यह संसद जवाबदेह है। यह लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। अब, कोई भी नौकरशाहों की कार्यवाही अथवा अधिकारियों की कार्यवाही पर अकर्मण्यता का सहारा नहीं ले सकता। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, 'हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को दोषमुक्त सिद्ध करने से पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा'। हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस जांच के दौरान और भी कई महत्वपूर्ण नाम सामने आये हैं। उस व्यक्ति को जो समप्रोगेट्टी के साथ जुड़ा हुआ था अथवा जुड़ा है, उसका क्या हुआ? वह तथाकथित फरिश्ता जिसके नाम से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, के बारे में यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, 'जो नहीं, उसको छोड़ने से पहले आपको हमें संतुष्ट करना होगा।' आप उनके विरुद्ध अपनी जांच-पड़ताल को बिना किसी व्यवधान के जारी रख सकते हैं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।

3.00 म.प.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी ओर, समप्रोगेट्टी से जुड़ा वह व्यक्ति जहां चाहे आता जाता है। जहां तक मुझे मालूम है, उनका अब कुछ अता-पता नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो उसे सही किया जा सकता है। यह कैसे हो जाता है कि शक्तिशाली लोगों को, ऊंची पहुंच वाले लोगों को बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती है? आरोप पहली बार नहीं लगाये गये हैं। बोफोर्स मामले तथा यहां तक कि बोफोर्स से भी पहले लोगों पर कई आरोप लगाए गए है। इस देश में उन लोगों को अंततः दोष मुक्त कर दिया गया। हम इस देश को धोखा दे सकते हैं इस देश को समाप्त तहस-नहस कर सकते हैं। हम इस देश में सभी गलत तरीके से प्राप्त किये गये फायदों का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि हम कानूनी प्रक्रियाओं से बिल्कुल परे हैं। क्या यह आवश्यक है कि हमें स्वयं को याद दिलाते रहे कि उन पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पूर्व प्रधान मंत्री, एक मुख्य मंत्री तथा वर्तमान प्रधान मंत्री को धनराशि का भुगतान करने के लिए बतौर माध्यम प्रयुक्त किया गया। यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है और इस देश में कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इससे परेशान नहीं है। कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है। वे चर्चा होने का इंतजार करेंगे। देश में यह कुछ असाधारण सी स्थिति है।

3.01 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, हमें बताया गया है और समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ है कि कोई व्यक्ति, जो इस मामले में संलिप्त है और जिसकी डायरियों की जांच-पड़ताल की जा रही है, वह प्रधान मंत्री के विदेश दौरे के समय भी उनके साथ थे। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सरकार को इससे इन्कार करने का अवसर दे रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो इंकार कर दीजिये। लेकिन खुलेआम यह कहा गया है कि वह किसानों के प्रतिनिधि मंडल में प्रधान मंत्री दल के सदस्य बनकर विदेश गये थे और यह कि वह प्रधान मंत्री के साथ थे। उनका चयन किस प्रकार किया गया? क्या वह विदेश गये भी थे, यह भी हो सकता है कि वह उनके साथ एक ही विभाग में न गए हों। क्या वह किसी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जो प्रधान मंत्री के साथ गया था। यदि हां, तो उनका चयन किस प्रकार हुआ? ऐसा कब हुआ? क्या ऐसा 1991 में डायरी जब्त किये जाने के पश्चात हुआ?

महोदय, घोटालों से संबंधित रिपोर्टों का कोई अंत ही नहीं है। अब घोटालों का घोटाला सामने आया है और निःसंदेह सरकार को भी इससे इंकार नहीं है क्योंकि वे इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इन सभी बातों का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। उसके पश्चात रक्षा संबंधी घोटाले का नया मामला सामने आया, इसके पश्चात आमान परिवर्तन के लिए दिए गए ठेकों से संबंधित रेल घोटाला सामने आया। हर बात खुले आम कही जा रही है, प्रकाशित की जा रही है। लेकिन सरकार ने उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की न उसका कोई विरोध किया या और न ही कोई आपत्ति उठाई गई है। मैं इस सभा में अनेकों बार कहता रहता हूं कि अगर सरकार को कोई बात राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय साख अथवा राष्ट्रीय विश्वसनीयता के विरुद्ध लगती है, तो फिर वह स्वयं आगे आकर उससे इंकार क्यों नहीं करती? महोदय, जब समाचार पत्रों में कुछ गलत खबर छपती है तो हम उस समाचारपत्र के संपादक को शिकायत पत्र भेजकर यह पूछते हैं कि उन्होंने इसका प्रकाशन किया है अथवा नहीं। वह हमारे हाथ में नहीं है। सरकार आगे आकर उस झूठी खबर की आलोचना क्यों नहीं करती कि यह बात सही नहीं है ताकि उसकी अफवाह न फैले? यहां तक कि संसद सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया जाता है। आम लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? संसद के बाहर के लोगों के बारे में क्या कहा जाये? इसीलिए घोटालों संबंधी समाचारों का तो अंत ही नजर नहीं आ रहा। हवाला लेन-देन संबंधी जो जांच-पड़ताल चल रही है, उसका क्या परिणाम निकला? किसी को भी यह नहीं भुलाना चाहिये कि जांच पड़ताल न तो हम कर रहे हैं और न ही विपक्ष। विपक्ष ने यह डायरी पेश नहीं की है। विपक्ष ने पैसे नहीं दिये हैं। यह किसी का आरोप नहीं है। हां यह बात जरूर है कि वह पार्टी जो देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दावा कर रही है, उसकी छवि भी उतनी ही धूमिल हो गई है और मुझे खुशी है कि आज आप दोनों का ही इस देश के लोगों के सामने खुलासा हो गया और आप दोनों का एक जैसा ही हश्र होगा। लेकिन आज हवाला मामले का नतीजा यह निकला है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कम हो गई है किसी ने भी यह नहीं कहा कि इतने अधिक मंत्रियों की आवश्यकता थी। अगर मंत्रियों की आवश्यकता

नहीं थी, तो फिर उन्हें शामिल क्यों किया गया था; सरकारी राजकोष का खर्चा बचाया जा सकता था लेकिन आपके पास इतने अधिक मंत्री थे; उनका होना आवश्यक था। लेकिन इस समय देश में कोई मानव संसाधन मंत्री नहीं है, कोई कृषि मंत्री नहीं है और न ही अलग से कोई जल संसाधन मंत्री है। वस्त्र मंत्रालय का नाम भी उसमें जुड़ गया है । मैं नहीं जानता कि कितने मंत्रालय समाप्त हो गये हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री कितने विभागों को संभाले हुए हैं। परणामतः आज देश में एक गैर–कार्यकारी सरकार है। देश में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हम विभिन्न बजट भाषणों का फायदा उठा सकते हैं; दूरदर्शन कवरेज का फायदा उठा सकते हैं।

मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्य लोगों का नाम भी उसमें शामिल है। अब उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें क्या करना है। मेरे विचार में उनका नामांकन तो निश्चित था लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वह संदेह के घेरे में हैं। और इसीलिए आप निर्वाचन से पूर्व सरकारी पैसे का उपयोग करते हुए बहुत निर्लज्जपूर्वक अपने नेता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की चाटुकारिता के प्रदर्शन को इस देश में कभी भी सहन नहीं किया जायेगा और हम इसे सहन नहीं करेंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं।

**श्री पी. सी. चाको** (त्रिचूर): यह इस सरकार का विशेषाधिकार है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: जी हां। कांग्रेस सरकार का विशेषाधिकार शक्ति का दुरूपयोग करना है; लोगों को लूटना, धन प्राप्त करना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना और उसे बढ़ावा देना ये सब कांग्रेस सरकार के विशेषाधिकार हैं। जी हां, हम आपके विशेषाधिकारों को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस देश के लोग आपके तथाकथित विशेषाधिकारों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, मैं एक अति गंभीर प्रश्न रख रहा हूं। अगर प्रधान मंत्री इस चर्चा का उत्तर देने का अनुग्रह करें, तो मैं चाहूंगा कि वह स्वयं इसका उत्तर दें केन्द्रीय जांच ब्यूरों उस हालत में समुचित जांच–पड़ताल किस प्रकार कर सकता है जबकि प्रधानमंत्री के ही नियंत्रणाधीन हो तथा प्रधानमंत्री ही उसके वर्तमान निदेशक हो? उनके सेवाकाल में कितनी बार वृद्धि की गई है। उनका सेवाकाल बढ़ाने का क्या आधार है क्योंकि हमें यह बताया गया है कि यह सरकार सेवाकाल बढ़ाये जाने में विश्वास नहीं रखती। सुविख्यात नौकरशाहों का सेवाकल भी नहीं बढाया गया है। यदि इस नीति को समुचित तरीके से प्रयुक्त एवं लागू किया गया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं तथा इसकी प्रशंसा करता हूं। आप कोई नीति स्वीकार कर लेते हैं और अपनी असुविधा से छुटकारा पा लेते हैं लेकिन आप नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं तथा चुनिंदा लोगों के सेवाकाल में वृद्धि करते हैं इसमें चयनात्मक आधार क्या है? वर्तमान निदेशक का दो बार सेवाकाल बढ़ाये जाने के पीछे क्या अपरिहार्यता थी तथा यदि मैं गलती पर नहीं हूं, तो उनका सेवाकाल एकबार फिर बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वह प्रधान मंत्री के काफी घनिष्ठ समझे जाते हैं तथा उनका आपस में पूरा तालमेल है।

अतः, उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल घोषित किए गए अधिकारी को जहां तक जांचकर्ता एजेंसी का संबंध है इस देश में सबसे महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों के प्रति वर्तमान सरकार क्या यही आदर है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने इन लोगों के खिलाफ आयकर अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अथवा उपहार कर अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की है। उग्रवादियों के साथ रुपये–पैसे का लेन–देन हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से 'टाडा' अधिनियम के लागू किये जाने का मामला बनता है। श्री कल्प नाथ राय तिहाड़ जेल में केवल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अतिथि गृह में ठहरने का स्थान उपलब्ध करवाया। वहां तो हमारे कुछ और साथी होने चाहिए । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है तथा जैसा कि मैंने कहा ही है कि मैं इससे खुश नहीं हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं कल यह अपेक्षा कर रहा था कि डा. मनमोहन सिंह इस अवसर पर लोगों को यह बतायेंगे कि उनके मंत्रालय ने ऐसे लोगों के विरुद्ध आयकर अधिनियम एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो कि सीधे उनके अधिकार क्षेत्र एवं नियंत्रण में आते हैं के अंतर्गत क्या कार्रवाई की है, जिनका नाम उनके पास धनराशि होने की सूची में दर्शाया गया है तथा जिन्होंने धनराशि प्राप्त करना स्वीकार किया है। मैं उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मैं उनसे इस बारे में अभी भी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। वह अपने चारों ओर सक्रिय भ्रष्ट–मण्डली के होते हुए तथाकथित आर्थिक सुधार की बात कैसे कर सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार एवं सुधार एक साथ चल सकते हैं? मैं उनसे इस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। अपने आप अपनी प्रशंसा करने की कोशिश करना तथा दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाने वाले अपने लिखित भाषणों में ऐसे प्रमाण–पत्र देना अच्छी बात नहीं है। क्या आपके उपदेश को मूर्त रूप दिया जायेगा अथवा इस बारे में कार्रवाई की जायेगी? यह सरकार अब मिथ्या घोषणा एवं मिथ्या दृष्टिकोण के आधार पर ऐसा करने की स्थिति में है। अतः मैं वर्तमान सरकार से आगे यह जानना चाहता हूं कि सेंट किट्टिस जांच–जो कि एक और चिरस्मरणीय घोटाला है के संबंध में क्या स्थिति है।

3.09 म. प.

**(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)**

महोदय, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि राजनैतिक दलों को पैसे की जरूरत है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनमें से कुछ व्यक्ति यहां ऐसा कहेंगे, लेकिन महोदय, हमें इस सभा में अनेक वर्षों से सदस्य बने रहने का गौरव प्राप्त है; चुनाव सुधार समितियों की बैठकें भी हुई हैं; इस सभा के समक्ष बहुत से लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुए हैं; चुनावी सुधारों के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गये हैं तथा हमारे दिवंगत सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी ने विधि मंत्री के अपने छोटे से कार्यकाल में वास्तव में इस बारे में परिवर्तन लाने के लिए निष्ठापूर्वक कोशिश की थी। उन्होंने हरेक को आमंत्रित किया, एक समिति बनाई तथा एक विधेयक तैयार करके प्रस्तुत किया लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे कि अब किया जा रहा है। 1971 में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने चुनाव–सुधारों के लिए एक समिति गठित की थी। सर्वसम्मति से सुझाव दिये गये थे, लेकिन वर्ष 1971 से अब तक कांग्रेस सरकार ने एक भी चुनाव सुधार को लागू नहीं किया है तथा इस संबंध में मुझे श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा अपने अत्यंत छोटे–से कार्यकाल के दौरान निष्ठापूर्वक कोशिश करने के लिए, सराहना अवश्य करनी चाहिए। आप ऐसे अच्छे कार्यों से थोड़ी–सी प्रेरणा क्यों नहीं लेते? एक समय था जबकि वह भी आपमें से ही एक थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उनमें सम्मान की भावना थी। अतः, ऐसा नहीं किया जा रहा है।

राज्यों को वित्त–पोषित करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमारा यह कहना है कि हम यह वित्त–पोषण नकदी रुप में प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि हमें यह वित्त–पोषण वस्तुओं के रूप में प्रदान किया जाये। ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। यह सर्व–विदित है तथा मैं

नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यह विवाद खड़ा करेगा कि कोई अपराधी कुछ लाभ हासिल करने के लिए ही पैसे देता है, न कि प्रेम और भाईचारे के लिए तथा जब वह यह धनराशि किसी राजनेता अथवा किसी मंत्री को देता है, तो वह यह धनराशि संरक्षण प्राप्त करने एवं उसके बदले में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए ही दी जाती है। अतः, अब इस प्रयास के संबंध में, हमें कांग्रेस एवं भाजपा में कोई अंतर नहीं बताना है। दोनों ही दल पैसा प्राप्त करते रहे हैं, जोकि भ्रष्ट एवं कालाधन है, महोदय, लेकिन, इस बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरकार का काम है। सरकार को संसद के प्रति भी जवाबदेह है। अतः, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस दल एवं अपराधियों को मिलेगा। अतः, तब तक अपराधियों की वाह-वाह रहेगी तथा इस देश, इसके भविष्य एवं इस देश की आम, सामान्य और साधारण जनता को एक ऐसी ईमानदार एवं पारदर्शक सरकार की जरूरत है, जोकि सत्यता में विश्वास रखती हो तथा जिसमें मंत्रियों को इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा न देना पड़े। अतः, आज इस देश को इस बात की जरूरत है कि इस सरकार को इसके नियमविरुद्ध कार्यकरण के कारण किसी भी तरह इतिहास के गर्त में धकेल दिया जाए और ऐसा करना ही होगा। सौभाग्यवश वे अकेले इस गर्त में नहीं जाएंगे, उनके साथ प्रमुख विपक्षी दल भी आएगा। महोदय, अतः, यह वाम पंथी दलों को देखना है.....(व्यवधान)....हां, हम इस बात से खुश नहीं हैं कि जनता दल के एक अथवा दो साथी इस काण्ड में शामिल हैं, लेकिन कम-से-कम उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया है। श्री शरद यादव ने स्वीकार कर लिया है.....(व्यवधान)..... चाहे ऐसा अपराध-बोध की भावना से किया हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया है तथा उन्होंने विधायक दल नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया है और सभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यदि आपको इस बात से सांत्वना मिलती है कि जनता दल भी इसके लिए दोषी है, तो ठीक है, आप इस बात से अपनी तसल्ली कर लीजिये। जनता अपना फैसला दे देगी.....(व्यवधान)....महोदय, अतः मैं यह मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जो भ्रष्टाचार फैलाने एवं इसे बढ़ावा देने के स्रोत हैं तथा जो इस देश में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जिनकी बागडोर में यह घिनौनी सरकार इस देश में शासन कर रही है-तुरन्त अपने पद से इस्तीफा दें। जितनी जल्दी वह अपने पद से इस्तीफा देंगे, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। सरकार का कोई आत्मसम्मान नहीं रह गया है, अथवा प्रधानमंत्री का कोई आत्मसम्मान नहीं रह गया है। इसलिए उनके लिए यहां एक मिनट के लिए भी बैठना उचित नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये तथा चुनाव की तारीखें घोषित कर देनी चाहिये। इसी बात की तत्काल जरूरत है तथा ऐसा करना ही होगा।

**श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीढ़):** सभापति महोदय, इस विषय पर श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वे स्वयं अपना गुणगान कर रहे हैं। मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त करना ममताजी पर छोड़ देता हूं तथा उन द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर कुछ कहना चाहता हूं।

मैं अपनी बात यह कहते हुए शुरू करता हूं कि तथापि मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के शब्द विन्यास को समझने में कठिनाई हो रही है, फिर भी मैं इस बात की सराहना करता हूं कि हवाला मामले-जिसमें कि राजनितिज्ञों एवं नौकरशाहों को बड़े पैमाने पर धनराशि के लेनदेन का पर्दाफाश करने का उल्लेख किया गया है-तथा उस पर बाद में जो न्यायिक निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं और उस पर जो जनता में शोरगुल हुआ है- उसमें हमें एक बार फिर जन-जीवन में ईमानदारी की जरूरत के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रेरित कर दिया है।

महोदय, यह मामला समाज में व्याप्त गहरी बेचैनी का सूचक है। यह मामला बहु आयामी प्रकृति का है और इससे अनेक अहम मुद्दे सामने आते हैं। जन-जीवन के मानकों में आई गिरावट पर शोक व्यक्त करते हुए, श्री वाजपेयी जी ने आत्म-परीक्षण करने की मांग की है। मैं समझता हूँ कि हमने इस मुद्दे पर इसी दृष्टिकोण म विचार किया है। मैं श्री वाजपेयी जी का एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मान करता हूं। मैंने देखा है कि अनेक अवसरों पर उन्होंने संकीर्ण दलगत विचारधाराओं से ऊपर उठकर अपना विचार एवं दृष्टिकोण निर्भीक, सुस्पष्ट एवं बिल्कुल सपाट ढंग से व्यक्त किये हैं। महोदय, लेकिन मेरे विचार से इस मामले में वह इस ख्याति को बरकरार रखने में असफल रहे हैं। शायद, वह अपने दल के उन नेताओं के दबाव में हैं, जो यह सुनकर स्वयं को पूर्णतया किंकर्तव्यविमूढ़ पाते हैं कि उन्हीं के दल के अत्यन्त वरिष्ठ पार्टी नेताओं के नाम जैन डायरियों में उल्लिखित हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री महोदय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। (व्यवधान)....हाँ, दूसरी पार्टियों के लोगों के भ्रष्टाचार के लिए....(व्यवधान).... इसके साथ ही हमारे मित्रों ने पूर्ण रूप से मुद्दे की विवेचना किये बिना ही प्रधानमंत्री को अपने विरोधाभासी तर्क देकर दोषी ठहरा दिया और यदि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के दो घण्टे लम्बे भाषण को संक्षिप्त करता तो यह विवादास्पद तथ्यों से भरपूर होता। और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगा जा रहा है। इस सभा में बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, सभा के बीचों बीच जा करके और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग करके बारम्बार इस सभा के काम काज को ठप्प करने जैसी घटनाओं का साक्षी होकर भी मुझे आश्चर्य नहीं होता है- एक बार फिर इस मांग के उठने पर भी- मुझे कदाचित आश्चर्य नहीं होता है। वस्तुतः यह उनका अति प्रिय मनोविनोद है और विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान उन्होंने इसका खूब आनन्द लिया है।

यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधान मंत्री के अधीन काम करता है और इसलिए यह स्वतंत्र निकाय नहीं है और इसने विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में जांच के लिये कुछ चुनींदा नेताओं तथा अफसरों के नाम ही शामिल किये हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि यह सत्य का उपहास मात्र है। निस्संदेह केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री जोकि कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्री हैं के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, लेकिन इससे इसकी स्वतंत्रता कम नहीं होती है। इस मामले में विधि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री न्यायपालिका तथा निर्वाचन आयोग से सम्बंधित मामलों के भी-प्रभारी मंत्री है। क्या यहां हममें से कोई यह कह सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, कि न्यायपालिका प्रधानमंत्री के मातहत है, कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र नहीं है।

क्या यहां हम यह कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न न्यायाधिकरणों विभिन्न बोर्डों तथा विभिन्न आयोगों जिन पर वित्त मंत्री का नियंत्रण है, वे अपनी कार्यवाही स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते है?

मैं समझता हूं कि इस देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो व्यावसायिक लोगों द्वारा संभावित जांच करने वाला एक मुख्य निकाय है और इसके पक्षपाती तथा बदनीयत होने का आरोप बिल्कुल गलत है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हमारे विपक्ष के बहुत से मित्रों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने की मांग की है, ये मामले पेचीदा किस्म के हो सकते हैं क्योंकि ये राजनेतिक प्रभाव लिये हो सकते हैं। जैसा कि कल श्री मण्डल ने कहा था कि आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि इसके समक्ष भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। मुख्य अभियुक्त श्री एस.के. जैन के मौखिक अहस्ताक्षरित अभिकथन के कारण प्रधानमंत्री को फंसाया जाना सरासर

गलत है तथा शरारतपूर्ण है और इसका कोई आधार नहीं है। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर क्या आरोप लगाते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी एक जाने माने वकील हैं और चाहते हैं कि हम श्री एस.के. जैन द्वारा दिए गए बयान को सत्य मानकर स्वीकार कर लें। श्री जैन जैसे लोगों में उनका ऐसा विश्वास है किंतु दूसरी ओर वे राजनीतिज्ञों और आंतकवादियों के बीच साठगांठ की बात करते हैं।

मुझे विश्वास है कि श्री सोमनाथ चटर्जी जानते है कि श्री जैन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले 17 बयानों और गिरफ्तारी के बाद 5 बयानों में प्रधानमंत्री के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। किंतु शायद हिरासत में उन्हें बुद्धिमान वकील मिल गया है तथा पहली बार मार्च, 1995 को अपने 23 वें बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, जैसा हम सभी जानते है कि वह बयान श्री आमोद कंठ ने लिया था तथा उसमें श्री जैन ने 27 मई, 1991 अर्थात अपनी डायरियों की जब्ती के 24 दिन बाद किसी भुगतान का उल्लेख किया जब हम सत्ता में नही थे, श्री चन्द्रशेखर की सरकार सत्ता में थी और श्री पी. वी. नरसिंह राव आध्यात्मिक एकान्तवास में जाने की योजना बना रहे थे, तथा हास्यास्पद आरोप यह है–"इसके लिए आपको पर्याप्त प्रतिपूर्ति की जायेगी"...(व्यवधान)...यह तत्प्रतित है, तथापि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह बयान उच्चतम न्यायालय को भेजा और आज यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, किंतु पारिस्थितिक साक्ष्य से भी जरा भी सपुष्टि न होने के कारण इसका तिरस्कार किया जाना चाहिए, किंतु विपक्षी साथी इसे सत्य समझते हैं।

महोदय, यह हमें प्रतिभूति घोटाले में लिप्त लोगों द्वारा अपनाए गए इसी प्रकार के तंत्र की याद दिलाता है जिनकी पैरवी एक वरिष्ठ वकील जो उनका साथी था कर रहा था तथा जिसे राष्ट्र का शासन चलाने की सनक चढ़ी थी, ने जब पाया कि अब जेल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है तो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिये। वही विधिवेत्ता एक बार पुनः दूसरे दिन पत्रकार सम्मेलन में भी उपस्थित थे जिसमें श्री शैलेन्द्र महतो से विरोधाभासी इकबालिया बयान दिलाया गया। आज श्री महतो द्वारा इस सभा में उस बयान का खंडन इस बात का प्रमाण है कि दूसरे पक्ष के लोग प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए किस सीमा तक जा सकते है। उस वरिष्ठ वकील जो भाजपा में थे और जो अब भाजपा से बाहर हैं, की कानून के बारे गहन ज्ञान तथा विद्वत्ता कांग्रेस की कटु आलोचना की ओर उनमें स्नान के बारे में सभी जानते हैं। श्री एस.के. जैन का बयान हमें चालबाजी की दूसरी घटना अर्थात नागरवाला केस की याद दिलाता है। एक षडयंत्र के मामले में पूछताछ किये जाने पर एक वरिष्ठ बैंक प्रबंधक ने यह कहने का दुःसाहस किया था, कि उस व्यक्ति को भुगतान करने के निर्देश उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले थे ।

महोदय, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिस सी.बी.आई. अधिकारी ने श्री जैन का बयान लिया उसका तबादला कर दिया है तथा यह आरोप श्री वाजपेयी जैसे नेता ने लगाया है, पुनः मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य का उपहास है, मुझे विश्वास है, कि वे यह जानते हैं, किन्तु फिर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यह सत्य नही है कि श्री आमोद कंठ का उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के पश्चात तबादला किया गया है.....(व्यवधान)

यह बिलकुल गुमराह करने वाला बयान है और जैसा मैंने कहा है कि मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह सत्य नहीं है प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद सी.बी.आई. से उनका स्थानांतरण किया गया तथा क्या यह भी सत्य नहीं है कि उनका सी.बी.आई. से स्थानांतरण किए जाने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में पुनः जनहित याचिका प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया गया और उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. से उनका स्थानांतरण किए जाने को वैध ठहराया है।

जब मेरे साथी श्री मणिशंकर अय्यर ने इस अधिकारी और एक वरिष्ठ नेता जो अब भाजपा में है, के घनिष्ठ संबंधों के बारे में उल्लेख किया तो यहां सभा में रोषस्वरूप बहुत शोर–शराबा हुआ, किन्तु सत्य यह है कि उस नेता, जो किसी समय देश के वित्त मंत्री थे, का नाम जैन डायरियों में है और उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका प्रधानमंत्री को इस मामले में फंसाना और इसके लिए यही उपाय कि मामले को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाए ताकि जिन व्यक्तियों को आप बचाना चाहें बचा लें।

इससे मुझे याद आता है कि और भी आरोप हम पर लगाये गए थे मैं एक बार फिर चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें और सभा को सूचित करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. के कार्यकरण के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, तो मामलों की जांच का प्रभारी अधिकारी कौन था। जब उच्चतम न्यायालय ने चाहा कि इस कार्य का पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाय तो क्या श्री अमोद कण्ठ इस कार्य को नहीं देख रहे थे? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को भी स्पष्ट करें।

जांच में जानबूझकर देरी करने के बारे में चर्चा हो रही है, और यह कोई नहीं समझ रहा है कि ऐसी कार्यवाहियों के दौरान कितनी दुष्कर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मुझे आशा है कि हमारे विपक्षी साथी इस बात को जानते हैं कि जब सी.बी.आई. के एक उप–महानिरीक्षक द्वारा जैन बंधुओं के साथ सांठगांठ की कोशिश की सूचना मिली तो उसके घर पर छापा मारा गया और उसे गिरफ्तार किया गया यह कार्य सी.बी.आई. ने ही किया। किंतु इससे स्पष्टतः मामलों की जांच में कुछ विलम्ब भी हुआ, पुनः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि वर्ष 1991, 1992 और 1993 में सी.बी.आई. द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम और आंतकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों की जांच की गई और कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए । क्या यह सत्य नहीं है कि उस अवधि के दौरान सी.बी.आई. इस मामले के व्यापक प्रभावों की जांच करने, मूल कारणों का पता लगाने, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन से सम्पर्क की कोशिश करने में व्यस्त थी ताकि हवाला धन के स्रोत का पता लगाया जा सके और इसके इसे प्राप्त करने वालों का भी पत्ता लगाया जा सके, यहां पर किसी बात की आलोचना करना आसान है किंतु एक बार यदि कोई मामला सी.बी.आई. को सौंपा जाता है तो सी.बी.आई. को उस मामले की तर्क संगत जांच करनी होती है तथा किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ही होता है।

महोदय, कुछ लोगों का यह विचार हो सकता है कि प्रक्रिया संबंधी कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए किंतु हमें सी.बी.आई. जैसी अग्रणी जांच एजेंसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, इस माननीय सदन से मेरा यही निवेदन है।

हम इस बात को भी जानते हैं और मेरी राय में सारा विश्व भी इस बात को जानता है कि प्रक्रिया संबंधी कानूनों में दोष के कारण न्यायालयों में अक्सर मामलो के निर्णय में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। जटिल और उलझी प्रक्रिया के कारण इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहां तक निर्देश जारी किया कि किसी भी नियम के अधीन किसी भी प्रकार की स्वीकृति से अभिमुक्ति दी जाए ।

महोदय, हवाला मामले के रहस्योदघाटन से हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारी व्यवस्था में क्या खामी आ गई है। जनता का उन संस्थाओं से विश्वास क्यों उठता जा रहा है जो लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मन से चाहे कितनी भी नफरत हो, फिर भी लोकतंत्र की प्रासंगिकता या उपयोगिता के बारे में लोग क्यों बात कर रहे हैं? और यह बात और भी गंभीर बन जाती है जब बीजू पटनायक जैसे वरिष्ठ नेता यह बात कहें।

सी.बी.आई. के विशेष न्यायालय मामलों का विचारण कर रहे हैं और न्यायालय के समक्ष जिन लोगों पर दोषारोपण किया गया है वे अपना बचाव प्रस्तुत रहे हैं, इसी दौरान हमें चुनावों में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में इनके दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए उपायों के बारे में विचार करना चाहिए, लोकतन्त्र को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया इसकी नींव से आरंभ की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने चुनाव सुधारों के बारे में उल्लेख किया, इस प्रयोजन के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया था, इस सत्र को एक कानून जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया था, पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, हमने उस सत्र का समय यूंही गंवा दिया, मुझे आशा है अब हम ऐसा नहीं करेंगे।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर):** उस विशेष विधेयक में प्रधानमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया था।...(व्यवधान)

**श्री पवन कुमार बंसल:** काफी समय पहले श्री राजीव गांधी ने चुनाव सुधार प्रक्रिया आरंभ की थी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में समय-समय पर कई संशोधन किए गए, यह एक सतत प्रक्रिया है और इस ओर सदन का ध्यान निरन्तर जाना चाहिए।

महोदय, आज हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि चुनावों का राज्य द्वारा व्यय वहन करने के बारे में हमारे जो भी मतभेद हो किंतु हम कुछ बातों पर प्रतिबंध लगाने पर निश्चितरूप से सहमत हो सकते हैं, जो चुनाव खर्च में वृद्धि करते हैं तथा जिन स्थानों पर अभी तक फोटो-पहचान पर जारी नहीं किए गए हैं वहां पर सरकार या चुनाव आयोग को मतदाता पर्ची वितरित करने का कार्य सौंपा जा सकता है। या मतदान केन्द्रों के आस-पास प्रत्याशियों द्वारा तम्बू लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलते फिरते लाउडस्पीकरों का प्रयोग बेकार है इसे भी बंद किया जा सकता है।

चुनाव खर्च की कानूनी सीमा को ध्यान में रखे बिना यदि हम वास्तविक चुनाव खर्च को कम नहीं करते, यदि हम चुनावों पर आने वाले वास्तविक खर्च को कम नहीं करते तो इस तरह की बातें निरन्तर होती रहेंगी, प्रत्याशी व राजनीतिज्ञ ऐसे स्रोतों से धन लेते रहेंगे जिससे कभी-कभी वे संदेह के घेरे में आ जाते हैं तथा जिससे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जो हम सभी को अपनी चपेट में ले लेगा, वे पहले ही ऐसा करने की धमकी दे रहे हैं।

यदि हम इस मामले में शामिल मुद्दों पर ईमानदारी से विचार करें और ऐसे प्रस्ताव न लायें जिनका उद्देश्य मात्र सरकार की आलोचना करना है तो देर से ही सही, हम इस जिम्मेदारी को अवश्य निभा सकते हैं।

प्रस्ताव के दूसरे भागा के बारे में मेरे विचार से श्री शैलेन्द्र महतो द्वारा गैरकानूनी रूप से धन लिए जाने के बारे में उनके द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े जाने और भाजपा में जाने के पश्चात दिये गए इकबालिया बयान की श्री सूरज मंडल ने धज्जियां उड़ा दी। जैसा मैने पहले कहा है कि आज उनके द्वारा उस बयान का खंडन बहुत सारी बातों का खुलासा करता है। वह इस बात को बताता है कि किस प्रकार का षडयंत्र रचा जा सकता है। वह इस बात को भी बताता है कि विपक्ष के साथी प्रधानमंत्री को झूठे-मामलों में फंसाने के लिए दुष्टता की किस सीमा तक जा सकते हैं।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी की उपस्थिति में आज सदन में वक्तव्य दिया गया, फिर भी वे परवाह नहीं करते, वे सदस्य द्वारा सदन में दिये गए वक्तव्य पर विश्वास नही करते और उनके बारे में अखबारों में जो बात छपी है उस पर और इधर-उधर की बातों पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में कल हमारे विद्वान साथी श्री मणिशंकर अय्यर ने कल कहा था कि वे अन्य बातों पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन आज जो वस्तु स्थिति है उसके संदर्भ में श्री अय्यर ने माननीय सदस्यों के बारे में जिस शब्दावली का कल प्रयोग किया वह ठीक ही है। हमें खुशी है कि प्रधान मंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए रचे जा रहे बड़े षड़यंत्र के एक अंश के तौर जो अनिश्चितता के बादल उठे थे वे अब साफ हो गये है और बाल की खाल निकालने वालों का पर्दाफाश हो गया है। महोदय यह भी उल्लेख किया है....

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा):** पैसा तो जमा कर रखा है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** आपके साथ महतो जो आ गये हैं, उन्होंने क्या कहा है। सिर्फ आपके कहने से बात नहीं बनेगी। आप उनसे पूछिये। उनसे कहलवाया गया लेकिन अब उन्होंने इंकार कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी ने पैसा लिया था परन्तु उनकी आत्मा की आवाज ने फिर उनको पुकारा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** कृपया बीच में नहीं बोलें।

[हिन्दी]

**श्री पवन कुमार बंसल:** जो आप बोल रहे हैं, उसी के कारण यह हो रहा है।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** बंसल जी, अब आप पीठासीन को सम्बोधित करें।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**श्री पवन कुमार बंसल:** उसी के कारण यह हो रहा है। महतो जी से बात करके देखिये। कल यहां तक जिक्र हो रहा था।....(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** आप पीठासीन को सम्बोधित करें।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

**श्री पवन कुमार बंसल:** आज इस सदन में आकर उन्होंने इस बात से इंकार किया है।....(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** कोई भी बात कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं कीजिए।....

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** कृपया पीठासीन को सम्बोधित करते हुए अपनी बात जारी रखें।

**श्री पवन कुमार बंसल:** वर्ष 1993 के अविश्वास प्रस्ताव का बारम्बार उल्लेख हुआ है। जब दुर्भाग्य से कल सभा में श्री वाजपेयी के शब्दों में यह कहा गया तो सारा विपक्ष.....

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी:** ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** मेरी अनुमति के बिना जो उन्होंने कहा उसमें से कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। कृपया बैठ जाइये।

**(व्यवधान)**

**श्री पवन कुमार बंसल:** वर्ष 1993 के अविश्वास प्रस्ताव का बार बार उल्लेख हुआ है, जिसमें झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के चार सदस्य उस अपवित्र साठगांठ में सम्मिलित नहीं हुये जिस का लक्ष्य इस सरकार को उखड़ फेंकना था। केवल ये चार सदस्य ही नहीं अपितु इस सभा के अन्य सदस्य भी थे.....

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी:** ऐसा सिद्धा ही पैदा नहीं हुआ जो हमें खरीद सके।

[अनुवाद]

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, इस सभा के दूसरी तरफ के अपने माननीय मित्रों के साथ जो घटित हुआ उस के बाद की उनकी मनोवेदना को मैं समझ सकता हूं। उनके अहम को ठेस पहुंची है, उनका नैतिक मंच ध्वस्त हो गया है। वह नैतिक मंच जिसपर खड़े होने का वे दावा करते थे, वह ध्वस्त हो गया है। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं मैं उनकी चिंता को समझता हूं।....(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय:** क्या दल का कोई सचेतक है जो उन्हें नियन्त्रित कर सके? क्या कोई दल सचेतक उपस्थित है?

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के वे चार सदस्य ही ऐसे नहीं थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान किया। इस सभा के अन्य माननीय सदस्य भी थे जो इस सांच में भागीदार नहीं हुये, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के विचार से सहमत नहीं हुये इसलिए प्रस्ताव चार मतों से नहीं अपितु 14 मतों से नामंजूर हुआ था। ऐसे सदस्य भी थे जो यह जानते थे कि श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व के अधीन कांग्रेस को ही जनमत प्राप्त है। वे इस तरह से सरकार को उखाड़ फेंकने के खतरों को भांप सकते थे। उन्हें मालूम था कि यदि वे ऐसी स्वयं को हराने वाली हरकत में संलिप्त होते तो उसका क्या परिणाम होता....(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय:** जो कुछ वे मेरी अनुमति के बिना कहते हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

***(व्यवधान)**

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, वे सभी माननीय सदस्य जिन्होंने उस दिन या तो मतदान नहीं किया अथवा मतदान किया तो अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में किया था, वे यह भलीभांति जानते थे कि प्रधान मंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की इच्छा रखने वाले विपक्ष द्वारा बिना सोचे–विचारे की गयी पहल से क्या खतरा होगा।....(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय:** अब आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा। कृपया बैठ जाइये।

**...(व्यवधान)**

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, वे उस माननीय सदस्य का नाम ले रहे हैं जो अब दुनिया में नहीं है, और उसके विरूद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें क्या हो गया है? (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय:** कृपया खलल न डालिये। इस तरह से बात मत कीजिये।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने जनजाति के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के सरोकार की प्रंशसा में अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान किया था। श्री वाजपेयी जी तथा श्री सोमनाथ चटर्जी इसमें नुक्ता

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौनी कर रहे हैं। जनजाति के कल्याण के लिए अपनी चिंता व्यक्त करने वाले प्रधानमंत्री में भी दोष निकालते हैं।

जब मैंने सोमनाथ चटर्जी को यह कहते हुये सुना तो मैं संकट में पड़ गया और इस बात ने मुझे उन वर्षा की बूंदों की याद दिलायी जो फर्श पर पड़ी अपनी प्रशंसा स्वयं करती हैं।

महोदय, कांग्रेस ने बहुत से तूफानों को झेला है और सरकार को अस्थिर करने के बारम्बार किये गये प्रयास विफल हो गये हैं। प्रधान मंत्री ने अटल होकर कठोरतापूर्वक इस देश के प्रत्येक नागरिक को आजादी का फल उपलब्ध कराने के लिए अपने मिशन को कार्यान्वित किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब वे केवल बौद्धिक एकांत चाहते थे तब उन्हें देश का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, ऐसे में उन्होंने खुद को इसी स्थिति में पाया।

श्री वाजपेयी जो इस समय उपस्थित नहीं है, ने यह कहते हुए अपना वक्तव्य शुरू किया था कि देश संकट में है।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था– देश संकट में है।

[अनुवाद]

महोदय, वास्तव में देश संकट में है। यह संकट में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाने में उन प्राचीन भारतीय लोकाचारों को नष्ट कर दिया है जिनकी यह कसम खाती है। अपने मूल तत्व से अलग हुये धर्म रूपी भूसे का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक बहुमत की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले अत्याचारी समूहों के साथ लोकतंत्र का समीकरण बैठाया है।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिसने कुछ समय पहले इस सभा को छोड़ा है, ने तीन घोषणाओं के त्रिशूल को लेकर अपना चुनाव प्रचार करने की बात कही है।

**श्री राम कापस** (थाणे): सभापति महोदय, प्रस्ताव क्या है और वे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं?

**सभापति महोदय**: वे जो कुछ श्री वाजपेयी ने कहा है उसका उत्तर दे रहे हैं।

**श्री राम कापसे**: वाजपेयी जी ने कभी भी प्रस्ताव के सिवाय किसी अन्य मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सीमा में रहकर बातें की थीं। लेकिन वे प्रस्ताव के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल**: महोदय, मैं श्री वाजपेयी जी तथा श्री सोमनाथ चटर्जी के वक्तव्य के दौरान यहीं उपस्थित था। मैं सोचता था कि मुझे और बहुत सारी बातों का उत्तर देना चाहिये था। लेकिन आपने जो मुझे समय सीमा की याद दिलायी है उसके प्रति मैं सचेत हूं। मैं तो केवल यह कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तीन घोषणाओं के त्रिशूल को लेकर चुनाव प्रचार करने की बात कही थी।

महोदय, उनके अनुसार वे तीनों चुनावी घोषणाएं त्रिशूल के तीनों शूलों के द्योतक हैं और वे हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लाना, भय को दूर भगाना और सुरक्षा का वातावरण बनाना तथा स्वदेशी की भावना की संवृद्धि करना।

**सभापति महोदय**: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

**श्री पवन कुमार बंसल**: महोदय, मैंने 25 मिनट का समय भी नहीं लिया है। पूर्ववर्ती वक्ता ने दो घण्टों का समय ले लिया है।

**सभापति महोदय**: वे उस दल के पहले वक्ता थे। लेकिन आप अपने दल के दूसरे वक्ता हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल**: महोदय, मैं आपके राय की कद्र करता हूं तथा मैं केवल दो मिनट का समय और लूँगा।

महोदय, जो वास्तव में घटित हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी के उस आक्रामक नैतिक दिखावे को ध्वस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल की छवि धूमिल कर दी है क्योंकि इसने उस राम राज्य की विरासत को कलंकित के कर दिया जो खुशहाली तथा आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। महोदय यदि वे अपनी गलतियां स्वीकार कर लें तथा सरकार के उचित कार्यकरण के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना छोड़ दें तो इस प्रकार वे देश की सेवा ही करेंगे। मैं दूसरी ओर बैठे वरिष्ठ सदस्यों को इस बात को कहने की स्थिति में नहीं हूं। अब हमारे आचरण पर लोगों द्वारा जितनी निगरानी रखी जा रही है उतनी निगरानी पहले कभी नहीं थी। अब हम सभी की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। यदि हम इसमें असफल होते हैं तो हम जनता और राष्ट्र की नजरों में अक्षम सिद्ध होंगे तथा आनेवाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी।

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक): महोदय, विपक्ष के नेता द्वारा लाये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। हम हवाला मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपातकाल के दौरान कारागृह से छूटने के पश्चात मैंने 1977 में राजनीति में प्रवेश किया। उस समय हमने काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिहाद छेड़ रखा था। लेकिन हवाला जैन डायरी में खुलासा होने के पश्चात हाल में ही मैंने इस नये शब्द 'हवाला' के बारे में सुना। हां, यह मेरी अज्ञानता है। हमें वैध धन और काले धन के संबंध में तो जानकारी है। लेकिन यह हवाला धन है। यदि आप आयकर अदा करते हैं और वित्त मंत्री को संतुष्ट कर पाते हैं तो काले धन को वैध धन में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन क्या हवाला धन को भी वैध धन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह प्रश्न मैं मारग्रेट आल्वा से न पूछकर वित्त मंत्री से पूछ रहा हूँ। इस चर्चा में, मेरे विचार से वित्त मंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपर्ण है। उस दृष्टिकोण से ध्यान नहीं दिया गया है। हम केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विलम्बित जांच पर तथा इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि सी. बी. आई की जांच कब पूरी हुई, कब आरोप पत्र दाखिल किया गया और कितने लोगों के नाम आने है। लेकिन प्रश्न काले धन के बारे में है।

लेकिन प्रश्न काले धन का है। पहले जय प्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई और राष्ट्र के अन्य नेता का कहना था कि जब तक हम काले धन को नियंत्रित नहीं करते इस देश में लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। लेकिन लोकतंत्र का चक्का आज हवाला धन के सहारे चल रहा है।

आज मैं यहां से बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ से कोई और व्यक्ति बोल सकता था। श्री

शरद यादव मेरे नेता थे और उन्होंने न केवल इस सदन की सदस्यता से अपितु हमारे संसदीय दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

**श्री मृत्युन्जय नायक** (फूलबनी): यदि इसका कोई कारण नहीं था तो उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया?

**श्री श्रीकान्त जेना**: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। जय प्रकाश आंदोलन के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किया। लोगों के कहने पर ही उन्होंने महाविद्यालय से इस सदन में प्रवेश किया। उन्होंने इसी सम्माननीय सदन से आपातकाल के दौरान सभा की कार्यकाल बढ़ाये जाने के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। आज वह इस सदन में नहीं हैं, आडवाणी जी इस सदन में नहीं हैं।

मैं श्री शरद यादव को उस समय से जानता हूं जब मैं विधायक भी नहीं था। मैंने कारागृह से निकलने के बाद विधानमंडल में आया। मैं 1977 में विधायक बना और मैं वहाँ विधायक था। विद्यार्थी जीवन से, युवावस्था से ही श्री शरद यादव मेरे नेता रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया है। जब जी टी. वी. द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी भी एस. के. जैन से हवाला धन लिया है तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्होंने किन्ही श्री आर. सी. जैन से जिन्हें, हमारे दल के एक मित्र और नेता श्री चिमनभाई पटेल ने मेरे पास लाये थे, चुनावों के दौरान धन लिया था और उन्होंने इसे अपनी डायरी में नोट किया था। उन्होंने उस डायरी को दूरदर्शन पर पूरे प्रेस वालों को दिखाया था। उन्होंने कहा था, "हाँ, मैंने किन्हीं श्री जैन से तीन लाख रुपए लिए थे, मैं यह नहीं जानता कि वह वही जैन है जिनका उल्लेख किया जा रहा है लेकिन मैंने धन लिया है।" यह प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है और यह 1992–93 में लिया गया था। उन्होंने पहली बार में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने राजनीतिक चंदा प्राप्त किया था और कहा कि उन्होंने चुनाव में इस धन को व्यय किया था और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो ठहराया जाये, यदि इसके लिए उन्हें जेल भेजा जता है तो भेजा जाए, यदि इसके लिए उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो लटका दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि इस देश का कोई भी व्यक्ति चाहे वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा उच्चतम न्यायालय, यह सिद्ध कर दे कि शरद यादव एक भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है तथा उसने धन संग्रह किया है, मकान बनाया है, बैंक खाते में धन व्यय किया है, अपने ससुराल वालों और सगे सबंधियों के लिए धन लिया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए।

मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे नेता श्री शरद यादव को आरोप पत्र से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए ईश्वर के लिए कृपया शरद यादव की बाल्यावस्था से लेकर अब तक, उनकी पैतृक संपत्ति, यदि कोई है, के साथ–साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी धन अर्जित किया है उसकी जांच की जाए। लेकिन राजनीतिक चंदे के लिए उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोप पत्र मे कहा गया है कि उन्होने 1988–89 में चुनावों से पहले और चुनावों के पश्चात, जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आभी जब उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पद भार संभाला, उद्योग मंत्रालय से एक फाईल उनके पास आयी थी जिसमें उन्होने पुर्णतः निर्यातोन्मुखी एकक के मामले की सिफारिश की थी, ऐसे अनेक आवेदन थे और आज भी यदि श्री एस. के. जैन के बेटे जेल से किसी शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक की स्थापना के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाएगी क्योंकि यही नीति थी। खैर, इन सभी बातों की पुष्टि न्यायालय में होंगी और मै इस बात पर तर्क नही करना चाहता कि यह आरोप पत्र गलत है या सही।

लेकिन यहां पर मुद्दा राजनीतिक चंदा, राजनीतिक दलों और प्रणाली से संबद्ध है। इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि यह प्रणाली कैसे कार्य करेगी। देश में लोकतंत्र कैसे कार्य करेगा। हम सभी राजनीति से जुड़े हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते है।

4.00 म. प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

मैंने अपने मित्र श्री अरविन्द नेताम, जो मध्य प्रदेश के वासी हैं तथा एक मंत्री थे, का वक्तव्य दूरदर्शन पर सुना था। हां, हो सकता है मैंने 50,000 रुपए लिए हों। वह उद्योगपति मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा मेरे चुनाव अभियान के दौरान हो सकता है मैंने उनसे 50,000 रुपये लिए हों। लेकिन मेरे विचार से उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री एस. के. जैन हवाला धंधा करने वाले व्यक्ति थे और वह ये सारे कार्य कर रहे हैं। जब हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक चंदे के लिए उद्योगपतियों के पास जाते हैं तो राजनीतिक चंदा देने के पूर्व वे क्या हमसे चरित्र प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। राजनीतिक चंदा और किसी ठेके के माध्यम से लिया गया धन दो भिन्न–भिन्न बातें हैं। इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे अछे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर जी ने कल कहा था कि "मैं भारतीय जनता पार्टी को समझ सकता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को समझ सकता हूं। लेकिन यह नेशनल फ्रंट। राष्ट्रीय मोर्चा एक कमजोर मोर्चा है। कभी भी, किसी भी वक्त यह बिखर सकता है। इसे रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है।" आपने हमे बर्बाद कर दिया। जब हम इस सदन में आए थे तब हमारी संख्या साठ थी आज केवल बाईस हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज और श्री नीतिश कुमार का हमारे साथ मतभेद समझा जा सकता है। मतभेद होने के कारण हमारे संसदीय दल में विभाजन हो गया। वह एक अलग बात है। लेकिन इससे पहले श्री मणिशंकर अय्यर जी कृपया अपने आपसे पूछिये। मेरे दिल में आपके प्रति बड़ा सम्मान है। कृपया अपने आप से पूछिये। अल्पमत की सरकार बहुमत की सरकार में तब्दील हो गई और आपको उस पर गर्व है। यदि आपकी नीति सही हुई होती तो हम आपको समर्थन देते। शुरु से ही हम यह कहते आ रहे हैं कि सर्वसम्मति और नीति संबंधी आपसी सहमति रही तो हम इस सरकार को नहीं गिरायेंगे। जब लालू प्रसाद यादव ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था उस समय यदि हम मामूली सा समझौता कर लेते, यदि छोटा सा समझौता हो जाता तो श्री मणिशंकर अय्यर जी, हम सत्ता में होते। कोई भी हमें सत्ता से दूर हटा नहीं सकता था। हम कभी भी नीति के बारे में समझौता नहीं करते। जब हम नीति सम्बन्धी समझौता नहीं करेंगे तो हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सत्ता से चिपके रहने के लिए आपने सभी तरह के साधनों का इस्तेमाल किया है और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के मेरे अच्छे मित्र चाहे कुछ भी स्पष्टीकरण दें, वे इस तरह की तकनीकी बातों से बच सकते हैं। लोकतंत्र कभी भी तकनीकी बातों से नही चला करता। लोकतंत्र खास तरह की प्रतिबद्धता तथा ईमानदारी से चलता है। यदि ये नहीं होती हैं तो सत्ता की लिप्सा बनी रहती हैं। आप कांग्रेस पार्टी में हैं। पण्डित जी सत्ता में थे। इन्दिरा जी भी सत्ता में थी। राजीव जी सत्ता में थे। हम विपक्ष में थे। हम विपक्ष में रहना तथा देश के सम्मान और राष्ट्रीयहित के लिए संघर्ष करते रहना अच्छा समझते हैं। सत्ता में रहिये, लेकिन वह दांव–पेंच इस्तेमाल मत करिये। आप इस किस्म के दांव–पेंच इस्तेमाल करते हैं और हमारी सदस्य संख्या साठ से कम होकर अब 20 रह गयी है। **(व्यवधान)** श्रीमती मारग्रेट आल्वाजी, जैन डायरी का मामला 3

मई, 1991 को शुरु हुआ था। डायरी पकड़ी गई। फिर क्या हुआ। दो कश्मीरी आतंकवादी जो खाड़कू भी कहलाते थे रिपोर्ट के मुताबिक वे उग्रवादियों की सहायता कर रहे थे। वे उग्रवादियों के लिए बैंक ड्राफ्ट तथा धन ले जा रहे थे। आज वे जेल में हैं। आपने उन पर टाडा के तहत मुकदमा क्यों नही चलाया। श्री एस. के. जैन माननीय प्रधानमंत्री के साथ कोरिया गये थे। (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात का खण्डन करिए।

कर्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): मैं जवाब दूंगी। (व्यवधान) वहं खड़ी होकर मैं पूरे अधिकार के साथ कहती हूं कि वह प्रधानमंत्री के साथ दक्षिण कोरिया नहीं गये थे। न ही प्रधान मंत्री ने वहां जाने के लिए उसके नाम को स्वीकृति दी थी। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेनाः महोदया, पूर्ण विनम्रता तथा अधिकारपूर्वक मैं यह कहता हूं कि श्री एस. के जैन प्रधान मंत्री की राजकीय यात्रा में उन के साथ, कोरिया गये थे और उसका नाम प्रतिनिधियों की सूची में सम्मिलित था ऐसा सी.आई. आई. अथवा 'एसोचेम' अथवा किसी औद्योगिक संघ द्वारा नहीं किया गया था अपितु अंतिम क्षणों में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसका नाम सम्मिलित किया था। (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः वे नहीं.....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेनाः आपने कहा है यह नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं हां यह हुआ है। अब इस समय मेरे पास वह रिकार्ड नहीं है। लेकिन सभा में मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि श्री एस. के. जैन उन के साथ गये थे अथवा नहीं, और उसका नाम सूची में था अथवा नहीं। शायद आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आप का प्रधान मंत्री कार्यालय से वास्ता नहीं पड़ता था। प्रधान मंत्री कार्यालय का कोई प्रभारी मंत्री ही प्रामाणिक रूप से बता सकता है। अतः दो कश्मीरी उग्रवादी आज टाडा के तहत जेल में हैं। सन 1991 से आज तक वे जेल में हैं। श्री एस. के. जैन बाहर क्यों है? यदि इस हवाला मामले में मुख्य अपराधी श्री एस. के. जैन है और उनके साथी हैं तो उसे टाडा के तहत दण्डित क्यों नहीं किया गया है। उसका कहना है कि यह कालाधन उसका है। अतः काला धन रखने के बारे में आपके पास अलग कानून है। हवाला धने के लिए तथा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किये गए धन के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये था। धन ले जाने वाले को टाडा के तहत दण्डित किया गया और उस धन को सप्लाई करने वाले अपराधी–बाहर हैं। अमीर भाई कौन हैं? अमीरभाई एजेण्ट हैं। धन श्री एस. के जैन का है। विदेश से पैसा देने वाला कौन था? पूछताछ में श्री एस. के. जैन ने क्या बताया है। यह इटली के व्यापारी क्वाटरोची हैं। वे यह कहते हैं कि दूलहस्ती विद्युत परियोजना के लिए उन्होंने ठेका लिया था। उसी के लिए श्री क्वाटरोची धन देता है। यह धन अमीर भाई तथा एस. के जैन की मार्फत आता है। और तब जे. एन. यू. की मार्फत यह कश्मीरी उग्रवादियों के पास पहुंचाया जाता है और जे. एन. यू. से जम्मू और कश्मीर तक यह धन ले जाने वाले पर टाडा के तहत मामला दर्ज किया गया है और एस. के. जैन खुल्ले घूम रहे हैं। आरोप–पत्रों का इस्तेमाल राजनैतिक चन्दा लेने वालों के विरुद्ध किया जा रहा है।

मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने पैसा लिया है और भ्रष्टाचार–विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत उन पर आरोप पत्र तैयार थे, तो फिर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मंत्रिमंडलीय सचिव को भेजे गये टिप्पण का अर्थ ही क्या था? आपके तीन वरिष्ठ केबिनेट मंत्रियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किये जाने के लिए तैयार थे मंत्रिमंडलीय सचिव को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भेजे गये टिप्पण में क्या कहा गया है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक दृष्टिकोण अपनाया है कि वह इसकी जांच–पड़ताल नहीं कर रहा है। प्रश्न यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन आरोपों में कोई व्यापक जांच–पड़ताल अभी तक शुरू नहीं की है। श्री जैन ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया और इससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो परेशानी में पड़ गया था। वह वक्तव्य क्या था? अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो आप शोर मचायेंगे। श्री मणि शंकर अय्यर को इसकी जानकारी है। श्री वाजपेयी पहले ही इसके बारे में प्रेस में बता चुके हैं। समाचार–पत्रों में इसके बारे में आ चुका है। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री एस. के. जैन से पूछताछ की तो उन्होंने क्या कहा था? केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी ने क्या दृष्टिकोण अपनाया? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि इस जांच–पड़ताल का क्षेत्र केवल डायरी में की गई प्रविष्टियों तक ही सीमित है और इसलिए डायरियां जब्त होने के फलस्वरूप श्री जैन से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि इन्हें प्रमाणित करने के लिए तथ्य नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं से भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं मिले थे कि जांच–पड़ताल को केवल डायरी तक ही सीमित रखा जाये। आखिरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? इसमें कहा गया है केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किसी व्यक्ति की स्थिति और ओहदे पर ध्यान दिये बगैर प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये प्रत्येक आरोप की जांच–पड़ताल समुचित रूप से करनी चाहिये। खंड पीठ ने कहा कि सरकार की निष्पक्ष कार्यशाली में जनता के विश्वास को बनाये रखना आवश्यक है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी 18 जनवरी को मंत्रिमंडलीय सचिव के पास गये। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 18 जनवरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मंत्रिमंडलीय सचिव को भेजा गया टिप्पण केबिनेट मंत्रियों श्री वी. सी. शुक्ल, श्री माधवराव सिंधिया और श्री बलराम जाखड पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति लेने के लिए है जिनके नाम जांच–पड़ताल के दौरान उनके सामने दिये गए जैन बंधुओं के वक्तव्य में तत्संबंधी भाग में शामिल किये गये हैं....(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) वह इस दस्तावेज का किस नियम के अन्तर्गत उल्लेख कर सकते है? वह ऐसा नहीं कर सकते....(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेनाः मैं श्रीमती आल्वा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी यहां उपस्थित हैं। आप बाद में उनसे परामर्श कर सकते हैं। वह भी वहां उपस्थित थे। वह यह स्पष्ट कर सकते हैं कि श्री जैन वहां मौजूद थे अथवा नहीं। 18 जनवरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मंत्रिमंडलीय सचिव को लिखा गया टिप्पण स्पष्ट करता है कि यह श्री वी. सी. शुक्ल, श्री माधवराव सिंधिया तथा श्री बलराम जाखड़, जिनके नाम श्री जैन के वक्तव्य में तत्संबंध भाग में शामिल किये गये थे, पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए था। इसका अर्थ यह है कि पूछताछ के दौरान लिये गये श्री जैन के वक्तव्य को ध्यान में रखा गया और उसके पश्चात् ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि वह इन तीनों मंत्रियों के संबंध में आरोप–पत्र दाखिल करेगा और इसीलिए उसने अनुमति मांगी। प्रधान मंत्री से संबंधित श्री जैन का वक्तव्य अस्पष्ट है। उनकी डायरी सही है; उसमें आये अर्धविराम, पूर्ण विराम, सभी कुछ ठीक हैं, उनकी सभी बातें सही हैं। केवल वही भाग जहां उसने यह कहा है कि उसने 3.5 करोड़ रुपये दिये है, स्पष्ट नहीं है। यह धनराशि उसने किस व्यक्ति को दी?

[हिन्दी]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः मैं सुन रही हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेनाः आप दस्तावेज को भी जानते हैं। इसीलिए आप ऐसा कह सकते

है। मैं अपने अच्छे मित्रों श्री अय्यर और श्री बंसल से एक बात पूछना चाहता हूं। 3 मई, 1991 से 16 जनवरी, 1996 तक आप आरोप–पत्र दाखिल नहीं कर सके क्योंकि उस मामले में स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक था। लेकिन इसकी फ्लोपी आज भी सर्वोच्च न्यायालय में उपलब्ध है। आपने इसे स्पष्ट नहीं किया है। आपने आमिर भाई की पहचान नहीं की है। आपने फेरा और कोफेपोसा के उल्लंघन के मामलों पर विचार नहीं किया है,आपने इतालियन नागरिक, श्री कुटरैची, जो बहुत से अन्य सौदों में संलिप्त था, द्वारा कानून–का उल्लंघन करने के मामले पर भी विचार नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय को यह उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी कि प्रत्येक मामले की जांच की जाये। आरोप किसके द्वारा लगाये गये। ये एक डायरी में लगाये गये हैं। उस डायरी को कौन लिखता है? श्री एस. के जैन जिनके ऊपर अभी आरोप लगाये गये हैं, ने 1991 तक तिथिवार उस डायरी को भली प्रकार संभाल कर रखा है। इसमें एक–एक पैसे का हिसाब है।आप उस पर निर्भर करते हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1991 के पश्चात उन्होंने इस डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं की। श्री एस. के जैन ने जो कुछ कहा, उसके आधार पर आप कहते हैं कि सिर्फ एक भाग जो प्रधान मंत्री से संबंधित है, के अतिरिक्त सभी कुछ ठीक है। अतः, मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस हवाला मामले में प्रधान मंत्री की भूमिका की जांच–पड़ताल कर रहा है अथवा नहीं। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच–पड़ताल कर रहा है। और जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच–पड़ताल कर रहा है तो हमने प्रधान–मंत्री से अपना पद छोड़ने की मांग की है। हम हवाला मामले की चर्चा नहीं करना चाहते हमने पहले दिन ही मांग की है कि प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह एक महान व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, जो बहुत सी भाषायें जानते हैं, वह एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और हमारे पिता के समान हैं, फिर हमें उनके त्यागपत्र की मांग क्यों करनी चाहिये? क्या श्री श्रीकान्त जेना प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं? जी नहीं। मैं उनके इस्तीफे की मांग इसलिए करता हूं क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात करते हैं।अगर आप सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी चाहते है तो फिर प्रधान मंत्री को आगे आकर तुरन्त इस्तीफा देकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच–पड़ताल के काम में सहायता करनी चाहिये.....(व्यवधान)....

**श्री मृत्युंजय नायकः** मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बताया गया है कि आज श्री बीजू पटनायक के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया गया है। क्या वह विधान सभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा देने जा रहे है?

**श्री श्रीकान्त जेनाः** मै उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को विधान सभा में ही उठाये...(व्यवधान) ...मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं। मैं श्री मणि शंकर अय्यर जैसा वक्ता नहीं हूं। अगर आप कुछ कहेंगे तो इससे आप स्वयं परेशानी में पड़ जाएंगे। मुझे इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं है।

महोदया, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग आकस्मिक नहीं है। अगर वह इस्तीफा देते हैं, तो श्री नरसिंहराव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अगर किसी अन्य मंच से उनके इस्तीफा देने की मांग की जाएगी तो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी। मुझे यही आशंका है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : कौन सा मंच ?

**श्री श्रीकान्त जेना** : कोई भी मंच, जहां इस मामले पर चर्चा की जा रही है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्तः** क्या इस पर चर्चा करने के लिए कोई अन्य मंच भी है ?

**श्री श्रीकान्त जेनाः** जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में जहां इसकी जांच–पड़ताल चल रही है। अगर माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री शरद यादव और अन्य सहयोगियों के विरूद्ध गैर–जमानती वारंट जारी किये गये हैं तो ऐसा ही गैर–जमानती वारंट कल भी आ सकता है। अतः, क्या इस मामले में आपका केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर सकता है?

जी हां, श्री एस.आर. बोम्मई अथवा मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। उनके विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक अधिकारी का नाम था।

[हिन्दी]

लोक लाज सबसे बड़ी चीज है। लोक लाज के कारण वे प्रेसीडेंटशिप से रिजाइन करके चले गये लोक लाज के कारण शरद यादव ने इस्तीफा दिया और आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया ..... (व्यवधान)

**श्री मृत्युंजय नायकः** लालू जी कब इस्तीफा देंगे?

**श्री श्रीकान्त जेना** : वह तो बाद की बात है। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदयः** कृपया शांत रहिये।

**श्री श्रीकान्त जेनाः** मेरा प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् 1991 से लेकर 1994 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में विलंब क्यों हुआ था .....(व्यवधान).....

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे सदस्य को अपनी बात कहने दें।

...(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेनाः** केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिये गये इस वक्तव्य में श्री जैन की डायरी में कहा गया है, "जी हां", मैंने धनराशि दी है और मैं धीरूभाई अम्बानी बनना चाहता था." वह यह भी कहते हैं, "मुझमें धीरूभाई अम्बानी की तरह बढ़ने की इच्छा थी। वह राजनीतिज्ञों तथा अन्य लोगों से हुए संपर्क की मदद से ऊपर उठे। मैं भी उन्हें कमीशन देकर उन्हें अपने नजदीक करना चाहता था।" क्या इसमें धीरूभाई अम्बानी नहीं आते क्योंकि यह काम उसी का था वह जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसकी क्या भूमिका थी और किस प्रकार अचानक वह रंक से राजा बने।

अतः, महोदया, मैं इस प्रशन को सिर्फ चर्चा करने के उद्देश्य से ही नहीं उठा रहा हूं। यह इस देश के हर हिस्से और देश के बाहर भी एक गंभीर मामला है। हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां क्या हो रहा है, इसे प्रत्येक व्यक्ति देख रहा

है।

जो कुछ भी यहां हो रहा है उससे वास्तव में बाहर के लोगों की इस धारणा को बल मिलेगा कि यह भारतीय लोकतंत्र काले धन से और हवाला धन से चल रहा है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि जबकि प्रधान मंत्री जी अथवा श्रीमती आल्वा इस चर्चा में भाग ले रही हैं तो उन्हें इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख करना चाहिए कि यह सब कैसे हुआ।

अन्य रोचक बात 25 मार्च, 1991 तथा 16 जनवरी, 1993 के बीच की अवधि के बारे में है। मेरे मन में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना है कि वह कितनी कुशल संस्था है। मैं वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रशंसा करता हूं अन्यथा श्री वी.पी. सिंह के विरुद्ध सैन्ट किट्स का जालसाजी का मामला कभी नहीं सुलझता। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप उस रिपोर्ट को छिपा क्यों रहे हैं। क्या आपको सैन्ट किट्स के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की आरम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्री मणि शंकर अय्यर जी, आपने सैन्ट किट्स पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अवश्य देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो उस समय विदेश मंत्री थे क्या भूमिका थी? केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस विषय में क्या कहना है?

**श्री मणिशंकर अय्यर** (मईलादुतुराई): यदि आप 'संडे' पत्रिका से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप 'मणिटाक' से पढ़िए।

**श्री श्रीकान्त जेना**: मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। मैं केवल इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि वह जालसाजी का मामला क्या था। मैं केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से उद्धरित कर रहा हूं जो कि कुछ दिन पहले श्रीमती आल्वा को भेजी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री न्यूयार्क गए, उन्होंने अदनान खाशोगी, चन्द्रास्वामी, मामाजी को टेलीफोन किया। विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने विश्व भर में जाँच के आदेश दिए। विश्वभर में किस बात की जाँच के आदेश दिए? अजय सिंह के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए थे अन्यथा हम सैन्ट किट्स में खाता कैसे खोले सकते हैं? यह आदेश किसने दिए? यह आदेश श्री पी. वी. नरसिंहराव, तत्कालीन विदेश मंत्री ने दिए। जब उनसे इस बारे में वर्ष 1990 में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन पर ऊपर से दबाव था, ऊपर से आदेश दिया गया था! केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने सिफारिश की कि इस, रिपोर्ट के तत्काल बाद श्री पी. वी. नरसिंहराव इस जालसाज़ी के मामले से जुड़ गए। उसका क्या हुआ?

आप हवाला से बच नहीं सकते आप सैन्ट किट्स से बच नहीं सकते। अय्यर जी मैं आपके नेता पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अब वे नहीं रहे। श्री एस. के. जैन उनके बारे में क्या कहते हैं? मैं श्री सीताराम केसरी के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ—कितना, कब और कहाँ। उन्होंने कहा कि वे भी 1991 से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, श्री सीताराम केसरी की तरह हिसाब लगा रहे हैं क्योंकि उनकी डायरी जब्त कर ली गई है। श्री सीताराम केसरी कहते हैं:

[हिन्दी]

"न खाता, न बही, जो सीताराम कही वो सही।" जो कही वह सही और जैन ने जो कहा वह सही, लेकिन सी. बी. आई. कह रही है कि 7, रेसकोर्स रोड के बारे में जो कहा गया वह सही नहीं है। यह कैसे सही नहीं है?

[अनुवाद]

इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अंधेरे में है। इसलिए उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है। आप इस मामले भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। यह मेरा पहला आरोप है। इसलिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच करने दीजिए। या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दें अथवा यदि वह जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो मैं अपील करूंगा कि कोई अन्य एजेंसी इस बारे में जाँच करे।

प्रधानमंत्री आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा संसद सदस्य नहीं रहेगा, न ही मंत्री रहेगा और न ही प्रधानमंत्री रहेगा। आपके कार्य याद किए जायेंगे...(व्यवधान) उन्हें इस बात की व्याख्या करनी होगी...(व्यवधान) मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस महान सूची में 115 नाम हैं। मेरा संदेह यह है। आप उन पर भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगा रहे हैं। क्या संसद सदस्य 'सरकारी कर्मचारियों' की श्रेणी में आते हैं? केवल इसी आधार पर आपने संसद सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। और वह क्या है? क्या संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं अथवा नहीं, इस बारे में सरकार का तथा, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का दृष्टिकोण क्या है हमें स्पष्ट किया जाना चाहिये अन्ततः उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ही माना जाएगा लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बताने दीजिए कि भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत संसद सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों पर आरोप लगाते हुए उनको सरकारी कर्मचारी माना जाता है अथवा नहीं।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा**: महोदय, उड़ीसा उच्च न्यायालय मे एक निर्णय लिया गया है जिसमें एक विधान सभा के सदस्य को भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत जिम्मेदार ठहराया गया है और यह निर्णय अभी भी बरकरार है। इसे बदला नहीं गया है। भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत एक विधान सभा सदस्य पर लगाए गए आरोप के मामले में यह उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय था।

**श्री श्रीकान्त जेना**: यही मैं कह रहा था।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा**: उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है...(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना**: मैं भी यही कह रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय है। आज इस निर्णय पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विचार किया गया है — क्या वे उस समय संसद सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य थे जब उन्होंने धन लिया था। आप उस आधार पर उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उन लोगों की सूची पर विचार नहीं कर रहा हूँ जो कि इस वर्गीकरण के कारण बच गए हैं...(व्यवधान)

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली): उनकी संख्या 21 है।

**श्री श्रीकान्त जेना**: मैं उस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस चर्चा में देश का उच्चतम न्यायालय भी शामिल हो जाएगा और यह एक अन्य मामला बन जायेगा। इस जांच के अतिरिक्त 7 रेसकोर्स रोड, माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो मुद्दा मैं उठाना चाहता था वह यह है। मेरे विचार में चूंकि केंद्रीय जाँच ब्यूरो जाँच कर रही है इसलिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

महोदया अब मैं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मुद्दे को लेता हूँ। हम न्यायालय की टिप्पणियाँ भी सुन रहे हैं और राजनीतिज्ञों, संसद सदस्यों तथा विधानसभाओं सदस्यों

के बारे में अखबारों की टिप्पणियाँ भी सुन रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ, तो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए क्योंकि मैं तीन बार विधान सभा का सदस्य रहा और दो बार संसद सदस्य रहा और दो बार केन्द्र तथा राज्य में मंत्री रहा, कॉलिज छोड़ने के बाद मैं जय प्रकाश आन्दोलन के दौरान जेल गया और इस सम्माननीय सभा का सदस्य बना। वास्तव में, मुझे अपने अतीत को देखना चाहिए। मैने कितना पैसा अर्जित किया है, अपने, अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारों के लिए कितना पैसा कमाया है? हमें स्वयं से पूछना चाहिए. एक आयोग बनाया जाया जाना चाहिए। इसकी पूरी तरह से सूक्ष्म जांच करें, सभी संसद सदस्यों की पूर्णतः सूक्ष्म जांच की जाये । चलिए यहाँ से आरम्भ करें। इससे पहले कि कोई हमसे पूछे कि आप वास्तव में क्या है और कहें कि कल आपको साईकिल पर देखा था और आज आप गाड़ी में आए है हमें स्वयं से यह बात पूछनी चाहिए। यहाँ ऐसे संसद सदस्य है जो मैटाडोर से आते हैं और मैटाडोर से जाते है और रेल की दूसरी श्रेणी में सफर करते हैं। मैं अपने आपको प्रथम श्रेणी में शामिल करता हूँ न कि अगली श्रेणी में। हमारे पास दिल्ली की पोश कालोनियों में मकान है। यहाँ के बैंकों में तथा विदेशी बैंकों में हमारे खाते हैं, सावधि जमा राशि है, लॉकर है और क्या नहीं है। हम, यानि, 'हममें से कुछ'। इसलिए मेरा कहना यह है महोदया कि क्या आप केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को इन सब चीजों की जाँच करने की अनुमति देंगे?

इससे पहले कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इन सब चीजों की जाँच करे क्या हम स्वयं की जाँच कर सकते है? क्या वास्तव में हम स्वयं की जाँच करने के लिए कोई प्रणाली बना सकते हैं? आइए दिल्ली में सम्पत्ति की सूक्ष्मता से जाँच करें। मात्र दिल्ली शहर की ही सूक्ष्मता से जाँच करें। आइए देखें कि किसके पास क्या है। विशेषकर कि पोश कालोनियों में नौकरशाहों, न्यायधीशों, पत्रकारों तथा राजनीतिज्ञों के पास पोश कालोनियों में कितने बंगले हैं, इस बात की जाँच की जानी चाहिए। इस बारे में कौन जाँच करेगा? हम 62 करोड़ की बात कर रहे है। महोदया, महरौली फार्मों को देखिये। एक सैनिक फार्म की कीमत 62 करोड़ रू है। एक मकान की कीमत 62 करोड़ रु है। मैं वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वे कल बदलती हुई अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। वे बदलती हुई अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कह रहे थे, हमने यह किया, हमने वह किया और यह कि वर्ष 1991 तक कुछ भी नहीं हुआ था और वर्ष 1991 के बाद उन्होंने ही सब कुछ किया है। प्रगति मैदान जाकर देखिये कि प्रतिदिन कितनी कारों का पंजीकरण किया जा रहा है और देखिए कि उन कारों को कौन खरीदता है जिनकी कीमत 30 लाख और 50 लाख है। पिछले पत्र में, मैं कह रहा था कि कनाट–प्लेस में एक सूट की कीमत लगभग 50,000 रु. है। एक सूट के कपड़े की कीमत 72,000 रु. है। कौन खरीद रहा है? दिल्ली के पांच सितारा होटलों में क्या हो रहा है? इतनी अधिक फिजूल खर्ची कौन कर रहा है? यह पैसा किसके पास है? केंद्रीय जाँच ब्यूरो जैसी महान संस्था क्या कर रही है? वह क्या देख रही है? रोजाना पांच सितारा होटलों में क्या हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा? यह 62 करोड़ रुपए है। श्री शरद यादव मात्र 5 लाख रुपए के लिए इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया जाये या फांसी दे दी जाये। हमें हम पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, यदि हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। इसलिए हम कह रहे थे कि हम आबडसमैन की तरह का संस्थान बना लें। न्यूजीलैंड, त्रिनिडाड, डेनमार्क और स्विटजरलैंड में यह संस्थान व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। इससे वास्तव में सार्वजनिक जीवन को एक अलग सम्मान मिलता है। परन्तु आज हमारे देश में क्या हो रहा है? यदि हमारे देश में लोकपाल (ओम्बडसमैन) जैसा कोई संस्थान नहीं हो सकता है, तो हमें उच्चतम न्यायालय को यह संस्तुति करनी चाहिए कि हमारे देश में एक स्थायी जनहित मुकदमा न्यायपीठ होनी चाहिए। सभी उच्च न्यायालयों में स्थायी जनहित मुकदमा न्यायपीठ होनी चाहिए और यदि इस उद्देश्य के लिए डॉ मनमोहनसिंह को एक और लेखानुदान की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए धन देने के लिए तैयार हैं और प्रधान मंत्री, मंत्रियों, सांसदों, सिविल कर्मचारियों और न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें उस श्रेणी के अन्तर्गत आनी चाहिए। कोई भी नागरिक निर्भीक होकर न्यायपीठ विशेष में जा सकता है। यदि लोकपाल और लोकायुक्त के पद तत्काल नहीं बनाए जा सकते है तो उच्चतम न्यायालय से ओमबडसमैन जो अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं, की तरह की एक विशेष न्यायपीठ बनाने के लिए कहना चाहिए। इस काम के लिए आप में साहस होना चाहिए। उसके लिए राजनीतिक संकल्प की आवश्यकता है। यदि आपके पास राजनीतिक संकल्प है तो आप इस महान राष्ट्र का इतिहास बदल सकते है। आप अगले और पचास वर्ष तक देश पर शासन कीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। आपको जितनी वोट चाहिए आप लीजिए लेकिन एक राजनेता की भांति कार्य कीजिए, प्रधान मंत्री की तरह कार्य कीजिए और पूरे विश्व को संदेश दीजिए कि हम अपने सार्वजनिक जीवन को साफ सुथरा रख सकते हैं।

महोदया, अतः हर तरफ यह दुखद स्थिति है। हम हर जगह मंत्री से यह कहते है कि कृपया हमें एक पैट्रोल पम्प आबंटित कीजिए। हम मंत्री से कहते कि "कृपया हमें कहीं पर गैस एजेंसी जैसी कोई चीज दीजिए।" मैंने यह बात वास्तव में माननीय अध्यक्ष महोदय की बैठक में कही है। हम सब यह बात कह चुके हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लोग समझते हैं कि हम कूपन भी बेच रहे है, वे समझते हैं कि हम टेलीफोन कनैक्शन भी बेच रहे हैं। कृपया इसे हमेशा के लिए बंद कीजिए।...(व्यवधान)...

**श्री रूपचन्द पाल:** हम हमेशा से कहते रहे हैं कि कृपया इसे बंद कीजिए। वे लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। वे इस संबंध में प्रधान मंत्री से परामर्श कर सकते हैं।...(व्यवधान)...

**श्री श्रीकान्त जेना:** दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले हमें स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। अतः हमें पूरी व्यवस्था में सुधार करना होगा। यदि आप वास्तव में व्यवस्था को सुधारना चाहते है तो श्री पी. वी. नरसिंह राव को एक ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए, फिर उन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और उन्हें इस दिशा में नेतृत्व लाना चाहिए। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष है, क्या ऐसे नहीं है?...(व्यवधान)..यदि उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, तो भी ठीक है। ...(व्यवधान)..यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। (व्यवधान)...यहां पर किसी व्यक्ति की औसत आयु क्या है?... (व्यवधान)..

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** कृपया इस तरह की बात मत कीजिए।.(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना:** मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं गंभीरता और ईमानदारी से यह सब कह रहा हूं। वह वास्तव में इस राष्ट्र में जान फूंक सकते हैं। उन्हें 'सेंटकिट्स' के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। श्री सूरज मंडल ने कहा था कि उन्होंने इस वजह से यह सब किया, आदि। मुझे उनके आका हर से हर रोज खबर मिल रही है। वह मंत्री थे और कोई उनका आका था। उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं श्री वी. पी. सिंह का नाम बदनाम करना चाहता था इसलिए मैंने उनके पुत्र श्री अजय

सिंह का नाम इसमें घसीटा इतने तुच्छ लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इससे सब कुछ डांवाडोल हो जाएगा। चूंकि श्री वी. पी. सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने किसी तरह से उन्हें नीचे गिराना चाहा। सच्चाई को कभी नहीं दबाया जा सकता और सत्य की हमेशा जीत-हुई है।**

**सभापति महोदयः** चूंकि वह संसद सदस्य नहीं हैं इसलिए वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं ।

**...(व्यवधान)...**

**सभापति महोदयः** वह अब संसद सदस्य नहीं हैं।

**...(व्यवधान)...**

**सभापति महोदयः** वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं।**

**...(व्यवधान)...**

**श्री श्रीकान्त जेनाः** महोदय, आप कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती हैं और आप जो चाहें कर सकती हैं। **...(व्यवधान)****

**सभापति महोदयः** सभा का कोई सदस्य सभा में अपना बचाव कर सकता है, लेकिन जो सभा का सदस्य नहीं है वह अपना बचाव नहीं कर सकता है।

**...(व्यवधान)...**

**सभापति महोदयः** श्री जेना जी, आप अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

**श्री श्रीकान्त जेनाः** महोदया, आप कार्यवाही पढ़कर निर्णय लेती हैं, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप जो चाहें कर सकती हैं। **...(व्यवधान)****

**सभापति महोदयः** अध्यक्षपीठ इस मामले में अपना विनिर्णय दे सकता है और मैं यह बात कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने के लिए कह रही हूं।

****(व्यवधान)**

**सभापति महोदयः** यदि यह सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध था, तो उस सदस्य को सभा में आकर अपना बचाव करना चाहिए था।

**...(व्यवधान)****

**सभापति महोदयः** श्री जेना जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए और मैं अन्य लोगों से अनुरोध करती हूं कि उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

**.....(व्यवधान)**

**श्री ए. चार्ल्स** (त्रिवेंद्रम): महोदया, कृपया आप दोनों संदर्भों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

**....(व्यवधान).....**

**सभापति महोदयः** कृपया श्री जेना जी को अपनी बात जारी रखने दीजिए।

**....(व्यवधान)...**

**सभापति महोदयः** कृपया सब एक साथ मत बोलिए।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदयः** कृपया बैठ जाइए और उन्हें बोलने दीजिए।

**(व्यवधान)****

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदयः** आप बैठ जाइए।

**(व्यवधान)****

**सभापति महोदयः** आप बैठ जाइए।

**....(व्यवधान)...**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदयः** मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है।

**...(व्यवधान)****

**सभापति महोदयः** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**...(व्यवधान)...**

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**सभापति महोदयः** श्री जेना जी को अपनी बात जारी रखने दीजिए।

**—(व्यवधान)—**

**श्री श्रीकान्त जेनाः** अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

**श्री श्रीकान्त जेनाः** यदि आप अकारण व्यवस्था का प्रश्न उठाएंगे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं केवल दो या तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।**

**सभापति महोदयः** व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

**(व्यवधान)****

**श्री इन्द्रजीत गुप्तः** क्या आपने यह विनिर्णय दे दिया है कि इस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध श्री जेना और श्री मणि शंकर अय्यर दोनों की टिप्पणियाँ कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी जाएं।

**सभापति महोदयः** जी, हां।

**श्री इन्द्रजीत गुप्तः** ऐसा है तो मामला समाप्त हो गया।

**श्री श्रीकान्त जेनाः** महोदया, मैं इस प्रणाली जिसे नष्ट किया जा रहा है के बारे में पहले ही कह चुका हूँ। ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री हरचन्द सिंह** (रोपड़)**:** आप और कितनी देर बोलेंगे।

**श्री श्रीकान्त जेनाः** आपको क्या हो गया है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ।

[अनुवाद]

**सभापति महोदयः** श्री जेना जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

**श्री श्रीकान्त जेनाः** मैडम, मैं कनक्लुड कर रहा हूँ।.....(व्यवधान) आप इतने ईमानदार एम. पीज. है और हम जैसे ईमानदार नहीं हैं। हमारे चलते आपकी जो दुर्दशा हो रही है मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ।

[अनुवाद]

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त ही करने जा रहा था कि क्या हम इस प्रणाली में सुधार कर सकते हैं अथवा नहीं। इस सभा में इन्द्रजीत बाबू, सोमनाथ बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वरिष्ठ नेतागण तथा अन्य सदस्यगण उपस्थित हैं। हमारे लिए यह प्रणाली अभी नई है। यदि आप गलियों में इस प्रकार के कपड़े पहनकर जाते हैं, तो वास्तव में जनता हमारी ओर यह कहते हुए अंगूली उठाती है 'आहे, राजनैतिज्ञ'। आज राजनैतिज्ञों की साख बिल्कुल समाप्त हो गई है। अतः, क्या वास्तव में इसमें सुधार किया जा सकता है? ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है जिसमें कि वास्तव में ही सुधार किया जा सकता है? मैं इसी बारे में सुझाव दे रहा था। मैं एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सुझाव दे रहा था, जिसके विषय में हमारे देश की आजादी के दौरान विचार नहीं किया गया था। शुरु में ही लोक पाल जैसी प्रणाली जैसी प्रणाली लागू करना सही रहता। यदि इस तरह की प्रणाली लागू हुई होती, तो आज जैसी स्थिति उत्पन्न ही न हुई होती। यही वजह है कि हालांकि देरी हो गई है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देनी चाहिए कि यह प्रणाली कभी लागू ही न हो। अतः, मैं इस माननीय सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि इस तरह के आपसी मनमुटाव को त्याग कर, हमें एकमत होना चाहिए, तथा इस चर्चा से यह निष्कर्ष निकालें कि वास्तव में ही हम इस भ्रष्टाचार एवं कालेधन के विरुद्ध श्री मनमोहन सिंह – जिनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा निर्विवाद है– की तरह ही लड़ेंगे। लेकिन आज इस देश में 50,000 करोड़ रुपया कालेधन के रूप में प्रचलित है। मेरा उनसे राजनैतिक मामलों पर मतभेद है। लेकिन वह एक अलग विषय है। लेकिन उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के कारण, सभी उनका सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

**डा. कार्तिकेश्वर पात्र** (पालासौर)**:** कालेधन की क्या स्थिति थी? (व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेनाः** महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सभा के इन समझदार सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इकट्ठे बैठ कर विचार–विमर्श करें। यदि यह चुनाव सुधारों से संबंधित विषय है, तो सरकार द्वारा वित्त–पोषण की आश्यकता होगी। हम चुनाव में किस प्रकार धन व्यय करते हैं। हमें यह धन कहाँ से मिलता है? क्या यह पैसा वास्तव में ही कालाधन है? मैने यह कहते हुए अपनी बात शुरु की थी कि क्या हम वास्तव में ही लोकतंत्र को कालेधन अथवा हवाला के पैसों के माध्यम से चलना चाहते हैं या फिर वास्तविक पैसे को माध्यम से। पारदर्शक तरीके से राजनैतिक दल, राजनैतिक प्रणाली पर समूची व्यवस्था चलेगी। वास्तविक प्रश्न यही है। इसका हल कैसे निकाला जाना है? इस लिए आओ हम इस चर्चा के दौरान, एक साथ इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। हम आशा करते हैं कि इस चर्चा से कोई ठोस बात निकल कर सामने आएगी। अन्यथा एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा लेकिन सी. बी. आई. को निष्पक्ष होना चाहिए तथा इसे निष्पक्ष बनाने के लिए प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वाः** मैं श्री जेना की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बार–बार लोक–आयुक्त एवं एक संस्था स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके राज्य उड़ीसा में एक लोक–आयुक्त कार्यरत था। जैसे ही इनके दल की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने लोक आयुक्त संस्था को समाप्त कर दिया। जब पुनः कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, तो इस लोक–पाल संस्था को फिर से लागू किया गया। मुझे विदित नहीं है कि इसका क्या कारण था। सम्भवतः आपने यह सोचा हो कि यह संस्था अपने कर्त्तव्य एवं कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि उड़ीसा ही एक मात्र ऐसा राज्य था जिसने कि लोक–आयुक्त संस्था को समाप्त किया था।

**श्री श्रीकान्त जेनाः** महोदया, मैं आपसे सहमत हूँ कि एक लोक–आयुक्त संस्था वहां कार्यरत थी और इसे हमारी सरकार द्वारा इसके स्थान पर शीघ्र कार्य निष्पादन हेतु विशे

** अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

न्यायालय स्थापित करते हुए समाप्त कर दिया गया था...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः यह तुलना करने योग्य बात नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेनाः विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी यही अवधारणा थी। हमारा अपनी अवधारणा में मतभेद हो सकता है लेकिन हमारी मंशा गलत नहीं थी। मेरा यह कहना है कि यदि हमारी मंशा गलत नहीं थी, तो फिर हम पर आरोप मत लगाएं। मेरा यही कहना है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः आपने लोक–आयुक्त की आवश्यकता का उल्लेख किया, इसी वजह से मैंने इसका जिक्र किया था...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेनाः आप इसे लोक–आयुक्त अथवा विशेष आयुक्त अथवा किसी अन्य नाम से पुकार सकते हैं। नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए इस संस्था का महत्व है। मेरा यही कहना है। इसके स्थान पर विशेष न्यायालय स्थापित करने के पीछे हमारी मंशा गलत नहीं थी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): न केवल लोक–आयुक्त को ही समाप्त किया गया बल्कि भी ...(व्यवधान)

5.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): मैडम, दो बजे की न्यूज में आपने अपर–हाउस में घोषणा की है...(व्यवधान) और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने निर्णय ले लिया है लोकपाल विधेयक को पास करने का और क्या आप उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने जा रही हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत हो गयी है और प्रधानमंत्री भी उसमें इन्कलूड होंगे और लोकपाल विधेयक इसी सत्र में पास होने वाला है।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः मैं नहीं जानती कि मेरे लिए दूसरे सदन की कार्यवाही का यहां उल्लेख करना सही है या नहीं। मेरे लिए समस्या नहीं है। आज राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसका कि मैंने उत्तर दिया था तथा इसके दौरान प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित थे–मैंने यह घोषणा नहीं की थी, बल्कि यह उत्तर दिया था कि हमारा संसद के इस सत्र के दौरान लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या आप इस विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं? आपने इसी प्रकार के चार विधेयक पहले भी प्रस्तुत किये थे।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदया, मैं सुबह हुई पूरी चर्चा को नहीं दोहरा सकती, लेकिन मैंने यह कहा था कि सरकार विधेयक प्रस्तुत करेगी लेकिन उसे पारित करना संसद के दोनों सदनों पर निर्भर करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या सरकार की मंशा इस विधेयक को पारित करने की है?

श्री राम विलास पासवानः क्या इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री को भी लाया जाएगा?

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज): सभापति महोदया, मैं प्रसिद्ध कवि फैज की पंक्ति से अपना भाषण आरम्भ करता हूँ।

[हिन्दी]

"कौन कातिल बचा है शहर में फैज, जिसने यारों से रस्मों राह न की।

[अनुवाद]

महोदया, हम हवाला वाले श्री जैन के बारे में चर्चा कर रहे है। अब जैन राजनीतिक समाज सहित हमारे समाज में भ्रष्टाचार का प्रतीक अर्थात संकेत शब्द बन गया है, जैसा कि सभा में बताया गया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनजाने में ही श्री जैन के नाम का पता लगा था। यह हम सभी जानते हैं कि जिस मुद्दे पर हम आज सभा में चर्चा कर रहे हैं वह उस मुद्दे का बहुत छोटा अंश मात्र है।

महोदया, मै श्री जेना जैसे युवा के दर्द को महसूस करता हूं जिन्होंने कठोर परिश्रम से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और आज अपनी पार्टी में नेता के रूप में उभरे, किंतु आज उन्हें इस राजनीतिक समाज, जिसके हम सभी सदस्य हैं, के सदस्य के रूप में निशाना बनाया गया है।

महोदया, पूरी सभा में इस विषय को लेकन जो प्रचण्ड तू–तू मैं–मैं हो रही है उस को देखते हुए मुझे लगता है कि हम इस स्थिति को अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि वे हमारे बारे में क्या चर्चा करते हैं। एक ही बुश से मनमोहन सिंह सहित सभी लोगों के मुंह पर किस प्रकार कालिख पोत रहे हैं? वे राजनीतिज्ञों को गाली दे रहे हैं क्योंकि वे कुख्यात बन रहे हैं:–

[हिन्दी]

"कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या;

[अनुवाद]

किंतु यह मात्र कानाफूसी नहीं रही। यह अब इस चेम्बर की दीवारों को भेद रही है, मानो यदि आपके कान और दिल सही स्थान पर हैं तो यह आपको सुनाई देगा। सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार के गर्त में डूब गई है, बदनाम हो गई है।

लोग हमारा सम्मान नहीं करते बल्कि हमसे घृणा करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम सभी भ्रष्ट हैं हम सभी ने लाखों रुपये बनाए हैं, मैं नहीं समझता कि इस दलगत वाद विवाद से इस बात का सचमुच एहसास किया जा रहा है लोग हमारी ओर देख रहे हैं हमारी बात सुन रहे हैं । श्री जैन ही एक मात्र हवाला कारोबार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, कई व्यक्ति इस हवाला कारोबार में लिप्त हो सकते हैं। आज सारा राजनीतिक तंत्र न केवल हवाला कारोबार करने वालों अपितु माफिया सरगनाओं, वाहन डीलरों, ज्योतिषियों, पांखड़ी साधुओं सभी प्रकार के धोखेबाजों, कमीशन एजेन्टों और कई अन्य लोगों के लिए आखेट स्थल बन गया है। हम जानते हैं कि किस प्रकार किसी व्यक्ति पर कृपा की जाती है किंतु हम कई मुद्दों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाला कारोबार से जुड़े सूत्रों को बिखरने दे रहे हैं। जब मैंने इस पर विचार किया तो पाया कि स्पष्ट रूप से इस मुद्दे के चार सूत्र हैं और मैं इस बात को विशेष कारण से कह रहा हूँ क्योंकि श्री मनमोहन सिंह यहां उपस्थित हैं। काले धन को राजनीतिक चंदे के रूप में दिया जाता है, यह एक सर्वव्यापी तथ्य है, विदेशों से हवाला कारोबार के माध्यम से चंदे का अन्तरण किया जाता है, जिन लोगों पर अनुकंपा की गई, जिन्हें किन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति के ठेके दिए गए हैं उनको दिये गए कमीशन का अन्तरण होता है उन्हें वह धन विदेशों में दिया जाता है फिर उसे वैध बनाया जाता है तथा उसे राजनीतिक कार्यों या व्यक्तिगत लाभ के लिए वापस लाया जाता है।

चौथा तत्व यह है कि हवाला कारोबार के लिए नहीं अपितु एक उद्यमी के रूप में उन पर अनुकम्पा किए जाने पर श्री जैन ने निश्चित रूप से रुपये में कमीशन दिया होगा। श्री जैन उद्यमियों की उस नई विशुद्ध नस्ल से सम्बद्ध है जिन पर श्री मनमोहन सिंह को गर्व है क्योंकि उनके अनुसार वे नए भारत का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, जो इस देश को स्वर्ग में बदलेंगे। इसलिए ये चारों बातें अलग-अलग हैं। इसमें कई कानूनी और वित्तीय पेचीदगियां हैं। हमारी जुबान पर मात्र हवाला शब्द चढ़ा है। हवाला मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग माध्यमों से धन को विदेशों में अन्तरित करना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार इस प्रणाली में प्रवेश कर गया है। यह इस प्रणाली की नस-नस में और पोर-पोर में रच गया है। अब यह इस ढांचे की हर खिड़की, दरो-दीवार से रिस रहा है। जनता इसके बारे में जानती है। क्या आप सोचते हैं कि लोग इस बारे में नहीं जानते हैं? लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं तथा इसे सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी है। लोग सोचते हैं कि बिना धन के, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो सकता। यहां तक कि सरकार द्वारा उनके पक्ष में दिए गए आदेश को बिना पैसा दिए एक निजी सहायक प्रतिलिपि तैयार कर नहीं देता है और लिपिक बिना रिश्वत लिए उसे डिस्पैच नहीं करता है। सभी लोग इस बात को जानते हैं, सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कोई कृपा नहीं की गई, कोई स्वीकृति नहीं दी गई, जब हम लोग किफायत करना भूल गए हैं तो भ्रष्टाचार फैलने के ज्यादा आसार हैं क्योंकि तब देने की अधिक गुंजाइश होती है, विगत बीस वर्षों के अपने राजनैतिक जीवन में और उससे पहले बीस वर्षों, जब मैं प्रशासन में था मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि किस प्रकार हमारे महान देश ने संपन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी नव अर्जित चाहे वह किसी सम्मेलन का प्रबंधन करना हो, संपदा के प्रदर्शन नए तरीके अख्तियार किये या इस संसद या मंत्रालयों को चलाना हो। आप पंच सितारा होटलों की ओर देखिए और फिर पंच सितारा प्रसाधन कक्षों की ओर महोदया, मैं एक सर्वमान्य धारणा में विश्वास करता हूँ कि कोई भी व्यवस्था जब वह किसी अन्य व्यवस्था के साथ जुड़ जाती है या दूसरा रूप लेती है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और फिर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और यही सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है हम सभी इसमें भागीदार हैं, हम सब इसे देख रहे हैं, हम लोगों में से कुछ अपने को असमर्थ पा रहे हैं हम इसे रोक नहीं सकते।

हम दिन रात गांधी जी के नाम की माला जपते हैं, उनकी सौंगध खाते हैं तथा मितव्ययता के सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं। श्री मनमोहन सिंह अपने मंत्रालय से निर्देश देते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय मितव्ययता बरते किंतु अगले वर्ष उन्हें दस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देते हैं, उन्हें ऐसा करना पड़ता है, वे भी उस व्यवस्था के अंग हैं।

[हिन्दी]

हर दरकाने नमक रफत नमक शूद

[अनुवाद]

जो व्यक्ति नमक की खान में जायेगा नमक बन जाता है अर्थात जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में रहा है उसी के अनुरूप बन जाता है, इसलिए इस बड़ी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

हम इस व्यवस्था को बदल सकते थे किंतु पहल कौन करे? कौन इस समस्या से जूझेगा? प्रत्येक राजनीतिक दल दूसरे दल के विरोध में कार्य कर रहा है तथा कोई भी इस कार्य को रोकता नहीं है। हमारा कहना है कि साध्य को साधनों के संगत होना चाहिए। यह हमारा दर्शन है। वास्तविक जीवन में हम साध्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधनों को अपनाते हैं चाहे वे कितने ही बुरे क्यों न हों लोकतंत्र में निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य बहुत महान है। उसमें कोई दोष नहीं है। आखिर राजनीति है क्या? यह सत्ता प्राप्त करना और समाज के प्रबंधक बनना है। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि राजनीति एक महान व्यवसाय है, समाज के प्रबंधन की महान कला है जो राजनीति से बिल्कुल अलग थी। हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। हम निश्चित रूप से पाखंडी संतों और धोखाधड़ी करने वालों के तलवे चाट सकते हैं, समस्या यह है कि कोई भी व्यवस्था में सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, हम एक दूसरे को भाषण दे सकते हैं। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आप एक उपाय बताते हैं तो मैं दूसरा और अन्तिम उपाय यह है कि क्या श्री क या श्री ख भारत के प्रधानमंत्री होंगे जैसे कि क या श्री ख को एक बार सत्ता में बैठा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं समझता हूं कि आगामी चुनावों के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं, मैं पुनः प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि फराज, जो हाल ही में हमारे देश में आये थे, को उदधृत करता हूँ-

[हिन्दी]

कौन आता है मगर आस लगाये रखना,
और उम्भर दर्द की शमा जलाये रखना।

[अनुवाद]

हमारे देशवासियों की नियति यही है कि वे इस दर्द, वेदना, कष्ट के साथ जियें, इस पृथ्वी पर रहें और रेंगते हुए मर जायं जैसे कि वे नंगे, भूखे, अशिक्षित और बीमार पैदा हुए हों, किंतु कौन परवाह करता है? हम बुद्ध और गांधी जी के महान आदर्शों को मानने वाले हैं तथा वे हमारे देश के गौरव हैं। हम उस गौरव के साथ जीते हैं तथा लोग कष्ट उठाते

रहते हैं। कौन इसकी परवाह करता है तथा कौन इस व्यवस्था को बदलेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इस कार्य को किया जाना चाहिए। मेरे मित्र जेना ने इसके कुछ उपायों को सुझाकर उचित ही किया है। उन्होंने केवल आरोप नहीं लगाये अपितु कुछ सकारात्मक सुझाव भी दिये हैं। मैं भी कुछ सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं। किंतु मेरा कहना है कि मूलरूप से न केवल सत्तारूढ दल की अपितु देश के सभी राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति से जुड़ा है।

भारतीय जनता पार्टी ने एक इकबालिया दल–बदलू को पार्टी में शामिल क्यों किया? मैं उनके अधिकार की ओर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ किंतु उनके नैतिक मूल्यों की ओर अंगुली उठा रहा हूँ कि जब वे किसी दूसरे दल ने दल–बदल करने वाले बीस सदस्यों को अपने में शामिल किया तो उन्होंने उसकी आलोचना क्यों की? मेरा कहना है कि दल–बदल छलावा नहीं है, दल–बदल का खेल पर्दे के पीछे चोरी छुपे खेला जाता है और इसके अपने नियम होते हैं...(व्यवधान) मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ किंतु कभी–कभी मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** (गढ़वाल) : अभी आपने कहा डिफेक्टर को क्यो लिया? उन्होंने सुबह ही कहा है कि वे उस पार्टी में नहीं थे उनको निकाल दिया गया था जब उन्होंने ऐसा कहा है तो कम से कम इस बात को गलत मत समझें।

**श्री सैयद शहाबुद्दीन** (किशनगंज): यह तो आपने साफ कर दिया।

[अनुवाद]

किंतु मेरे विचार से उन्होंने जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया उसी दिन उन्होंने दलबदल कर दिया था। मैं किसी कानूनी या तकनीकी विचार को नहीं व्यक्त कर रहा हूँ।

इसलिए मैं आपके तथ्यों की ओर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, किन्तु समझने की कोशिश कीजिये। क्या आप उन्हें आज अपनी पार्टी से निकालने के लिए तैयार हैं? जब उन्होंने कहा कि उन्होंने धन नहीं लिया है क्या उसके बाद कोई इस बात को स्वीकार कर सकता है? क्या वे बतायेंगे कि उन्हें किन स्रोतों से धन मिला? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। मैं उसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें पैसा कहां से मिला, यहां तक कि मेरे मित्र सूरज मंडल भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

**श्री भोगेन्द्र झा**: कम से कम अब इस बात पर सफाई मत दीजिए। वह डिफेक्टर हैं या नहीं हैं इस बात को छोड़ दीजिए...(व्यवधान)

**सभापति महोदय**: भोगेन्द्र झा जी आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सैयद शहाबुद्दीन**: श्री मंडल ने इस बात को अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने जनजातीय लोगों के दिलों के दर्द जो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न हुआ है को प्रकट किया है। जब बड़े लूट मचा सकते हैं तो गरीब लोग अपने तरीके से छोटे ढंग से क्यों नहीं लूट सकते हैं। किंतु तब उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि यह पैसा कई सालों से छोटे दानदाताओं द्वारा दान की गई एकत्रित राशि है जिसे संयोग से उसी दिन बैंक में जमा किया जाना था जिस दिन वे प्रधानमंत्री से मिले या जिस दिन उन्होंने सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विशेष ढंग से मतदान किया था। कोई भी व्यक्ति इस बात पर कैसे विश्वास करेगा? क्या आप सोचते हैं कि लोग इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप यह नहीं सोचते कि लोग इन मनगढ़ंत कहानियों के लिए हमारी निंदा करेंगे? जैसे हमारे कुछ साथियों ने किया उसी तरह आप भी सफाई क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए यह वाद–विवाद में बहुत अच्छे अंक पाने का प्रश्न नहीं है, या कोई ऐसी बात भी नहीं कि हमारी वाक्पटुता से लोग प्रभावित है जो कि कभी–कभी हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर करते हैं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है यह एक ऐसा मामला है जिसे हमें राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखना चाहिए। अब इनका भण्डाफोड़ हो रहा हैं और बातें खुलकर सामने आ रही है। यह व्यवस्था सुगठित नहीं रह सकती। व्यवस्था चरमरा रही हैं। इस बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? हमें इस समस्या के बारे में किस प्रकार विचार करना चाहिए?

किंतु, जब मैं कहूँ कि विगत पांच वर्ष घोटालों का गौरवशाली युग रहा है तो सत्ता पक्ष के साथी मुझे गलत न समझें। किसी सत्ताधारी दल के पांच वर्ष के शासनकाल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी**: इसे गौरवशाली युग न कहें इसे कलुषित युग कहें।

**5.18 मं. च. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री सैयद शहाबुद्दीन**: ठीक यही बात मैं कहना चाहता हूँ।

निश्चित रूप से यह अवधि घोटालों और कांडों का काल रहा है। सरकार के वित्तमंत्री डा. मनमोहन सिंह सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनमें राजा मिडास की भांति चमत्कारी क्षमता है आप उस चमत्कारी राजा को जानते होंगे, वह जिस वस्तु को भी छूता था वह सोने में बदल जाती चाहे वह चीनी हो या नमक उन्होंने चीनी को छुआ वह सोने में बदल गई, ग्रेनाइट को छुआ वह सोने में बदल गया, यूरिया को छुआ तो वह सोने में बदल गया, लौह अयस्क को छुआ वह भी सोने में बदल गया। उन्होंने साधारण मैदानी भूमि को छुआ तो वह भी सोने में बदल गई। रक्षा उपस्करों को छुआ तो वे सोने में बदल गए। बिजली के उपकरणों को छुआ तो वे भी सोने में बदल गए। अब मुझमें दूरसंचार के बारे में कहने का साहस नहीं है। किंतु देश के लोगों को इन सब बातों पर अभी भी विश्वास नहीं है, उन्होंने प्रत्येक सरकारी मकान को सोने में बदल दिया। आप जानते हैं कि एक छोटे से कर्मचारी जो सरकार के किसी विभाग में ड्राइवर हैं, ने मुझसे क्या कहा है। वह भारत सरकार का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसने रोते हुए मुझे बताया कि 'सर, शहरी विकास मंत्रालय एक

कमरे के मकान के लिए उससे 40,000 रुपए मांग रहा है। उस 20 साल सरकारी सेवा की है। क्या आप जानते हैं कि उसने बाद में जो कुछ कहा है वह ज्यादा शर्मनाक है? उसने कहा है कि वह यह जानते हैं कि पैसा मंत्री तक भी पहुंचता है। यही सब कुछ हो रहा है।

क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक सिपाही की नियुक्ति की कीमत, 30,000 रुपए है?. मुझे बताया गया है कि सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पदों के लिए तो कीमत और भी ज्यादा है। क्या हम यह भी समझते हैं कि हमें अपने बच्चे के दाखिले के लिए धन देना पड़ता है तथा हमें रेलों में आरक्षण पाने के लिए लाइनों को तोड़ना पड़ता है? क्या यह सब सत्य नहीं है। इसीलिए, जैसा मैंने कहा, यह सरकार हर क्षेत्र में धन बटोर रही है। मुझे नहीं पता कि कितने करोड़ रुपए बनाए जा चुके हैं तथा किस-किस को यह धन वितरित किया गया है। मैं तो वही जानता हूं जो लोग बताते हैं कि प्रत्येक आदेश, मंजूरी तथा किसी भी नियमानुसार कार्यवाही के लिए सरकार ने एक कीमत तय कर रखी है। अतः यदि भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है तथा जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है, तो मुझे हैरत है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या यह मानव की मात्र लालची प्रवृत्ति है। कभी-कभी मुझे हैरत होती है तथा उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूं।

मेरे प्रिय मित्र डा. मनमोहन सिंह ने कल बताया था कि हमारा इतिहास 5,000 साल पुराना है। हमारे इतिहास में बहुत से उतार-चढ़ाव आए हैं। जीत के क्षण भी आए और हार के भी खुशी के अवसर भी आए और निराशा के भी। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हमारे भीतर कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना घर कर गई है। मैंने पूरी दुनिया घूमी है। मैंने किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा। उदाहरणतः अमरीका में मैंने देखा कि लोगों को अपने भविष्य अथवा आगामी दशक तक की चिंता नहीं है। यहां हम न केवल अपने बाकी के जीवन के बारे में सोचते हैं अपितु हमें अपनी आने वाली सात पुश्तों तक की चिंता रहती है। यह भावना हमारे भीतर बैठ गई है। यही भ्रष्टाचार की जड़ है। घोर असुरक्षा की इस भावना के कारण कि कल न जाने क्या हो भारत में अभी भी भारी मात्रा में तस्करी से सोना आता है तथा आप भी काफी बड़ी मात्रा में नियमानुसार भी इसकी अनुमति देते हैं। भारत आज दुनिया में सोने का सबसे बड़ा न्यासीधारी बन गया है। अतः कुछ न कुछ हमारे अंतःकरण में गहरा पैठ गया है। इसका गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है।

महोदय, मैं राजनीति में लगभग 20 साल से हूं। और अब मैं राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि अब यह जनता की सेवा करने का सर्वोत्तम मार्ग नहीं रह गया है। हमने अपनी दिशा खो दी है। हाल ही में स्वर्गवासी हुए महान कवि तवन ने कहा था:

[हिन्दी]

"राहों के पेचो खम में सियते भी को गई है"

[अनुवाद]

टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच हमने अपनी दिशा खो दी है।

[हिन्दी]

"दुश्वार मरहला है चलियो जरा संभल के"

[अनुवाद]

मैं. सी. बी. आई. पर जो चर्चा चल रही है उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता, परंतु मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। हवाला का यह मामला 1991 से सी बी आई के पास है। सी.बी.आई. का यह घोड़ा इतना अशक्त प्रतीत होता है कि यह कुछ भी करने में अक्षम था। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई जान बाकि रह गई थी। 1995 के अंत में इसने अचानक छलांग लगानी शुरु कर दी। वह घोड़ा दमादम चलने लगा। क्यों? कैसे? कुछ न कुछ अवश्य घटित हुआ। अतः कोड़ा फटकारने के लिए मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। यह मरियल घोड़ा अचानक सरपट दौड़ने लगा। अब यह इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि उसे यह तक देखने की फुर्सत नहीं है प्रथम दृष्टया मामला बनता भी है अथवा नहीं। मुझे बताया गया है - मैं केवल किसी सज्जन द्वारा कही गई बात को उद्धत कर रहा हूं - सी बी आई का विचार है कि यदि उच्चतम न्यायालय बिना उसकी बात सुने उसकी बेइज्जती करता है तो वे मामले की मजबूती को ध्यान में रखे बिना हरेक के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप-पत्र दाखिल कर देंगे। हममें से जो लोग कानून के ज्ञाता हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें से अधिकांश मामले विचारण के दौरान नहीं ठहर पाएंगे। इस प्रकार वे आरोप-पत्र दाखिल करके एक प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दोहरे जोखिम का नियम उसका बचाव करेगा। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमजोर, झूठे तथा अधूरे मामले तैयार किए जा रहे हैं जबकि बड़ी-बड़ी मछलियां बचकर निकल गई हैं।

जल के ऊपर हाल वही है जल के नीचे हाल,
मछली बचकर जाए कहां जब जग ही सारा जाल।

इस प्रकार बड़ी मछलियों को बचकर निकलने का रास्ता दे दिया गया है तथा इस बात को जानते हुए कि ये मामले टिक नहीं पाएंगे, छोटी मछलियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। अतः मेरे अपने इन प्रिय मित्रों को सलाह है कि वे थोड़ा धैर्य रखें।

महोदय, कानूनी रूप से यह सच है कि किसी आदमी की डायरी में नाम लिखे होने मात्र से ही आप किसी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं कर सकते। उसकी पुष्टि हेतु कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार यदि डायरी में किसी का नाम है तो इस वजह से आप उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। मैंने एक अखबार के मुखपृष्ठ पर एक विश्लेषित वक्तव्य का ब्यौरा देखा है जिसमें बताया गया है कि सी बी आई अपनी जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके मामले में दी गई तारीखें गलत हैं तथा आदमी की याददाश्त में कुछ छूट भी हो सकती है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार की चयनात्मकता क्यों बरती जा रही है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): क्या आपने किसी समाचार पत्र में किसी डायरी के पन्ने की छपी हुई प्रति से संबंधित कोई समाचार देखा है जिसमें प्रधान मंत्री का नाम है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने डायरी के बारे में नहीं कहा है। मैं अभियुक्त द्वारा बाद में दिए गए वक्तव्य के बारे में बात कर रहा हूं।

परंतु वही संगठन, अपने आप अथवा मौन षडयंत्र के तहत किसी के निदेशों के अधीन आज यकायक बोलने लगा। ठीक है, मैं उसकी सफलता की कामना करता हूं।

परंतु मैं डा. मनमोहन सिंह से जानना चाहता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय कहां तक पहुंचा है। आखिरकार, हवाला मामला एक आर्थिक अपराध है। निसंदेह और बहुत से अपराध भी इससे जुड़े हुए होंगे। मेरा विश्वास है कि शायद आपने प्रवर्तन निदेशालय को भी सतर्क किया होगा। चार साल बाद वह भी अब इस दौड़ में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। निसंदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना हुआ है, फेरा कानून का उल्लंघन हुआ है और इस पर कार्यवाही करने का दायित्व आपका है। एफ.सी.आर.सी.ए. के उल्लंघन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है तथा भारतीय दंड संहिता में भी इन अपराधों के संबंध में धाराएं विद्यमान हैं। मेरा अनुमान है कि सी. बी. आई. को इन सबका भी ध्यान होगा।

महोदय, मुझे यह कहना है कि एक बड़ा साधारण नियम है समानता का। प्रधान मंत्री संदेह के घेरे में आ गए हैं। मैं इस समय यह नहीं कह रहा हूं कि उन पर दोष सिद्ध हो गया है। परंतु वह संदेह के घेरे में आ गए हैं तथा बार-बार उन पर अंगुली उठाई जा रही है। इस प्रकार उन पर एक-एक करके कई छायाएं इकट्ठी होकर गहरे बादल बन गए हैं। क्या प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करने वाली एजेंसी के लिए यह उचित होगा कि वह उनके मामले में जाँच करे?

तुम कातिल, तुम ही शाहिद, तुम ही मुंसिफ ठहरे।
तो अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर॥

हम कहाँ जाएंगे? प्रधान मंत्री क्यों नहीं अपना पद त्याग देते तथा अपने विश्वासपात्र डा. मनमोहन सिंह को सत्ता सौंप देते? वह तब तक के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब तक कि जांच द्वारा यह साबित न हो जाए कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तथा उसके बाद जनता के समक्ष सभी तथ्य रखे जाएं।

महोदय, सरकार को संदेह से ऊपर होना ही चाहिए। कम से कम सरकार के मुखिया को संदेह से परे होना चाहिए क्योंकि सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यन्त तक ही कार्य करते हैं। परन्तु सीजर किसके प्रसाद पर्यन्त तक कार्य करता है। अंततः यह उसका अपना विवेक ही है। अतः मैं यह विनम्र सुझाव देना चाहूंगा कि यह उचित नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है तथा इससे लोगों की विश्वसनीयता बहाल नहीं होगी एवं जनता का व्यवस्था में विश्वास नहीं बना रह पाएगा यदि प्रधानमंत्री ऐसे समय सी.बी.आई के प्रमुख बने रहें जबकि वह उसके आचरण की जाँच कर रही हो।

हम यह जानते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या कुछ घटित हो रहा है। श्री मनमोहन सिंह द्वारा विश्वव्यापीकरण शब्द प्रचलित किए जाने से काफी पहले श्रीमती गांधी ने एक बार सत्य ही कहा था कि "भ्रष्टाचार विश्वव्यापी हो गया है।" परंतु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के दूसरे बड़े लोकतंत्र तथा दुनिया के सभी नैतिक सिद्धांतों के अनुयायी तथा बुद्ध, गांधी, ऋषियों, मुनियों व साधुओं के उत्तराधिकारी होने के दावों का क्या होगा? इटली और जापान में क्या किया? उन्होंने कोरिया में क्या किया और हमारी स्थिति क्या है हम दुनिया के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारी सारी व्यवस्था को तिरस्कृत कर रहा है।

अब मैं दल-बदल के प्रश्न पर आता हूं, मैंने इस बात का उल्लेख किया ही है कि श्री मंडल द्वारा बताए गए धन प्राप्ति के स्रोत पर मुझे विश्वास नहीं है। तथापि मैं समझता हूं कि श्री महतो द्वारा धन प्राप्ति के स्रोत की घोषणा न किये जाने और तारीखों के बीच अत्यंत आकस्मिक होने का कोई गूढार्थ है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ कि सरकार ने अपनी खाल बचाने की कोशिश की है उसमें कहीं पर उन्हें सफलता मिली है, कहीं पर नहीं।

मैं यहां पर कहना चाहता हूं – उस बिंदु को दोहरायो जाने की आवश्यकता है यद्यपि मैं इस बात को उठाने का पूरा श्रेय श्री चटर्जी को देता हूँ यदि धन नहीं भी दिया गया किंतु किसी निर्णायक मत देते समय कोई राजनीतिक वचन देना भी अपने आप में राजनीतिक भ्रष्टाचार है...(व्यवधान) यहां पर भी ठीक वही तर्क दिया जाता है जैसा कि चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग सरकार को किसी नई योजना प्रारम्भ करने या कोई नया वायदा करने से रोक देता है। उसी प्रकार वही तर्क यहाँ भी लागू होता है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: इनकी हिम्मत उत्तरांचल वाले केस में नहीं हुई कि हमें वोट दीजिए।

[अनुवाद]

जब आप उन्हें झारखंड राज्य के निर्माण की पेशकश करते हैं तो आप अपने आपको गंभीर राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह (जालंधर): यह तो आपने कल कह दिया।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: कल कह दिया नहीं आपको बार-बार सुनना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन – उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सकारात्मक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: मेरे विचार से आपको उत्तराखंड राज्य दे दिया जाना चाहिए मुझे आपके वोट की जरूरत कभी नहीं होगी अपना वोट अपने पास रखिये, किंतु मेरे विचार से आपको उत्तराखंड राज्य मिलना चाहिए।

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** प्रथमतः, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक ऐसे सांविधिक प्राधिकरण में बदलने, जो किसी अन्य को रिपोर्ट न कर करके सीधे भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे, हेतु शीघ्र इस सदन में एक विधेयक लाया जाए।

**श्री मणि शंकर अय्यरः** माफ कीजिए। आपका आशय है कि राष्ट्रपति को इसका कार्यकारी प्राधिकार होना चाहिए। पूरे संविधान में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। आपका प्रस्ताव क्या है मैं नहीं जानता।

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** नहीं, मैं इस विधान के गुण और दोष का उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि एक विधान बनाकर इसे एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय बनाया जाए। जो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सके। मेरा कहना है कि इसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसा संवैधानिक प्राधिकार प्रदान किया जाए।

अब, दूसरी बात यह है, महोदया आपकी सरकार द्वारा उठाया गया यह एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे विश्वास है कि इस विधान को पुरःस्थापित करवाने में और इसी सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित करने का निर्णय करके तथा उसके क्षेत्राधिकार में देश के प्रधानमंत्री को भी शामिल करके आपने एक सकारात्मक भूमिका अदा की है।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण): इसमें प्रधानमंत्री को शामिल किए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या मुख्य मंत्री को भी इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोकपाल विधेयक केवल केन्द्रीय प्राधिकारी पर ही लागू होगा और शायद उसके लिए अलग से राज्य में विधान लाना होगा। लेकिन सिद्धान्तः आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

सिद्धान्त रूप में, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री के साथ–साथ राज्य सरकार के प्रमुख को भी लोकपाल अथवा लोकायुक्त के प्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है और मैं आपके साथ हूँ।

मेरा तीसरा सुझाव, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है, वह निर्वाचन से संबंधित है। कृपया कुछ ऐसे नियम बनाईये जिससे कि उम्मीदवारों और दलों को जवाबदेह बनाया जाए तथा समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। सरकार की ओर के धन दिया जाये, समुचित सीमाएँ निर्धारित की जाये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के स्पष्टीकरण की खामियों को दूर किया जाये जो उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च और पार्टी द्वारा किए गए खर्च या उसके समर्थकों द्वारा खर्च किए गए धन के बीच सीमा रेखा खींचता है। मेरा कहना है कि केवल एक ही सीमा होनी चाहिए और कुल खर्च को एक समुचित सीमा के अन्तर्गत रखा जाये।

जहाँ तक राजनीतिक दलों को चन्दा देने का संबंध है, इस बारे में कल मैंने एक निजी बैठक में सुझाव दिया था कि कुछ देशों में प्रत्येक कर–दाता की कर योग्य आय का एक प्रतिशत राजनीतिक दलों को विधि सम्मत राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए राजनीतिक गठनों को वैधानिक बनाने के लिए चन्दे के रूप में दिया जा सकता है और फिर दोनों पक्षों दान देने वाला और दान प्राप्त करने वाला को इसका लेखा–जोखा रखना चाहिए–और पार्टियों को धन की सूची भी प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि किस उम्मीदवार को उन्होंने कितनी धनराशि दी है। यदि सब जगह समान व्यवस्था हो तो अच्छी बात है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव संबंधी खर्च प्रणाली पूर्णतः खुली एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। मेरे विचार से, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है। हमारे प्रजातंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं, इसने देश के लोगों में अपनी गहरी पैठ कर ली है। इसलिए ऐसा किया जा सकता है। आपको चन्दों को वैधानिक रूप देना होगा, आपको चुनाव खर्च की समुचित सीमा निर्धारित करनी होगी, आपको खामियों को दूर करना होगा और पार्टियों और उम्मीदवारों को पूर्णतः जवाबदेह बनाना होगा।

जहाँ तक दल–बदल का सम्बन्ध है। इस बारे में एक स्पष्ट कानून होना चाहिए। जैसा कि श्री मधु लिमये ने ठीक ही कहा था, दल–बदल सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए। लेकिन यदि विपक्ष से कोई सदस्य दल बदल कर सत्ता दल में शामिल हो जाता है और विशेष रूप से जब वह दल–बदलू मंत्री बन जाता है तो यह इसकी बिल्कुल पराकाष्ठा होती है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई जो दल–बदल करता है उसे अपनी सीट से त्यागपत्र देना चाहिए और जनता द्वारा फिर से चुने जाने के लिए वापस उनके पास जाये या कम से कम जो सत्ता दल में शामिल होने के लिए त्यागपत्र देता है और सत्तापक्ष का सदस्य बन जाता है उसे तुरंत जनता के पास पुनः जनमत के लिए जाना चाहिए।

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): यदि सत्ता दल का सदस्य दल बदल कर विपक्ष में शामिल होता है तो उस स्थिति में क्या होगा?

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** दोनों पक्षों पर यह बात लागू होगी। कभी हम भी दल वाले होंगे। इस बारे में चिन्ता न करें। यह दोनों पक्षों पर लागू होगा।

मुझे याद है 40 के दशक के उत्तरार्द्ध में या 50 के दशक के पूर्वार्द्ध में स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक नेताओं और प्रशासन के बीच संप्रेषण के बारे में एक प्रश्न उठा था। यदि मुझे ठीक से याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे उस समय अधिकांश विधायक और राजनेता कांग्रेसी थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है अब वे कुछ भी कर सकते हैं और कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक को परेशान करके कुछ भी करवा सकते हैं। अतः, पंडितजी ने एक पत्र लिखा यदि मुझे ठीक से याद है उसमें उन्होंने यह लिखा था कि कोई भी मामला पार्टी के माध्यम से उठाया जाना चाहिए और किसी राजनीतिक कार्यकर्त्ता को प्रशासन के पास सीधे नहीं पहुंचना चाहिए। निःसन्देह, यदि कोई राजनीतिक मामला है, कोई सार्वजनिक मामला है तो जिला स्तर पर पार्टी इकाई का यह कर्त्तव्य कि वह इसे जितना अधिकारी के ध्यान में लाये। अतः इस प्रकार के कुछ नियम काफ्टे, में इन्हें सभा पटल पर नहीं कर रहा हूं, शुरु किये जाने चाहिए जिससे खराब छवि वाले विधायकों और अति उत्पीड़ित मंत्रियों के बीच सम्बन्धों को नियमित किया जा सके। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। मुझे मालूम है उन पर दबाव पड़ रहा है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। कम से कम हम में से किसी ने प्रणाली पर कोई दावा या उससे कोई मांग नहीं की है लेकिन ये नहीं के बराबर है। हम हर समय सिफारिश करते रहते हैं और पैरवी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गयी है। कभी–कभी यह हो सकता है कि क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे निर्वाचन–क्षेत्र का है, मैं अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को पत्र नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि हजारों मरीज कतार में इंतजार कर रहे हैं तो मैं मेरे आदमियों का इलाज पहले कराने की मांग क्यों करूं। लेकिन हर व्यक्ति सिफारिश के आधार पर चल रहा है और यह मैं किसी रहस्य की बात नहीं बता रहा हूँ। बेनामी लेन–देन में भी काफी सिफारिशें चल रही हैं।

[हिन्दी]

वह मांग रहे हैं, क्या करें। हम तो मजबूर हैं, हम थोड़े ही पैसा ले रहे हैं। हम क्या करें, वह एस. पी. साहब, वह डी. एम. साहब, वह मिनिस्टर साहब पैसा लिये बगैर काम नहीं करते तो यहा 50 हजार रुपये से कम में काम नहीं चलेगा। अगर आप दे सकते हैं तो आपका काम हो जायेगा, करवा देंगे।

[अनुवाद]

यह रोज हो रहा है। इसकी मुझे पूरी जानकारी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

हमारे जेना साहब ने सही कहा।

[अनुवाद]

हमें अपने अन्तःकरण में झांकना चाहिए और अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। हमारा यहां आने का उद्देश्य क्या है? हर कोई मंत्री बनने के लिए परेशान क्यों है? (व्यवधान)..मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने एक भी दिन सत्ता का सुख नहीं भोगा। जब मेरी पार्टी सत्ता में आई, तब मैं पार्टी में नहीं रहा और जब मेरी पार्टी की सरकार गिर गई तो मैं पुनः पार्टी में वापिस आ गया। (व्यवधान)। यह मुद्दा नहीं है। मैं आम बात कह रहा हूं। मुझे मालूम है किसी प्रधान मंत्री के लिए स्वयं को सत्ता में बनाये रखना कितना कठिन होता है। उसे कई बातों को जो उसकी जानकारी में हो रही है अनदेखा करना के लिए कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वह अपने पार्टी के नियंत्रण में होता है जिसके पास अल्प बहुमत हो। प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होता है। हर व्यक्ति के दोषों और अवगुणों की अनदेखी करनी पड़ती है। अधिकांश दोष छिपाना पड़ता है। अन्यथा, सरकार गिर जायेगी। सरकार का पूरा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि क्या आप किसी विशेष समूह की सिफारिश का दबाव स्वीकार करते हैं या नहीं। अतः, हमें भी इस प्रणाली में कुछ सुधार करने के लिए अपनी बुद्धि लगानी होगी। इस देश का प्रधान मंत्री इन सभी दबावों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। इस बात से मैं दूसरी बहस पर आ जाऊँगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ।

धनोपार्जन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस पुनः दोहराता हूँ कि: हमें एक कानून पारित करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे अनधिकृत न्यायालय पर भरोसा नहीं है जिस पर प्रहरक लोगों का कब्जा हो। हमारे पास एक कानून होना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी समय यदि कोई नागरिक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होगा, उसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय, जिस क्षण वह किसी सार्वजनिक पद हतु उम्मीदवार बन जाता है तो उसे अपने नाम या उसके सन्निकट परिवार वालों के नाम पर उसकी सभी चल और अचल सम्पत्ति का एक शपथपत्र भी दाखिल करना चाहिए और इसी प्रकार का एक विवरण और शपथपत्र तब दिया जाना चाहिए जब वह अपना कार्यकाल पूरा करता है या बीच में अपनी सदस्यता छोड़ देता है (व्यवधान)। बैंकों की गोपनीयता के प्रश्न पर मेरी वित्त मंत्री से निरंतर लड़ाई चल रही है। इन शपथपत्रों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को यह पता चल सके उसके पास कितनी सम्पत्ति है, जब उसने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था, उसका मूल्य क्या था और उस समय उसका मूल्य क्या है जब वह सार्वजनिक जीवन से निकलना चाहते हैं। यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं और अपने लिए कुछ विशेषाधिकार चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग भी करना ही पड़ेगा। आपको अपना गोपनीयता का त्याग करना पड़ता है। आपकी आचरण, आपके बच्चों का आचरण, आपकी पत्नी और आपके भाई का आचरण सार्वजनिक क्षेत्र की बात बन जाते हैं।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में भतीजावाद, चाचावाद बहुत चलता है।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): ज्यादा वही चलता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन: ज्यादा वही चलता है।

[अनुवाद]

भाई भतीजावाद के कई तरीके हैं। इसलिए, यह बात सार्वजनिक क्षेत्र में आनी चाहिए। हमें उस समय पारदर्शिता के मानक निर्धारित करने चाहिए। तत्पश्चात यह कानून इस सभा में बैठे हम सभी लोगों या कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लोक याचिका है, पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना चाहिए। मुझ पर भरोसा करें और मुझे यह कहने में बहुत दुख हो रहा है और मेरा इरादा किसी के विरुद्ध आरोप लगाने का नहीं है लेकिन यदि राज्य विधायिका और कार्यपालिका से बना है तो इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार का कानून उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों पर लागू हो। आज, न्याय के गलियारों में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध व्याप्त है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। राज्य के ये सभी तीनों अंग सार्वजनिक जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही के अधीन होने चाहिए तभी हम यह कहने में सक्षम हों कि हम वास्तव में भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं।तभी हमारी संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ सच्ची होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 64 करोड़ रुपये के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं है। मित्रों के बीच 64 करोड़ रुपये से क्या होता है। लेकिन प्रश्न इससे काफी बड़ा, काफी विस्तृत है। अतः, हमारे पास इतिहास को समझना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं कि साफ मन से, खुले दिमाग से और एक नयी भावना से देश की सहायता करने के लिए लोगों के पास जायें ताकि लोगों का इस प्रणाली में विश्वास जागे कि उनका हमारी ईमानदारी में विश्वास है जिसका हम दावा कर रहे हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है, एक काम किया जा सकता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिये। यदि वह स्वयं ही इस्तीफा दे देते हैं और अपना पद अपने किसी विश्वसनीय सहयोगी को सौंप देते हैं, तो

यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम कम से कम उन्हें लोक दिखावे के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर से अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिये, इसे एक स्वायत्त संस्था बना दीजिए या कम से कम इसे अन्य मंत्री को सौंप दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदयः** अब मैं श्री सुधीर सावंत को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

**कुमारी ममता बनर्जीः** महोदय, आप मुझे बोलने के लिए नहीं बुल रहे हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदयः** सुधीर सावन्त जी, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइये। किसी अन्य सदस्य ने कहा है कि कुमारी ममता बनर्जी को अपना भाषण शुरू करने की अनुमति दीजिये।

[हिन्दी]

**श्री सैयद शहाबुद्दीनः** माफ कीजिये, मैं एक शेर पढ़ना भूल गया था।

उनके माथे पर शिकन तो आयेगी, लेकिन शकील,
हम कहां ले जाये अपनी जुर्रतें गुफ्तार को।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदयः** किसी ने कुमारी ममता बनर्जी के बोलने की वकालत की है। लेकिन सूची में आपका नाम दर्ज है।

**श्री सुधीर सावन्त** (राजापुर): ठीक है, महोदय।

**कुमारी ममता बनर्जीः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तथा श्री सुधीर सावन्त की आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। कम से कम आपने मुझे बोलने की अनुमति तो दी।

**उपाध्यक्ष महोदयः** आपको श्री सुधीर सावन्त का आभारी होना चाहिये।

**कुमारी ममता बनर्जीः** निःसन्देह। मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यगण तथा विशेष रूप से आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। हम चर्चा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार फैशन ही नहीं बल्कि कला की तरह हो गया है। मैं अपनी बात एक कहावत से शुरू करना चाहती हूं क्योंकि मुझसे पहले श्री सैयद शहाबुद्दीन ने बहुत उद्धरण उद्धृत किये हैं। सबसे पहले, मैं श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर को उद्धृत करना चाहती हूं जिन्होंने कहा है: जहां भय नहीं, और सिर गर्व से ऊंचा रहता है...काफी संघर्ष के पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत की आजादी के लिए अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब भारत एक युवा राष्ट्र है... (व्यवधान) यह एक खुशहाल देश है और सदैव खुशहाल ही रहेगा। क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है?

अब मैं अपने विषय पर आती हूं। मैंने सोचा कि इसी बात पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिये, सभी राजनीतिक दलों तथा गुटों को इस समस्या को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना चाहिये ताकि इस देश के लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में मूल्य-आधारित राजनीति के बारे में सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

शहाबुद्दीन जी आपने बुत से शेर कहे हैं। मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप भी सुनिये।

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।"

ऐसी बात होती है। लेकिन यह बात भी सच है कि:

"मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है।"

मैंने इसलिए यह बात कही है, क्योंकि आप लोगों ने भी शायरी में बहुत बातें कही हैं।

[अनुवाद]

सच बात यह है कि हमें मुख्य बात छिपानी नहीं चाहिये। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में कुछ भ्रष्ट राजनीतिक नेता होते हैं और इसी कारण राजनीतिकों की विश्वसनीयता कम हो गई है। और नई पीढ़ी यह सोच रही है कि इस प्रकार की राजनीति चल पायेगी अथवा नहीं। यदि आप यह कहकर किसी एक पार्टी एक पर आरोप लगाते हैं कि इसने पैसा लिया है और दूसरी पार्टी इससे बिल्कुल अछूती है तो यह सही नहीं है। वे इससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूं।

मैं मारग्रेट आल्वा जी पर आरोप लगाती हूं और उन्हें इस हवाला मामले के पीछे काम कर रही योजना के बारे में बताती हूं। भ्रष्टाचार हरेक जगह है। जब मुझे अवसर मिलेगा, तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। इस मामले में, विशेष न्यायाधीश श्री गुप्ता ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा न्यायालय ने प्रत्येक दस्तावेज को अपने कब्जे में ले लिया है तो फिर यह कैसे हुआ कि 2 फरवरी को मार्क्सवादी पार्टी के ही एक सदस्य ने यह बयान दिया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो आरोप पत्र किस प्रकार दाखिल कर सकती है, वे लोग कौन हैं और कौन से ऐसे न्यायालय हैं? उन्हें यह सूचना किस प्रकार मिली। इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि वे वामपंथी दलों के नाम, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम शामिल नहीं करेंगे। यही योजना थी। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय पर आरोप लगाती हूं। मुझे केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जब 2 फरवरी को एक पार्टी विशेष के सदस्य के माध्यम से पहली खबर आई, तो यह खबर लीक किस प्रकार हुई?

एक राजनीतिक पार्टी ने कहा है कि उन्होंने आय-कर विवरणी भर दी है। मैं आपको बधाई देती हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने अपने आय-कर विवरणी मे क्या

भरा है? आपने उस विवरणी में 'शून्य' लिखा है। आपके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। प्रत्येक खंड, प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले और प्रत्येक राज्य में आपकी संपत्ति है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते। अब मैं वित्त मंत्री महोदय पर आरोप लगाती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या वे इनके द्वारा भरी गयी आय-कर विवरणी संबंधी ब्यौरे को देखेंगे। उन्होंने 'शून्य' रिटर्न भरा है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी आय शून्य है। फिर उन्होंने इतनी इमारतें किस प्रकार बना लीं? उनके पास हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। यह संपत्ति वे कहां से प्राप्त कर रहा हैं? यह वह यह संपत्ति सोवियत रूस से प्राप्त कर रहे हैं अथवा के. जी. बी. से या फिर गोर्बाचेव से प्राप्त कर रहे हैं? यह बड़े दुःख की बात है। मैं इस हवाला मामले का समर्थन नहीं कर रही हूं। उन्होंने झूठे रिटर्न जमा कराये हैं। अगर मेरी बात गलत है, तो आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं। लेकिन उन्होंने 'शून्य' रिटर्न भरे हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसकी विस्तार से जांच करें और यह पता लगायें कि क्या यह सच है या नहीं कि उनके पास बहुत सी संपत्ति है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। यह घोटालों का घोटाला है, हवाला से भी बड़ा हवाला है। आप लोग नहीं जानते कि उन्होंने किस प्रकार इस मामले को गढ़ा है? इसके पीछे क्या योजना है?

वास्तव में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनावों से पूर्व भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है। मैं इसे स्वीकार करती हूं। क्योंकि यदि आप किसी स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं तो आपको चंदा देना पड़ता है; अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाते हैं, तो आपको चंदा देना पड़ता है, आप जहां कहीं भी जाओं, आपको चंदा देना पड़ता है। अगर आपको फाइल पर स्वीकृति लेनी होती है तो आपको चंदा देना पड़ता है। भ्रष्टाचार हर जगह है। अतः, आप किसी एक विशेष स्थान पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते। आपको प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये और भ्रष्ट लोगों को हटाया जाना चाहिये। देश के लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि भारत एक ऐसा देश हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है 'जी हां, हम लोकतंत्र में विश्वास करते है, हम एकता में विश्वास रखते हैं, हम स्थिरता का, ईमानदारी का समर्थन करते हैं।"

महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि मूल्य आधारित राजनीति मूल्यहीन हो गई है। अतः मनमोहन सिंह जी 18 वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी पर आयकर 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होने के संबंध में मैं जो आरोप लगा रही हूं, वह बिल्कुल स्पष्ट है। यह उन्हें कहां से मिले? क्या यह अलाउद्दीन के चिराग से प्राप्त हुए हैं? या फिर यह भी एक बहुत बड़ा हवाला है, घोटालों का घोटाला है?

महोदय, ये लोग कहते हैं कि उनकी छवि साफ-सुथरी है और अन्य सभी लोग और सभी भ्रष्ट हैं और वे ईमानदार हैं। आज किसने यह बात कही है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती.....(व्यवधान)... मैं आप पर दबाव नहीं डाल रही हूं। कृपया मुझे बोलने दीजिए,...(व्यवधान) मैं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दे रही हूँ।

श्री भोगेन्द्र झाः क्या आप ममता जी पर दबाव डालेंगे?

कुमारी ममता बनर्जीः महोदय, आज किसी ने कहा था कि केवल उनका दल भ्रष्टाचार से परे है और अन्य सभी दल भ्रष्ट हैं। क्या आप इस विशिष्ट व्यक्ति को जानते हैं? उनका नाम पवन कुमार डिडवानिया है।

श्री भोगेन्द्र झाः मुझे केवल आधे मिनट की अनुमति दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जीः महोदय, आज एक आदमी ने केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वकालत की कि केवल उनका दल भ्रष्टाचार से परे है और अन्य दल चोर हैं। प्रवर्तन विभाग ने 'फेरा' का उल्लंघन करने कर की चोरी करने तथा अन्य बातों के कारण पवन कुमार डिडवानिया नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। इसके साथ-साथ वह अपने हवाला व्यापार का कलकत्ता से सिंगापुर तथा बैंकाक तक लेन-देन भी कर रहा था। उसे प्रवर्तन विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैरिस्टर ने उसकी वकालत की थी। **

इसलिए, महोदय एक राजनीतिज्ञ को ईमानदार होना चाहिए। केवल वही लोग विश्वसनीयता की बात कर सकते हैं जो स्वयं विश्वसनीयता के पात्र हैं जो स्वयं विश्वसनीयता के पात्र नहीं हैं, वे विश्वसनीयता की बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और अब हमें उनसे सबक सीखना है। निश्चय ही, मैं यह नहीं कह सकती कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह सब ठीक है। जो लोग कुछ काम कर सकते हैं, वे कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए अपना खून दिया है। आप कांग्रेस पार्टी को जानते हैं-महात्मा गाँधीजी, इन्दिरा गांधीजी, राजीव गांधीजी, बेयन्त सिंहजी और अन्य लोग-जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून दिया। क्या आप किसी अन्य दल से किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसने इस देश के लिए अपना खून दिया हो? नहीं। कांग्रेस इस देश की एकता, अखंडता तथा स्थिरता की परिचायक है। जी हाँ।

यह हवाला मामला आज आरम्भ नहीं हुआ। वास्तव में यह हमारी प्रणाली की गलती है-चुनाव प्रणाली की गलती है और इसलिए मैं समझती हूं कि आज के समय की मांग है सुधार लाना-चुनाव प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक प्रणाली में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार तथा लोकपाल विधेयक में सुधार जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों, जनता के सभी प्रतिनिधियों तथा सभी दलों को शामिल होना चाहिए। मैं इस विधेयक द्वारा यह चाहता हूँ कि राज्य द्वारा अनुदान मिलना चाहिए अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति धन कमाएगा।

महोदय, यह एक मजाक है कि 50,000 रु. के लिए एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मैं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दे रही हूँ। लेकिन बात यह है कि यदि आप देश भर में देखें तो आप देखेंगे कि पंचायत के प्रत्येक सदस्य के पास लाखों रु. है। यह पैसा कहां से आ रहा है?

6.00 म. प.

क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक नेता विदेश जा रहे हैं? वे स्विस बैंस किसलिए जा रहे हैं? क्या यह एक निजी यात्रा है? मैं कल आपको इसका ब्यौरा दूंगी। यदि यह बैठक छः बजे के बाद चलती रही तो मैं इसका ब्यौरा दूंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्विटजरलैंड क्यों गए? क्या यह एक निजी यात्रा थी? मेरे पास विधान सभा में दिया गया जवाब है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवही वृत्तंत से निकाल दिया गया।

यह विधान सभा में दिया गया जवाब है। मैं गलत बात उद्धृत नहीं कर रही हूँ। वे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको ब्यौरा देना चाहती हूँ....(व्यवधान)

**श्री रूपचन्द पाल:** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**कुमारी ममता बनर्जी:** यह जवाब पश्चिम बंगाल की विधान सभा में दिया गया है। मुझे दस्तावेज मिल गए हैं....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** आइए, इनका व्यवस्था का प्रश्न सुनें। क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैं अपने बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने दूरदर्शन पर अपना नाम सुना था।

**श्री रूपचन्द पाल:** महिला सदस्य ने वह मुद्दा उठाया है जिसका चर्चा के विषय से कोई संबंध नहीं है...(व्यवधान)...वे विधानसभा की कार्यवाही का हवाला दे रही थी जिसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। यदि वे ऐसा करना चाहती हैं तो उन्हें प्रमाणित करना होगा और सभा पटल पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा वे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गलत आरोप नहीं लगा सकती हैं।

**कॉमरेड सोमनाथ चटर्जी:** यहाँ उपस्थित हैं। वे उनके विरुद्ध कही गई बातों का जवाब देंगे।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस चर्चा के दौरान दोपहर में मैंने पीठासीन से पूछ कि क्या सैंट किट्स के मुद्दे को इस प्रस्ताव के दौरान उठाया जा सकता है। पीठासीन ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं। यदि श्री श्रीकान्त जेना द्वारा भ्रष्टाचार के सामान्य प्रश्न के रूप में सैंट किट्स के प्रश्न का उठाया जाना वैध था तो नियम के अनुसार कुमारी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार के प्रश्न को उठाने की अनुमति न देने का कोई कारण नहीं है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) शामिल है।

**श्री रूपचन्द पाल:** मैंने यह कहा था कि उन्हें प्रमाणित करना होगा और सभापटल पर प्रस्तुत करना होगा।

**डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम):** उन्हें दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत करने चाहिए....(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** जी हां, मैं तैयार हूँ। यह विधान सभा में दिया गया जवाब है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब छः बज चुके हैं। हम 10-15 मिनट और बैठेंगे। मुझे एक श्री डिडवानिया के लिए आना था और मैंने जमानत के लिए आवेदन दे दिया। इस तथ्य को न जानते हुए कि यह बात पूर्णतः गलत है और जानबूझ कर गुमराह किया जा रहा है। वे साबित न कर सकी तो यदि उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होगी तो वे इस्तीफा दे देंगी। चलिए देखते हैं.....

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** मैं अपनी बात पर अटल हूँ। वर्ष 1994 में, सितम्बर अथवा अक्तूबर के महीने में उन्होंने उस व्यक्ति की वकालत की थी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** उस व्यक्ति की वकालत की थी- किस व्यक्ति?

**कुमारी ममता बनर्जी:** वह श्री डिडवानिया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** उन्होंने कहा है कि मैंने जमानत के लिए आवेदन दिया है लेकिन मैं नहीं जानता कि वे किस मामले का हवाला दे रही हैं। उनमें मुझे यह बताने की शालीनता नहीं है। ...(व्यवधान) मैं सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ पेश हो सकता हूँ....(व्यवधान) उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए....(व्यवधान) उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि मैंने डिडवानिया नामक किसी अपराधी व्यक्ति की जमानत के लिए आवेदन दिया था। उन्हें वह साबित करने दीजिए। यदि उनमें ईमानदारी की भावना है तो उन्हें इस्तीफा देने दीजिए....(व्यवधान) यहां मेरे कमरे से आते हुए क्या उन्होंने कुछ और भी कहा है, मैं नहीं जानता। यही मैंने सुना है और तत्काल ही मैं यहाँ आने के लिए निकल पड़ा और इसका विरोध किया। संसद में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। यह बात बहुत असन्तोषजनक है....(व्यवधान)

**श्री संतोष मोहन देव:** जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वे अब यह कह रही है....(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** हो सकता है मैं सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पेश हुआ हूँ....(व्यवधान) मेरे पास पूर्ण तथ्य हैं....(व्यवधान) मैंने इस व्यक्ति की जमानत के लिए कभी आवेदन नहीं दिया। मैं किसी डिडवानिया को नहीं जानता (व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** इसका कोई स्तर नहीं है...(व्यवधान)

**श्री संतोष मोहन देव:** एक मिनट, यदि यह गलत है तो निश्चय ही वह माफी माँगेगी...(व्यवधान) श्री चटर्जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया है....(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं मैंने कहा था कि मैं डिडवानिया के लिए पेश हुआ था और उनके लिए जमानत भी दी थी।...(व्यवधान) वे मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?...(व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दीजिए...(व्यवधान) यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया भ्रम में नहीं डालिए। मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैंने यहाँ बताया था कि मैंने सुना है कि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है और मैंने दूरदर्शन पर सुना है कि मैं किसी डिडवानिया के लिए पेश हुआ था और जमानत का आवेदन दिया था। मैं उस बात से इंकार करता हूं। मैंने आगे कहा था कि अपने कैरियर में मैं सैकड़ों तथा हजारों लोगों के लिए पेश हुआ हूं और मुझे याद नहीं कि क्या डिडवानिया कभी मेरा मवक्किल था। लेकिन प्रश्न यह है कि....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** नहीं, कृपया उन्हें अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आजाद:** मैं समझता हूं कि हम इस बात को यहीं समाप्त कर सकते हैं क्योंकि न केवल संसद सदस्य होने के नाते यह उनके अधिकार में है बल्कि वह एक अधिवक्ता भी हैं। ....(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैंने जो कुछ कहा है पूरे यकीन के साथ कहा है। मैंने किसी से भी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।...(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आजाद:** एक अधिवक्ता होने के नाते उनसे ऐसी बहुत सी बातों की उम्मीद की जा सकती है और उन्हें यह अवश्य करना चाहिए था।...(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** कलकत्ता उच्च न्यायलय में हर कोई जानता है कि मैं वहां क्या कर रहा हूं ..(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आजाद:** मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ कि .....(व्यवधान)... एक अधिवक्ता होने के नाते उन्हें सभी प्रकार के मामलों में न्यायालय में पेश होना पड़ता है। ....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** उपाध्यक्ष महोदय मुझे कालिदास की कविता की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें कहा गया है:

"स्कन्दम् न बाधते राजा, तब बाधति बाधते"

इस अव्यवस्था में हमारे वरिष्ठ और अनुभवी सांसद श्री सोमनाथ चटर्जी ने संभवतः स्पष्टीकरण देते समय तंग आकर कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिन्हें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैं अपनी वह बात वापस लेता हूँ। उसके लिए मुझे खेद है। मैं उसे वापस लेता हूँ। ...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह एक पेशेवर हैं।

(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** महोदय, पेशेवर होने के नाते वह किसी भी मामले के लिए बोल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ।...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया क्या आप एक मिनट के लिए शान्त रहेंगे।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** महोदया, यदि कोई संसद सदस्य पेशे से अधिवक्ता है तो उसे किसी भी न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत करने का अधिकार है।

**कुमारी ममता बनर्जी:** यह बात ठीक है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** शपथ पत्र दर्ज करने से इन्कार करना पेशे की मर्यादाओं के विरुद्ध है। अतः इसे दर्ज करने में कोई नुकसान नहीं है। अतः कृपया अब आप अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब यह बात समाप्त हो गई।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** इस बात को अनावश्यक रूप से मत घुमाइए। यह बात समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** यदि कोई अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं तो हम उन पर गौर करेंगे और उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** गुस्सा करने की कोई वजह नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जी, नहीं, यह बात समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। उस विषय को छोड़ दीजिए। वह केवल पांच मिनट बोलेंगी।

(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई सदस्य किसी विषय पर बोलता है तो मैं उसे व्यवधान नहीं पहुंचाती हूं क्योंकि यह मौलिक अधिकार है और यदि कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो वह उठा सकता है। मैंने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी हैं। मैंने उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई है। उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री ने धन लिया है। मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी पर दोष नहीं लगा रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि एक व्यक्ति और एक पेशेवर होने के नाते वह किसी भी न्यायालय में पेश हो सकते हैं। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह मुद्दा इस लिए उठा रही हूं कि हम राजनीतिज्ञों को पहले अपने आप को देखना चाहिए फिर लोगों को कहना चाहिए कि ईमानदार बनें। यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो आप लोगों को ईमानदार होने की सलाह नहीं दे सकते हैं।...(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** जी नहीं, हद हो गई। मैंने वह अंश निकाल दिया है। उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा रहा है।

.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह अंश कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा रहा है।

.....(व्यवधान).....

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** कृपया हमें इसका आधार बताइए। क्या वह जो चाहती हैं वह कर सकती हैं? क्या यह कोई बाजार है?...(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** अपने मुवक्किल को सलाह देना अधिवक्ता का काम नहीं हैं।

.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह अंश निकाल दिया गया है।

.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह अंश निकाल दिया गया है।

.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने इस विषय में अपमानजनक अंश को निकाल दिया है। मैंने इसे निकाल दिया है।

.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

.....(व्यवधान).....

**कुमारी ममता बनर्जी:** इस सभा में यह क्या हो रहा है? आप भी देख रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं?

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपको बोलने की अनुमति है।

.....(व्यवधान).....

**कुमारी ममता बनर्जी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि .....(व्यवधान)..... हम चाहते हैं कि हवाला के खिलाफ विचार हो।....(व्यवधान).....

**[अनुवाद]**

यदि किसी को दोषी पाय जाता है तो सरकार को बेशक उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, न्यायालय को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए न्यायालय को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ बहुत सारे "हवाले" इधर से उधर घूम रहे हैं।...(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपको और कितना समय चाहिए।

.....(व्यवधान).....

**कुमारी ममता बनर्जी:** मुझे कम से कम आधा घण्टा और चाहिए।.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** ऐसी बात है तो आप अपनी बात कल जारी रख सकती हैं।

.....(व्यवधान).....

**कुमारी ममता बनर्जी:** महोदय, आपका धन्यवाद.....(व्यवधान).....

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब सभा कल 1 मार्च, 1996 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**6.15 म. प.**

**तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 मार्च, 1996/11 फाल्गुन, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

कार्य वाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।